जिला आपदा प्रबंधन योजना

DISTRICT DISASTER MANAGEMENT PLAN
2026-2027

जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण,
जनपद रूद्रप्रयाग

संदेश

जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष,
जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण,
रूद्रप्रयाग।

उत्तराखण्ड एक हिमालयी राज्य होने के कारण प्राकृतिक आपदाओं से जूझता रहा है। जनपद रूद्रप्रयाग भूकम्प की दृष्टि से जोन 5 में स्थित होने के कारण विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं के प्रति अत्यन्त संवेदनशील है। आपदायें आकस्मिक होती हैं, जिनसे जन–धन एवं विभागीय परिसम्पत्तियों का नुकसान होता है। उक्त आपदाओं के प्रभाव एवं इनसे होने वाले नुकसान को न्यून करने के लिय पूर्व तैयारियों की अत्यन्त आवश्यकता है।

जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के तहत जनपद की समस्त संभावित आपदाओं से निपटने हेतु जनपद आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना का निर्माण किया गया है। जिससे आपदा के विगत अनुभव एवं जनपद में विद्यमान भौतिक, मानवीय, विभागीय एवं संस्थागत संसाधनों के समावेश के साथ–साथ उन सभी सूचनाओं का उल्लेख किया गया है, जो किसी भी आपदा का सामना करने के लिये आवश्यक हैं। इस कार्ययोजना का मूल्यांकन हर वर्ष आने वाली नई समस्याओं को दृष्टि में रखते हुए भी किया जाना होगा ताकि इसकी उपयोगिता बनी रहें।

आपदा प्रबन्धन के लिये उत्तम एवं प्रभावी यंत्र, ग्राम स्तरीय आपदा कार्यदल, समुदाय (संगठनों) का है, जिनका योगदान आपदा प्रबन्धन के विभिन्न चरणों में यथा–आपदा से पूर्व, आपदा के समय एवं आपदा के बाद की गतिविधियों में लिया जाना आवश्यक है। इसके लिये समुदाय (संगठनों) को जागरूक करना एवं संवेदनशील बनाना अति आवश्यक है, जिससे मानवीकृत व प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली क्षति को न्यून किया जा सके। जिला आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना को एक व्यवहारिक एवं बहुउद्देशीय स्वरूप प्रदान करने के लिए मैं अपने पूर्ववर्ती जिलाधिकारियों एवं राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, देहरादून द्वारा समय–समय पर दिये गये सुझावों के प्रति आभार प्रकट करता हूँ। इस कार्ययोजना को संकलित एवं व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने में जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के समस्त अधिकारी एंव कर्मचारियों द्वारा किये गये प्रयास सराहनीय हैं।

शुभकामनाओं सहित,

जिला अधिकारी,
जनपद रूद्रप्रयाग।

प्राक्कथन

अपर जिलाधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण,
रूद्रप्रयाग।

जनपद रूद्रप्रयाग उत्तराखण्ड राज्य का एक सीमान्त जनपद है, जिसकी सीमा जनपद चमोली, पौड़ी एंव टिहरी गढ़वाल से लगी है। जनपद हिमालय क्षेत्र के संवेदनशील जोन 05 के अर्न्तगत है। भारत के 11 ज्योतिलिंग में से 01 लिंग श्री केदारनाथ तीर्थ स्थल जनपद रूद्रप्रयाग में स्थित है। जहां पर देश विदेश के लाखों श्रद्धालु दर्शन हेतु आते है तथा श्री केदारनाथ यात्रा 06 माह तक संचालित होती है। जनपद में जून से अक्टूबर के मध्य मानसून काल भी रहता है। जिसके कारण सड़क दुर्घटनायें एवं भूस्खलन व की घटनाओं की तीव्रता बढ़ जाती है।

इन आपदाओं के निवारण एवं न्यूनीकरण हेतु जिला स्तरीय कार्ययोजना के साथ–साथ ब्लॉक व ग्राम स्तरीय आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना एवं कार्यदलों का गठन किया जाना आवश्यक होगा। यह एक सार्वभौमिक सत्य है, कि आपदाओं को रोका नहीं जा सकता है। परन्तु आपदा के प्रभाव को कम किया जा सकता है। प्राकृतिक आपदाओं की समस्याओं को समग्र जनसहभागिता, उत्तरदायित्व एवं उच्च कोटी के प्रबन्धन एवं उपायों के क्रियान्वयन द्वारा धीरे–धीरे नियंत्रित एवं कम किया जा सकता है।

राहत एवं बचाव कार्य की सफलता का मूल मंत्र कार्यरत अधिकारियों की सूझ–बूझ, निष्ठा, संवेदनशीलता, निर्णय व नेतृत्व क्षमता होगी किन्तु फिर भी इस योजना की सूचनायें किसी भी आपदा के लिये अवश्य ही सहायक सिद्ध होगी ऐसा मेरा विश्वास है।

अपर जिला अधिकारी,
जनपद रूद्रप्रयाग।

प्रस्तावना

जनपद आपदा प्रबन्धन अधिकारी, आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, रूद्रप्रयाग।

देवभूमि कही जाने वाली उत्तराखण्ड की हिमालय पर्वत श्रृंखला दुनिया की सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला है। इसके निर्माण तथा समायोजन की प्रक्रिया अभी भी जारी है। 610 से 3886 मीटर की ऊॅचाई वाला संसाधन सम्पन्न यह भू–भाग आपदाओं की दृष्टि से बेहद संवेदनशील है। इसी भू–भाग में स्थित रूद्रप्रयाग 2,42,285 जनसंख्या वाला जनपद है। जनपद में कुल 04 तहसीलें, तथा 03 विकासखण्ड है।

प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण उत्तराखण्ड के अन्य जनपदों की तरह ही इस नैसर्गिक जनपद रूद्रप्रयाग में भी आपदाओं में वृद्धि हुई है और इस वृद्धि ने संवेदनशील क्षेत्र की तरफ विश्व के अनेकानेक विचारकों, वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं एवं बुद्धिजीवियों को सोचने पर मजबूर किया है। विगत शताब्दियों से हिमालयी क्षेत्र में भूस्खलन व भूकम्प ने प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से मानव समाज, पर्यावरण एवं विकास प्रक्रिया पर विपरीत प्रभाव डाला है। जनपद भूकम्प के दृष्टिगत जोन 5 में आता है।

उत्तराखण्ड में प्राकृतिक संवेदनशीलता के चलते आपदा प्रबन्धन मंत्रालय का गठन किया गया है। इसके पीछे आपदाओं के न्यूनीकरण का मकसद ही प्रमुख है। यही वजह है कि गांव–गांव तक लोगों को आपदओं के वक्त सचेत करने के लिए वृहद स्तर पर जागरूकता अभियान संचालित किए जा रहें है। स्कूली पाठ्यक्रम में आपदा प्रबन्धन को शामिल किया गया है। युवाओं तथा महिलाओं के साथ पंचायतों को इस दिशा में सजग किया जा रहा है। अब यह जरूरी हो गया है, कि हम आपदाओं से नित्य जूझने की मानसिकता तैयार करें व अपनी भवन निर्माण शैली को भूकम्परोधी बनायें। हालांकि अभी तक के अनुभव बताते हैं कि जिन देशों ने आपदा के न्यूनीकरण की दिशा में कदम उठाये हैं वहां पर आपदाओं के प्रभाव को न्यूनतम करने में सफलता पायी है। इस पक्ष को आत्मसात किए जाने के सरकारी प्रयासों के साथ आम जनमानस को इसमें भागीदार बनना होगा। विकास की प्रक्रिया को सत्त जारी रखने के लिए हमें उन उपयों पर भी ध्यान देना होगा जिससे प्रकृति के साथ होने वाली छेड़छाड़ से बचा जा सके।

प्राकृतिक आपदाओं से बचाव एवं राहत कार्य की सफलता का मूल मंत्र कार्यरत अधिकारियों की सूझ–बूझ, निष्ठा, संवेदनशीलता, निर्णय व नेतृत्व क्षमता होगी। जनपद आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना (District Disaster Management Action Plan) की सूचनायें किसी भी आपदा के लिये अवश्य ही सहायक होंगी।

जिला आपदा प्रबन्धन अधिकारी,
जनपद रूद्रप्रयाग।

जनपद आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना

उत्तराखण्ड राज्य

मार्गदर्शनः—

श्री विशाल मिश्रा
अध्यक्ष, जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग।

पर्यवेक्षणः—

श्री श्याम सिहं राणा,
अपर जिलाधिकारी/मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, रूद्रप्रयाग।

शोध, सर्वेक्षण एवं संकलन :—

श्री नन्दन सिंह रजवार,
जिला आपदा प्रबन्धन अधिकारी, रूद्रप्रयाग।

सहयोग एवं परामर्शः—

समस्त जनपदीय अधिकारी, जनपद रूद्रप्रयाग।

अद्यतन कार्यः—

28 मार्च, 2026

विशेष सहयोगः—

श्री सन्तोष प्रकाश नौड़ियाल, सहायक प्रबन्धक/प्रभारी,
श्री सौरभ कुमार, सहायक लेखाकार,
कु0 सीमा परमार, मास्टर ट्रेनर
एंव
समस्त आपातकालीन परिचालन केन्द्र में तैनात कर्मचारी

विषय सूची

01	अध्याय – 01 ''परिचय व पृष्ठभूमि''	1–22
02	अध्याय – 02 ''खतरों, संवेदनशीलता, क्षमता और जोखिम आंकलन''	23–39
03	अध्याय – 03 ''आपदा प्रबन्धन हेतु संस्थागत व्यवस्थायें''	41–60
04	अध्याय – 04 ''रोकथाम और शमन उपाय''	61–72
05	अध्याय – 05 ''तैयारी के उपाय''	73–110
06	अध्याय – 06 ''प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास''	111–118
07	अध्याय – 07 ''प्रतिक्रिया एवं राहत उपाय''	119–131
08	अध्याय – 08 ''आपदा पुनर्निर्माण एवं पुर्नस्थापना उपाय''	132–140
09	अध्याय – 09 ''डी0डी0एम0पी0 के क्रियान्वयन के लिए वित्तीय संसाधन''	141–152
10	अध्याय – 10 ''जिला आपदा प्रबन्धन योजना का रखरखाव और समीक्षा''	153–155
11	अध्याय – 11 ''डी0डी0एम0पी0 के कार्यान्वयन के लिए समन्वय तंत्र''	156–168
12	अध्याय – 12 ''मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी)''	169–178

अध्याय–1

परिचय

1.1 जनपद का ऐतिहासिक परिचयः– जनपद रूद्रप्रयाग का गठन उत्तर प्रदेश सरकार राजस्व अनुभाग–5 शासकीय अधिसूचना संख्या 2867/1–323/दिनांक 18 सितम्बर 1997 के द्वारा तत्कालीन जनपद चमोली की तहसील रुद्रप्रयाग एवं ऊखीमठ, जनपद टिहरी गढ़वाल की उप–तहसील जखोली और जनपद पौड़ी की तहसील श्रीनगर की बच्छणस्यूं, धनपुर पट्टी क्षेत्र को समाविष्ट करते हुये किया गया, जिसका **मुख्यालय** रूद्रप्रयाग–पोखरी मोटरमार्ग में बेला–खुरड़ में स्थापित किया गया है। रूद्रप्रयाग पंच प्रयागो में से एक है जहां पर अलकनन्दा एवं मन्दाकिनी नदी का संगम है। रूद्रप्रयाग का नाम भगवान शिव के एक रूप रूद्र के नाम पर रखा गया है। रूद्रप्रयाग को प्राकृतिक सौन्दर्य उपहार स्वरूप प्राप्त हुआ है, जो जलवायु क्षेत्र की ऊंचाई पर निर्भर करता है।

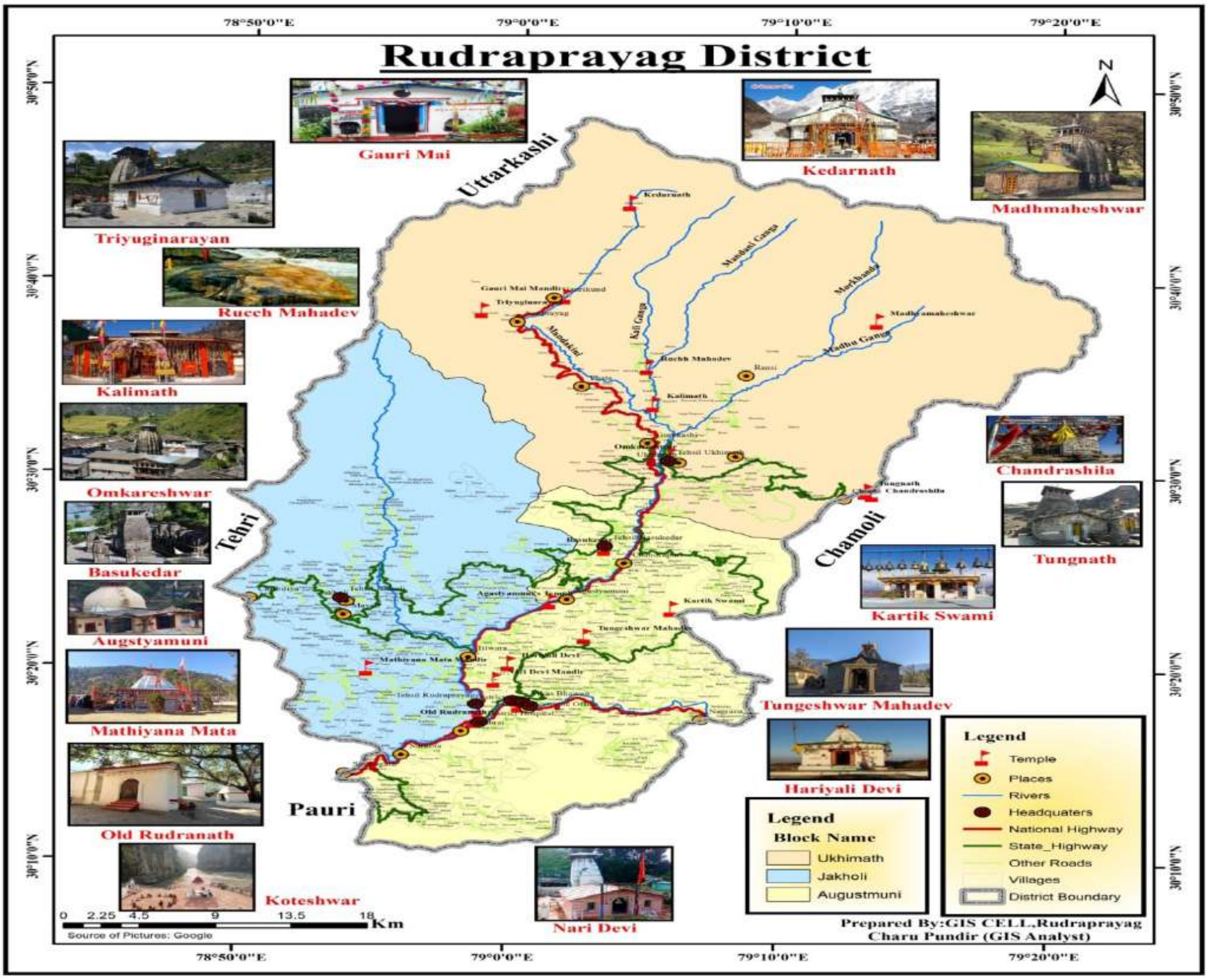

जनपद मुख्यालय हरिद्वार से 165 किमी0, देहरादून से 185 किमी0, कर्णप्रयाग से 32 किमी0 की दूरी पर स्थित है। जनपद रुद्रप्रयाग के उत्तर पश्चिम में जिला उत्तरकाशी, पूर्व में जिला चमोली, दक्षिण में जनपद पौड़ी गढ़वाल तथा पश्चिम में जनपद टिहरी स्थित है। भौगोलिक दृष्टि से यह जनपद लगभग 78° 49′ पूर्वी से 79° 22′ पूर्व देशांतर और 30° 10° उत्तरी से 30° 48′ 36′′ उत्तरी अक्षांश के मध्य 1984 वर्ग कि0मी0 में फैला हुआ है, जिसकी अधिकतम ऊँचाई समुद्र सतह से 3886 मी0 (तुंगनाथ), 3581 मी0 केदारनाथ एवं न्यूनतम लगभग 610 मी0 है। जनपद के निचले भू–क्षेत्र मंदाकिनी, अलकनंदा, लस्तर नदियां एवं उनकी सहायक नदियों, नालों द्वारा लाई मिट्टी एवं तलछट से बने हैं। नदियों के दोनों तरफ तीव्र ढाल हैं तथा सम्पूर्ण क्षेत्र में विस्तृत पर्वत श्रृंखलाऐं विद्यमान हैं, जो अनेक जल समेट क्षेत्र बनाते है।

पौराणिक ऐतिहासिक धरोहरों का विवरणः– प्राकृतिक सौन्दर्य से परिपूर्ण इस जनपद में बारह ज्योतिर्लिंगों में से एक श्री केदारनाथ मंदिर, कार्तिक स्वामी मंदिर, मध्यमहेश्वर, तुंगनाथ, त्रियुगीनारायण, रूद्रनाथ, कोटेश्वर महादेव के ऐतिहासिक मंदिर है, जहां पर प्रतिवर्ष देश–विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन हेतु आते है।

1.2 प्रशासनिक ढांचाः– जनपद रूद्रप्रयाग का क्षेत्र 1984 वर्ग कि.मी. है। पूर्व से पश्चिम की लम्बाई 52 किमी0 तथा उत्तर से दक्षिण की लम्बाई 48 किमी0 हैं। जनपद में 03 परगना, 04 तहसीलें, 03 विकासखण्ड, 336 ग्राम पंचायते तथा 681 राजस्व ग्राम, 27 गैर आबाद, 589 वन पंचायतें एवं 27 न्यायपंचायत एवं 05 पुलिस थाना, 10 पुलिस चौकिया व 03 सीजनली चौकिया सृजित है।

जनपद की प्रशासनिक व्यवस्था **तालिका नं 1.1**

विकासखण्ड	03 (अगस्त्यमुनि, जखोली, ऊखीमठ)
तहसील	04 (रूद्रप्रयाग, जखोली, बसुकेदार, ऊखीमठ)
परगने	03 (रूद्रप्रयाग, जखोली, ऊखीमठ)
पुलिस थाने	05 (रूद्रप्रयाग, अगस्त्यमुनि, ऊखीमठ, गुप्तकाशी, सोनप्रयाग)
पुलिस चौकी	10
ग्राम पंचायतों की संख्या	336
न्याय पंचायतों की संख्या	27
राजस्व ग्रामों की संख्या	681

हितधारक और उनकी जिम्मेदारिया

- **राष्ट्रीय और राज्य स्तर** – राष्ट्रीय स्तर पर NDMA, NIDM, NDRF की प्रमुख भूमिकाएँ निर्धारित हैं। राज्य स्तर पर, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA) और राहत आयुक्त (CoR), राजस्व विभाग, प्रमुख संस्थाएँ हैं जो आपदा प्रबंधन के सभी चरणों से निपटती हैं। सभी प्रमुख विभाग (राजस्व, पुलिस, सिंचाई, स्वास्थ्य, कृषि, पशुपालन, जल आपूर्ति और स्वच्छता, वन, सार्वजनिक निर्माण विभाग, विद्युत आपूर्ति) और आपातकालीन समर्थन कार्य एजेंसियाँ (पुलिस, हामे गार्ड, फायर और स्वास्थ्य/प्राथमिक चिकित्सा) आपदाओं के दौरान DEOC में एकत्र होती है।
- **जिला स्तर पर –** जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA), जिसमें जिला कलेक्टर को प्रतिक्रिया अधिकारी (RO) के रूप में नामित किया गया है, और जिला मुख्यालय पर अन्य संबंधित विभाग, जिले के भीतर आपदा प्रबंधन के सभी चरणों से निपटने के लिए जिम्मेदार हैं।
- अन्य तकनीकी संस्थाएँ, समुदाय, स्थानीय स्व–सरकारें, NGOs आदि भी जिला आपदा प्रबंधन याजेना के हितधारक हैं। हितधारकों की भूमिका इस उद्देश्य से तैयार की गई है ताकि संबंधित संगठनों को उनके कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को समझने में मदद मिले, जो कि सभी स्तरों पर आपदा प्रबंधन से संबंधित हैं और उन्हें पूरा किया जा सके।

तालिका नं 1.2

क्रमांक	प्राधिकरण	कर्तव्य
01	जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA)	• आकस्मिक योजना का क्रियान्वयन। • आपातकालीन सुविधाओं की स्थापना के लिए स्थानीय प्रशासन, सैन्य बलों, गैर–सरकारी संगठनों और निजी क्षेत्र के सहयोग से सहायता प्रदान करना। • समस्त आपदाओं में विभागीय समन्वय, आपातकालीन परिचालन केन्द्र का संचालन। • आपदा की स्थिति में शासन स्तर पर समन्वय स्थापित करते हुए आवश्यक दिशा–निर्देश प्राप्त कर आवश्यक कार्यवाही करना।
02	राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA)	• DDMP को अनुमोदित करना। योजना की निगरानी और क्रियान्वयन।

क्रमांक	प्राधिकरण	कर्तव्य
		• इस योजना के विभिन्न पहलुओं के लिए DDMP को मार्गदर्शन प्रदान करना। • आपदा की स्थिति में जिले को आवश्यक सहायता प्रदान करना। • शमन और तैयारी उपायों के लिए धन की अनुशंसा करना।
03	राष्ट्रीय आपदा प्रबधंन प्राधिकरण (NDMA)	• आपदा प्रबधंन के लिए नीति और योजनाओं के प्रवर्तन और क्रियान्वयन का समन्वय करना।
04	पुलिस, हामेगार्ड, पी.आर.डी.	• कानून आरै शंति व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण, नागरिक सुरक्षा। • मोटर मार्ग बाधित होने पर यातायात व्यवस्था। • दूरसंचार विहीन क्षेत्रों में वायरलैस के माध्यम से वैकल्पिक संचार व्यवस्था। • चेतावनी प्रसारण, खोज एवं बचाव, राहत वितरण, परिवहन व्यवस्था, आबादी निष्क्रमण।
05	सशस्त्र बल	• एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस आदि संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित करते हुये आपातकालीन राहत और प्रतिक्रिया गतिविधियों को अंजाम देना।
06	स्वास्थ्य विभाग	• कर्मियों व प्रभावितों को चिकित्सीय सुविधा तथा उक्त सम्बन्धी उपकरणों/दवाइयों की व्यवस्था किया जाना। • रोगियों की निकासी का समन्वय करना।
07	विद्युत विभाग	• बाहरी उपकरणों की आवश्यकताओं की पहचान करना, जैसे डीजी सेट आदि। • क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना। • आपदा की स्थिति में विद्युत बहाल करते हुये वैकल्पिक विद्युत व्यवस्था किया जाना। • राहत कार्यो व शिविरों में विद्युत व्यवस्था।
08	संचार विभाग	• जिले में दूरसंचार व्यवस्था सुनिश्चित कराना। • प्रभावित क्षेत्रों में अस्थायी दूरसंचार आवश्यकताओं का समन्वय करना।
09	जनसपंर्क विभाग	• आपदा और पीड़ितों की स्थिति पर विश्वसनीय जानकारी प्रदान करना और एकत्र करना ताकि जनपद स्तर पर राहत कार्यों का प्रभावी समन्वय हो सके। • सभी टीवी और रेडियो नेटवर्क के साथ समन्वय कर विशेष जरूरतों की खबरें प्रसारित करना। • समस्त आपदाओं में मीडिया प्रबंधन, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आवश्यक सूचनाओं का सम्प्रेषण।
10	परिवहन विभाग	• परिवहन आवश्यकताओं का समग्र समन्वय। • विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपलब्ध वाहनों की सूची तैयार करना। • आपातकालीन प्रतिक्रिया आरै पुनर्प्राप्ति कार्यों, खोज और बचाव तथा नुकसान के ऑकलन को समन्वित और कार्यान्वित करना।

क्रमांक	प्राधिकरण	कर्तव्य
11	राष्ट्रीय राजमार्ग / लोक निर्माण विभाग / पी.एम.जी. एसवाई.	• नियंत्रणाधीन मोटर मार्गों को सुचारू व सुगम रखा जाना। • ग्रामीण सड़कों एवं पुल, पुलिया का रख रखाव। • सड़क मार्ग अवरूद्ध होने पर डाइवर्जन, आपातकालीन स्थिति में हेलीपैड सक्रिय किया जाना, क्षतिग्रस्त पुल / पुलिया, सड़कों की मरम्मत, अधोसंरचना क्षति आंकलन अन्य विभागों को तकनीकी सहयोग।
12	राजस्व विभाग	• वास्तविक या संभावित आपदा स्थिति के बारे में जानकारी एकत्र करना, प्रतिक्रिया करना और प्रसारित करना ताकि प्रभावित क्षेत्र में सहायता प्रदान करने के लिए सभी प्रतिक्रियाकर्ताओं की समग्र गतिविधियों को सुगम बनाया जा सके। • आपातकालीन प्रावधानों से संबंधित गतिविधियों का समन्वय व प्रभावितों को राहत वितरण।
13	खाद्य एव ं नागरिक आपूर्ति विभाग	• आपदा की स्थिति में खाद्यान्न, ईधन, रसोई गैस की आपूर्ति की सुनिश्चितता, राहत शिविरों व राहत कार्य में लगे व्यक्तियों हेतु खाद्य आपूर्ति व भोजन की व्यवस्था। • आपदाओं में आश्रय एवं राहत कैंप में भोजन प्रबंधन, स्थानीय स्वयंसेवी संगठनों से समन्वय कर राहत सामग्री / खाद्यान्न वितरण।
14	पेयजल विभाग	• स्वच्छ पेयजल व्यवस्था।
15	नगर पालिका एवं जिला पंचायत	• सफाई एवं स्वच्छता व्यवस्था।
16	पंचायत एवं ग्रामीण विकास	• प्राकृतिक आपदाओं में आबादी निष्क्रमण, क्षति आंकलन, राहत शिविरों एवं बुनियादी सुविधाओं की स्थापना एवं संचालन, खोज एवं बचाव।
17	शिक्षा विभाग	• चिन्हित आपातकालीन राहत शिविरों कि व्यवस्था एंव समन्वय। • मतदेय स्थलों में ए.एम.एफ. सम्बन्धी सुविधाए ंएवं कर्मिकों हेतु भोजन आदि व्यवस्था।
18	सिंचाई विभाग	• नदी नालों से कटाव तथा जल भराव की स्थिति में तात्कालिक रूप से आबादी की सुरक्षा हेतु कार्य।
19	उरेडा विभाग	• विद्युत विहीन क्षेत्रों में वैकल्पिक विद्युत व्यवस्था।
20	पशुपालन	• आपदाओं के मध्यनजर पशुओं से संबंधित मुद्दों के लिये रणनीति और योजना विकसित करना। • किसी भी महामारी के प्रकोप को नियंत्रित और जांचना। • सभी पशु चिकित्सा केन्द्रों की सूची तैयार करना और आपदा की स्थिति से निपटने की उनकी क्षमता का ऑकलन करना।

1.3 आर्थिक, व्यवसायिक एवं सामाजिक परिदृश्यः— 2011 की जनगणना के अनुसार जनपद की कुल जनसंख्या 2,42,285 है, जिसमें पुरूष जनसंख्या 114589 व महिलाओं की जनसंख्या 127696 है। 2011 की जनगणना के अनुसार जनपद में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 47679 एवं अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 386 है।जनपद में साक्षरता का प्रतिशत 81.30 है। जनपद में कुल परिवारों की संख्या 53542 है तथा जनपद के 35 गांव शून्य (0) आबादी वाले है। जनपद में प्रति वर्ग कि.मी. जनसंख्या घनत्व 119 है एवं स्त्री एवं पुरूष अनुपात 1000:1120 है।वर्ष

2001–2011 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर 4.14 प्रतिशत है। जनपद में पशुपालन के अन्तर्गत मुख्य रूप से गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा–खच्चर, मुर्गी एवं मत्स्य पालन करते हुए व्यवसाय किया जाता है। साथ ही जनपद की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से बागवानी और पर्यटन पर निर्भर है।

1.4 – 2011 की जनगणना के अनुसार जनपद की जनसांख्यिकी एंव सामजिक/आर्थिक विवरण स्थिति

तालिका 1.3

1	जनपद रूद्रप्रयाग के सृजन की तिथि	18 सितम्बर, 1997
2	क्षेत्रफल	1984 वर्ग कि.मी.
3	जनसंख्या (2011 की गणना के अनुसार)	2,42,285
4	महिलाएं	1,27,696
5	पुरूष	1,14,589
6	अनुसूचित जाति	47,679
7	अनुसूजित जन जाति	386
8	ग्रामीण जनसंख्या	2,13,124
9	शहरी जनसंख्या	46,524
10	स्त्री–पुरूष अनुपात	1120 %1000
11	जनसंख्या घनत्व	119 प्रति वर्ग किमी.
12	जनपद में सारक्षता	81.30 प्रतिशत
13	पुरूष सारक्षता	93.90 प्रतिशत
14	महिला सारक्षता	70.35 प्रतिशत
15	राजस्व ग्रामों की संख्या	(कुल राजस्व ग्राम –681, गैर आबाद ग्राम–27)
16	ग्राम पंचायतों की संख्या	336
17	न्याय पंचायतों की संख्या	27
18	विकास खण्ड	03 (अगस्त्यमुनि, जखोली, ऊखीमठ)
19	क्षेत्र पंचायतों सदस्यों की संख्या	115
20	जिला पंचायतों सदस्यों की संख्या	18
21	परगने	03 (अगस्त्यमुनि, जखोली, ऊखीमठ)
22	तहसील	04(अगस्त्यमुनि, जखोली, बसुकेदार, ऊखीमठ)
23	कानूनगो क्षेत्र	8
24	पटवारी क्षेत्र	52
25	नगर पालिका परिषद्	01 (रूद्रप्रयाग –07 वार्ड)
26	नगर पंचायत	04 (तिलवाड़ा, अगस्त्युनि, गुप्तकाशी, ऊखीमठ)
27	**निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या**	
i	लोकसभा	01 (आं.)
ii	विधानसभा	02 (08–रूद्रप्रयाग, 07–केदारनाथ)
28	पुलिस स्टेशन/थाना	05
29	पुलिस चौकियां	10
30	डाकघर	82 (05 नगरीय, 77 ग्रामीण)
32	राष्ट्रीयकृत बैंक शाखायें	33
33	अन्य व्यवसायिक बैंक	05
34	ग्रामीण बैंक शाखायें	09
35	सहकारी बैंक शाखायें	12
36	सस्ते गल्ले की दुकान	344 (323 ग्रामीण, 21 नगरीय)
37	बायोगैस संयत्र	278
38	शीत भण्डार	05
39	**कृषि**	
I	शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल	18769.795 है0

II	शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल	2161.504है0
III	सकल सिंचित क्षेत्रफल	3911.61है0
IV	खाद्यान्न उत्पादन	40301मै0 टन
V	धान	10273मै0 टन
VI	मण्डुवा	7480 मै0 टन
VII	सांवा	4759 मै0 टन
VIII	रामदाना	323 मै0 टन
IX	गेहूँ	14265 मै0 टन
X	जौ	2084 मै0 टन
XI	अन्य खाद्यान्न	1117 मै0 टन
XII	तिलहन	315 मै0 टन
XIII	दलहन	751 मै0 टन
XIV	आलू	410 मै0 टन
40	वर्षा	सामान्य–1284.40 मि.मी., वास्तविक–1178.00 मि.मी.
41	तापमान	उच्चतम–36 डिग्री सेन्टीग्रेड, न्यूनतम–– 0 डिग्री सेन्टीग्रेड
42	**सिंचाई**	
i	(नहरों की लम्बाई 2022–23 के अनुसार)	285.40
ii	नलकूप	39
iii	व्यक्तिगत नलकूप तथा पम्पसेट	24
43	**पशुपालन**	
i	(कुल पशुधन)	168751
ii	पशु चिकित्सालय	15
iii	पशुधन सेवा केन्द्र	22
iv	कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र	32
44	**सहकारिता**	
i	प्रारम्भिक कृषि ऋण समितियॉ	23
ii	समितियों के सदस्य	33,530
45	**उद्योग**	
i	(औद्योगिक अधिनियम 1948 के अन्तर्गत पंजीकृत कार्यरत कारखाने)	08
ii	खादी उद्योग एवं लघु औद्योगिक इकाईयॉ	3374
iii	खादी उद्योग एवं लघु औद्योगिक इकाईयों में कुल कार्यरत व्यक्ति	10146
46	**शिक्षा**	
i	इण्टर कॉलेज	112
ii	हाईस्कूल	100
iii	प्राथमिक विद्यालय	720
iv	महाविद्यालय	03
v	स्नातकोत्तर महाविद्यालय	02
vi	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	01
vii	पॉलीटेक्निक	01
47	**चिकित्सालय एवं औषधालय**	
i	ऐलोपैथिक	08
ii	आयुर्वेदिक	26
iii	होम्योपैथिक	05
iv	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	18
v	परिवार एवं मातृ शिशु कल्याण केन्द्र	04
vi	परिवार एवं मातृ शिशु कल्याण उपकेन्द्र	68

ii	विषेश चिकित्सालय (क्षय)	01
48	**पक्की सड़कों की लम्बाई**	
i	कुल सड़कों की लम्बाई	1866.44
ii	लो.नि.वि. द्वारा संघृत सड़कों की लम्बाई	1439.09
49	**विद्युत**	
i	विद्युतीकृत कुल ग्राम	632
ii	विद्युतीकृत आबाद ग्राम	632
iii	विद्युतीकृत नगर	04
iv	विद्युतीकृत अनुसूचित जाति बस्तियॉ	470
v	विद्युतीकरण से असेवित अनु.जाति बस्तिया	38
50	**नल/हैण्डपम्प इण्डिया मार्क–2 लगाकर जल सम्पूर्ति के अन्तर्गत लाये गये**	
i	ग्राम	632
ii	नगर	05
iii	नल/हैण्डपम्प द्वारा पेयजल आपूर्ति से असेवित अनु.जाति	67

नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायतों का विवरण

तालिका 1.4

क्र0 सं0	नाम	कुल वार्ड की संख्या	सम्बन्धित तहसील	भौगोलिक क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में	जनसंख्या 2011 जनगणना के अनुसार		
					पुरूष	महिला	योग
1	नगर पालिका परिषद, रूद्रप्रयाग	07	रूद्रप्रयाग	10	5240	4073	9313
2	नगर पंचायत, तिलवाड़ा	04	रूद्रप्रयाग	2.69	1217	1181	2398
3	नगर पंचायत, अगस्तयुनि	07	रूद्रप्रयाग	2.69	3329	3228	6557
4	नगर पंचायत, गुप्तकाशी	04	ऊखीमठ	3.69	1560	1508	3068
5	नगर पंचायत, ऊखीमठ	04	ऊखीमठ	4.06	1856	1782	3638
6	नगर पंचायत, केदारनाथ	04	ऊखीमठ	0.07	609	03	612

जनपद अन्तर्गत जल विद्युत परियोजना का विवरण

तालिका 1.5

क्र0सं0	विद्युत परियोजना का नाम	कार्यदायी विभाग	विद्युत क्षमता	आवश्यक डिस्चार्ज (क्यूसेक)
1	सिंगोली भटवाड़ी हाइड्रो इलेकिक्ट्रक प्लांट	रिन्यु जल ऊर्जा प्रा.लि.	99 मेघावॉट	25% to 30% inflow (Average discharge- Summer- 5 cum/S, monsoon-500/S cum

विकास खण्डवार ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत एवं पंचायत घर :–

तालिका 1.6

विकासखण्ड	न्याय पंचायत की संख्या	ग्राम पंचायत की संख्या	पंचायत घरों की संख्या	जिला मुख्यालय से विकासखण्ड की दूरी कि.मी. में
अगस्त्यमुनि	13	159	156	21
जखोली	09	108	108	40
ऊखीमठ	05	66	66	48

विकास खण्डवार क्षेत्रफल एवं जनसंख्या विवरण :—

तालिका 1.7

विकासखण्ड	क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी.)	परिवारों की संख्या	कुल जनसंख्या		
			पुरूष	स्त्री	कुल
अगस्त्यमुनि	364.69	24505	49409	57472	106881
जखोली	507.26	16117	34126	40633	74759
ऊखीमठ	111.94	9591	23655	24073	47728

विकासखण्ड मुख्यालय से ग्रामों की दूरी का विवरण :—

तालिका 1.8

विकासखण्ड	01 कि.मी. से कम	01—03 कि.मी.	03—05 कि.मी. से अधिक	05 कि.मी. से अधिक	कुल योग
अगस्त्युनि					
जखोली	01	05	80	82	168
ऊखीमठ	02	05	09	50	66

जनपद की तहसील, विकासखण्ड, थाने, चौकियां तथा संसदीय एवं विधानसभा क्षेत्र :—

तालिका 1.9

तहसील का नाम	विकास खण्ड का नाम	थानों का नाम	चौकियों का नाम	संसदीय क्षेत्र	विधान सभा क्षेत्र
रूद्रप्रयाग	अगस्यमुनि	कोतवाली रूद्रप्रयाग थाना अगस्त्यमुनि	घोलतीर दुर्गाधार	02—पौड़ी	08—रूद्रप्रयाग
जखोली	जखोली	कोतवाली रूद्रप्रयाग थाना अगस्त्यमुनि	जखोली		
बसुकेदार	ऊखीमठ	थाना अगस्त्यमुनि थाना गुप्तकाशी	—		07—केदारनाथ
ऊखीमठ	ऊखीमठ	थाना ऊखीमठ थाना गुप्तकाशी कोतवाली सोनप्रयाग	चोपता फाटा गौरीकुण्ड केदारनाथ		

1.5 जलवाय एवं वर्षा :— जनपद रूद्रप्रयाग की जलवायु सम शीतोष्ण है। गर्मियों में घाटियों में अधिक गर्मी तथा जाड़ों में ऊचाई वाले क्षेत्रों में अत्यधिक ठण्ड रहती है। जनपद का उच्चतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान माइनस 05 डिग्री सेल्सियस है। जनपद की सामान्य वर्षा लगभग 1400 मि.मी. है तथा ज्यादातर वर्षा जून से सितम्बर के बीच होती है।

1.6 भौगोलिक स्थिति एवं स्थलाकृति :— जनपद मुख्यालय हरिद्वार से 165 किमी0, देहरादून से 185 किमी0, कर्णप्रयाग से 32 किमी0 की दूरी पर स्थित है। जनपद रुद्रप्रयाग के उत्तर पश्चिम में जिला उत्तरकाशी, पूर्व में जिला चमोली, दक्षिण में जनपद पौड़ी गढ़वाल तथा पश्चिम में जनपद टिहरी स्थित है। भौगोलिक दृष्टि से यह जनपद लगभग 78° 49′ पूर्वी से 79° 22′ पूर्व देशांतर और 30° 10° उत्तरी से 30° 48′ 36′′ उत्तरी अक्षांश के मध्य 1984 वर्ग कि0मी0 में फैला हुआ है, जिसकी अधिकतम ऊँचाई समुद्र सतह से 3886 मी0 (तुंगनाथ), 3581 मी0 केदारनाथ एवं न्यूनतम लगभग 610 मी0 है।

पर्वतीय भूभाग, ढालदार क्षेत्र और भूस्खलन—प्रवण स्थलाकृति के कारण यह जनपद भकूंप, भूस्खलन, अतिवृष्टि एव सड़कों के कटाव जैसी प्राकृतिक आपदाओं के प्रति संवेदनशील है।

भौतिक स्वरूप, नदियां एवं भू–उपयोगिता – जनपद के निचले भू–क्षेत्र मंदाकिनी, अलकनंदा, लस्तर नदियां एवं उनकी सहायक नदियों, नालों द्वारा लाई मिट्टी एवं तलछट से बने हैं। नदियों के दोनों तरफ तीव्र ढाल हैं तथा सम्पूर्ण क्षेत्र में विस्तृत पर्वत श्रृंखलाऐं विद्यमान हैं, जो अनेक जल समेट क्षेत्र बनाते है।

जनपद मे कृषि क्षेत्रफल 18769.795 हैक्टेयर एवं सिंचित क्षेत्रफल 2161.504 हैक्टेयर है। जनपद में धान, मडुवा, गेहूं, रामदाना, जौ, तिलहन, दलहन, आलू, कीवी, माल्टा, भट्ट, गहत तथा बेमौसमी सब्जियों का उत्पादन होता है।

1.7 प्राकृतिक संसाधन एवं वन संपदा :– जनपद रूद्रप्रयाग प्राकृतिक संपदा से परिपूर्ण एक पर्वतीय जनपद है, जहां वन, जल, जैव–विविधता एवं खनिज संसाधनों की उल्लेखनीय उपस्थिति है। ये संसाधन न केवल पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में सहायक है, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था एवं आजीविका का प्रमुख अधार भी है।

➢ **वन क्षेत्र –**

- जनपद के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 70 प्रतिशत भाग वन क्षेत्र के अन्तर्गत आता है।
- यहाँ के वनों में प्रमुख वृक्ष प्रजातियाँ चीड़, बांज, बुरांश, देवदार, सागौन, तून, काफल आदि है।
- ऊँचाई के अनुसार वनस्पति में परिवर्तन पाया जाता है।
- निचले क्षेत्रों में चीड़ एवं खैर के वन।
- ऊँचे पर्वतीय क्षेत्रों बांज, बुरांश के सघन वन।

➢ **जैव विविधता –**

- रूद्रप्रयाग के वन क्षेत्र में विभिन्न जंगली जीव–जन्तु पाये जाते हैय, जैसे–तेंदुआ, भालू, जंगली सुअर, साही, हिरन, काकड़, साही, मोनाल और विभिन्न पक्षी प्रजातियाँ।
- यह क्षेत्र राज्य की जैव–विविधता संरक्षण योजना के अन्तर्गत महत्वपूर्ण स्थान रखता है

➢ **जल संसाधन –**

- जनपद के अनेक गाड़–गधेरे, झरने एवं नदियां है, जो यहां के प्रमुख जलश्रोत है।
- मुख्य नदियां – अलकनन्दा, मंदाकिनी है।

➢ **खनिज संसाधन –**

- जनपद के कुछ क्षेत्रों में स्लेट वाले पत्थर तथा रेत के भंडार पाये जाते है।
- इन खनिजों का सीमित स्तर पर निर्माण कार्यों एवं स्थानीय उद्योगो में उपयोग किया जाता है।

➢ **पर्यावरणीय एवं आर्थिक महत्व –**

- वन एवं प्राकृतिक संसाधन मृदा अपरदन, भूस्खलन एवं सूक्ष्म जलवायु संतुलन को नियंत्रित करते है।
- ये संसाधन स्थानीय जनसंख्या के लिए ईधन, चारा, औषधीय पौधे और पर्यअन अवसरों का प्रमुख श्रोत है।
- वनों का संरक्षण एवं संवर्धन आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए आवश्यक है।

कृषि एवं फसल चक्र – जनपद में कुल कृषि क्षेत्रफल 18769.795 हैक्टेयर एवं सिंचित क्षेत्रफल 2161.504 हैक्टेयर है। रवी की फसल के दौरान जनपद की मुख्य फसलें गेंहू, सरसों, मसूर, एवं मटर हैं जबकि खरीफ फसल में धान, मडुवा, आलू, उड़द, मक्का एव सोयाबीन है। जनपद में नकदी फसलों के रूप में आलू, चौलाई तथा बेमौसमी फसलें प्रमुख रूप से उत्पादित की जाती है।

विद्युत उत्पादन:– जनपद में प्रमुखतः मन्दाकिनी नदी पर स्थान कुण्ड में बाधं बनाकर रिन्यु जल ऊर्जा प्रा0 लि0 के माध्यम से विद्युत उत्पादन गृह को संचालित किया जाता है। परियोजना से 99 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है। उत्तराखण्ड अक्षय ऊर्जा विकास एर्जेसी (UREDA) के माध्यम से जनपद मुख्यालय से लगभग 92 कि.मी. दूरी पर स्थित केदारनाथ में 100 किलोवाट विद्युत उत्पादन किया जाता है।

यातायात एवं संचार व्यवस्था– जनपद में मुख्यतः यातायात जीप एवं बसों से संचालित किया जाता है। लगभग 99.99 प्रतिशत क्षेत्र दूरसंचार नेटवर्क से आच्छादित है। पुलिस विभाग के द्वारा प्रत्येक थाना, चौकी क्षेत्र वायरलैस व्यवस्था से आच्छादित है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक वन प्रभाग में पृथक वन संचार व्यवस्था है। साथ आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा लोकल वॉयरलैस इन्ट्रानेट नेटवर्क स्थापित किया गया है, जिससे लाईव मॉनिटिरिंग की जाती है। उक्त के अतिरिक्त रेडियों केदार एवं मन्दाकिनी की आवाज कमन्यूटी रेडियों नेटवर्क की स्थापना की गयी है जो वर्तमान में सुचारू संचालित हैं। जनपद के किसी भी दैनिक समाचार पत्र का संस्करण प्रकाशित नहीं किया जाता है, किन्तु जनपद के समाचारों का प्रकाशन प्रमुख गैर जनपदीय समाचारों के माध्यम से ही होता है।

1.8 खनिज संसाधन – जनपद रूद्रप्रयाग में कई प्रकार के खनिज संसाधन पाए जाते है, हालांकि उनमें से अधिकांश का बड़े पैमाने पर व्यावसायिक खनन नही होता है, जिले में पाये जाने वाले प्रमुख खनिज संसाधन निन्नलिखित है :–

- **ग्रेनाइट, हाइलॉइट्स और क्वार्टजाइट –** ये जिले में सामान्य रूप से पाये जाने वाले खनिज संसाधन है।
- **स्लेट –** यह घनी, बारीक दाने वाली कायांतरित चट्टान है, जिसे पतली, चिकनी प्लेटो में विभाजित किया जा सकता है और इसका उपयोग छत बनाने के उद्देश्यों के लिए किया जाता है।
- **चूना पत्थर –** जिले में चूना पत्थर के भंडार है, और कुछ स्थानों पर उच्च श्रेणी के चूना पत्थर की सूचना भी मिली है।
- **जिप्सम –** यह खनिज नदी के किनारें पाया जाता है और अतीत में इसका उपयोग तश्तरी और कटोरे बनाने के लिए किया जाता था। इसके पाउडर का उपयोग प्लास्टर ऑफ पेरिस के रूप में भी किया जाता है।
- **भवन निर्माण सामग्री –** जिले के अधिकांश हिस्सों में भवन निर्माण के लिए इस्तेमाल किये जाने वाले पत्थर, रेत, बजरी और बोल्डर आसानी से उपलब्ध है।

➢ **खनिज दोहन एवं नियंत्रण –** जनपद में खनन गतिविधियां खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 तथा उत्तराखण्ड खनिज नियमावली के अंतर्गत नियंत्रित की जाती हैं। खनन कार्यों की निगरानी हेतु खनन विभाग, जनपद चंपावत तथा जिला प्रशासन द्वारा समय–समय पर निरीक्षण किया जाता है। अवैध खनन को रोकने हेतु प्रशासन द्वारा विशेष गश्त एवं निगरानी अभियान संचालित किए जाते हैं।

➢ **पर्यावरणीय प्रभाव एवं संरक्षण–** अनियंत्रित खनन से मृदा अपरदन, भूस्खलन, जल स्रोतों का प्रदूषण एवं पारिस्थितिकी असंतुलन जैसी समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए जनपद में खनन कार्यों को पर्यावरणीय स्वीकृति (Environmental Clearance) एवं सतत खनन नीति के तहत नियंत्रित किया जाता है। खनन के बाद पुनः वृक्षारोपण एवं भू–सुधार कार्य कराए जाने की नीति अपनाई जाती है।

➢ **आर्थिक महत्व–** उपलब्ध खनिज संसाधन स्थानीय लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। निर्माण सामग्री के रूप में इनका उपयोग जनपद के सड़क, भवन एवं ग्रामीण विकास कार्यों में किया जाता है। नियंत्रित एवं टिकाऊ खनन नीति से आर्थिक विकास के साथ पर्यावरणीय संतुलन भी सुनिश्चित किया जा सकता

1.9 भूमि का उपयोग एवं वर्गीकरण – जनपद रूद्रप्रयाग एक प्रमुख पर्वतीय जनपद है, जिसकी भूमि उपयोग प्रणाली भौगोलिक स्थिति, स्थलाकृति और जनसंख्या घनत्व के अनुसार विविध प्रकार की है। अधिकांश क्षेत्र ऊबड़–खाबड़, ढालदार और वनाच्छादित है, जिससे कृषि योग्य भूमि सीमित है।

➢ **भूमि का सामान्य स्वरूप–** जनपद का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग 1,984 वर्ग किलोमीटर है। इसमें अधिकांश भूमि पर्वतीय है, जबकि निचले भागों में कुछ समतल एवं कृषि योग्य क्षेत्र पाए जाते हैं। भूमि उपयोग की दृष्टि से जनपद में वन भूमि का प्रभुत्व है, जो कुल क्षेत्रफल का लगभग 60–70% भाग घेरती है।

➢ **भूमि वर्गीकरण–** जनपद रूद्रप्रयाग की भूमि को निम्न वर्गों में विभाजित किया जा सकता है –

तालिका 1.10

क्र.सं.	भूमि का प्रकार	अनुमानित प्रतिशत/विवरण
1	वन भूमि	लगभग 60–65% – चीड़, बांज, बुरांश, खेर, देवदार आदि वनों से आच्छादित क्षेत्र।
2	कृषि योग्य भूमि	लगभग 20–25% – मुख्यतः घाटी क्षेत्रों एवं कम ढाल वाले भूभागों में।
3	अनुपजाऊ भूमि/बंजर भूमि	लगभग 03–05% – चट्टानी एवं तीव्र ढाल वाले क्षेत्र।
4	निवास एवं निर्माण क्षेत्र	लगभग 02–03% –शहरी एवं ग्रामीण बस्तियाँ जैसे रूद्रप्रयाग, अगस्त्यमुनि, ऊखीमठ, जखोली, गुप्तकाशी।
5	चारागाह एवं अन्य उपयोग	लगभग 01–02% – पशुपालन हेतु प्रयोग में आने वाली भूमि।

➢ **भूमि उपयोग के प्रमुख पैटर्न–** ऊँचे पर्वतीय क्षेत्रों में भूमि का उपयोग मुख्यतः वन संरक्षण एवं चराई के लिए होता है। मध्यम ऊँचाई वाले क्षेत्रों में धान, गेहूँ, मडुवा, झंगोरा, और दालों की पारंपरिक खेती की जाती है। निचले भागों में धान, सब्जियाँ व फल की व्यावसायिक खेती की संभावना अधिक है। शहरी क्षेत्रों में भूमि का उपयोग आवास, सड़क, प्रशासनिक भवनों और व्यवसायिक गतिविधियों के लिए बढ़ रहा है।

➢ **भूमि उपयोग से संबंधित चुनौतियाँ–** वनों की अंधाधुंध कटाई और अनियंत्रित निर्माण से भूमि की स्थिरता पर प्रभाव पड़ रहा है। भूस्खलन, मृदा अपरदन, और जल निकासी की कमी से कृषि भूमि प्रभावित होती है। सीमित कृषि योग्य भूमि के कारण जनसंख्या दबाव और आजीविका के विकल्पों में असंतुलन देखा जाता है।

➢ **सतत भूमि प्रबंधन हेतु सुझाव–** ढालदार भूमि पर कंटूर खेती (Contour Farming) एवं टेरसिंग (Terracing) को बढ़ावा देना। मृदा एवं जल संरक्षण योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन। वन क्षेत्र का संरक्षण एवं स्थानीय समुदाय की सहभागिता सुनिश्चित करना। भूमि उपयोग योजना को आपदा जोखिम न्यूनीकरण (Disaster Risk Reduction) के दृष्टिकोण से समायोजित करना।

जनपद की सीमा से लगे अन्य जनपद/प्रदेश/देश एवं सीमायें–

तालिका 1.11

उत्तर में	उत्तरकाशी
पूर्व में	चमोली
दक्षिण में	पौड़ी गढ़वाल
पश्चिम में	टिहरी गढ़वाल

जनपद को अन्य राज्य/जनपद से जोड़ने वाले विभिन्न माध्यम –

तालिका 1.12

क्र0सं0	क्षेत्र का नाम	जुड़ने वाले जनपद	माध्यम	सीमा
1	केदारनाथ	चमोली	राष्ट्रीय राज मार्ग संख्या – 109 ए	मन्दाकिनी नदी
2	चिरबटिया (जखोली)	टिहरी	राज्य मार्ग – 15	लस्तर गाड़
3	रानीगढ क्षेत्र (नगरासू)	चमोली गढ़वाल	राष्ट्रीय राज मार्ग संख्या – 58	अलकनन्दा नदी
4	बच्छणस्यू क्षेत्र (खांखरा)	पौड़ी गढ़वाल	राष्ट्रीय राज मार्ग संख्या – 58	अलकनन्दा नदी

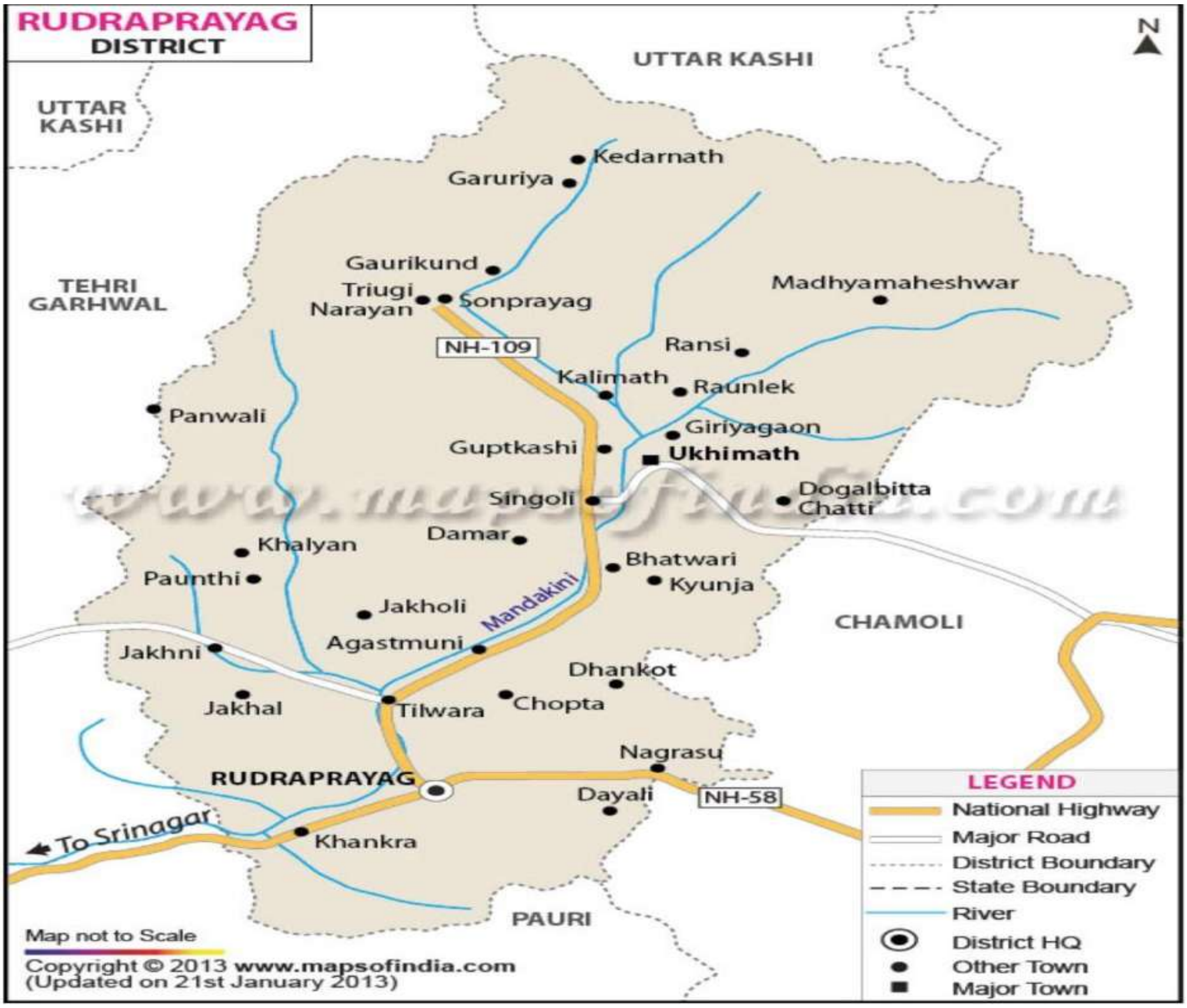

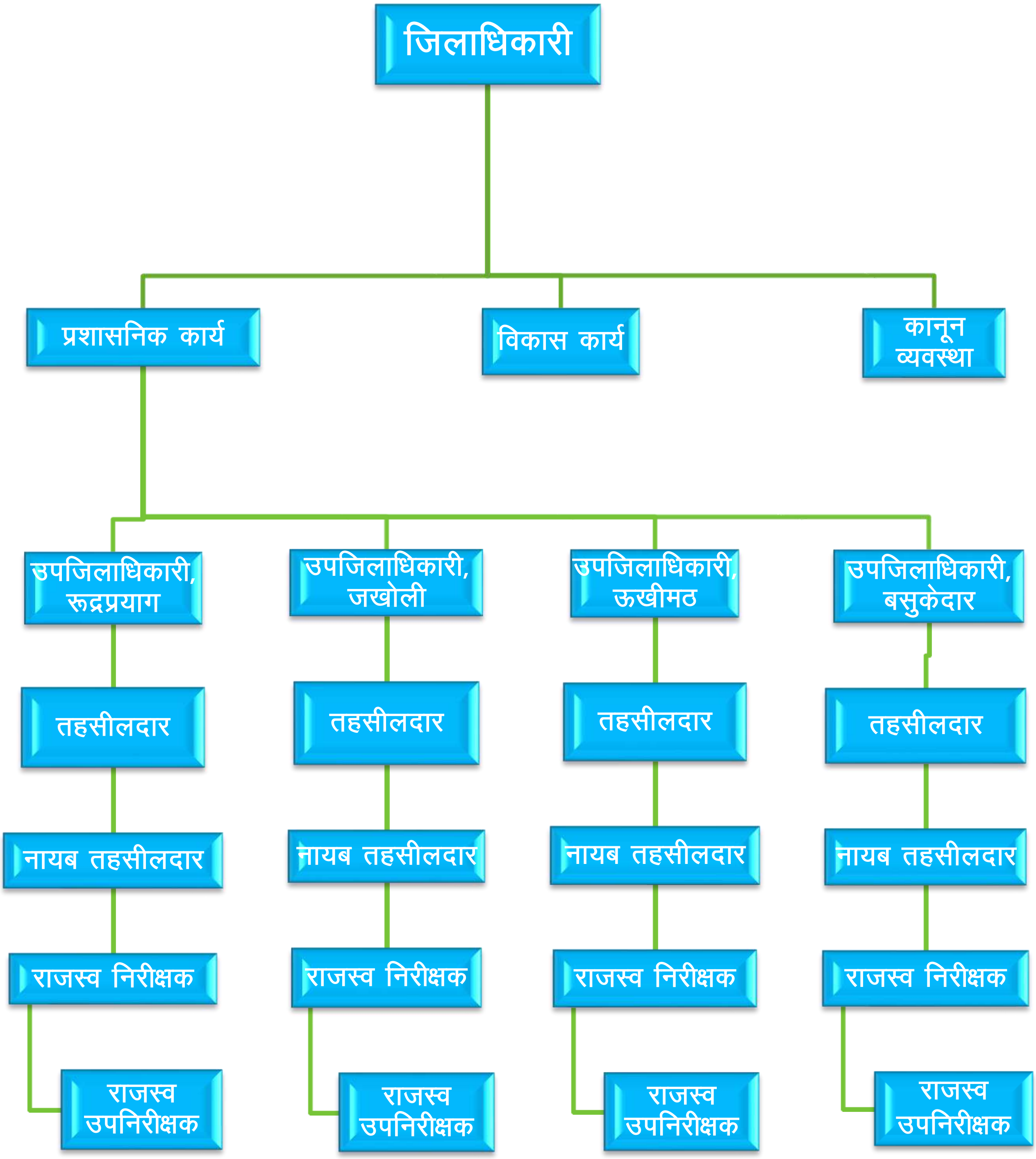
जिलाधिकारी
प्रशासनिक कार्य
विकास कार्य
कानून व्यवस्था
उपजिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग
उपजिलाधिकारी, जखोली
उपजिलाधिकारी, ऊखीमठ
उपजिलाधिकारी, बसुकेदार
तहसीलदार
तहसीलदार
तहसीलदार
तहसीलदार
नायब तहसीलदार
नायब तहसीलदार
नायब तहसीलदार
नायब तहसीलदार
राजस्व निरीक्षक
राजस्व निरीक्षक
राजस्व निरीक्षक
राजस्व निरीक्षक
राजस्व उपनिरीक्षक
राजस्व उपनिरीक्षक
राजस्व उपनिरीक्षक
राजस्व उपनिरीक्षक

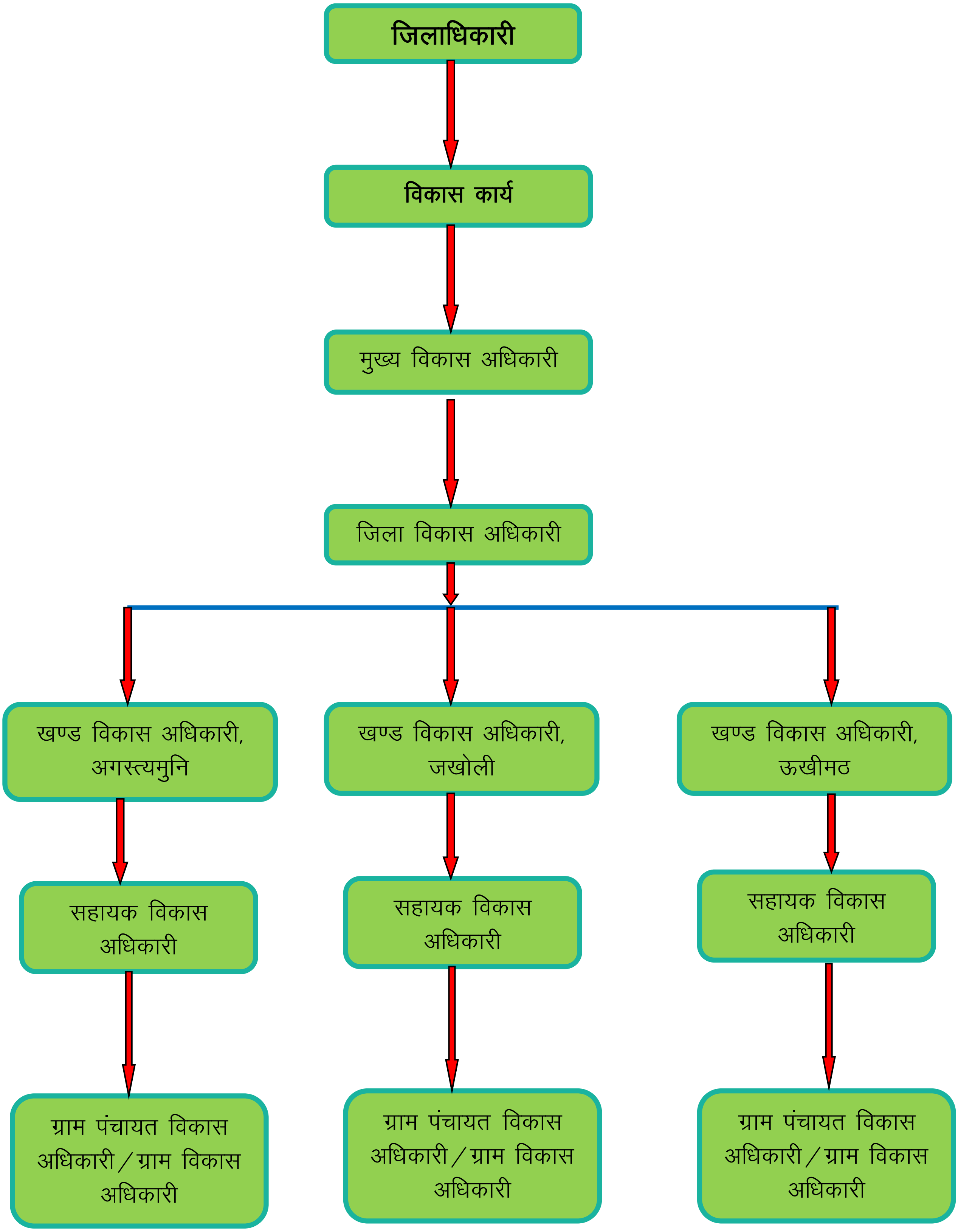
जिलाधिकारी
विकास कार्य
मुख्य विकास अधिकारी
जिला विकास अधिकारी
खण्ड विकास अधिकारी, अगस्त्यमुनि
खण्ड विकास अधिकारी, जखोली
खण्ड विकास अधिकारी, ऊखीमठ
सहायक विकास अधिकारी
सहायक विकास अधिकारी
सहायक विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी

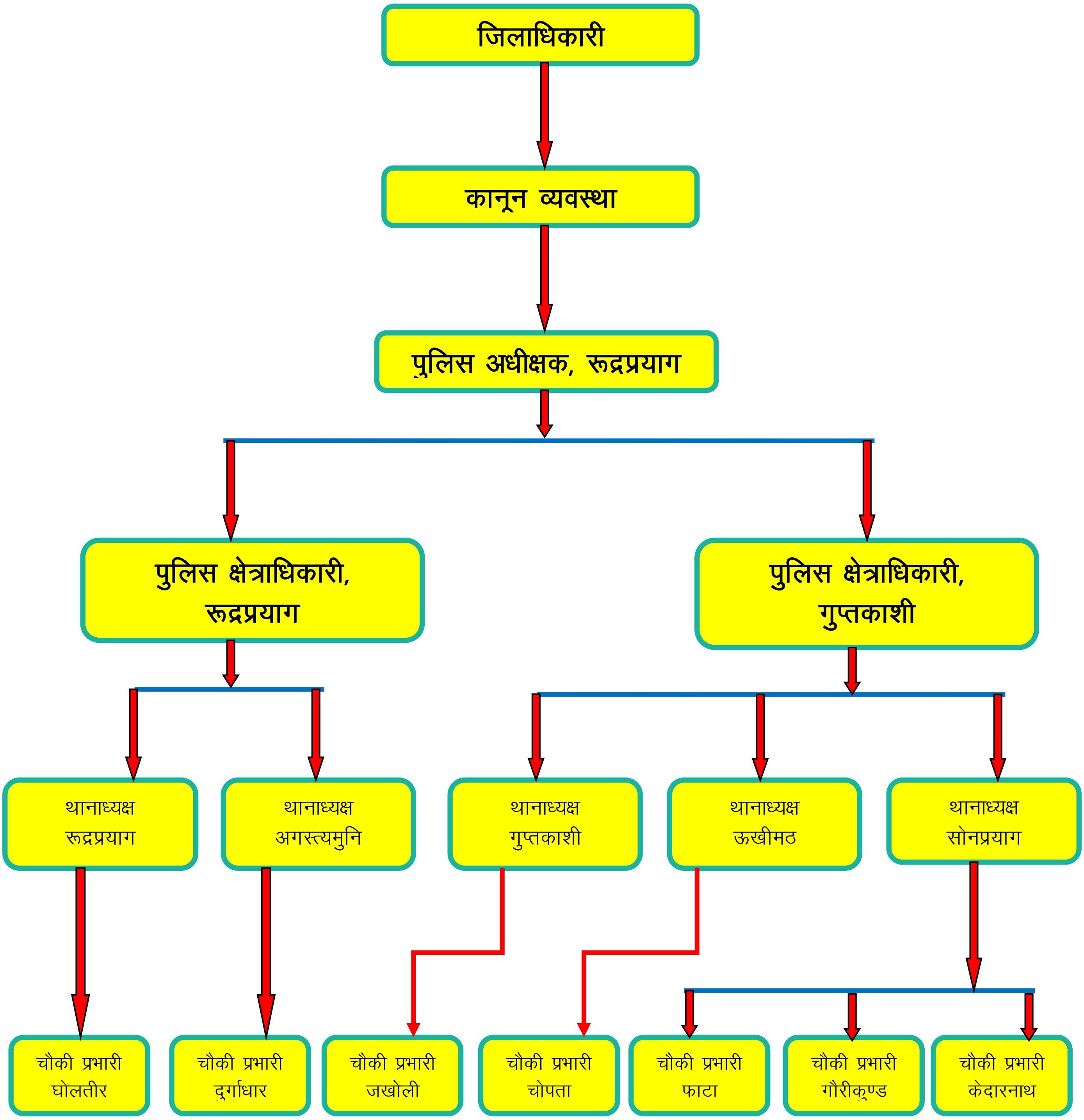
जिलाधिकारी
कानून व्यवस्था
पुलिस अधीक्षक, रूद्रप्रयाग
पुलिस क्षेत्राधिकारी, रूद्रप्रयाग
पुलिस क्षेत्राधिकारी, गुप्तकाशी
थानाध्यक्ष रूद्रप्रयाग
थानाध्यक्ष अगस्त्यमुनि
थानाध्यक्ष गुप्तकाशी
थानाध्यक्ष ऊखीमठ
थानाध्यक्ष सोनप्रयाग
चौकी प्रभारी घोलतीर
चौकी प्रभारी दुर्गाधार
चौकी प्रभारी जखोली
चौकी प्रभारी चोपता
चौकी प्रभारी फाटा
चौकी प्रभारी गौरीकुण्ड
चौकी प्रभारी केदारनाथ

जनपद आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना (डीडीएमपी) के उद्देश्य और लक्ष्य– आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (डीएम एक्ट) की धारा 31 प्रत्येक जिले के लिए आपदा प्रबंधन योजना (डीडीएमपी) बनाना अनिवार्य है। डीडीएमपी में खतरा, संवेदनशीलता, क्षमता और जोखिम आकलन (एचवीसीआरए), रोकथाम, शमन, तैयारी उपाय, प्रतिक्रिया योजना और प्रक्रियाओं को शामिल किया जाना चाहिए।

आपदा प्रबन्धन कार्ययोजनना (डीडीएमपी) के उद्देश्य इस प्रकार हैं :–

- जिले में प्रमुख प्रकार के खतरों के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करना।
- आपदा को रोकने और उसके प्रभावों को कम करने के लिए सभी सरकारी विभागों द्वारा जिला स्तर पर सक्रिय उपाय अपनाना।
- आपदा के पूर्व और पश्चात के चरणों के दौरान हितधारकों को विभिन्न कार्य और जिम्मेदारियां परिभाषित करना और सौंपना।
- जिले के लोगों की आपदा सहनशीलता को क्षमता निर्माण के माध्यम से बढ़ाना।
- उचित योजना के माध्यम से सार्वजनिक और निजी संपत्ति, विशेष रूप से महत्वपूर्ण सुविधाओं और बुनियादी ढांचे की हानि को कम करना।
- जिले में प्राकृतिक खतरों के प्रभाव को कम करने के लिए भविष्य के विकास को प्रबंधित करना।
- खोज, बचाव और प्रतिक्रिया में प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए जिला स्तर पर एक आपातकालीन संचालन केंद्र की स्थापना करना।
- आपदा स्थिति का प्रभावी प्रबंधन करने के लिए प्रतिक्रिया एक मानकीकृत तंत्र विकसित करना।
- समुदाय को आपदा से निपटने के लिए तैयार करने के लिए एक प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली और प्रमाणित तकनीक पर आधारित विश्वसनीय संचार प्रणाली स्थापित करना।
- राज्य आपदा प्रबंधन योजना में जारी दिशानिर्देशों के आधार पर एक प्रतिक्रिया योजना तैयार करना ताकि आपदा प्रभावित क्षेत्रों में त्वरित राहत, बचाव और खोज समर्थन प्रदान किया जा सके।
- जिले में आपदा–प्रतिरोधी निर्माण तंत्र को अपनाना और समुदाय को आपदा–प्रतिरोधी भविष्य विकास की आवश्यकता के बारे में जागरूक करने के लिए सूचना, शिक्षा और संचार का उपयोग करना।
- आपदा प्रबंधन में मीडिया का उपयोग करना।
- प्रभावित लोगों के पुनर्वास की योजना और विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा जिला स्तर और स्थानीय प्राधिकरण पर पुनर्निर्माण उपाय करना।

जिला आपदा प्रबंधन योजना (डीडीएमपी) का उद्देश्य शमन, तैयारी, प्रतिक्रिया और पुनर्वास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक मार्गदर्शक है। इस योजना को आपदाओं का सामना करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से तैयार किया जाना चाहिए ताकि मानवीय, संपत्ति और पर्यावरणीय नुकसान को न्यूनतम किया जा सके।

आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना का दायरा–

आपदा प्रबन्धक कार्य योजना का दायरा जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन से संबंधित सभी गतिविधियों को कवर करता है। इसमें शामिल हैं

(i) आपदा पूर्व (Preparednes)

- संभावित खतरों का मूल्यांकन और जोखिम विश्लेषण।
- समुदाय को जागरूक बनाना और प्रशिक्षण देना।
- चेतावनी प्रणाली स्थापित करना।
- संसाधनों और उपकरणों का प्रबंधन।

(ii) आपदा के दौरान (Response)

- त्वरित प्रतिक्रिया टीमों (QRTs) का गठन।
- राहत कार्यों का कुशल संचालन।
- प्रभावित क्षेत्रों में चिकित्सा और अन्य आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराना।
- बचाव अभियान का समन्वय।

(iii) आपदा के बाद (Recovery)

- प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्वास और पुनर्निर्माण।
- सामाजिक और आर्थिक पुनर्बहाली।
- आपदा के कारण हुए नुकसान का ऑकलन।
- भविष्य में आपदाओं से बचाव के लिए उपाय करना।

(iv) शामिल हितधारक

- जिला प्रशासन, पुलिस, और स्वास्थ्य विभाग।
- गैर–सरकारी संगठन (NGO) और सामुदायिक संगठन।
- राज्य और केंद्र सरकार के संबंधित विभाग।
- स्थानीय नागरिक और स्वयंसेवक।

(v) मुख्य घटक

- आपदा प्रबंधन टीमों और उनकी भूमिकाओं का निर्धारण।
- महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सूची बनाना।
- संसाधनों का भंडारण और वितरण प्रणाली।
- आपदा जोखिम कम करने के लिए दीर्घकालिक योजनाएं।

निष्कर्ष

आपदा प्रबंधन योजना आपदाओं के प्रभाव को कम करने और प्रभावित समुदायों को शीघ्रता से पुनर्बहाली में मदद करने का एक व्यापक ढांचा प्रदान करती है। यह योजना जिला प्रशासन, समुदाय और विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय सुनिश्चित करती है।

आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना विकसित करने हेतु अधिकार एंव संदर्भ–

- आपदा प्रबंधन अधिनियम (DM Act) के अध्याय–IV के प्रावधानों के अनुसार, प्रत्येक राज्य सरकार अपने राज्य के प्रत्येक जिले के लिए एक जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (District Disaster Management Authority & DDMA) की स्थापना करेगी, जिसका नाम अधिसूचना में निर्दिष्ट किया जाएगा। DDMA का नेतृत्व जिला कलेक्टर, उपायुक्त, या जिलाधिकारी (जैसा मामला हो) करेंगे, और स्थानीय प्राधिकरण के निर्वाचित प्रतिनिधि सह–अध्यक्ष (Co-Chairperson) होंगे।

- राज्य सरकार उस जिले के अतिरिक्त कलेक्टर, अतिरिक्त जिलाधिकारी, या अतिरिक्त उपायुक्त (जैसा मामला हो) के पद से नीचे नहीं होने वाले अधिकारी को जिला प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी (Chief Executive Officer (CEO)) नियुक्त करेगी।

- DDMA जिले में आपदा प्रबंधन (DM) के लिए योजना बनाने, समन्वय करने और उसे लागू करने वाली संस्था के रूप में कार्य करेगी। यह राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA) द्वारा निर्धारित दिशा–निर्देशों के अनुसार आपदा प्रबंधन के उद्देश्य से सभी आवश्यक कदम उठाएगी। इसके तहत, यह जिले के लिए आपदा प्रबंधन योजना तैयार करेगी और राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर की सभी संबंधित नीतियों और योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी करेगी।
- DDMA यह भी सुनिश्चित करेगी कि NDMA और SDMA द्वारा निर्धारित रोकथाम, शमन, तैयारी और प्रतिक्रिया के दिशा–निर्देशों का पालन राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के जिला स्तर के सभी अधिकारियों द्वारा किया जाए।
- इसके अलावा, "जिला योजना" (District Plan) का मतलब जिले के लिए आपदा प्रबंधन योजना से है, जिसे धारा 31 के तहत तैयार किया जाता है। प्रत्येक जिले के लिए एक आपदा प्रबंधन योजना अनिवार्य है। यह योजना जिला प्राधिकरण द्वारा स्थानीय प्राधिकरणों से परामर्श के बाद, राष्ट्रीय योजना और राज्य योजना को ध्यान में रखते हुए, राज्य प्राधिकरण से अनुमोदित कराई जाएगी।

आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना (डीडीएमपी) का संक्षिप्त विकास

जिला आपदा प्रबंधन योजना (DDMP) की तैयारी जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) की जिम्मेदारी है। प्रारंभिक मसौदा योजना को DDMA में चर्चा के लिए प्रस्तुत किया जाता है। इस योजना के विकास में मुख्य रूप से निम्नलिखित चरण शामिल हैं।

- NDMA टेम्पलेट के अनुसार DDMP विकसित करने के लिए राज्य और NDMA के अधिकारियों द्वारा प्रशिक्षण।
- सभी संबद्ध विभागों से डेटा संग्रह।
- डेटा का विश्लेषण।
- विशेषज्ञों के साथ चर्चा।
- राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय साहित्य का संदर्भ।
- सभी संबद्ध विभागों के लिए कार्य योजनाओं की तैयारी।
- मसौदा योजना दस्तावेज की तैयारी।
- कार्यान्वयन की विधि की व्यवहार्यता और संभाव्यता जांचने के लिए मॉक ड्रिल।
- सार्वजनिक और विभागीय टिप्पणियों के लिए व्यापक प्रसार।
- अंतिम योजना दस्तावेज की तैयारी।

आपदा प्रबंधन योजना विभिन्न मुद्दों के प्रति दृष्टिकोण और धारणा में एकरूपता प्रदान करती है, जिससे अनावश्यक जटिलताओं से बचा जा सकता है। यह योजना क्षेत्र स्तर से लेकर जिला मुख्यालय और उससे आगे तक विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय तंत्र की व्यवस्था करती है। इस प्रकार, यह प्रतिक्रिया की दक्षता और संसाधनों के इष्टतम उपयोग को सुनिश्चित करती है। इसके अतिरिक्त, यह प्रशासन को किसी भी आपात स्थिति का सामना करने के लिए सतर्क और तैयार स्थिति में रखती है।

डीडीएमपी ढांचे का उपयोग कैसे करें

1. डीएम एक्ट 2005 की धारा 31 प्रत्येक जिले के लिए यह अनिवार्य बनाती है कि जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के लिए जिला आपदा प्रबंधन योजना तैयार की जाए, ताकि जिले के भीतर खतरनाक घटनाओं के प्रभाव से बचाव हो सके।
2. महत्वपूर्ण आपात स्थितियों या आपदाओं में, जिला मजिस्ट्रेट या जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) के अध्यक्ष को राज्य सरकार के नियमों/राज्य आपदा प्रबंधन योजना के दिशा–निर्देशों के तहत निर्दिष्ट समग्र पर्यवेक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्तियां होंगी।

3. जिला आपातकालीन संचालन केंद्र (DEOC) स्थिति की आवश्यकतानुसार कर्मचारियों से संचालित किया जाएगा। सक्रिय होने पर, संचालन में लाइन विभागों और केंद्रीय सरकारी एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा समर्थन दिया जाएगा; निजी क्षेत्र और स्वयंसेवी संगठनों का उपयोग स्थिति से निपटने के लिए जानकारी, डेटा और संसाधन प्रदान करने हेतु किया जा सकता है।
4. डीडीएमए, डीएम एक्ट की धारा 30 के तहत कार्रवाई की सिफारिश कर सकता है।
5. उन सुविधाओं की पहचान की गई है, जो जिला सरकार के कार्यों के संचालन के लिए महत्वपूर्ण हैं।
6. जिला मजिस्ट्रेट (DM) या उनके नामित व्यक्ति जिला संसाधनों का समन्वय और नियंत्रण करेंगे।
7. आपातकालीन सार्वजनिक जानकारी सभी उपलब्ध मीडिया माध्यमों से नामित मीडिया और सूचना अधिकारी द्वारा प्रसारित की जाएगी।
8. कारगर आपातकालीन संचालन के लिए पूर्व योजना और कर्मियों का प्रशिक्षण आवश्यक है और इसे आपदा तैयारी के अभिन्न अंग के रूप में माना जाना चाहिए।
9. जब कोई घटना जिले की सीमाओं से परे प्रभाव डालती है, तो आसपास के जिलों के साथ समन्वय आवश्यक है। अंतर–जिला सहयोग के लिए प्रक्रियाएं स्थापित की जानी चाहिए और उनका अभ्यास किया जाना चाहिए।
10. इस दस्तावेज़ में जिन विभागों, एजेंसियों और संगठनों को प्राथमिक या सहायक जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, उन्हें इस योजना का समर्थन करने के लिए क्रियान्वयन दस्तावेज़ विकसित करना चाहिए।
11. आपातकालीन संचालन के दौरान जब स्थानीय संसाधन अपर्याप्त साबित होते हैं, तो निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार राज्य या उच्च स्तर की सरकार और अन्य एजेंसियों से मदद मांगी जाएगी।
12. जिला प्राधिकरण सहायता और/या संसाधनों के लिए अनुरोध करने के लिए सामान्य चैनल का उपयोग करेगा, अर्थात, जिला आपातकालीन संचालन केंद्र (DEOC) से राज्य EOC तक। यदि राज्य के संसाधन समाप्त हो जाते हैं, तो राज्य आवश्यक संसाधन केंद्रीय सहायता के माध्यम से उपलब्ध कराएगा।
13. जिला EOC राज्य EOC, और भारत सरकार की एजेंसियों जैसे IMD/CWC के साथ समन्वय करेगा ताकि संभावित बाढ़, चक्रवात आदि से संबंधित अद्यतन जानकारी बनाए रखी जा सके। इस प्रकार की जानकारी प्रभावित क्षेत्रों के नागरिकों को उपयुक्त रूप से प्रदान की जाएगी।
14. इन क्षेत्रों में संभावित समस्याओं की सूचना प्राप्त होने पर, DEOC/नामित अधिकारी उचित रूप से अलर्ट जारी करेंगे और निवासियों द्वारा उठाए जाने वाले कदमों की सूचना देंगे।
15. आपदा के कारण सरकारी कार्यों में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है, इसलिए सभी स्तरों की स्थानीय सरकार और उनके विभागों को ऐसी प्रक्रियाएं विकसित और बनाए रखनी चाहिए, जो सरकार की कार्रवाई की निरंतरता सुनिश्चित करें।

यह आवश्यक है कि आपदा प्रबंधन में शामिल एजेंसियों की स्वतः सक्रियता (Suo&moto Activation) के लिए एक संस्थागत ट्रिगर तंत्र हो, ताकि आपदा के समय प्रत्येक एजेंसी अपनी सौपी गई भूमिका निभाए। आगामी चेतावनी संकेतों की उपलब्धता के आधार पर तीन प्रकार के ट्रिगर तंत्र स्थापित किए जाएंगे।

पूर्व चेतावनी संकेत –

ऐसे मामलों में, भारत सरकार/राज्य सरकार ने ऐसी पूर्व चेतावनी संकेत उत्पन्न करने वाली एजेंसियों को अधिकृत किया है। यदि मामला बहुत जरूरी है और ब्लॉक/तहसील/ग्राम स्तर पर कार्रवाई की आवश्यकता है, तो चेतावनी और कार्रवाई बिंदु सीधे सभी संबंधित व्यक्तियों तक पहुँचाए जाएंगे। इन संकेतों को समय पर प्राप्त करने और उस पर कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए।

ऐसी चेतावनी/परामर्श प्राप्त होने के बाद, राज्य सरकार द्वारा SEOC (राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र) इसे तुरंत DEOC (जिला आपातकालीन संचालन केंद्र) को सूचित करेगा। DEOC इस चेतावनी को जिला स्तर पर विभागों को प्रेषित करेगा।

इस प्रकार के मामलों में जानकारी का प्रवाह निम्नानुसार होगाः–

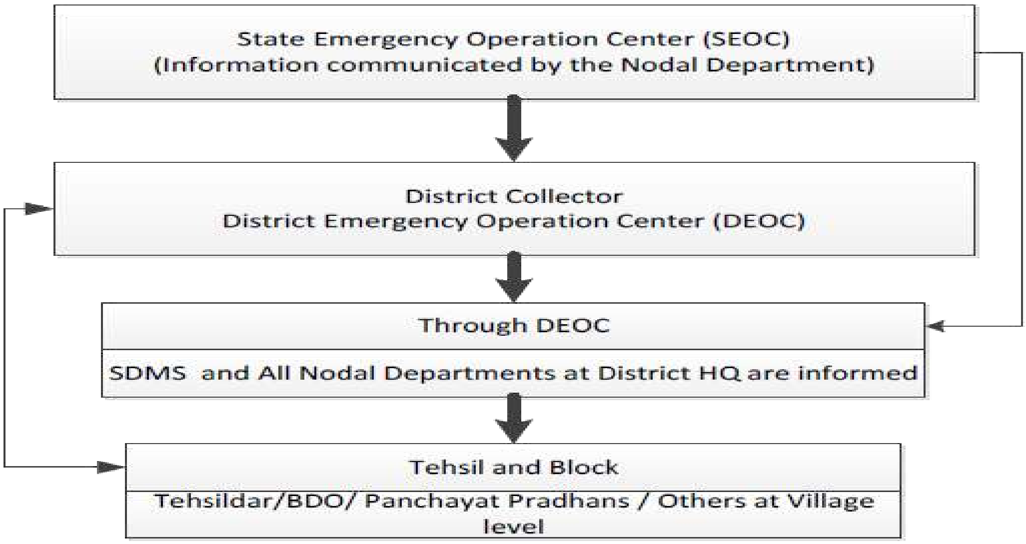

With warning Information flows from Top - Down

पूर्व चेतावनी के बिना संकेत :–

जब कोई आपदा बिना किसी प्रारंभिक चेतावनी के आती है, तो उस स्थिति में घटना स्थल से सूचना सरकारी एजेंसी या अन्य माध्यमों से प्रारंभ होती है और ऐसी स्थिति में संस्थागत तंत्र निम्नानुसार होगाः–

1. संबंधित गाँव पंचायत, ब्लॉक, पुलिस स्टेशन/एसडीएम/डीएम को घटना की सूचना देगा, और यह सूचना उपायुक्त (Deputy Commissioner) तक भेजी जाएगी।
2. DDMA (जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण) जानकारी का आकलन करेगा और आपदा को स्तर L0, L1, L2 या L3 के रूप में वर्गीकृत करेगा।
3. DEOC (जिला आपातकालीन संचालन केंद्र) सक्रिय किया जाएगा और यदि आवश्यक हो तो SEOC (राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र) को सतर्क रखा जाएगा; अन्यथा, घटना की सूचना SEOC को दी जाएगी।
4. DDMA DEOC की बैठक आयोजित करेगा और घटना प्रबंधन योजना (Incident Response Plan) के तहत आपदा प्रबंधन की योजना तैयार करेगा।
5. संबंधित घटना प्रतिक्रिया टीमों (Incident Response Teams) को प्रभावी प्रबंधन के लिए घटना स्थल पर भेजा जाएगा।

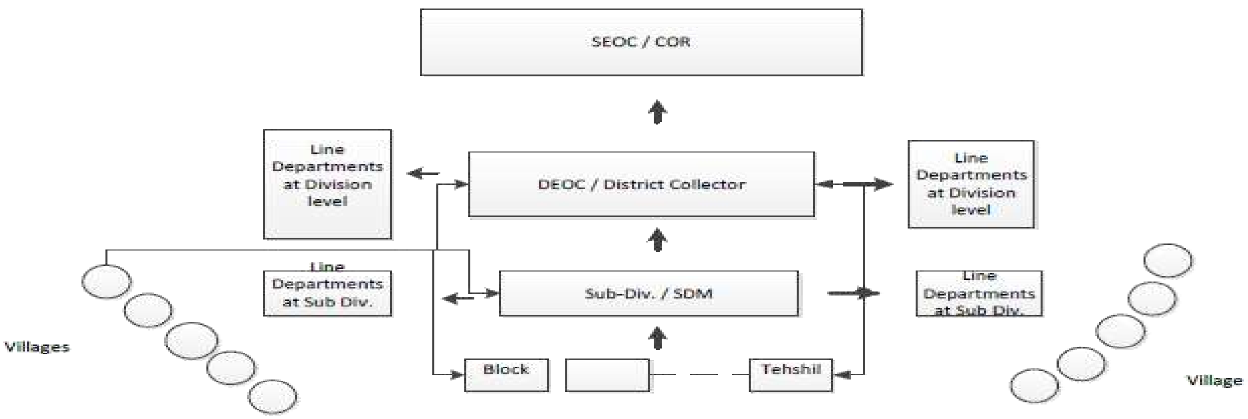

Without Warning – Information, generally, should flow from Bottom side – up but it is a crisscross scenario

आपदा चेतावनी प्राप्त होने पर या सक्षम प्राधिकरण द्वारा आपदा के घटित होने पर आपदा प्रतिक्रिया संरचना सक्रिय की जाएगी। आपदा के घटित होने की सूचना संबंधित निगरानी प्राधिकरण द्वारा राहत आयुक्त/एसडीएमए को सबसे तेज माध्यम से दी जा सकती है। एसडीएमए/एसईसी आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए सभी विभागों को सक्रिय करेगा, जिसमें राज्य ईओसी, जिला ईओसी, पुलिस कर्मी और ईआरसी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, वे निम्नलिखित विवरणों को शामिल करते हुए निर्देश जारी करेंगेः

1. आवश्यक संसाधनों की सटीक मात्रा (जनशक्ति, उपकरण और प्रमुख विभागों/हितधारकों से आवश्यक वस्तुओं के रूप में)।
2. प्रदान की जाने वाली सहायता का प्रकार।
3. वह समय सीमा जिसके भीतर सहायता की आवश्यकता है।
4. अन्य टास्क/प्रतिक्रिया बलों का विवरण जिनके माध्यम से समन्वय होना चाहिए।
5. राज्य स्तर पर राज्य ईओसी, ईआरसी और अन्य नियंत्रण कक्षों के साथ–साथ जिला नियंत्रण कक्षों को पूरी क्षमता के साथ सक्रिय किया जाना चाहिए।

डीडीएमपी के अनुमोदन प्रक्रिया/कार्यान्वयन के लिए तंत्र–

डीडीएमपी को जिला और राज्य स्तर पर प्रासंगिक अधिकारियों द्वारा अनुमोदित किया जाता है। यह योजना स्थानीय प्रशासन और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के आदेशों के तहत लागू की जाती है। आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा 30 के तहत परिभाषित, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन की योजना बनाने, समन्वय और क्रियान्वयन करने वाली इकाई के रूप में कार्य करेगा और राष्ट्रीय प्राधिकरण और राज्य प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दिशा–निर्देशों के अनुसार जिले में आपदा प्रबंधन के उद्देश्य से सभी आवश्यक उपाय करेगा।

तदनुसार, जिला आपदा प्रबंधन योजना (District DM Plan) जिला प्राधिकरण द्वारा स्थानीय प्राधिकरणों से परामर्श के बाद, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना (National DM Plan) और राज्य आपदा प्रबंधन योजना (State DM Plan) को ध्यान में रखते हुए तैयार की जाएगी।

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) के अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन योजना की एक प्रति, और इसमें किए गए किसी भी संशोधन की प्रति उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (USDMA) को योजना की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करेंगे। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA) विचार के बाद योजना को स्वीकृत करेगा और कार्यान्वयन के लिए दिशा–निर्देश जारी करेगा।

योजना की समीक्षा और अद्यतन प्रक्रिया–

अध्यक्ष, डीडीएमए, चम्पावत का दायित्व है कि जिला आपदा प्रबंधन योजना (डीडीएमपी) का वार्षिक रूप से और आवश्यकता पड़ने पर समय–समय पर पुनरीक्षण और अद्यतन किया जाए। सभी संबंधित विभाग आवश्यक जानकारी प्रदान करेंगे। हाल के समय में, आपदाओं के प्रति प्रशासनिक प्रतिक्रिया की प्रभावशीलता में प्रगतिशील सुधार हुआ है। यह मुख्य रूप से उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की सुव्यवस्थित प्रशासनिक मशीनरी, संबंधित विभागाध्यक्षों और विभिन्न स्तरों के अधिकारियों को पहले से आवंटित कर्तव्यों और सार्वजनिक तथा एनजीओ की साझेदारी के कारण संभव हुआ है।

प्रशिक्षणः योजना विकसित करने के बाद, इसे प्रसारित किया जाना चाहिए और आपदा प्रबंधन समन्वयक अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षित करेंगे ताकि उन्हें योजना में पहचाने गए कार्यों को करने के लिए आवश्यक ज्ञान, कौशल और क्षमताएँ प्राप्त हों।

योजना का अभ्यास करेंः योजना की प्रभावशीलता का मूल्यांकन प्रशिक्षण कार्यक्रमों, अभ्यासों और वास्तविक घटनाओं के संयोजन से किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि योजना में उल्लिखित लक्ष्य, उद्देश्य, निर्णय, क्रियाएँ

और समय प्रतिक्रिया को सफल बना सके। अभ्यास का उद्देश्य नीतियों, योजनाओं का परीक्षण करना और कर्मचारियों को प्रशिक्षित करके तैयारी को बढ़ावा देना है।

संशोधन और रखरखाव: योजना तैयार करने वाली टीमों को योजना की समीक्षा और संशोधन के लिए एक प्रक्रिया स्थापित करनी चाहिए। समीक्षा एक आवर्ती गतिविधि होनी चाहिए और वार्षिक आधार पर समीक्षा को न्यूनतम माना जाता है। योजना की समीक्षा और अद्यतन निम्नलिखित घटनाओं के बाद किया जाएगा।

- किसी बड़ी घटना के बाद।
- संचालन संसाधनों में परिवर्तन (जैसे, नीति, कर्मचारी, संगठनात्मक संरचनाएं, प्रबंधन प्रक्रियाएं, सुविधाएं, उपकरण)।
- योजना मार्गदर्शन या मानकों का औपचारिक अद्यतन।
- हर सक्रियता के बाद।
- प्रमुख अभ्यासों के बाद।
- जिले के जनसांख्यिकी, खतरों या खतरे की प्रोफाइल में परिवर्तन।
- नए या संशोधित कानूनों या अध्यादेशों का अधिनियमन।

मूल योजना, परिशिष्टों, उप परिशिष्टों और कार्यान्वयन निर्देशों के विकास और पुनरीक्षण के समन्वय की जिम्मेदारी उपयुक्त व्यक्ति या व्यक्तियों को सौंपी जानी चाहिए।

यह अनुशंसा की जाती है कि एक DDMP (जिला आपदा प्रबंधन योजना) का आंतरिक रूप से **हर वर्ष समीक्षा किया जाए और उसे या तो अद्यतन किया जाए या पुनः पुष्टि की जाए।** अद्यतन किए गए या पुनः पुष्टि किए गए दस्तावेज़ का उपयोग पिछले वर्ष की उपलब्धियों को संक्षेप में प्रस्तुत करने और अगले वर्ष के लिए न्यूनीकरण लक्ष्यों को प्राथमिकता देने में प्रशासन की मदद करने के लिए भी किया जा सकता है।

अध्याय–2

खतरों, संवेदनशीलता, क्षमता और जोखिम आकलन

(Hazard, Valunurability, Capacity and Risk Assessment)

2.1. जनपद प्रोफाइल–

(1) सामान्य परिचय :– जनपद रूद्रप्रयाग का मुख्यालय रूद्रप्रयाग नगर पालिका परिषद क्षेत्र के अन्तर्गत अलकनन्दा नदी के दांये तट पर रूद्रप्रयाग–पोखरी मोटर मार्ग स्थान बेला में स्थित है। जिला मुख्यालय के अलावा

इस भवन में संयुक्त कार्यालय, आपदा प्रबन्धन, कोषागार, जिला सूचना विज्ञान, आबकारी विभाग कार्यालय एवं निर्वाचन कार्यालय आदि भी स्थित हैं। जिला मुख्यालय, देहरादून से 181 कि0मी0, हरिद्वार से 168 कि0मी0, श्रीनगर से 38 कि0मी0, ग्वालदम से 103 कि0मी0 की दूरी पर है।

➢ भौगोलिक स्थिति–

- अक्षांश : 30°16' से 30°28′ उत्तरी अक्षांश
- देशांतर : 78°05′ से 78°59′ पूर्वी देशांतर
- औसत ऊँचाई : 610 मीटर से 3680 मीटर तक
- कुल क्षेत्रफलरू लगभग 1,984 वर्ग किलोमीटर

➢ जनपद की सीमा से लगे अन्य जनपद एवं सीमायें –

तालिका 2.1

उत्तर में	उत्तरकाशी
पूर्व में	चमोली
दक्षिण में	पौड़ी गढ़वाल
पश्चिम में	टिहरी गढ़वाल

➢ जनपद की प्रशासनिक व्यवस्था –

तालिका 2.2

विकासखण्ड	03 (अगस्त्यमुनि, जखोली, ऊखीमठ)
तहसील	04 (रूद्रप्रयाग, जखोली, बसुकेदार, ऊखीमठ)
परगने	03 (रूद्रप्रयाग, जखोली, ऊखीमठ)
पुलिस थाने	05 (रूद्रप्रयाग, अगस्त्यमुनि, ऊखीमठ, गुप्तकाशी, सोनप्रयाग)
पुलिस चौकी	10
ग्राम पंचायतों की संख्या	336
न्याय पंचायतों की संख्या	27
राजस्व ग्रामों की संख्या	681

➢ **जलवायु एवं मौसम–** जनपद की जलवायु ऊँचाई के अनुसार परिवर्तित होती है–

- निचले भाग (रूद्रप्रयाग क्षेत्र)– उष्ण एवं आर्द्र
- मध्य पर्वतीय भाग– मध्यम शीतोष्ण जलवायु
- ऊँचे भाग– शीतोष्ण से शीत जलवायु
- औसत वार्षिक वर्षा लगभग 700–800 मि.मी. रहती है, जो मुख्यतः दक्षिण–पश्चिमी मानसून से होती है।

➢ प्राकृतिक विशेषताएँ–

- प्रमुख नदियाँ– अलकनन्दा, मन्दाकिनी।
- प्रमुख पर्वत एवं स्थल– तुंगनाथ चोतपा, मध्यमहेश्वर, केदारनाथ।
- प्रसिद्ध तीर्थ स्थल– केदारनाथ, तुंगनाथ, मध्यमहेश्वर, त्रियुगीनारायण, कार्तिकस्वामी।
- प्रमुख पर्यटन स्थल– देवरिया ताल, बासुकीताल, बधाणीताल, तुंगनाथ।

➢ **अर्थव्यवस्था एवं आजीविका–**

- जनपद की अर्थव्यवस्था कृषि, वानिकी, पशुपालन एवं पर्यटन पर आधारित है।
- मुख्य कृषि उत्पाद– धान, गेहूँ, मडुवा, झंगोरा, आलू, दालें।
- बागवानी उत्पाद– आम, केला, कीवी, माल्टा, नींबू वर्गीय फल।
- वनों से ईंधन, चारा, औषधीय पौधे एवं लकड़ी की प्राप्ति होती है।

➢ **आपदा संवेदनशीलता–** भौगोलिक दृष्टि से जनपद रूद्रप्रयाग भूकंप, भूस्खलन, अतिवृष्टि, सड़क अवरोध, वानाग्नि एवं बादल फटने जैसी आपदाओं के प्रति संवेदनशील है। निचले क्षेत्र (रूद्रप्रयाग, तिलवाड़ा, अगस्त्यमुतनि, चन्द्रापुरी) त्वरित बाढ़/जल भराव, जबकि ऊपरी भाग (फाटा, ऊखीमठ, जखोली, बसुकेदार, केदारनाथ) भूस्खलन जोखिम से प्रभावित होते हैं।

2.2 जनपद की भौगोलिक स्थिति एवं जलवायु :–

जनपद मुख्यालय हरिद्वार से 165 किमी0, देहरादून से 185 किमी0, कर्णप्रयाग से 32 किमी0 की दूरी पर स्थित है। जनपद रुद्रप्रयाग के उत्तर पश्चिम में जिला उत्तरकाशी, पूर्व में जिला चमोली, दक्षिण में जनपद पौड़ी गढ़वाल तथा पश्चिम में जनपद टिहरी स्थित है। जनपद रूद्रप्रयाग सिसमिक जोन 5 के अन्तर्गत है, इसके अतिरिक्त जनपद रूद्रप्रयाग पिछले 05 वर्षो में अतिवृष्टि/त्वरित बाढ़/भूस्खलन से प्रभावित रहा है और वर्तमान में भूस्खलन की घटनायें रूद्रप्रयाग में सबसे अधिक रही है। वर्ष 2013 में अत्यधिक वर्षा एवं बादल फटने के कारण जल प्रलय जैसी भयंकर आपदा घटित हुई थी, जिस कारण जन–धन की अत्यधिक मात्रा में क्षति हुई थी। जनपद में भविष्य में भी इन आपदाओं की सम्भावना आसन्न है। अतः जनपद में उक्त प्राकृतिक आपदाओं से निपटने हेतु कार्ययोजना बनाये जाने के दृष्टिगत जनपद की आपदा/जोखिम एवं संवेदनशीलता का विश्लेषण किया जाना आवश्यक हैं जिससे सम्भावित आपदाओं के प्रभावों का न्यूनीकरण किया जा सके।

Geological Map of Uttarakhand- (मानचित्र 2.1)

284 P.K. Mukherjee et al. / Gondwana Research 75 (2019) 282–297

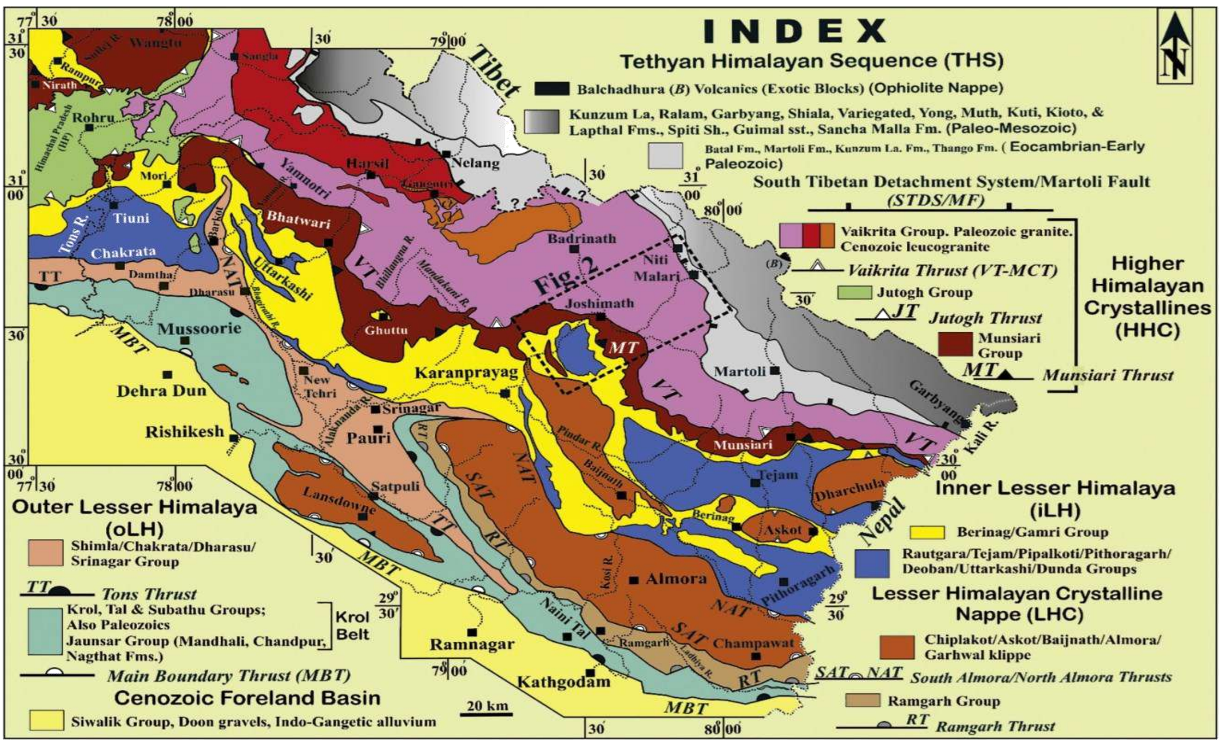

Fig. 1. Geological map of the Uttarakhand Himalaya between Tons and Kali Rivers, showing distribution of main tectonic units. Modified after Valdiya (1980), Célérier et al. (2009), Webb et al. (2011), Jain et al. (2014), and others.

Geological Map with Major Fault Lines of Rudraprayag – (मानचित्र 2.2)

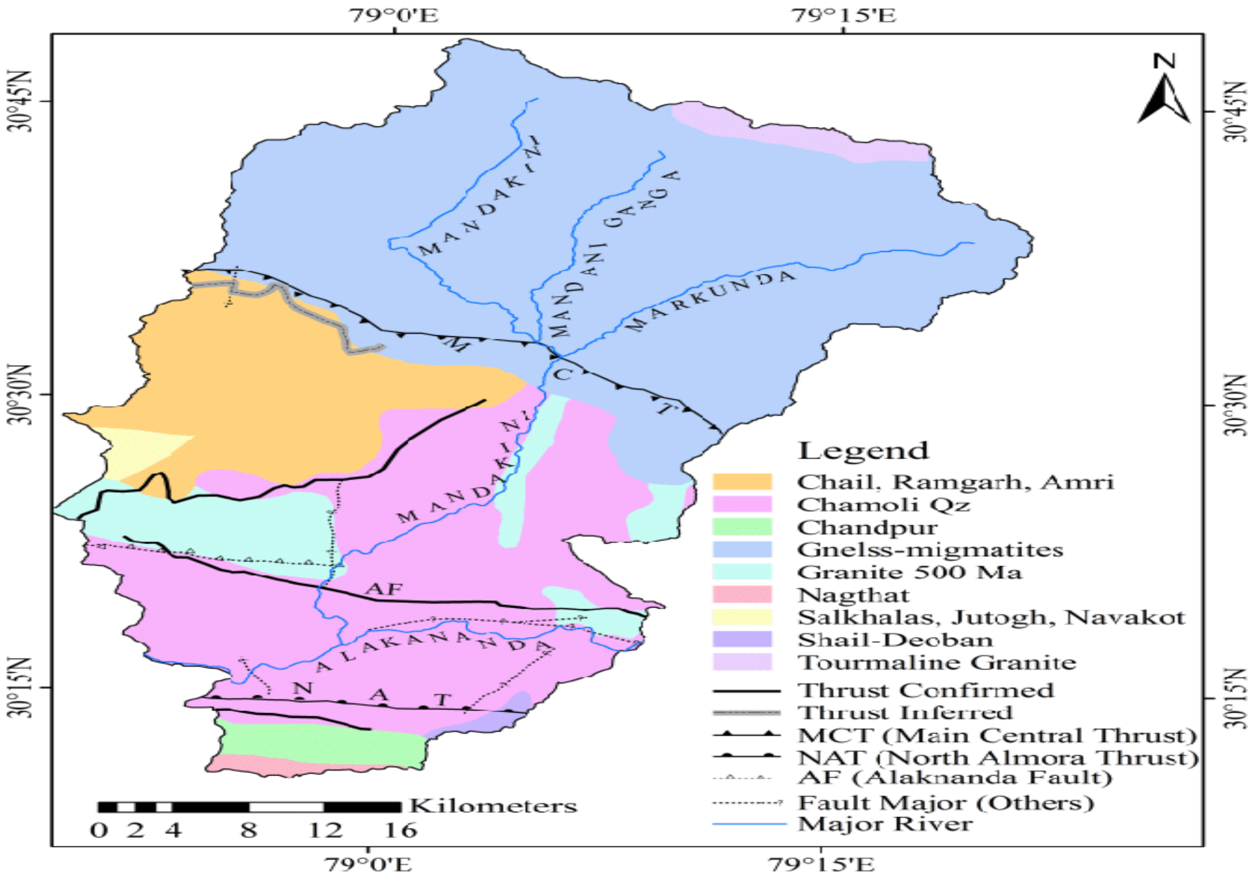

2.3– जनपद में विभिन्न सम्भावित आपदाओं हेतु वार्षिक कैलेंडर–

घटना/आपदा	सम्भावित माह											
	जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर
भूकंप												
वर्षा/भू–स्खलन/जलभराव												
वनाग्नि												
अग्निकाड												
बर्फवारी												
तूफान												
ओलावृष्टि												
वज्रपात												

2.4—जनपद में विगत आपदाओं का मैट्रिक्स

तालिका 2.3

Year	2020				2021				2022				2023				2024				2025			
Incident Type	No. of People died	No. of Livestock Died	House Damaged	Crop Area affected	No. of People died	No. of Livestock Died	House Damaged	Crop Area affected	No. of People died	No. of Livestock Died	House Damaged	Crop Area affected	No. of People died	No. of Livestock Died	House Damaged	Crop Area affected	No. of People died	No. of Livestock Died	House Damaged	Crop Area affected	No. of People died	No. of Livestock Died	House Damaged	Crop Area affected
Heavy Rainfall/ Flood/Flash Flood	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	07	–	29	–	1	–	–	–
Landslide	6	8	126	–	2	8	58	–	9	19	248	–	21	368	187	–	13	08	133	–	14	18	435	–
Cold Wave	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Total	**6**	**8**	**126**	–	**2**	**8**	**58**	–	**9**	**19**	**248**	–	**21**	**368**	**187**	–	**20**	**08**	**162**	–	**15**	**18**	**435**	–

2.5— जनपद में प्रमुख संभावित आपदाओं हेतु संवेदनशीलता तथा जोखिम विश्लेषण —

2.5.1— भूकंप— जनपद रूद्रप्रयाग जोन 5 में स्थित होने के कारण भूंकप हेतु अत्यन्त संवेदनशील है। जनपद से होकर प्रमुख मेन बाउंड्री थ्रस्ट (MBT), हिमालयन फ्रन्टल थ्रस्ट (HFT) तथा नार्थ व साउथ अल्मोड़ा थ्रस्ट (SAT/NAT) सहित रामगढ़ थ्रस्ट (RT) होकर गुजरती है। जिससे भूकम्प के लिये जनपद की संवेदनशीलता बढ़ जाती है।

क्र. स.	संभावित खतरे	संवेदनशील क्षेत्र	जोखिम
1	अतिवृष्टि / भूस्खलन	जनपद रूद्रप्रयाग जोन V में होने के कारण समस्त तहसील के समस्त बसे गांवों / क्षेत्र अत्यधिक संवेदनशील हैं।	मानचित्र 2.1 व 2.2 में प्रदर्शित जनपद से होकर (MBT), (HFT), (SAT/NAT) सहित (RT) Fault Lines दर्शायी गयी है। मानचित्र 2.3 में उत्तराखंड में भूकंप के दृष्टिगत जनपद चम्पावत की संवेदनशीलता की स्थिति दर्शायी गयी है। भूकंप से इन क्षेत्रों में निम्नलिखित जोखिम संभावित है। ➢ संभावित जन एंव पशु हानि ➢ सड़क मार्गो की क्षति ➢ संचार संरचनाओं की क्षति ➢ पेयजल / विद्युत लाईनों की क्षति ➢ विद्युत परियोजनाओं / लाईनों की क्षति

2.5.1.1– भूकंप के दृष्टिगत जनपद रूद्रप्रयाग की संवेदनशीलता की स्थिति– (मानचित्र 2.3)

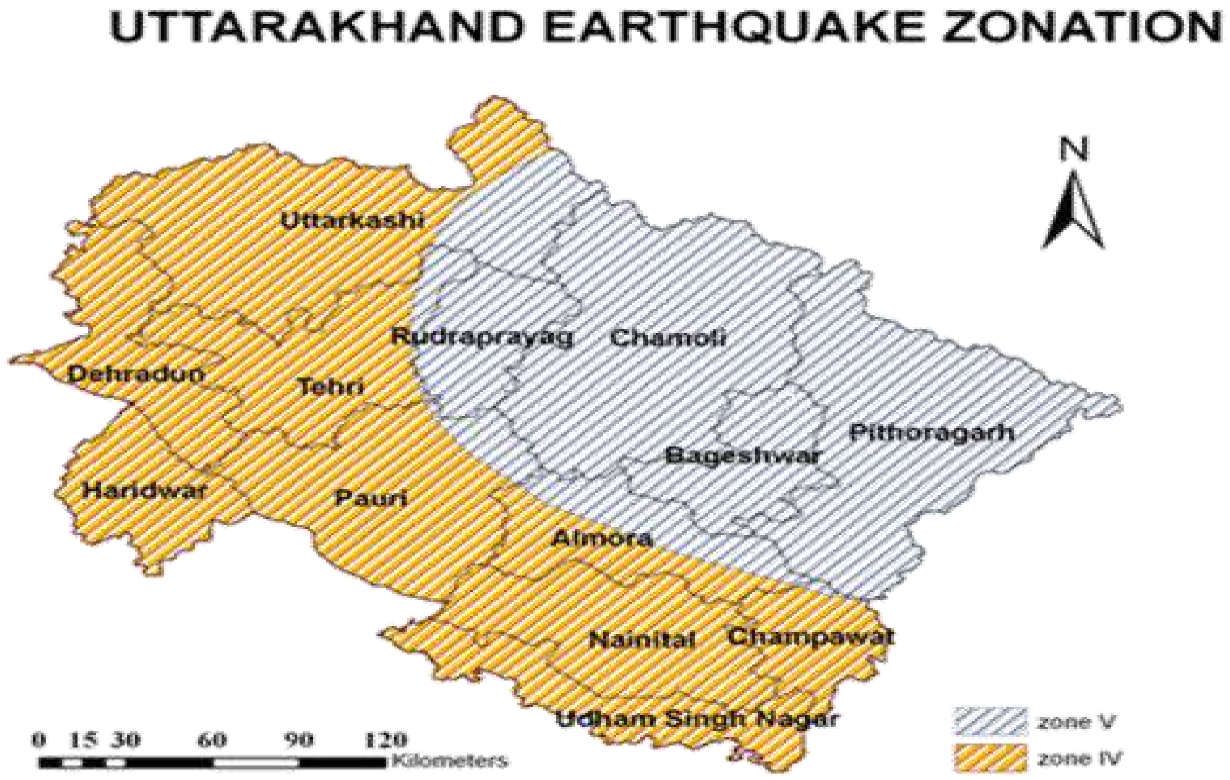

तालिका 2.4

Level	Description	Occurrence	Information
1.0-1.9	Micro	Millions per year	Not felt or rarely felt
2.0-2.9	Minor	One million per year	Slightly felt by some people
3.0-3.9	Minor	1,00,000 Per yera	Often felt but very rarely causes damage
4.0-4.9	Light	10,000 Per year	Felt by people near the epicenter, zero or minimal damage
5.0-5.9	Moderate	1,000 Per year	Felt by everyone, damage to weak building
6.0-6.9	Strong	100 Per year	Felt in wider areas, moderate to severe damage
7.0-7.9	Major	10 Per year	Felt across great distance, severe damage
8.0-8.9	Great	1 Per year	Felt in extremely large regions, very severe damage
>9.0	Great	1 Per 10 years	Near or at total destruction, permanent ground changes

2.5.1.2 – वर्ष 2015 से वर्तमान तक जनपद में महसूस किये गये भूकम्पों का विवरण–

तालिका 2.5

दिनांक	समय	तीव्रता रिक्टर पैमाने पर	भूकम्प का केन्द्र	गहराई (कि0मी0)	अक्षान्तर	देशान्तर
25-04-2015	12:15AM	6.6	नेपाल भारत बोर्डर	10	28.1° N	84.8°E
09-11-2022	01:57 AM	5.7	नेपाल भारत बोर्डर		29.24° N	81.86°E
12-11-2022	07:57 PM	5.1	नेपाल सिंगला भारत बोर्डर		29.81° N	81.20°E
24-01-2023	02:28 PM	5.4	नेपाल कालिका भारत बोर्डर	10	29.41° N	81.68°E
21-03-2023	10:17 PM	6.6	अफगानिस्तान (हिन्दूकुश रीजन)	156	36.09° N	71.35°E
21-12-2024	03:59AM	4.8	नेपाल भारत बोर्डर	10	29.17° N	81.59°E
23-05-2025	01:33AM	4.3	NW Of Dadeldhura Nepal	10	29.36° N	80.44°E

2.5.2– त्वरित बाढ़/जलभराव–

तालिका 2.6

क्र.स.	संभावित खतरे	संवेदनशील क्षेत्र	जोखिम
1	त्वरित बाढ़/ जलभराव	जनपद के तहसील रूद्रप्रयाग में अलकनन्दा एवं मन्दाकिनी नदियों के किनारे बसे गांवों/क्षेत्रों (रूद्रप्रयाग मुख्य बाजार, तिलवाड़ा, अगस्त्यमुनि, चन्द्रापुरी में जलभराव की स्थिति।	नदियों के किनारे बसे गांवों/क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति होने पर निम्नलिखित जोखिम संभावित है। ➢ फसल क्षति ➢ पेयजल की कठिनाई ➢ पशु–चारे की समस्या ➢ जल जनित बीमारियों का प्रसार ➢ यातायात में रूकावट एवं कठिनाई ➢ शिक्षण एंव अन्य संस्थाओं पर प्रभाव

2.5.3– वर्षा/भूस्खलन– जनपद की भौगोलिक स्थिति अत्यन्त ही संवेदनशील है। भू–गर्भीय हलचल एवं उच्च हिमालयी क्षेत्र में स्थित होने के कारण जनपद के समस्त क्षेत्रों में भूस्खलन का खतरा हमेशा बना रहता है।

तालिका 2.7

क्र.स.	संभावित खतरे	संवेदनशील क्षेत्र	जोखिम
1	राष्ट्रीय राजमार्ग–109 एवं 58 पर भू–स्खलन प्रभावित क्षेत्र चिन्हित हैं।	सिरोबगड़, नियर सम्राट होटल खांखरा, नरकोटा, पैट्रोल पम्प रूद्रप्रयाग, नगरासू, जवाड़ी बाई पास, भटवाड़ी सैण, बांसवाड़ा, काकड़ा गाढ़, सेमी गुप्तकाशी, फाटा डोलिया देवी मंदिर, मुनकटिया।	मानचित्र 2.4 में जनपद में वर्षा/भूस्खलन के दृष्टिगत संवेदनशीलता स्थिति दर्शायी गयी है। वर्षा/भूस्खलन से इन क्षेत्रों में निम्नलिखित जोखिम संभावित है। ➢ संभावित जन हानि ➢ सड़क मार्गो की क्षति ➢ संचार व्यवस्थाओं की क्षति ➢ पेयजल लाईनों की क्षति ➢ विद्युत परियोजनाओं की क्षति
2	राष्ट्रीय राजमार्ग के अतिरिक्त अन्य मोटर मार्ग, ग्रामीण मार्गो पर भी भू–स्खलन प्रभावित क्षेत्र चिन्हित हैं।	बजीरा, देवल, जाखणी, खलियाण, मस्तुरा, कालीमठ रोड़ विद्यापीठ, फलई, कमसाल, चुन्नी जाबरी, बेडूला, किणझाणी, मैखण्डा, मचकण्डी, चिनग्वाड़ भुनाल गांव, भौंसाल कुण्डा दानकोट, फलासी, जंगलचट्टी, भीमबली, छोटी लिनचोली, बड़ी लिनचोली।	ग्रामीण मार्ग क्षतिग्रस्त होने से उपरोक्त सम्भावित जोखिमों के अतिरिक्त निम्नलिखित जोखिम सम्भावित है। ➢ फसल नुकसान ➢ पेयजल की कठिनाई ➢ पशु–चारे की समस्या ➢ राशन सप्लाई का बाधित होना ➢ स्वास्थ्य सुविधाओं पर प्रभाव पड़ना ➢ शिक्षण एंव अन्य संस्थाओं पर प्रभाव ➢ पर्यटन पर प्रभाव, ➢ आजिविका पर प्रभाव

2.5.3.1– वर्षा/भूस्खलन भू–स्खलन के दृष्टिगत जनपद रूद्रप्रयाग की संवेदनशीलता की स्थिति (मानचित्र 2.4)

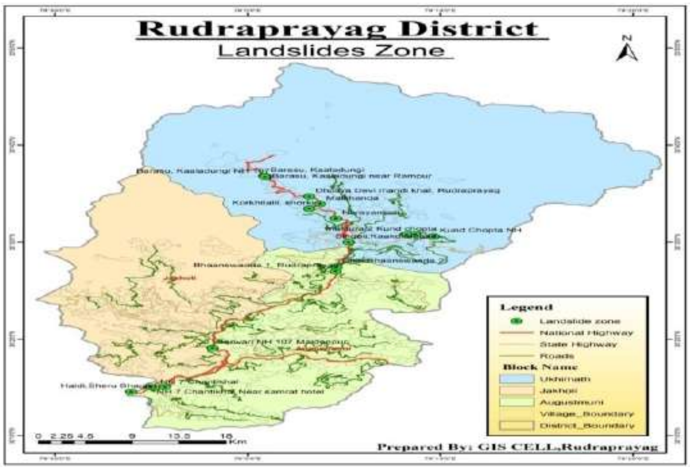

जनपद रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत विभिन्न श्रेणी के मोटर मार्गों का विवरण

तालिका 2.8

Sn.	Name of Division	Category of Roads	Total Numbers	Type		Total Length
				Kutcha	Pucca	(Kms)
1	CD PWD Ukhimath	SH	04	-	116.510	116.510
		MDRs	02	-	22.450	22.450
		ODRs	02	-	13.300	13.300
		VRs	60	41.270	137.390	178.660
		LMVs	01	-	0.600	0.600
		Bridal Roads	17	134.95	-	134.95
		Total	**86**	**176.220**	**290.50**	**466.470**
2	NH Srinagar	NH 07 (Old 58)	01		13.00	13.00
		Total	**01**		**13.00**	**13.00**
3	NH Rudraprayag	NH 07	01		5.695	5.695
		NH 107	01		79.75	79.75
		NH 107 A	01		34.200	34.200
		Total	**03**	**-**	**119.645**	**119.645**
4	PMGSY Rudraprayag	VRs	32	-	32.00	32.00
		ODRs	01	-	01.00	01.00
		Total	**33**	**-**	**33.00**	**33.00**
5	PMGSY Jakholi	VRs	20	-	20.00	20.00
		Total	**20**	**-**	**20.00**	**20.00**
6	RWD Rudraprayag	VRs	07	0.58	09.02	09.60
		Total	**07**	**0.58**	**09.02**	**09.60**
7	PWD Rudraprayag	SH	04	-	140.59	140.59
		MDR	02	-	40.80	40.80
		ODRs	05	-	105.33	105.33
		VRS	84	116.42	245.51	361.93
		Bridal Roads	11	121.45	-	121.45
		Total	**106**	**237.87**	**532.23**	**770.10**
		SUMMARY				
Total		NH 07	01	0.00	132.13	132.13
		NH 107	01	0.00	79.75	79.75
		NH 107 A	01	0.00	34.200	34.200
		SH	08	0.00	257.10	257.10
		MDRs	04	0.00	63.25	63.25
		ODRs	08	0.00	119.63	119.63
		VRs	203	157.69	402.90	560.59
		LMVs	01	0.00	0.600	0.600
		Bridal Roads	28	256.40	0.00	256.40
Total			**482**	**365.28**	**1664.375**	**2029.665**

जनपद अन्तर्गत चिन्हित क्रोनिक लैण्ड स्लाइड जोनस् का विवरण :–

तालिका 2.9

क्र0सं0	बिन्दु	विवरण
01	आपदा के लिहाज से चिन्हित संवेदनशील गांवों का ब्यौरा रूद्रप्रयाग– 05 जखोली– 08 बसुकेदार– 04 ऊखीमठ– 13 कुल– 30	**तहसील** **1–रूद्रप्रयाग**–बस अड्डा रूद्रप्रयाग से बर्सू पुल, छांतीखाल, नरकोटा, झालीमठ, विजयनगर। **2– जखोली**–सुमाड़ी, सिरवाड़ी बांगर, नवानामी तोक घरड़ा, उच्छना, लोंगा, चाका, लुठियाग, पांजणा। **3–बसुकेदार**– नागजगई, टेमरिया वल्ला, रगड़ा नामी तोक भुनालगांव, गंगानगर। **4–ऊखीमठ**–गौरीकुण्ड, सोनप्रयाग, खाट, मस्तूरा, सेमी, धारतोन्दला, जग्गी बागवान, जाल तल्ला, गिरिया, कविल्ठा, दिलमी, उसाड़ा, चारीनामी तोक क्यूंजा।
04	भूस्खलन क्षेत्र/सिंकिंग जोन रा0रा0मा0 07 – 03 रा0रा0मा0 107– 14	1– रा0रा0मा0ख0 श्रीनगर गढ़वाल लैंडस्लाइड जोनों का विवरण– निकट सम्राट होटल, नरकोटा, निकट ज्वाल्पा पैलेस। 2– रा0रा0मा0ख0 अगस्त्यमुनि रूद्रप्रयाग लैंडस्लाइड जोनों का विवरण– सिरोबगड़, जवाड़ी बाईपास डी0एफ0ओ0 ऑफिस, बांसबाड़ा, काकड़ागाड, सेमी, देवीधार, ब्यूगगाड खुमेरा, खाट, जामू, चण्डिकाधार,कालाडूंगी, मुनकटिया, चुन्नीबैंड, मस्तूरा।

(क) रुद्रप्रयाग से केदारनाथ की ओर

तालिका 2.10

क्र0सं0	लैण्ड स्लाइड् ज़ोन	वैकल्पिक मार्ग	साइन बोर्ड का स्थान
1	**रामपुर लैण्ड स्लाइड**	सिल्ली–कर्णधार (गंगतल–डांगी–बैंजी)	i–तिलवाड़ा–बावई मोटर मार्ग के प्रारम्भ में। ii– बैंजी के समीप।
		रुद्रप्रयाग–बेलनी–चोपता–मोहनखाल–बांसवाड़ा	i–बेलनी पुल। ii– कोटेश्वर मार्ग प्वाइंट। iii–मोहनखाल।
2	**बांसवाड़ा लैण्ड स्लाइड**	अगस्तमुनि–पठालीधार–बसुकेदार–गुप्तकाशी	i–विजयनगर पुल के समीप ii–बिनौ बैण्ड के समीप।
3	**बांसवाड़ा–भीरी लैण्ड स्लाइड**	बांसवाड़ा–बष्टी–गुप्तकाशी	बांसवाड़ा के बाद

(ख) गौरीकुण्ड से रुद्रप्रयाग की ओर

तालिका 2.11

क्र0सं0	लैण्ड स्लाइड ज़ोन	वैकल्पिक मार्ग	साइन बोर्ड का स्थान
1	**बांसवाड़ा–भीरी लैंड स्लाइड**	गुप्तकाशी – बसुकेदार –पठालीधार –अगस्तमुनि	1– गुप्तकाशी –लमगौण्डी मोटर मार्ग बैण्ड 2– बिनौ बैण्ड के समीप।
		भीरी मक्कू रोड़ पर – जलई – सुरसाल –कण्डारा –बांसवाड़ा।	1– मक्कूमठ रोड़ पर 2– जलई–सुरसाल सड़क के प्रारम्भ में।
2	**बांसवाड़ा लैण्ड स्लाइड।**	बांसवाड़ा– बष्टी– बसुकेदार–पठालीधार – अगस्त्यमुनि	बांसवाडा–बष्टी पुल की अप्रोच रोड़ के समीप
		बांसवाड़ा–चन्द्रनगर– मोहनखाल–चोपता –रुद्रप्रयाग	1– बांसवाड़ा–मोहनखाल मार्ग के प्रारम्भ में। 2– मोहनखाल में।
3	**रामपुर लैण्ड स्लाइड्।**	सिल्ली–कर्णधार (गंगतल–डांगी–बैंजी)	सिल्ली के समीप मार्ग के प्रारम्भ में।
		विजयनगर–तैला–सूर्यप्रयाग –मूसाढूंग मार्ग–तिलवाड़ा।	विजयनगर पुल के समीप।

(ग) प्रान्तीय खण्ड , लो0नि0वि0, रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत भू–स्खलन वाले क्षेत्र :–

तालिका 2.12

क्र0 सं0	मार्ग का नाम	भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र	वैकल्पिक मार्ग
1	मयाली–गुप्तकाशी मोटर मार्ग (एस एच–37)	किमी0 11, 17	मयाली–तिलवाडा–गुप्तकाशी मोटर मार्ग
2	खिर्सू–खेडाखाल–काण्डई–खांकरा मोटर मार्ग (एस एच–50)	किमी0 30 हेमी0 8–10	खांकरा–छांतीखाल–खेडाखाल मोटर मार्ग
3	टिहरी–घनसाली–तिलवाडा मोटर मार्ग (एस एच–15)	किमी0 141 ऐमी 8–10	ममणी–जखोली मोटर मार्ग से मयाली– जखोली मोटर मार्ग से होते हुए उत्तरकाशी–घनसाली–तिलवाडा मोटर मार्ग।
4	खांकरा–छांतीखाल मोटर मार्ग (ग्रामीण मार्ग)	किमी0 1 हेमी0 2–4, किमी0 2 हेमी0 8–10	दिल्ली–माणा राष्ट्रीय राज मार्ग
5	मयाली–रणधार मोटर मार्ग	किमी0 11 हेमी0 2–4	
6	विजयनगर–तैला मोटर मार्ग	किमी0 1 हेमी0 0–2 व 8–10	

(घ) निर्माण खण्ड , लो0नि0वि0, ऊखीमठ के अन्तर्गत भू–स्खलन वाले क्षेत्र :–

तालिका 2.13

क्र0 सं0	मार्ग का नाम	भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र	वैकल्पिक मार्ग (अतिरिक्त लम्बाई)
1	मयाली–गुप्तकाशी मोटर मार्ग (राज्य मार्ग संख्या 37)	कि॰मी॰ 56 है॰मी॰ (8–10), कि॰मी॰ 59 है॰मी॰ (2–4) एवं 67 है॰मी॰ (4–6)।	बांसवाड़ा–बष्टी– बसुकेदार मोटर मार्ग। (8.55 कि0मी0)
2	बांसवाड़ा–कणसिल–चन्द्रनगर–मोहनखाल मोटर मार्ग (राज्य मार्ग संख्या 56)	कि॰मी॰ 4 है॰मी॰ (0–2)	मोहनखाल से रुद्रप्रयाग मोटर मार्ग।
3	मक्कू–पहुंच–पलद्वाडी भीरी–परकण्डी मोटर मार्ग। (राज्य मार्ग संख्या 97)	कि॰मी॰ 7 है॰मी॰ (2–4) (4–6), कि0मी0 19 है॰मी॰ (2–4) एवं कि0मी0 23 है॰मी॰ (2–4)	चमोली–कुण्ड रा.रा.मार्ग संख्या 107 (ए) (84. 200 कि0मी0)
4	गुप्तकाशी–कालीमठ– कोटमा–जाल चौमासी मोटर मार्ग। (राज्य मार्ग संख्या 96)	कि॰मी॰ 2, 3, 7, 8, 10, 11, 16, 17	चुन्नी बैण्ड विद्यापीठ पैदल मार्ग।
5	ऊखीमठ–मनसूना– जुगासू–राऊलैंक–उनियाणा मोटर मोटर मार्ग।	कि॰मी॰ 1 है॰मी॰ (0–2)	–
6	सोनप्रयाग–त्रियुगीनाराण मोटर मोटर मार्ग।	कि॰मी॰ 10 है॰मी॰ (6–10) तोषी	सोनप्रयाग– त्रियुगीनारायण पैदल मार्ग।
7	विजयनगर–पठालीधार मोटर मार्ग	कि॰मी॰ 1 है॰मी॰ (0–2) गंगानगर	मयाली–गुप्तकाशी राज्य मार्ग सं॰ 37 बांसवाड़ा–बष्टी– बसुकेदार मोटर मार्ग। (8.55 कि0मी0)
8	बासवाड़ा–बष्टी– बसुकेदार मोटर मार्ग।	कि॰मी॰ 10 है॰मी॰ (6–10) तोषी	मयाली–गुप्तकाशी राज्य मार्ग सं॰ 37 विजयनगर–पठालीधार मोटर मार्ग

(ङ.) पी0एम0जी0एस0वाई0 जखोली के अन्तर्गत भू–स्खलन वाले क्षेत्र :–

तालिका 2.14

क्र0सं0	मार्ग का नाम	भूस्खलन प्रभावित लोकेशन (कि0मी0/है0मी0)	मार्ग अवरूद्व होने की स्थिति में वैकल्पिक मार्ग
1	कोट–रणधार –बधाणीताल मोटर मार्ग	किमी0 3.00 से 9.00	
	कोट–जखवाड़ी–मल्ली मोटर मार्ग	किमी0 1.00 से 3.00	
2	गोरपा–सिरवाड़ी–कुरछोला मोटर मार्ग	किमी0 4.00 से 22.00	तैलाधार/अजुन बैण्ड से कुरछोला मोटर मार्ग
3	तिलवाडा–टिहरी–कोट–लौगा मोटर मार्ग	किमी0 0.60 से 4.425	
4	रायडी–अरखुण्ड मोटर मार्ग	किमी0 1.00 से 2.00	
5	बुढना –पालाकुराली मोटर मार्ग	किमी0 4.20 से 6.00	दुगड्डा से पालाकुराली मोटर मार्ग
6	धद्दी–सेरा–बांसी मोटर मार्ग	किमी0 4.00 से 17.00	
7	घेघड़खाल–जवाड़ी मोटर मार्ग	किमी0 1.00 से 12.00	जवाडी बाई पास से जवाडी मोटर मार्ग/रतनपुर से जवाडी मोटर मार्ग
8	विनावाधार– स्यूर मोटर मार्ग	किमी0 1.00 से 7.00	
9	मैठाणाखाल–सौंदा मोटर मार्ग	किमी0 1.00 से 4.00	
10	अन्थोली–सिलगांव मोटर मार्ग	किमी0 4.00 से 11.00	
12	तिलवाड़ा–सौंराखाल मोटर मार्ग	किमी0 6.00 से 30.00	कीर्तिनगर से सौंराखाल मोटर मार्ग
13	तुनेटा–भणगा मोटर मार्ग	किमी0 2.00 से 3.00	
14	बन्दरतोली–मवाणगांव–बरसाली मोटर मार्ग	किमी0 0.50 से 3.00	

(च) पी0एम0जी0एस0वाई0 रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत भू–स्खलन वाले क्षेत्र :–

तालिका 2.15

क्र0सं0	मार्ग का नाम	भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र	वैकल्पिक मार्ग
1	रूद्रप्रयाग से चोपड़ा मोटर मार्ग	–	रूद्रप्रयाग (वाया गौचर सारी सणगू)।
2	सणगू–सारी मोटर मार्ग	किमी0 19.00, 24.00, 25.00, 29.00 एवं 30.00	रूद्रप्रयाग (वाया गौचर) सारी।
3	नगरासू–कोट जसोली मोटर मार्ग	–	नगरासू डाण्डाखाल मोटर मार्ग
4	द्यूलाधारबैण्ड से गणेशनगर मोटर मार्ग	किमी0 3.00 एवं 12.00	बेडूबगड़ भौंसाल मोटर मार्ग किमी0 6.00 से (वाया जगोट) गणेशनगर।
5	बाड़व मल्ला कान्दी मोटर मार्ग	किमी0 4.00, 5.00 एवं 8.00	कणसिल (वाया जाबरी) बाड़व भणज से रूद्रप्रयाग मुख्यालय।
6	बष्टी से हाट मोटर मार्ग	किमी0 10.00, 12.00, 15.00 एवं 16.00	–
7	गुलाबराय से तुना मोटर मार्ग	किमी0 3.00	–
8	रूद्रप्रयाग से गौरीकुण्ड किमी0 7.00 से नारी मोटर मार्ग	किमी0 1.00	सतेराखाल रूद्रप्रयाग।
9	बेडूबगड से भौंसाल मोटर मार्ग	किमी0 5.00	बेडूबगड– चोपता रूद्रप्रयाग।

क्र0सं0	मार्ग का नाम	भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र	वैकल्पिक मार्ग
10	बसुकेदार क्यार्क बरसूड़ी मोटर मार्ग	किमी0 1.00	—
11	रांसी से तलसारी मोटर मार्ग।	किमी0 2.00	—
12	फाटा से जामू मोटर मार्ग	—	—
13	बलसुण्डी से अखोड़ी मोटर मार्ग	किमी0 4.00	
14	लम्बगौण्ड देवली भणिग्राम मोटर मार्ग	किमी0 1.00	—
15	मोहनखाल क्यूजा भीरी परकण्डी जलई सुरसाल मोटर मार्ग	किमी0 3.00	भीरी परकण्डी मो0मा0 किमी0 5.00 से (वाया कण्डारा) जलई सुरसाल बांसवाड़ा।
16	ऊखीमठ मनसूना जुगासू राऊलेंख उनियाणा मोटर मार्ग।	किमी0 1.00, 11.00, 13.00 एवं 17.00	—
17	भौंसाल कुण्ड दानकोट मोटर मार्ग	किमी0 5.00 एवं 13.00	भौंसाल–बेडूबगड–अगस्तयमुनि मोटर मार्ग।
18	जी0आई0सी0 रतूडा लुंगई डुंगरी मोटर मार्ग	किमी0 1.00 एवं किमी0 4.00	—
19	सन से बज्यूण मोटर मार्ग	किमी0 21.00	—
20	भीरी से परकण्डी मोटर मार्ग		—
21	गुलाबराय से तूना मोटर मार्ग के किमी0 7.00 से ग्वेफड मोटर मार्ग स्टेज–। एवं ।।	—	—
22	रैतोली जसोली नगरासू पाबों मोटर मार्ग स्टेज। एवं।।		ग्वेफड तूना रूद्रप्रयाग मोटर मार्ग। नगरासू डाण्डाखान मोटर मार्ग। नगरासू कोट जसोली मोटर मार्ग।
23	रूद्रप्रयाग – गौरीकुण्ड मोटर मार्ग किमी0 15.00 से चोपडा भट्ट गॉव मोटर मार्ग स्टेज।।	किमी0 1.00, 2.00 एवं 3.00	—

2.5.4— तूफान/ओलावृष्टि/वज्रपात — तूफान/ओलावृष्टि/वज्रपात प्राकृतिक आपदा है। जनपद रूद्रप्रयाग कि भौगोलिक स्थिति उक्त हेतु अनुकूल है। तूफान/ओलावृष्टि/वज्रपात की घटनायें वातावरणीय परिस्थितियों से जनित हैं, जिससे फसलों, पेड़–पौधों, पशु एंव जन हानि और संपत्ति के नुकसान की संभावना बनी रहती है। तूफान/ओलावृष्टि/वज्रपात प्रायः उन क्षेत्रों में घटित होता है जहां उच्च उष्णता, उच्च आबादी क्षेत्र और विशेष आबादी संरचनाएं होती हैं।

तालिका 2.16

क्र.स.	संभावित खतरे	संवेदनशील क्षेत्र	जोखिम
1	ओलावृष्टि से फसलों को व्यापक क्षति पहुंचती है। वज्रपात (आकाशीय बिजली) के कारण जन व पशु हानि तथा बिजली से चलने वाले उपकरणों को भी क्षति होती है।	जनपद के उच्च पर्वतीय क्षेत्र।	जनपद में तूफान/ओलावृष्टि/वज्रपात के कारण निम्नलिखित जोखिम संभावित हैं। ➢ संभावित जन एवं पशु हानि ➢ भवनों का क्षतिग्रस्त होना ➢ वन्यजीवों की हानि ➢ बिजली से संचालित उपकरणों की क्षति

2.5.5— बर्फबारी/हिमस्खलन— जनपद का अधिकांश भू–भाग मध्यम एंव उच्च हिमालयी क्षेत्रों में पड़ता है। जनपद कि सीमा पौड़ी गढ़वाल, चमोली एवं टिहरी गढ़वाल के साथ मिलती है। इन खतरों के अलावा बर्फबारी स्थानीय आबादी, वन्य जीव, और पर्यावरण को प्रभावित कर सकती है।

तालिका 2.17

क्र0 स0	संभावित खतरे	जनपद के संवेदनशील क्षेत्र	जोखिम
1	बर्फबारी / हिमस्खलन एक प्राकृतिक आपदा है जो हिमशृंग या हिम के टुकड़ों के अचानक गिरने के कारण होती है।	केदारनाथ, मध्यमहेश्वर, तुंगनाथ	जनपद में बर्फबारी / हिमस्खलन के कारण निम्नलिखित जोखिम संभावित है। ➢ संभावित जन हानि ➢ समुदाय एवं ट्रैकिंग व्यवसाय का प्रभावित होना ➢ वन्यजीवों की हानि ➢ पर्यावरणीय क्षति

2.5.6– सड़क दुर्घटना– पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण जनपद की सभी सड़कें अत्यधिक ढाल पर निर्मित तथा अत्यंन्त संकरे व घुमावदार / तीव्र मोड युक्त हैं। वर्षा व भूस्खलन से सड़क मार्ग समय–समय क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। सड़कों की खराब स्थिति, अप्राप्त प्रशिक्षण, यातायात संकेतों का ज्ञान न होना, लापरवाही व नशे में वाहन चलाने के कारण सड़क दुर्घटनाओं की संख्या अधिक होती है।

तालिका 2.18

क्र0 स0	संभावित खतरे	संवेदनशील क्षेत्र	जोखिम
1	सड़क दुर्घटना एक मानव जनित आपदा है। अत्यन्त संकरे व घुमावदार / तीव्र मोड युक्त सड़के तथा लापरवाही इसके मुख्य कारण है।	सम्पूर्ण जनपद के अधिकांश शहरी / ग्रामीण मोटर मार्ग	जनपद में वाहन दुर्घटना के कारण निम्नलिखित जोखिम संभावित है। ➢ संभावित जन हानि ➢ परिवार की आर्थिक हानि ➢ सम्पत्ति का नुकसान ➢ सामाजिक दुष्प्रभाव

2.5.6.1– वर्ष 2015 से 2024 तक घटित सड़क दुर्घटनाओं का विवरण–

तालिका 2.19

क्र0सं	वर्ष	कुल दुर्घटनाओं की संख्या	कुल मृतक	कुल घायल
1	2015	35	25	101
2	2016	33	20	74
3	2017	20	14	52
4	2018	36	26	60
5	2019	42	24	125
6	2020	21	14	29
7	2021	30	17	47
8	2022	23	25	34
9	2023	20	14	30
10	2024	38	21	16
कुल योग		**298**	**200**	**568**

2.5.7– नदियों में डूबने की घटनाऐं– जनपद अन्तर्गत नदी एवं नालों की संख्या अधिक है साथ ही विद्युत परियोजनाओं के झीले भी हैं, जिसमें लोग नहाने जाते है अधिक गहरायी व तैरने का अनुभव न होना, लापरवाही, आत्महत्या का प्रयास व नशे की हालत में होने के कारण यह घटनायें प्रायः होती रहती हैं।

तालिका 2.20

क्र0स0	संभावित खतरे	संवेदनशील क्षेत्र	जोखिम
1	नदियों में डूबने के मुख्य कारण तैरने का अनुभव न होना व लापरवाही है।	जनपद के प्रमुख नदियां, जलाशय, गाढ, गधेरे आदि	➢ जनपद में विभिन्न नदियों / गाड / झीलों में तैरने के अनुभवहीनता के कारण संभावित जन हानि का जोखिम संभावित है। ➢ संभावित जन हानि। ➢ परिवार की आर्थिक हानि।

2.5.8 वनाग्नि / अग्निकांड – जनपद रूद्रप्रयाग में वनाग्नि की अधिकतर घटनाऐं माह जनवरी से माह मई तक घटित होती है। उक्त घटनाओं से अधिकतर जंगल नष्ट हो जाते है। आपातकालीन परिचालन केन्द्र में दर्ज सूचनाओं के अनुसार वर्ष 2022 में 10 मई, तक वनाग्नि की कुल 20 घटनाऐं घटित हुई है जिसमें बड़े पैमानें पर जगलों का नुकसान हुआ है। वनाग्नि की घटनाओं के रोकथाम हेतु वन विभाग एवं जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न कार्य किये गये है:–

- वन विभाग द्वारा जनपद के समस्त ग्राम पंचायत स्तरों पर वन सरपंचों का चयन कर वनाग्नि रोकथाम टीम तैयार की गयी है।
- विभिन्न क्षेत्रों में वन विभाग द्वारा विभागीय टीमों की तैनाती की गयी है।
- जिला प्रशासन द्वारा तहसील स्तरों पर डी0डी0आर0एफ0 टीम तैनात की गयी है जिनके द्वारा वनाग्नि की घटनाओं के रोकथाम हेतु त्वरित प्रतिवादन किया जाता है।
- वनाग्नि की घटनाओं के रोकथाम हेतु वन विभाग द्वारा जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र एवं पुलिस नियंत्रण कक्ष में वन विभाग का वायरलैस बैस स्टेशन स्थापित किया गया है ताकि वनाग्नि की घटनाओं का प्रभावी नियंत्रण किया जा सकें।
- वनाग्नि की घटनाओं के नियंत्रण में पुलिस एवं अग्निशमन विभाग द्वारा त्वरित प्रतिवादन किया जाता है।
- वनाग्नि के रोकथाम हेतु वन विभाग द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में टॉस्क फोर्स का घटन किया गया है।
- जनपद एवं तहसील स्तर पर आई0आर0टी0 टीम द्वारा वनाग्नि की घटना के रोकथाम किया जा रहा है।

2.5.8.1 – आपदा की स्थिति में खोज–बचाव एवं राहत कार्य:– वनाग्नि की घटनाओं के रोकथाम हेतु वन विभाग एवं जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न टीमों को तैयार किया गया है। जनपद अथवा तहसील स्तरों पर वनाग्नि की संवेदनशीलता के आधार पर जनपदीय अथवा तहसील स्तरीय आई0आर0टी0 टीम को एक्टिवेट किया जाएगा। उक्त आपदाओं के प्रभावी रोकथाम हेतु जनपद एवं तहसील में समय–समय पर वनाग्नि मॉक अभ्यास किये जा रहे है, ताकि आपदा की स्थिति में त्वरित प्रतिवादन किया जा सकें।

2.5.8.2 – प्रभाग के आरक्षित वन ब्लॉक एवं उसके समीपस्थ गांवों के नाम:–

तालिका 2.21

प्रभाग का नाम	रेंज का नाम	वनब्लाक का नाम	समीपस्थगांवों के नाम
1	2	3	4
रूद्रप्रयाग	यूनिट	बमसू एवं मैखण्डा	बडैथ, डुंगर, तिनसोली, मैखण्डा, बामसू, फाटा, गुप्तकाशी
	अगस्त्यमुनि	रागसी, अगस्त्यमुनि, नैनादेवी, ककोडाखाल एवं क्षेत्रस्वामी	मक्कू, उषाडा, दैडा, चन्द्रनगर, भणज, कण्डारा, क्यूंजा, डोभ, भौंसाल, नाकोट, तिलवाडा, बाडव, कांदी, कनकचौरी, घिमतोली
	उत्तरी जखोली	लस्तरगाड, बधाणी, धारकूडी, लिस्वाल्टा, डमार, पदमखाल, लनगाड, सिरवाडी, पांजणा, जाखणी, बडमा एवं तैला	लस्तरगाड, बधाणी, धारकूडी, लिस्वाल्टा, डमार, लनगाड, सिरवाडी, पांजणा, जाखणी, बडमा, तैला
	दक्षिणी जखोली	भरदारीगाड, रतनपुर, जाखाल, लौंगा, जाखणी, नरसिंग एवं लिस्वाल्टा	भरदारीगाड, रतनपुर, जाखाल, लौंगा, जाखणी, नरसिंग, लिस्वाल्टा, तुनेटा, जवाडी, सुमाडी, बुढना, गोर्ती, दरमोला, पौंठी
	खांकरा	नरकोटा, फरासू, छांतीखाल, पूर्वी खिर्सू, उत्तरी खिर्सू, स्यांरी, चौरास एवं बडियारगढ	नरकोटा, खांकरा, फतेहपुर, काण्डई, पीपली, बरसूडी, गैड, धारकोट, नरकोट, छांतीखाली, खिर्सू, चौरास, डुंगरीपंथ
	रूद्रप्रयाग	धनपुर एवं रूद्रप्रयाग	नगरासू, बीना, कोट, रतूडा, घोलतीर, शिवानन्दी, काण्डा, कोदिमा, गढसारी, बरसू, पीडा, धनपुर

2.5.8.3– अग्नि विभीषिका सूचकांक (Fire danger rating index)-

मास्टर कन्ट्रोल रूम द्वारा कम्प्यूटर की सहायता से अग्नि विभीषिका सूचकांक निम्न सूत्र से निकालना है।

$$\text{Nesaterov Index(N)} = \sum_{i}^{w} (ti - Di)x\ ti$$

N = Nesaterov Index

W = number of days since the last rainfall > 3mm

t = temperature ° C

D = dew point temperature ° C

2.5.8.4– वायु की गति ज्ञात करने का अनुमान

तालिका 2.22

1	धुऑ ऊपर	1.6 कि0मी0 प्रति घ0	शांत
2	पत्तियॉ लगातार हिलती हैं छोटी शाखाऐं, घासें हवा के साथ झुकती है।	2.5 कि0मी0 प्रति घ0	बहुत हल्की
3	खुली हवा में बल्ली नाप के पेड़ हवा के साथ हिलते/बहते है। हवा चेहरे में अनुभव होती है कागज उड़ने लगते है।	6–11 कि0मी0 प्रति घ0	हल्की
4	बल्ली नाप के पेड हिलते है।घने पेड़ों के छत्र हवा के साथ बहते है। छोटे–छोटे झण्डे फहराने लगते है, तालो से लहरे दिखने लगती है।	12–19 कि0मी0 प्रति घ0	साधारण
5	खुले में पेड तेजी से हिलने लगते हैं घने पेड़ स्वतः हिलने लगते हैं सड़कों में धूल उड़ने लगती है।	20–29 कि0मी0 प्रति घ0	तेज
6	पेड़ो से छोटी–छोटी शाखायें टूटने लगती है। हवा के विरुद्ध चलने में असुविधा होती है।	30–40 कि0मी0 प्रति घ0	बहुत तेज
7	पेड़ शाखाओं के टूटने से क्षतिग्रस्त होते हैं। हवा के विरुद्ध विपरीत चलने में बाधा उत्पन्न होती है। भवनों को क्षति हो सकती है।	41–60 कि0मी0 प्रति घ0	ऑंधी (Storms)

2.5.8.5–मानव–वन्यजीव संघर्ष (Man & Animal Conflict Short Note) –

मानव और वन्यजीव दोनों ही जंगल पर निर्भर हैं। वर्तमान समय में मानव– वन्यजीव संघर्ष बढ़ता जा रहा है। पशुओं के निवास क्षेत्रों की कमी, वनाग्नि तथा अन्य छोटे जंगली जानवरों की संख्या में कमी व परिस्थितिकीय असन्तुलन के कारण वन्य जीवों और मानव के बीच संघर्ष हो रहा है। जंगली पशुओं के लिए खाने की कमी हो जाने से उन्हें अन्य स्थानों की तलाश करनी पड़ती है, जिससे उनका प्राकृतिक आवास खतरे में पड़ जाता है। खेती, उद्यान, और अन्य विकास कार्यों के लिए जंगल कटते जा रहे हैं। पशुओं के हमले से लोग घायल हो सकते हैं, साथ ही मृत्यु होने की संभावना बनी रहती है। अन्य मामलों में पशुओं के साथ सघर्ष के कारण मानव जीवन पर बड़े हानिकारक प्रभाव पड रहे है, जो किसानों की आर्थिक स्थिति को भी प्रभावित कर रहे है।

तालिका 2.23

क्र0 स0	संभावित खतरे	संवेदनशील क्षेत्र	जोखिम
1	मानव–वन्यजीव संघर्ष एक मानव जनित आपदा है, जिससे दोनों ही पक्षों को भारी नुकसान होने की सम्भावना बनी रहती है।	जनपद के समस्त विकासखण्डों के वन क्षेत्रान्तर्गत पडने वाले समस्त ग्राम	मानव–पशु संघर्ष के कारण निम्नलिखित जोखिम संभावित है। ➢ संभावित मानव/पशुहानि ➢ फसलों का नुकसान ➢ वन्यजीवों की हानि ➢ पर्यावरणीय क्षति ➢ आर्थिक जोखिम ➢ आजीविका प्रभावित

2.5.6– पुर्नवास की श्रेणी में आने वाले गांव/परिवार एवं विस्थापितों का विवरण –

तालिका 2.24

क्र0सं0	विस्थापन की श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले		वर्ष 2012 से 14.08.2025 तक विस्थापितों का विवरण		विस्थापन हेतु अवशेष ग्राम/परिवार	
	ग्राम	परिवार	ग्राम	परिवार	ग्राम	परिवार
01	29	233	29	233	05	50

तालिका 2.25

श्री केदारनाथ दर्शनार्थियों के वर्षवार आंकड़े
वर्ष 1988 से 2025 तक

क्र0सं0	वर्ष	तीर्थ यात्रियों की संख्या	क्र0सं0	वर्ष	तीर्थ यात्रियों की संख्या
1	1988	137094	21	2008	470048
2	1989	115081	22	2009	403353
3	1990	117774	23	2010	400248
4	1991	118750	24	2011	571601
5	1992	141704	25	2012	573040
6	1993	118659	26	2013 (आपदा से पूर्व)	332240
7	1994	104639	27	2013 (आपदा के पश्चात)	1335
8	1995	105693	28	2014 (दिनांक 27.06.2014)	27463
9	1996	105160	29	2015	154430
10	1997	60500	30	2016	309746
11	1998	82000	31	2017	471235
12	1999	80090	32	2018	732241
13	2000	215270	33	2019	1000021
14	2001	191988	34	2020	130551
15	2002	169217	35	2021	242712
16	2003	289055	36	2022	15,63,278
17	2004	274979	37	2023	19,61,027
18	2005	390156	38	2024	16,52,076
19	2006	485464	39	2025	17,68,795
20	2007	557423	40		

श्री केदारनाथ धाम मे हैलीकॉप्टर द्वारा दर्शन करने वाले तीर्थ यात्रियों की संख्या वर्ष 2014 से 2025 तक का विवरण–

तालिका 2.26

क्र0सं0	वर्ष	संचालित हैली कम्पनी	श्रीकेदारनाथ धाम जाने वाले यात्रियों की संख्या	श्रीकेदारनाथ धाम से आने वाले यात्रियों की संख्या	कुल सटल
01	2014	06	13503	16256	3165
02	2015	09	71192	74653	14513
03	2016	13	91405	836358	16828
04	2017	13	101933	82680	18436
05	2018	10	123261	98983	22504
06	2019	09	118444	102536	20915
07	2020	09	40624	40144	7469
08	2021	07	35640	33430	6216
09	2022	09	151795	150070	28339
10	2023	09	144078	142401	25535
11	2024	09	126393	124956	22371
12	2025	09	82414	81236	14465

➢ परिणाम (Outcome) और सुझाव (Recommendations)

• परिणाम (Outcome)

जिला रूप्रयाग की भौगोलिक, सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि यह जिला विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं के प्रति संवेदनशील है। जिले की पर्वतीय भौगोलिक संरचना, तीव्र वर्षा, संवेदनशील ढाल एवं नदी तंत्र के कारण यहाँ विशेष रूप से भस्खलन, बादल फटना, अतिवृष्टि, बाढ़, जलभराव, भूकम्प तथा जंगल की आग जैसी आपदाओं की संभावना बनी रहती है। जिले के कई ग्रामीण क्षेत्र दरू स्थ एवं दुर्गम हैं, जिसके कारण आपदा के समय राहत एवं बचाव कार्यों में कठिनाइयाँ उत्पन्न हो सकती हैं। इसके अतिरिक्त सड़क नेटवर्क, संचार व्यवस्था तथा स्वास्थ्य सुविधाओं की सीमित उपलब्धता भी आपदा प्रबंधन को प्रभावित कर सकती है। इस अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि जिले में आपदा पूर्व तैयारी (Preparedness), जोखिम न्यूनीकरण (Mitigation), त्वरित प्रतिक्रिया (Response) तथा प्रभावी समन्वय को मजबतू बनाना अत्यंत आवश्यक है।

• सुझाव (Recommendations)

जिला रूद्रप्रयाग में आपदा प्रबंधन को अधिक प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए जाते हैं–

- ✓ जिले में आपदा जोखिम वाले क्षेत्रों की नियमित पहचान एवं निगरानी की जाए।
- ✓ भस्खलन एवं बाढ़/जलभराव प्रभावित क्षेत्रों में संरचनात्मक एवं गैर–संरचनात्मक उपायों को बढ़ावा दिया जाए।
- ✓ आपदा प्रबंधन से संबंधित प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रमों को समुदाय स्तर तक विस्तारित किया जाए।
- ✓ आपदा के समय त्वरित प्रतिक्रिया के लिए संसाधनों एवं उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।
- ✓ संचार व्यवस्था, सड़क संपर्क एवं स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ किया जाए।
- ✓ विभिन्न विभागों, स्थानीय निकायों एवं स्वयंसेवी संगठनों के बीच समन्वय को मजबूत किया जाए।
- ✓ स्कूलों, संस्थानों एवं समुदायों में आपदा प्रबंधन अभ्यास (Mock Drills) नियमित रूप से आयोजित किए जाएँ।
- ✓ इन उपायों के माध्यम से जिला चम्पावत में आपदा जोखिम को कम किया जा सकता है तथा आपदा के समय प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सकता है।

अध्याय–3

आपदा प्रबन्धन हेतु संस्थागत व्यवस्थायें
(Institional Arrangements for Disaster Management)

3.1 राष्ट्रीय स्तर पर आपदा प्रबंधन संगठनात्मक संरचना (At the National Level)

भारत में आपदा प्रबंधन का संचालन आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अंतर्गत किया जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर निम्न संस्थागत व्यवस्थाएं कार्यरत हैं–

1. **राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA)**
   - अध्यक्ष: प्रधानमंत्री, भारत सरकार
   - NDMA नीतियों, दिशा–निर्देशों एवं योजनाओं के निर्माण हेतु सर्वोच्च निकाय है।
   - यह राज्य एवं जिला स्तर की योजनाओं को अनुमोदित करता है तथा तकनीकी सहायता प्रदान करता है।
2. **राष्ट्रीय कार्यकारी समिति (NEC)**
   - अध्यक्ष: केंद्रीय गृह सचिव
   - NEC NDMA की नीतियों को लागू करने और आपदा की स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने हेतु जिम्मेदार है।
   - यह राष्ट्रीय आपात संचालन केंद्र (NEOC) का संचालन करता है।
3. **राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF)**
   - गठन: वर्ष 2006
   - उद्देश्य: आपदाओं के दौरान त्वरित बचाव एवं राहत कार्य करना।
   - नियंत्रण: NDMA / गृह मंत्रालय
   - उत्तराखंड के लिए NDRF की यूनिट आमतौर पर गाजियाबाद / वाराणसी / लखनऊ से सहायता प्रदान करती है।
4. **राष्ट्रीय आपात संचालन केंद्र (NEOC)**
   - स्थान: नई दिल्ली
   - यह देश के सभी राज्य EOC से जुड़ा हुआ है और राष्ट्रीय स्तर पर मॉनिटरिंग, अलर्ट जारी करने एवं समन्वय का कार्य करता है।

3.2 राज्य स्तर पर आपदा प्रबंधन (At the State Level – Uttarakhand)

राज्य स्तर पर आपदा प्रबंधन की संस्थागत व्यवस्था उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (USDMA) के अधीन संचालित होती है।

3.2.1 राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA / USDMA)

- अध्यक्ष: माननीय मुख्यमंत्री, उत्तराखंड
- उपाध्यक्ष: मुख्य सचिव, उत्तराखंड शासन
- सदस्य: प्रमुख सचिव (वित्त, गृह, स्वास्थ्य, राजस्व, लोक निर्माण, वन आदि विभागों के)।
- मुख्यालय: देहरादून
- कार्य:

–राज्य की आपदा प्रबंधन नीति बनाना।
–जिला योजनाओं को अनुमोदन एवं तकनीकी सहायता प्रदान करना।
–राज्य स्तरीय राहत, पुनर्वास एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन।

3.2.2 राज्य कार्यकारी समिति (SEC)

- अध्यक्ष: मुख्य सचिव, उत्तराखंड शासन
- सदस्य सचिव: अपर मुख्य सचिव / सचिव (आपदा प्रबंधन)
- कार्य:
  –SDMA की नीतियों को लागू करना।
  –सभी विभागों के नोडल अधिकारियों के माध्यम से राहत एवं बचाव कार्यों की मॉनिटरिंग।
  –राज्य आपात संचालन केंद्र (SEOC) का संचालन।

3.2.3 राज्य आपात संचालन केंद्र (SEOC)

- स्थानरू आपदा प्रबंधन विभाग, सचिवालय, देहरादून
- यह 24×7 संचालित रहता है।
- राज्य स्तर पर अलर्ट, चेतावनी, राहत और संसाधन समन्वय का कार्य करता है।
- SEOC जिला स्तर के सभी म्ब् से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है।

3.2.4 राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (SDRF)

- गठनरू उत्तराखंड पुलिस के अंतर्गत 2013 में
- मुख्यालयरू जॉलीग्रांट, देहरादून
- कार्य:
  –आपदा प्रभावित क्षेत्रों में त्वरित बचाव कार्य करना।
  –मलबा हटाना, फंसे लोगों को निकालना, शव पुनः प्राप्ति एवं राहत सामग्री वितरण में सहायता।
  –जनपद रूद्रप्रयाग में भी SDRF की दो फील्ड यूनिट / पोस्टिंग टीम तैनात रहती है जो अल्प सूचना पर कार्यरत होती है।

3.3– जनपद एवं तहसील स्तर पर आपदा प्रबंधन संगठनात्मक संरचना–

जनपद में संभावित आपदाओं के शमन, जोखिम न्यूनीकरण, पूर्व तैयारी तथा तत्पर राहत एवं बचाव कार्यों के संचालन एवं प्रबंधन हेतु आपदा प्रबंधन अधिनियम– 2005 की धारा 25 के अंतर्गत राज्य द्वारा जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जनपद आपदा प्रबंधन प्राधिकरण गठित किया गया है। आपदा प्रबंधन अधिनियम– 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के कार्यों की समीक्षा एवं आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण गठित है। जनपद में आपदा प्रबंधन के विभिन्न हितधारकों के सहयोग एवं समन्वय हेतु आपदा प्रबंधन कार्यों को संपादित करने हेतु जनपद, तहसील व ग्राम स्तर पर आपदा प्रबंधन समितियों एवं स्थानीय आपदा प्रबंधन दलों का गठन किया गया है।

आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 25(4) के अंतर्गत अध्यक्ष जनपद आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के नेतृत्व में प्राधिकरण के कार्यों के सुचारु संचालन में आपदा प्रबंधन के विभिन्न हितधारकों के मध्य समन्वयन हेतु आपदा प्रबंधन से संबन्धित कार्यों के संचालन हेतु अपर जिलाधिकारी को जनपद आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। जनपद में आपदा प्रबंधन कार्यों के सम्पादन हेतु राज्य द्वारा जनपद आपदा प्रबंधन अधिकारी नियुक्त किया गया हैं तथा आपातकालीन कार्यों के संचालन हेतु कलैक्ट्रट परिसर में ही जिला आपातकालीन केंद्र स्थापित किया गया है ।

जनपद में आपदा प्रबन्धन की संस्थागत व्यवस्था

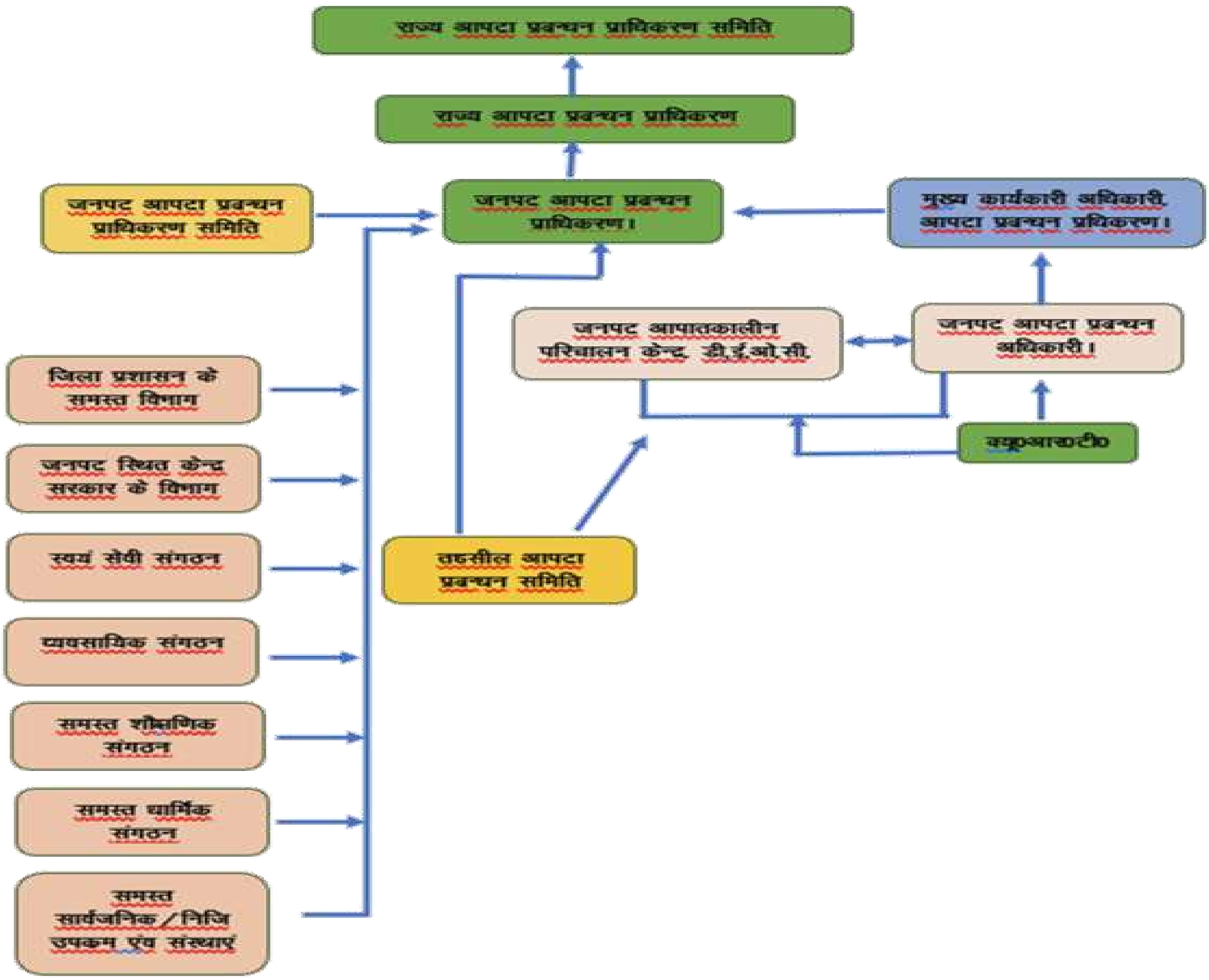

जनपद आपदा प्रबंधन की संरचना एंव दायित्व–

आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 के अध्याय 04 के प्राविधानों के अनुसार जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण का गठन किया गया है। जनपद में आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण निम्न प्रकार अधिसूचित है–

तालिका 3.1

क्र.सं	पदनाम		फोन नं.	
			कार्यालय	मोबाइल
1	जिला मजिस्ट्रेट	अध्यक्ष	01364–233300	9461474762
2	जिला पंचायत अध्यक्ष	सह अध्यक्ष	01364–233493	9258577911
3	पुलिस अधीक्षक	सदस्य	01364–233387	9411112699
4	मुख्य विकास अधिकारी	सदस्य	01364–233189	7456003161
5	अपर जिला मजिस्ट्रेट	सदस्य एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी	01364–233185	7300505330
6	मुख्य चिकित्सा अधिकारी	सदस्य	01364–233841	7456003161
7	अधीशासी अभियंता, प्रा.ख., लो.नि.वि.	सदस्य	01364–233204	7500217670

जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के कार्य–

आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के दायित्व :–

1. जनपद आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की निश्चित समय अवधि में बैठक कर जनपद के आपदा प्रबंधन कार्यों को सम्पन्न करना।
2. जनपद आपदा प्रबंधन कार्य योजना तैयार कर इसे नियमित अध्यतन रखना।
3. जनपद मे आपदा संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान और आपदा निवारण एवं शमन हेतु जिला स्तर पर कार्यवाही सुनिश्चित कराना।
4. राष्ट्रीय एवं राज्य प्राधिकरण द्वारा अधिकथित मोचन के उपायों का जनपद स्तर पर सभी विभागों तथा स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा अनुसरण किया जाना सुनिश्चित करना।
5. जनपद स्तर और स्थानीय प्राधिकारियों को आपदाओं के निवारण और उसके प्रभावों के शमन के लिए उचित एवं आवश्यक निर्देश देना।
6. जनपद एवं स्थानीय स्तर पर आपदा निवारण प्रबंधन योजनाओं के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त जारी करना।
7. जनपद स्तर पर विभागों द्वारा तैयार की गई आपदा प्रबंधन योजनाओं के क्रियान्वयन को मॉनिटर करना।
8. जनपद स्तर की योजनाओं और परियोजनाओं में आपदा निवारण एवं शमन के लिए उपायों के एकीकरण के प्रयोजन के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त एवं आवश्यक तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना।
9. किसी आपदा या आपदा की आशंका की स्थिति मे मोचन के लिए क्षमताओं का पुनर्वलोकन करना एवं और उनके उन्नयन के लिए जिला स्तर पर संबन्धित विभागों या प्राधिकारियों को निर्देश देना।
10. आपदा संबन्धित पूर्व तैयारियों का पुनर्वलोकन करना एवं जहां आपदा या आपदा की आशंका हो वहाँ प्रभावी रूप से मोचन की तैयारियों को अपेक्षित स्तर तक लाने के निर्देश देना।
11. जनपद के विभिन्न स्तर के अधिकारियों, कर्मचारियों एवं स्वैछिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन एवं समन्वयन करना।
12. आपदा निवारण एवं शमन के लिए स्थानीय प्राधिकारियों और गैर सरकारी संगठनों की सहायता से सामुदायिक प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करना।
13. जनता को पूर्व–चेतावनी और उचित सूचना के प्रसार के लिए तंत्र की स्थापना करना एवं उसका पुनर्विलोकन करना।
14. यह सुनिश्चित करना की जनपद स्तर पर सभी विभाग और स्थानीय प्राधिकारी मोचन योजना के अनुसरण मे अपने विभागों की मोचन योजना तैयार करें।
15. जनपद की सीमा के अंदर सभी संबन्धित विभागों को किसी संभावित आपदा की आशंका पर मोचन के उपाय करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त अधिकथित करना।
16. जनपद स्तर पर सरकारी विभागों, कानूनी निकायों और आपदा प्रबंधन मे लगे हुए सरकारी, गैर सरकारी संगठनों को सलाह देना और उनके कार्यों का समन्वयन करना।
17. जनपद के किसी क्षेत्र में संनिर्माण की जांच करना तथा अधिकथित मानकों के पालन हेतु संबन्धित प्राधिकारी को सलाह एवं निर्देश देना।
18. ऐसे भवनों एवं स्थानों की पहचान करना जिनका किसी आपदा की आशंका या घटना की स्थिति मे राहत केन्द्रों या शिविरों के रूप में प्रयोग किया जा सके। एसे भवनों और स्थानों में स्वच्छता एंव आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करना।
19. राहत संचय और बचाव सामग्री की अल्प सूचना पर उपलब्ध करने की व्यवस्था करना।
20. आपदा प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर राज्य प्राधिकरण को सूचना देना।
21. जनपद में प्रारम्भिक स्तर पर कार्यरत स्वैछिक, सामाजिक, स्वयंसेवी संस्थाओं गैर सरकारी संगठनों को आपदा प्रबंधन में सम्मिलित होने हेतु प्रोत्साहित करना।
22. संचार प्रणालियों की दुरुस्तता का ध्यान रखना, राज्य सरकार या राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा आपदा प्रबंधन के लिए दिये गए आवश्यक अनुदेशों का पालन करना।
23. जिले के सभी शासकीय एवं गैर शासकीय विद्यालयों एवं उनमे पदस्त प्रभारी अधिकारीयों के नाम एवं संपर्क नंबरों की अद्यतन सूची एवं उनके संसाधनो की सूची जनपद आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के पास अनिवार्य रूप से रखना।
24. जनपद आपदा प्रबंधन प्राधिकरण समिति एवं विभिन्न विभागों के नोडल अधिकारी एवं उनके पास उपलब्ध संसाधनों की सूची अध्यतन करना ।

3.3.3.1 संकट प्रबन्धन समूह–

1. उद्देश्य–संकट प्रबंधन समूह का उद्देश्य है–

- आपदा की स्थिति में समन्वित एवं त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करना।
- राहत, बचाव और पुनर्वास कार्यों की निगरानी करना।
- विभिन्न विभागों, एजेंसियों एवं स्वयंसेवी संगठनों के बीच प्रभावी समन्वय स्थापित करना।
- निर्णय लेने, संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने एवं सूचना के आदान–प्रदान के लिए एक केंद्रीय तंत्र उपलब्ध कराना।

2. संकट प्रबंधन समूह की संरचना–

पदनाम	विभाग / संस्था	दायित्व
जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग	जिला प्रशासन	समूह के अध्यक्ष, समस्त आपदा प्रबंधन गतिविधियों की निगरानी एवं दिशा–निर्देशन।
मुख्य विकास अधिकारी, रूद्रप्रयाग	विकास विभाग	समन्वयक अधिकारी, राहत व पुनर्वास कार्यों का प्रबंधन।
अपर जिलाधिकारी (वित्त / राजस्व)	जिला प्रशासन	राहत वितरण एवं वित्ती प्रबंधन की जिम्मेदारी।
मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रूद्रप्रयाग।	स्वास्थ्य विभाग	आपदा के दौरान चिकित्सा एवं एम्बुलेंस व्यवस्था, प्राथमिक उपचार दलों की तैनाती।
अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग	निर्माण एवं सड़क विभाग	क्षतिग्रस्त सड़कों, पुलों व भवनों की मरम्मत एवं यातायात बहाली।
अधिशासी अभियंता, जल संस्थान / जल निगम	पेयजल विभाग	स्वच्छ पेयजल आपूर्ति एवं टैंकर व्यवस्था।
जिला पूर्ती अधिकारी	खाद्य एवं आपूर्ति विभाग	राहत सामग्री, राशन एवं स्च्ळ की आपूर्ति सुनिश्चित करना।
जिला पंचायत राज अधिकारी	पंचायती राज विभाग	ग्राम स्तर पर राहत कार्यों में सहयोग।
जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा / माध्यमिक)	शिक्षा विभाग	विद्यालय भवनों को अस्थायी आश्रय स्थल के रूप में तैयार रखना।
अधिशासी अभियन्ता, विद्युत विभाग	विद्युत विभाग	बिजली आपूर्ति बहाल करना और सुरक्षित लाइन व्यवस्था।
जिला पुलिस अधीक्षक	पुलिस विभाग	सुरक्षा, यातायात नियंत्रण और भीड़ प्रबंधन।
अग्निशमन अधिकारी	अग्निशमन विभाग	आग लगने की घटनाओं में त्वरित प्रतिक्रिया।
जिला सूचना अधिकारी	सूचना विभाग	मीडिया समन्वय, प्रेस विज्ञप्ति और चेतावनी प्रसारण।
जिला आपदा प्रबन्धन अधिकारी (DDMO)	जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण	संचालन केंद्र का संचालन एवं रिर्पोटिंग।
जिला आपात संचालन केंद्र प्रभारी (EOC In - charge)	जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र	सूचनाओं का संकलन, संसाधनों की सूची तैयार करना।
जिला कृषि अधिकारी	कृषि विभाग	कृषि हानि का आकलन और मुआवजा प्रक्रिया।
जिला पशुपालन अधिकारी	पशुपालन विभाग	पशुधन हानि का मूल्यांकन व टीकाकरण।

पदनाम	विभाग / संस्था	दायित्व
वन विभाग अधिकारी (DFO)	वन विभाग	पहाड़ी ढलानों, वृक्ष गिरने, वनों में आग आदि से संबंधित कार्रवाई।
एस0डी0आर0एफ0 / एन0डी0आर0एफ0 प्रतिनिधि	राहत दल	बचाव एव खाजे कार्यों में प्रत्यक्ष सहायता।
एन0जी0ओ0 / रेडक्रॉस / सिविल डिफेंस प्रतिनिधि	सामाजिक संगठन	राहत वितरण, सामुदायिक सहायता।

3 समूह की कार्यप्रणाली

1. पूर्व आपदा स्थिति में:

- संवेदनशील स्थानों की पहचान, संसाधन सूची अद्यतन करना।
- आपदा नियंत्रण कक्ष की कार्यशीलता की समीक्षा।
- प्रशिक्षण एवं मॉक ड्रिल का आयोजन।

2. आपदा के दौरान:

- चेतावनी प्राप्त हाते ही त्वरित बैठक एवं कार्य आवंटन।
- राहत एवं बचाव दलों की तैनाती।
- संसाधनों का आवटं न और आवश्यक निर्णय लेना।

3. आपदा के बाद:

- क्षति का त्वरित आकलन।
- राहत एवं पुनर्वास कार्यों की निगरानी।
- रिपोर्ट तैयार कर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को भेजना।

आपदा त्वारित कार्यवाही दल (क्यू आर.टी.)–

जनपद में आपदा प्रबन्धन के क्षत्रे मे तत्काल खोज एवं बचाव हेतु 04 सदस्यीय त्वारित कार्यवाही दल (क्यू. आर.टी.) का गठन किया गया है जिसका मुख्य उदेश्य किसी घटना के घटित होने पर ससमय मौके पर मय उपकरणों एव वाहन के साथ पहुँच कर राहत एवं खोज बचाव कार्य हेतु समन्वय तथा वस्तुस्थिति से जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को अवगत कराना।

तहसील स्तरीय आपदा प्रबन्धन समिति–

जनपद की आपदाओं की प्रति संवेदनशीलता तथा विभीषिका के दृष्टिगत् विभिन्न आपदाओं से पूर्व किये जाने वाले न्यूनीकरण उपायों, रोकथाम, पर्वू तैयारी, आपदा के समय खोज व बचाव कार्यो, सूचना हस्तान्तरण व विभागीय समन्वयन किये जाने तथा आपदा के पश्चात तात्कालिक व दीर्घकालिक राहत कार्यो हेतु आपदा प्रबन्धन अधिनियम–2005 की सुंसगत प्राविधानों के अन्तर्गत सम्बन्धित उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जनपद रूद्रप्रयाग की समस्त तहसीलों में तहसील आपदा प्रबन्धन समिति का निम्नवत् गठन किया जाता हैः–

1	उप जिलाधिकारी,	अध्यक्ष
2	सम्बन्धित पुलिस क्षेत्राधिकारी / थानाध्यक्ष	सदस्य
3	तहसीलदार	सदस्य
4	तहसील अन्तर्गत चिकित्साधिकारी	सदस्य
5	तहसील अन्तर्गत पशुचिकित्साधिकारी	सदस्य

6	तहसील अन्तर्गत अग्निशमन अधिकारी	सदस्य
7	तहसील अन्तर्गत सहा.अभि., लो. नि.वि.	सदस्य
8	तहसील अन्तर्गत सहा.अभि., पी.एम.जी.एस.वाई.	सदस्य
9	तहसील अन्तर्गत सहा. अभि. सिंचाई	सदस्य
10	तहसील अन्तर्गत सहायक अभियंता, जल संस्थान	सदस्य
11	तहसील अन्तर्गत सहायक अभियंता, पेयजल निगम	सदस्य
12	तहसील अन्तर्गत एस.डी.ओ , विद्युत विभाग	सदस्य
13	तहसील अन्तर्गत एस.डी.ओ , बी.एस.एन.एल.	सदस्य
14	तहसील अन्तर्गत खण्ड विकास अधिकारी	सदस्य
15	तहसील अन्तर्गत पूर्ति निरीक्षक, जिला खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग	सदस्य
16	तहसील अन्तर्गत अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका / पंचायत	सदस्य
17	तहसील अन्तर्गत खण्ड शिक्षा अधिकारी	सदस्य
18	तहसील अन्तर्गत स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधि	सदस्य

तहसील स्तरीय आपदा प्रबन्धन समिति के कार्य–

उपरोक्त तहसील स्तरीय आपदा प्रबंधन समिति, संबन्धित तहसीलों में निम्नांकित दायित्वों का निर्वहन करेंगी–

1. तहसील स्तर पर आपदाओं के जोखिम एवं संवेदनशीलता का निर्धारण कर ब्लॉक स्तर पर आपदा प्रबंधन योजना तैयार करना।
2. आपदा संभावित ग्राम में स्थानीय आपदा प्रबंधन समिति का गठन सुनिश्चित करना।
3. आपदा संभावित ग्राम में आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने हेतु मार्गदर्शन एवं समन्वयन प्रदान करना।
4. आपदा संभावित ग्राम में मॉक–ड्रिल का आयोजन करना।
5. आपदा के दौरान जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के मार्गदशर्न एव ं स्थानीय आपदा प्रबंधन समितियों के समन्वयन में राहत एवं बचाव कार्यों का प्रबंधन करना।
6. यह सुनिश्चित करना कि रोकथाम, न्यूनीकरण और तैयारी की गतिविधियां जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के दिशानिर्देशों के अनुरूप हों।
7. ब्लॉक स्तर पर स्थानीय प्रशासन, स्वयं सेवी संस्थाओं, निजी संस्थाओं व स्वंयसेवकों के सहयोग से सामुदायिक प्रशिक्षण, जागरूकता कार्यक्रम और आपातकालीन व्यवस्थाओं को स्थापित करना।
8. आपदा प्रबंधन संबंधी मुद्दों पर जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण से समन्वय स्थापित करना।
9. आपातकालीन स्थितियां से जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को अवगत कराना।
10. नियोजन व विकास प्रक्रिया में समुदाय को संलग्न करना।
11. यह सुनिश्चित करना कि ब्लॉक स्तर पर नगरपालिका, नगर पंचायत एव ं अन्य स्थानीय निकाय अपनी स्वंय की न्यूनीकरण रणनीतिया ं विकसित करें ।

तहसील स्तरीय आई0आर0एस0 एंव उत्तरदाायित्व– किसी भी आपदा की स्थिति में जनपद में आई0आर0एस0 तंत्र सक्रिय किया जाता है।

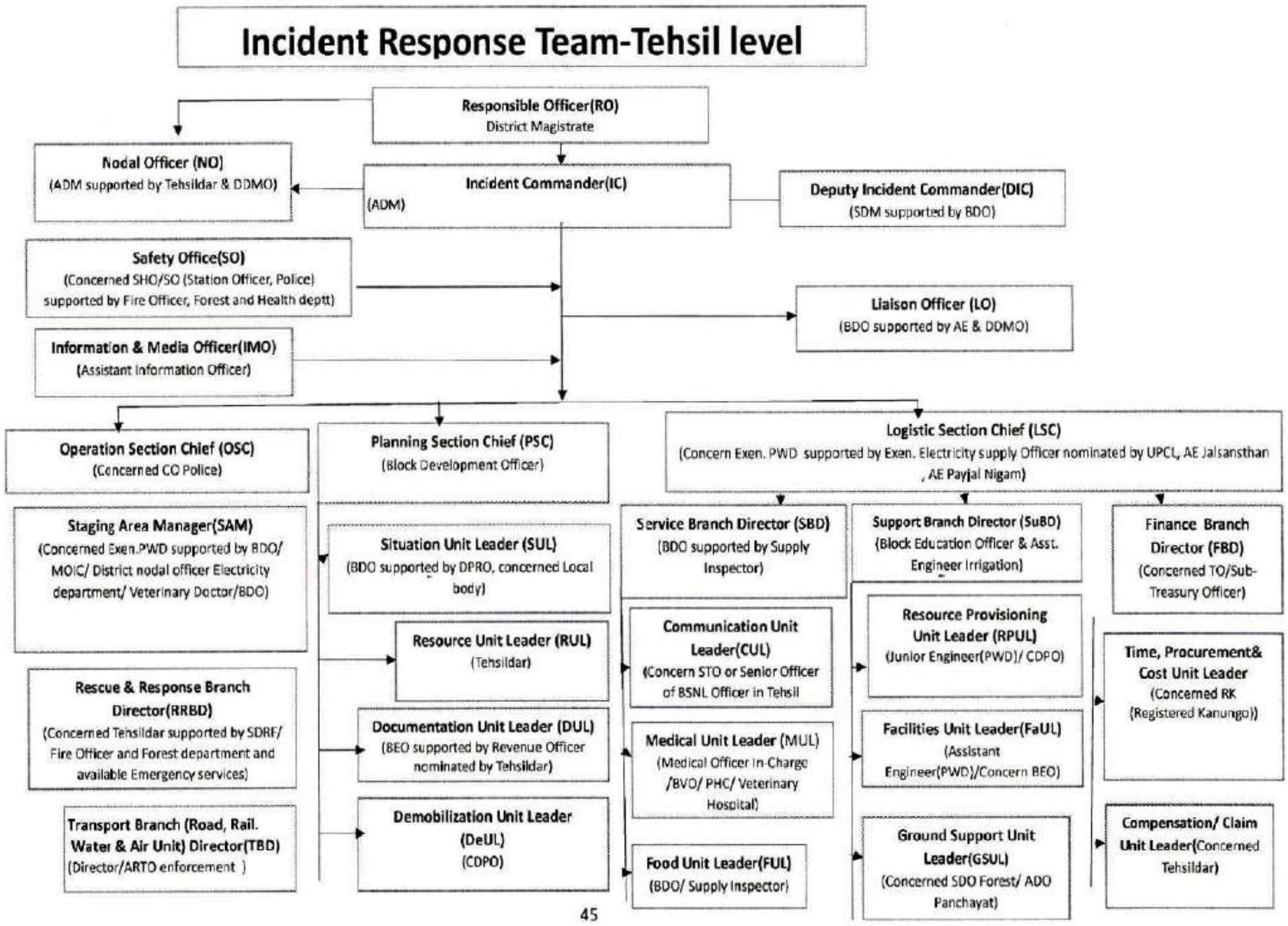

तहसील स्तरीय त्वरित कार्यवाही दल– जनपद की आपदाओं के प्रति संवेदनशीलता तथा विभीषिका के दृष्टिगत् विभिन्न आपदाओं के दौरान खाजे व बचाव कार्यो, सूचना हस्तान्तरण व विभागीय समन्वयन किये जाने तथा आपदा के पश्चात तात्कालिक व दीर्घकालिक राहत कार्यो हेतु आपदा प्रबन्धन अधिनियम–2005 की सुंसगत प्राविधानों के अन्तर्गत तहसील स्तर पर त्वरित कार्यवाही दल (Quick Response Team (QRT) का निम्न प्रकार से गठन किया जाता है:–

तहसील रूद्रप्रयाग :–

उप जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग।	अध्यक्ष
पुलिस उपाधीक्षक रूद्रप्रयाग।	सदस्य
तहसीलदार रूद्रप्रयाग।	सदस्य
अधिशासी अभियन्ता लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग।	सदस्य
अधिशासी अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0,रूद्रप्रयाग।	सदस्य
खण्ड विकास अधिकारी, अगस्त्यमुनि।	सदस्य
सहायक विकास अधिकारी, पंचायत अगस्त्यमुनि।	सदस्य
मुख्य चिकित्साधिकारी, रूद्रप्रयाग।	सदस्य
मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, रूद्रप्रयाग।	सदस्य

प्रभारी अग्निशमन रूद्रप्रयाग।	सदस्य
जिला कार्यक्रम अधिकारी, रूद्रप्रयाग।	सदस्य
मुख्य कृषि अधिकारी, रूद्रप्रयाग।	सदस्य
अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण निर्माण विभाग, रूद्रप्रयाग।	सदस्य
अधिशासी अभियन्ता विद्युत विभाग, रूद्रप्रयाग।	सदस्य
अधिशासी अभियन्ता लघुसिंचाई विभाग, रूद्रप्रयाग।	सदस्य
अधिशासी अभियन्ता जल निगम विभाग, रूद्रप्रयाग।	सदस्य
अधिशासी अभियन्ता जल संस्थान विभाग, रूद्रप्रयाग।	सदस्य
सहायक कोषाधिकारी कोषागार, रूद्रप्रयाग।	सदस्य
जिला पूर्ति अधिकारी, रूद्रप्रयाग।	सदस्य
अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, रूद्रप्रयाग/नगर पंचायत तिलवाडा/नगर पंचायत अगस्त्यमुनि।	सदस्य
भू – वैज्ञानिक भू गर्भ खनिकर्म इकाई रूद्रप्रयाग।	सदस्य
मुख्य शिक्षा अधिकारी, रूद्रप्रयाग।	सदस्य
अधिशासी अभियन्ता रा0रा0मार्ग लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग।	सदस्य

उक्त के अन्तर्गत कोतवाली रूद्रप्रयाग, थाना अगस्त्यमुनि/एस.डी.आर.एफ दल रतूडा एवं अग्निशमन केन्द्र रतूडा यथा आवश्यक 08वीं वाहिनी आई.टी.बी.पी., गौचर एवं आवश्यकतानुसार अवकाश प्राप्त सैनिक कर्मियों का सहयोग लिया जायेगा।

तहसील ऊखीमठ :–

तहसीलदार ऊखीमठ।	अध्यक्ष
अधिशासी अभियन्ता लो0नि0वि0 ऊखीमठ।	सदस्य
खण्ड विकास अधिकारी, ऊखीमठ।	सदस्य
प्रभारी प्रा0स्वा0केन्द्र, ऊखीमठ।	सदस्य
खण्ड शिक्षा अधिकारी, ऊखीमठ।	सदस्य
उप कोषाधिकारी, ऊखीमठ।	सदस्य
वन क्षेत्राधिकारी रेंज ऊखीमठ।	सदस्य
वन क्षेत्राधिकारी रेंज अगस्त्यमुनि।	सदस्य
खाद्य पूर्ति निरीक्षक, ऊखीमठ।	सदस्य
बाल विकास अधिकारी, ऊखीमठ।	सदस्य
थानाध्यक्ष, ऊखीमठ।	सदस्य
जे0टी0ओ0, बी0एस0एन0एल0, रूद्रप्रयाग।	सदस्य
अपर सहायक अभियन्ता , जल संस्थान ऊखीमठ।	सदस्य
उप खण्ड अधिकारी, विद्युत वितरण खण्ड, ऊखीमठ।	सदस्य
विकास खण्ड प्रभारी कृषि, ऊखीमठ।	सदस्य
पशु चिकित्साधिकारी, ऊखीमठ।	सदस्य
अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत ऊखीमठ।	सदस्य
अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत केदारनाथ/गुप्तकाशी।	सदस्य

उक्त के अन्तर्गत कोतवाली सोनप्रयाग, थाना ऊखीमठ/एस.डी.आर.एफ दल सोनप्रयाग का सहयोग लिया जायेगा।

तहसील बसुकेदार :–

उप जिलाधिकारी, बसुकेदार।	अध्यक्ष
तहसीलदार बसुकेदार।	सदस्य
अधिशासी अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई, रूद्रप्रयाग।	सदस्य
अधिशासी अभियन्ता लो0नि0वि0, ऊखीमठ।	सदस्य
खण्ड विकास अधिकारी, अगस्त्यमुनि।	सदस्य
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बसुकेदार।	सदस्य
खण्ड शिक्षा अधिकारी, अगस्त्यमुनि।	सदस्य
उप कोषाधिकारी, अगस्त्यमुनि।	सदस्य
वन क्षेत्राधिकारी, उत्तरी रेंज जखोली।	सदस्य
वन क्षेत्राधिकारी, दक्षिणी रेंज जखोली।	सदस्य
खाद्य पूर्ति निरीक्षक बसुकेदार।	सदस्य
बाल विकास अधिकारी, अगस्त्यमुनि।	सदस्य
उप निरीक्षक चौकी प्रभारी, बसुकेदार।	सदस्य
जे0टी0ओ0, बी0एस0एन0एल0, रूद्रप्रयाग।	सदस्य
कनिष्ठ अभियन्ता जल संस्थान बसुकेदार।	सदस्य
कनिष्ठ अभियन्ता यू0पी0सी0एल0 बसुकेदार।	सदस्य
उद्यान प्रवेक्षक बसुकेदार।	सदस्य
पशु चिकित्साधिकारी, अगस्त्यमुनि।	सदस्य

उक्त के अन्तगर्त चौकी बसुकेदार का सहयोग लिया जायेगा।

तहसील जखोली :–

उप जिलाधिकारी, जखोली।	अध्यक्ष
तहसीलदार, जखोली।	सदस्य
अधिशासी अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0 जखोली।	सदस्य
खण्ड विकास अधिकारी, जखोली।	सदस्य
प्रभारी समुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जखोली।	सदस्य
खण्ड शिक्षा अधिकारी, जखोली।	सदस्य
उप कोषाधिकारी, जखोली।	सदस्य
वन क्षेत्राधिकारी, उत्तरी रेंज जखोली।	सदस्य
वन क्षेत्राधिकारी, दक्षिणी रेंज जखोली।	सदस्य
खाद्य पूर्ति निरीक्षक पौंठी/मयाली।	सदस्य
बाल विकास अधिकारी, जखोली।	सदस्य
उप निरीक्षक चौकी प्रभारी, जखोली।	सदस्य
जे0टी0ओ0, बी0एस0एन0एल0, रूद्रप्रयाग।	सदस्य
अपर सहासक अभियन्ता जल संस्थान ,जखोली।	सदस्य
अवर अभियन्ता यू0पी0सी0एल0, जखोली।	सदस्य
विकास खण्ड प्रभारी कृषि, जखोली।	सदस्य
पशु चिकित्साधिकारी, जखोली।	सदस्य

उक्त के अन्तर्गत चौकी बसुकेदार का सहयोग लिया जायेगा।

ग्राम स्तरीय आपदा प्रबन्धन समिति–

जनपद की आपदाओं की प्रति संवेदनशीलता तथा विभीषिका के दृष्टिगत् आपदा प्रबन्धन अधिनियम–2005 की सुंसगत प्राविधानों के अन्तगर्त विभिन्न आपदाओं से पूर्व किये गये जाने वाले न्यूनीकरण उपायों रोकथाम, पूर्व तैयारी, आपदा के समय खाजे व बचाव कार्यो, सूचना हस्तान्तरण, ग्राम स्तर पर आपदा प्रबन्धन कार्ययोजनाओं का निर्माण किये जाने ग्राम स्तर पर खोज व बचाव दलों को गठित किये जाने हेतु प्रत्येक ग्राम स्तर पर ग्राम स्तरीय आपदा प्रबन्धन समिति का गठन निम्नानुसार किया जाता है–

ग्राम प्रधान, ग्राम पचांयत	अध्यक्ष
राजस्व उपनिरीक्षक	सह–अध्यक्ष
ग्राम विकास अधिकारी	सदस्य
प्रधानाचार्य, प्रा.वि. / उ.प्रा.वि. / जू.हा. / इण्टर	सदस्य
अध्यक्ष, महिला स्वयं सहायता समूह / महिला मं0 दल / यु0मं0 दल	सदस्य
सरपंच वन पंचायत	सदस्य
आंगनबाड़ी कार्यकर्ती	सदस्य
ए.एन.एम. / आशा कार्यकर्ती	सदस्य
ग्राम प्रहरी	सदस्य
ग्राम स्तरीय स्वंय सेवी संगठनों के प्रतिनिधि / भतूपूर्व सैनिक	सदस्य

ग्राम स्तरीय आपदा प्रबन्धन समितियॉ प्रत्येक माह कि निश्चित तिथि को आवश्यक रूप से बैठक करेंगी तथा गांव की आपदाओं के प्रति खतरों को चिन्हित कर, खतरों से निपटने हेतु ग्राम स्तर पर उपलब्ध संसाधनों को चिन्हित करेगी। यह समिति गां व की आपदा प्रबन्धन कार्ययोजनायें तैयार कर तहसील कार्यालय मे उपलब्ध करायेंगी। ग्राम स्तर पर युवाओं को शामिल करते हुये खोज व बचाव दलों का गठन करेगी। किसी भी आपदा से पूर्व आपदा पूर्व तैयारी के अर्न्तगत गांव को आपदाओं से बचाने हेतु आवश्यक उपाय करेगी तथा आपदा के समय खोज व बचाव तथा आपदा पश्चात राहत व पुर्नवास कार्यो में प्रशासन को आवश्यक सहायता प्रदान करेगी। यह समिति आपदा के पश्चात ग्राम स्तर पर हुयी क्षति का आंकलन करेगी तथा राजस्व उपनिरीक्षक के माध्यम से क्षति की सूचना तहसील स्तर पर उपलब्ध करायेगी। यह समिति किसी भी आपदा की सूचना सम्बन्धित तहसील अथवा जिला आपातकालीन परिचलान केन्द्र का` देगी तथा राहत व बचाव दलों को आवश्यक सहायता प्रदान करेगी। उक्त दल के साथ संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी भी आपदा के दौरान प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल प्रभाव से निम्न कार्यों का सम्पादन सुनिश्चित करेंगे :–

1. ग्राम स्तरीय क्षति आंकलन।
2. तहसील मुख्यालय एवं जिला मुख्यालय को सूचनाओं का प्रेषण।
3. अवस्थापना संबंधी यथा–बिजली, पानी, सड़क, पुल, राजकीय सम्पत्ति की क्षति की प्राथमिक सूचना।

3.3.1 जनपद में घटना प्रतिक्रिया प्रणाली (आईआरएस)– किसी भी आपदा की स्थिति में जनपद में आई0आर0एस0 तंत्र सक्रिय किया जाता है। समस्त अधिकारियों को निर्देशित किया गया है किसी भी आपदा की स्थिति में तत्काल जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र में उपस्थित होगे तथा आई0आर0एस0 कार्ययोजना के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

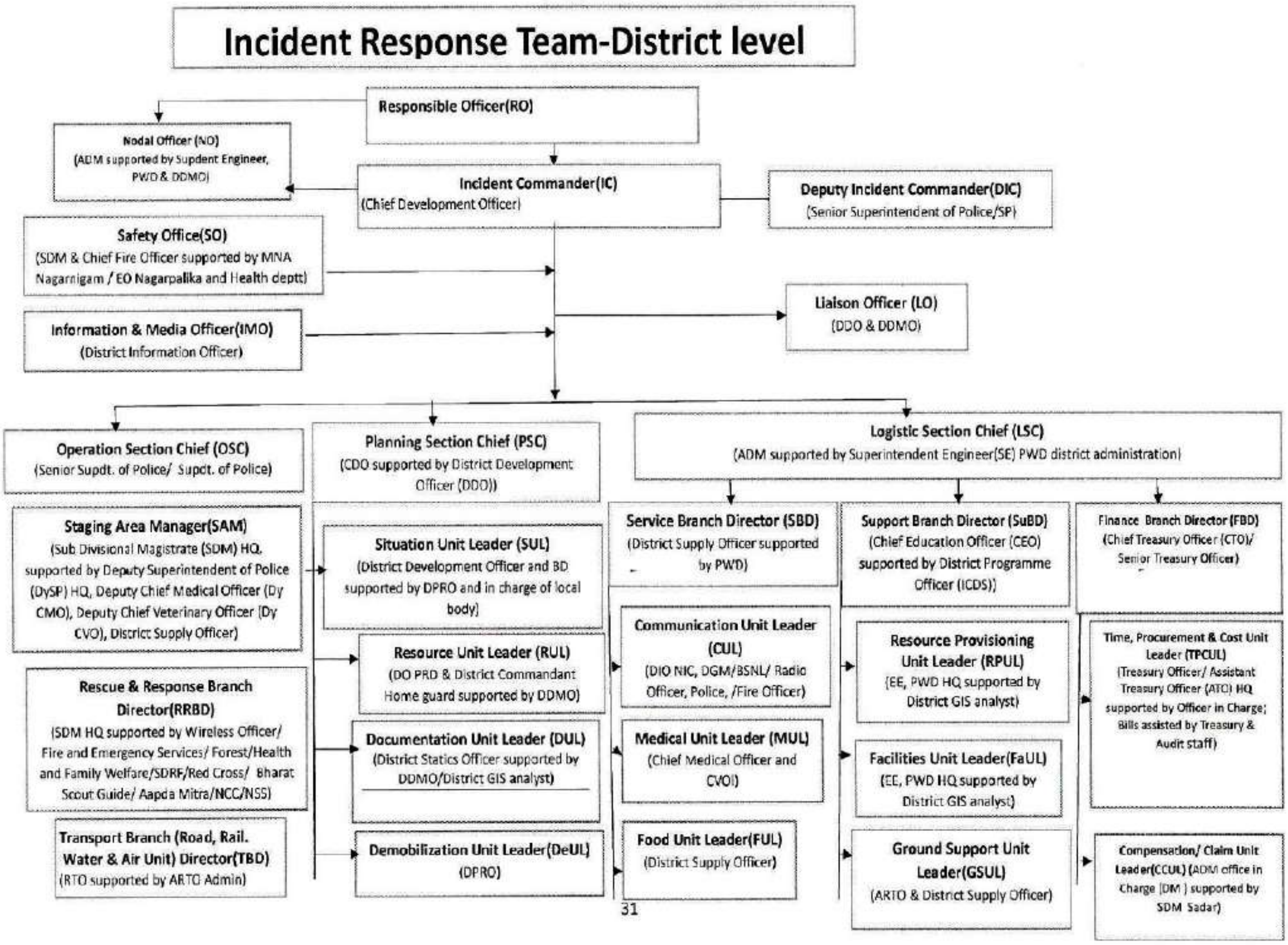

जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के अन्तर्गत INCIDENT RESPONSE SYSTEM (IRS) में नामित अधिकारियों का विवरण–

तालिका 3.2

DISRRICT LEVEL INCIDENT RESPONSE SYSTEM (IRS) RUDRAPRAYAG

Sn.	Position of IRS	Nomination Of Officers in IRS	Supported Officers
1.0	Responsible Officer (RO)	**Vishal Mishra**, District Magistrate/Chairman, DDMA Rudraprayag 6398469936	R S Rawat Chief Development Officer, Rudraprayag 9411149140
1.1	Deputy Responsible Officer (DRO)	**Niharika Tomar** Superintendent Of Police Rudraprayag 9411112699	Vikash Pundir CO Police (HQ) Rudraprayag 8979689063
2.0	**COMMAND STAFF (CS)**		
2.1	Incident Commander (IC)	Shyam Singh Rana Additional District Magistrate 7300505330	Vikash Pundir CO Police (HQ) Rudraprayag 8979689063
2.2	Information & Media Officer (IMO)	Bireshwar Tomar	Bireswar Tomar

		District Information Officer (DIO) 9258791119	District Information Officer (DIO) 7055007021
2.3	Liaison Officer (LO)	Rahul Chaube DTDO 8882976860	Nandan Singh Rajwar DDMO 8078687829
2.4	Safety Officer (SO)	Vikash Pundir CO Police (HQ) Rudraprayag 8979689063	Inderjeet Bose, **EE PWD, 7500217670** Dr. Ram Prakash **Chief Medical Officer**, 7456003161, Gannath Singh Chief Fire Officer 9411144046 Dr. Ashish Rawat Chief Veteninary Officer 9149090343 (As per Situation)
3.0	**OPERATION SECTION**		
3.1	Operation Section Chief	Shyam Singh Rana Additional District Magistrate 7300505330	Vikash Pundir CO Police (HQ) Rudraprayag 8979689063 Surender Dutt Dangwal Commandant Homeguards, 7906049499 Varad Joshi, District PRD Officer, 7983635534
3.2	Staging Area Manager (SAM)	Vikash Pundir CO Police (HQ) Rudraprayag 8979689063	Inderjeet Bose, **EE PWD, 7500217670** RI Police Line, 8126515203 Pream Ballabh Sati Supply Insp. 9412032074 Dr. Ram Prakash **Chief Medical Officer**, 7456003161, 7217522802
3.3	Response Branch Director (RBD)	Vikash Pundir CO Police (HQ) Rudraprayag 8979689063	Vikas Pundir RI Police Line, 8126515203 Field Unit of ARMY 7642828982
3.4	Transportation Branch Director (TBD)	Kulwant singh Chauhan, Assistant Regional Transport Officer (ARTO) 9697605295	Devender Singh Pundir, Sub divisional Officer (SDO) Forest, 9027338510
3.5	Road Operation	Rajesh Chandra Superintendent Engineer PWD, 9758631150	CO Traffic
3.6	Air Operation (Group Incharge)	Shyam Singh Rana Additional District Magistrate 7300505330	Rahul Chaube DTDO 8882976860
4.0	**PLANNING SECTION (PS)**		

4.1	Planning Section Chief (PSC)	R S Rawat Chief Development Officer, Rudraprayag 9411149140	Ajay Kumar chaudhari, Chief Education Officer (CEO), 9412963410
4.2	Resource Unit Leader (RUL)	Vimal Kumar, Project Director (DRDA) 9484107980	Anita Panwar, DDO, 8171224236 Virender Singh Negi, DHO, 9456779578
4.3	Situation Unit Ledar (SUL)	Pranav Pandey Tehsildar Rudraprayag 7895144997	Prem Singh Rawat, District Panchayati Raj Officer (DPRO), 9411183004
4.4	Documentation Unit Ledar (DUL)	Sandeep Bhatt, District Statistical Officer (DSTO), 9756600216	Sushil Chandra Chamoli, District Empoloyment Officer (DEO), 9456165830
4.5	Demobilization Unit Ledar (DUL)	Akhilesh Mishra District Program Officer (DPO), 9411320889	Ajay Kumar Chaudhari, Chief Education Officer (CEO), 9412963410 Balam Singh, District Sainik Welfare Officer, 9354937456
5.0	**LOGISTICS & FINANCE SECTION**		
5.1	Logistics & Finance section Chief	R S Rawat Chief Development Officer, Rudraprayag 8650888886	Inderjeet Bose, EE PWD, 7500217670 Nisha Bangwal, Treasuury Officer, 8267873359
5.2	Service Branch Director	Lokendra Chief Agriculture Officer, 9675477120	Naval Kumar, EE, Jalnigam, 9410568370 Anish Pillai, EE, Jalsasthan, 7500005717
5.2.1	Communication Unit Leader	Kapil Naithani, RI, Wireless/Sanchar, 7060154670	Manoj Kumar, EE, UPCL, 8394001111 Ajay Praser, SDO BSNL, 8988148005 Shailesh Negi, Engineer SWAN 9456314293
5.2.2	Medical Unit Leader	Dr. Ram Prakash Chief Medical Officer, 9897809806	Dr. Ashish Rawat Chief Veteninary Officer 9149090343 Deepa Tilara, District Homeopathic Medicine Officer, 812679609 Dr. Raghuveer Singh Pal, District Ayurvedic Officer, 9105802850
5.2.3	Food Unit Leader	Kushal Singh Kohali, District Supply Officer (DSO), 7668858612	Manoj Semwal, (DO) FOOD SAFETY, 9412149085
5.2.4	Restoration Unit Leader	R.P Naithani, EE, PWD, Ukhimath 9358721198	Khuswant Singh Chauhan, EE Irrigation, 9634581661Manoj Kumar, EE, UPCL, 8394001111

			Ajay Praser, SDO BSNL, 8988148005
5.3	Support Branch Director	Manoj Kumar Singh SE, Irrigation 9412364589	Kulwant Singh, Assistant Regional Transport Officer (ARTO) 9897605295 Pawan Kumar, EE PMGSY, 9410107850
5.3.1	Resource Provisioning Unit Leader	Anita Panwar, DDO, 8171224236	Harendra Chouhan, EO, Nagar Palika Rudraprayag, 94105 35700
5.3.2	Facilities Unit Leader	Vimal Kumar, Project Director (DRDA) 9484107980	Prem Singh Rawat, District Panchayati Raj Officer (DPRO), 9411183004, Akhilesh Mishra District Program Officer (DPO), 9411320889, Pranav Pandey Tehsildar Rudraprayag 7895144997 Sanjeev Kumar Saini, AE PWD, 8077609641 Ajendra AE UPCL, 8392907247 Rajenra Prasad, AE Jal Nigam, 9760284341 Suresh Shah, Block Development Officer, 9627717038
5.3.3	Ground Support Unit Leader	Kulwant singh Chauhan, Assistant Regional Transport Officer (ARTO) 9697605295	Kushal Singh Kohali, District Supply Officer (DSO), 7668858612 Harshvardhan Bhatt, District Minority Welfare Officer, 9557949276
5.4	Finance Branch Director	Nisha Bangwal, Treasuury Officer, 8267873359	Subhash Chandra Puri, Sub Treasury Officer 9105601889
5.4.1	Time Unit Leader	Akhilesh Mishra District Probation Officer (DPO) Rudraprayag 9411320889	Rakesh Roshan Pant, 9760615789 Assistant Treasury Officer (ATO) Rudraprayag
5.4.2	Procurement Unit Leader	Sanker Singh , AO, Nazarat, 9759898274	Indrajeet Negi, Treasury Accountant 8954220183
5.4.3	Copmensation/Claims Unit Leader	D.S. Rautela Chief Administration Officer (CAO), Collectrate,	Saurabh Ashwal, Chief Revenue Accountant (CRA) 9557591137
5.4.4	Cost Unit Leader	Nisha Bangwal, Treasuury Officer, 8267873359	Manver Singh Chauhan, Sub Treasury Officer, 7900456574

3.3.2– जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र की स्थापना और जिले में उपलब्ध सुविधाएं–

- जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र (कन्ट्रोल रूम) कलक्ट्रेट परिसर में स्थापित है जिसमें प्राकृतिक आपदा की स्थिति में नियंत्रण कक्ष के रूप में समस्त सम्बन्धित विभागों से समन्वय कर कार्यवाही की जाती है। इसके अतिरिक्त वनाग्नि नियंत्रण, यात्रा प्रबन्धन/नियंत्रण तथा अन्य प्रकार की दुर्घटनाओं की सूचनाओं का आदान–प्रदान, कन्ट्रोल रूम पंजी में सूचना दर्ज की जाती है। कन्ट्रोल रूम को 24X7 की तर्ज पर कार्यशील रखते हुये कुल कार्मिकों (प्रभारी/कम्प्यूटर ऑपरेटर/मल्टीपर्पज वर्कर) की शिफ्टवार तैनाती की गयी है। मानसून काल में अन्य विभागों के अतिरिक्त कार्मिकों की तैनाती भी की जाती है।
- जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र में 01 सेटेलाइट फोन, 01–पुलिस वायरलैस सेट, 01 वनविभाग तथा अन्य आवश्यक संसाधन उपलब्ध हैं। आपातकालीन परिचालन केन्द्र के दूरभाष नम्बर निम्नवत हैं–

Phone:	01364-233727, 1077 (Toll free),
Mobile.:	+ 918958757335
	+ 918218326386
Mail Id:	ddmarudraprayag@gmail.com

A. जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र द्वारा भारतीय मौसम विभाग की वैबसाईड से मौसम सम्बन्धी जानकारी प्राप्त कर सभी सम्बन्धितों/मीडिया तथा जनसामान्य हेतु प्रचारित किया जाता है।

B. परिचालन केन्द्र में जनपद के अधिकारियों, कर्मचारियों, आंगनबाडी, आशा, ग्राम प्रधान, जन प्रतिनिधियों, अध्यापकों एवं भूतपूर्व सैनिकों की सूची संकलित की गयी हैं, जिससे आपदा की स्थिति में क्षेत्रीय स्तर से सूचनायें एकत्रित कर आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

C. विभिन्न मार्गों के संवेदनशील स्थानों को चिन्हित किया गया है। मानसून अवधि में अवरूद्ध सड़क मार्गों को खोलने के लिये लो.नि.वि., सीमा सड़क संगठन, पी.एम.जी.एस.वाई. तथा राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो.नि.वि. के पास विभागीय जे.सी.बी., डोजर तथा संसाधनों की सूची उपलब्ध है। मार्ग बाधित होने पर कन्ट्रोल रूम द्वारा तत्काल सम्बन्धितों को सूचित किया जाता है तथा नियमित निगरानी की जाती है।

D. जनपद में एस.डी.आर.एफ., आर्मी, पुलिस तथा स्वयंसेवी संस्थाओं से समन्वय कर प्रशिक्षित टीमें एवं जनपदीय अधिकारियों, एन.सी.सी., एन.एस.एस., स्काउट गाईड तथा पी.आर.आई.एस. तथा स्वयंसेवी संस्थाओं के स्वयंसेवकों की दूरभाष नंबर सहित सूची कन्ट्रोल रूम में उपलब्ध है।

E. आपात स्थिति में प्रयोग में आने वाले अस्थायी हैलीपैड चिन्हित किये गये है। उनके कॉर्डीनेटस् कन्ट्रोल रूम में उपलब्ध है।

F. आपातकालीन परिचालन केन्द्र द्वारा दैनिक रूप से वर्षा, नदियों का डिस्चार्ज, मौसम की स्थिति, जनपद के समस्त मार्गो की स्थिति, विद्युत, पेयजल व्यवस्था व प्राकृतिक आपदा से हुयी क्षति की सूचना संकलित कर दैनिक रूप से आख्या राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र तथा उच्चाधिकारियों को प्रेषित की जाती है। इसके साथ ही सम्बन्धित विभागों को यथा आवश्यक कार्यवाही हेतु अवगत कराते हुये नियमित मॉनिटरिंग की जाती है।

स्थापना का उद्देश्य

जनपद आपातकालीन परिचालन केंद्र की स्थापना का मुख्य उद्देश्य है–

- आपदा की स्थिति में सूचना प्राप्त करना, उसका विश्लेषण करना तथा त्वरित निर्णय लेकर राहत एवं बचाव कार्यों का समन्वय करना।
- यह केंद्र जनपद स्तर पर आपदा प्रबंधन की कमान और नियंत्रण इकाई (Command – Control Centre) के रूप में कार्य करता है।

केंद्र की संरचना एवं नियंत्रण व्यवस्था

तालिका 3.3

पदनाम	भूमिका / जिम्मेदारी
जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग	आपातकालीन परिचालन केंद्र के कुल प्रभारी एवं नियंत्रक अधिकारी।
अपर जिलाधिकारी (वित्त/राजस्व)	केंद्र के संचालन की प्रत्यक्ष निगरानी, संसाधन प्रबंधन एवं निर्णय कार्यान्वयन।
जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी (DDMO)	EOC के दैनिक संचालन, रिपोर्टिंग और सूचनाओं के संकलन के लिए उत्तरदायी।
EOC ऑपरेटर / कंप्यूटर ऑपरेटर	डेटा एंट्री, संचार एवं संदेश प्रसारण कार्य।
नोडल अधिकारी (विभिन्न विभागों से)	अपने विभाग से संबंधित सूचना और संसाधन उपलब्ध कराना।

मुख्य सुविधाएं (Facilities Available at EOC, Rudraprayag)

1. संचार सुविधाएं (Communication Facilities):

- वायरलेस सेट, सैटेलाइट फोन (SAT Phone), VHF नेटवर्क।
- लैंडलाइन टेलीफोन, मोबाइल कनेक्शन (BSNL, Jio, Airtel)।
- इंटरनेट और ईमेल सुविधा।
- व्हाट्सएप ग्रुप व SMS अलर्ट सिस्टम।
- राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (USDMA) और आपातकालीन नंबर 1077 / 1070 से सीधा संपर्क।

2. भौतिक अवसंरचना (Infrastructure):

- कंट्रोल रूम हॉल व मॉनिटरिंग डेस्क।
- LED डिस्प्ले बोर्ड एवं GIS आधारित नक्शा प्रदर्शन।
- CCTV एवं स्क्रीन प्रोजेक्शन सुविधा।
- फाइलिंग, रिकॉर्ड रूम और रेस्टिंग एरिया।
- बैकअप बिजली आपूर्ति हेतु जनरेटर एवं इन्वर्टर।
- पेयजल व प्राथमिक चिकित्सा सुविधा।

3. सूचना एवं मॉनिटरिंग प्रणाली (Information – Monitoring System):

- आपदा की सूचना प्राप्त करने, रिकॉर्ड करने एवं फील्ड स्तर पर भेजने हेतु रियल–टाइम डेटा सिस्टम।
- मौसम पूर्वानुमान एवं अलर्ट सिस्टम (IMD/SDMA से लिंक)।
- रेस्क्यू संसाधनों की उपलब्धता सूची (Manpower, JCB, Vehicle, Medical Unit आदि)।
- प्रभावित क्षेत्रों का GPS आधारित मैपिंग सिस्टम।

4. तकनीकी संसाधन (Technical Resources):

- कंप्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर, फोटोकॉपी मशीन।
- सॉफ्टवेयर आधारित आपदा रिपोर्टिंग प्रणाली (IDRN – IRS)।
- वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा।

5. मानव संसाधन (Human Resources):

- DDMO, प्रभारी, लेखाकार, डाटा एंट्री ऑपरेटर, राजस्व उपनिरीक्षक, होमगार्ड प्रतिनिधि, और तकनीकी सहायक।
- आवश्यकतानुसार SDRF/पुलिस कर्मी तैनात।

कार्यप्रणाली (Functions of EOC Rudraprayag)

तालिका 3.4

चरण	कार्य विवरण
पूर्व–आपदा अवस्था (Before Disaster)	संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी – संसाधन व संपर्क सूची का अद्यतन– चेतावनी संदेशों का प्रसारण।
आपदा के दौरान (During Disaster)	त्वरित सूचना प्राप्त करना और विश्लेषण– राहत एवं बचाव टीमों को निर्देश देना– संचार नेटवर्क के माध्यम से सूचनाओं का आदान–प्रदान।
आपदा के बाद (Post Disaster)	क्षति का मूल्यांकन और रिपोर्ट तैयार करना– राहत वितरण की मॉनिटरिंग– राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को रिपोर्ट भेजना।

समन्वय और संपर्क

- केंद्र का समन्वय राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र (SEOC), देहरादून से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है।
- DEOC के सभी अधिकारी व विभागीय नोडल अधिकारी 24×7 on-call duty पर रहते हैं।
- केंद्र से तहसील एवं ब्लॉक स्तर पर आपात संचालन कक्षों (TEOC/BEOC) को आदेश एवं निर्देश भेजे जाते हैं।

3.3.3– जनपद में विभिन्न आपदायों के रोकथाम हेतु समितियों का गठन–

वनाग्नि घटनाओं के निदान जिला तथा ब्लाक स्तरीय समितियां– प्रमुख सचिव एवं आयुक्त वन एवं ग्रामीण विकास के शासनादेश सं0–1766/एफ0आर0डी0सी0/2002 दिनांक, 11.1.2002 में निर्गत निर्देशो के अनुसार वनाग्नि घटनाओं के निदान के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति व ब्लाक प्रमुख की अध्यक्षता में ब्लाक स्तरीय समिति का गठन का प्राविधान है। इन समितियों के संयोजक सदस्य क्रमशः प्रभागीय वनाधिकारी तथा सहायक वन संरक्षक होंगे।

तालिका 3.5

1	जिले के अन्य प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य
2	पुलिस अधीक्षक	सदस्य
3	मुख्य विकास अधिकारी	सदस्य
4	लोक निर्माण विभाग के नोडल अधिकारी	सदस्य
5	समस्त परगनाधिकारी	सदस्य
6	जिलाधिकारी द्वारा नामित दो सामाजिक कार्यकर्ता जो पर्यावरण संरक्षण में रूचि रखते हो	सदस्य

जिला स्तरीय समिति में अध्यक्ष और संयोजक के अलावा निम्न सदस्य हैं–
इसी प्रकार ब्लाक स्तरीय समितियों के अध्यक्ष व संयोजक के अलावा निम्न सदस्य हैं–

तालिका 3.6

1	ब्लाक प्रमुख	अध्यक्ष
2	उप प्रभागीय वनाधिकारी	संयोजक
3	खण्ड विकास अधिकारी	सदस्य
4	मुख्यालय के सम्बन्धित थानों के थानाध्यक्ष	सदस्य
5	परगनाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी जो नायब तहसीलदार से कम न हो	सदस्य
6	ब्लाक प्रमुख द्वारा नामित दो ग्राम प्रधान	सदस्य
7	ब्लाक प्रमुख द्वारा नामित दो सामाजिक कार्यकर्ता जो पर्यावरण मे रूचि रखते हो	सदस्य

जिला स्तरीय बैठकों में सभी सम्बन्धित विभागों के जिला/ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के दायित्व निश्चित किये गये हैं। विभाग के अन्तर्गत आने वाले कार्यक्षेत्र/भौगोलिक क्षेत्र में अग्निशमन का दायित्व सम्बन्धित विभाग का होगा। पुलिस विभाग/अग्निशमन की सहायता समय–समय पर आवश्यकतानुसार वनाग्निशमन हेतु ली जायेगी।

वन पंचायत/ग्राम पंचायत स्तर पर समिति का गठन– वन पचांयत के स्तर पर प्रत्येक गांव में वनाग्नि अवरोधक समितियों के गठन का निर्णय लिया गया है। जिसका स्वरूप निम्नवत् होगा–

तालिका 3.7

1	वन सरपंच/ग्राम प्रधान	अध्यक्ष
2	राजस्व उपनिरीक्षक	सदस्य
3	संबंधित क्षेत्र का वन दरोगा	संयोजक
4	संबंधित क्षेत्र का वन रक्षक	सदस्य
5	ग्राम विकास अधिकारी	सदस्य
6	उप प्रधान	सदस्य
7	महिला/युवक मंगल दल	सदस्य

उक्त समितियों के कार्य एवं दायित्व निम्नवत् हैं–

1. जनपद में उपलब्ध संचार, यातायात प्रचार सामग्री व अन्य उपकरणों को चिन्हित करके आवश्यकतानुसार उपयोग किया जाना।
2. सिविल वनों में सुरक्षा हेतु वन विभाग के अतिरिक्त राजस्व विभाग एवं ग्राम प्रधानों की भूमिका तय करके उनका सक्रिय सहयोग प्राप्त करना।
3. लोक निर्माण विभाग की सड़कों को पक्का करते समय श्रमिकों को सर्तकता बरतने हेतु संबंधित विभाग के कर्मचारियों व श्रमिकों को प्रशिक्षित कर उनका सहयोग प्राप्त करना।
4. वनों में अग्नि दुर्घटना का अनुश्रवण किया जाना– वनों की अग्नि दुर्घटना से सुरक्षा के लिए अन्य ऐसी समस्त कार्यवाही करना जिसे समिति आवश्यक समझे।
5. अग्निशमन हेतु विशेष संसाधन उपलब्ध कराने के संबंध में शासन को रिपोर्ट प्रेषित करना–समिति द्वारा सामान्यतया माह अप्रैल से जून तक की अवधि में प्रत्येक माह कम से कम एक बैठक अवश्य की जायेगी विशेष परिस्थितियों में आपातकालीन बैठक का आयोजन भी किया जायेगा।

आपदा की स्थिति में त्वरित कार्यवाही एंव प्रतिवादन हेतु विभागीय नोडल अधिकारियों का विवरण–

आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के प्राविधानों के तहत निम्न अधिकारियों को जनपद स्तर पर विभागीय नोडल अधिकारी नामित किया गया है, जो भविष्य में आपदा प्रबन्धन हेतु विभागीय दायित्वों के प्रति उत्तरदायी व विभागीय आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना का निर्माण/पुर्ननिर्माण करेंगे–

तालिका 3.8

क्र. सं.	विभाग	नामित विभागीय नोडल अधिकारी	कार्या0	मो0
1	पुलिस	पुलिस अधीक्षक	233387	9411112699
2	वन	प्रभागीय वनाधिकारी, रूद्रप्रयाग वन प्रभाग	233505	7017091720
3	विकास	मुख्य विकास अधिकारी	233189	9411149140
4	राजस्व	प्रभारी अधिकारी दैवी आपदा	233185	7300505330
5	स्वास्थ्य	मुख्य चिकित्साधिकारी	233841	7456003161
6	शिक्षा	मुख्य शिक्षा अधिकारी	233246	9412963410
7	परिवहन	सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी		9897605295
8	पशुपालन	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	233251	9149090343
9	पूर्ति	जिला पूर्ति अधिकारी	233889	7668858612
10	विद्युत	अधिशासी अभियंता, पावर कॉरपोरेशन	235202	8394001111
11	राष्ट्रीय राजर्माग	अधिशासी अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग रूद्रप्रयाग		9453511365

11	लो0नि0वि0	अधिशासी अभियन्ता,प्रा.ख.,लो0नि0वि0, रूद्रप्रयाग	233204	7500217670
12	लो0नि0वि0	अधिशासी अभियन्ता, नि.ख.,लो.नि.वि., ऊखीमठ	284239	9358721198
13	पी.एम.जी.एस. वाई	अधिशासी अभियन्ता, पी.एम.जी.एस.वाई, रूद्रप्रयाग		9410107850
14	पी.एम.जी.एस. वाई	अधिशासी अभियन्ता, पी.एम.जी.एस.वाई, जखोली		9410107850
15	सिंचाई	अधिशासी अभियंता, सिंचाई खण्ड, रूद्रप्रयाग	233322	9634581661
16	जल निगम	अधिशासी अभियंता, जल निगम	233207	9410568370
17	जल संस्थान	अधिशासी अभियंता, जल संस्थान	233226	7500005717
18	वैकल्पिक ऊर्जा	परियोजना अधिकारी, (उरेडा)		9410936330
19	बैंकिग	लीड बैंक प्रबन्धक	233933	6901257479
20	दूरसंचार	प्रभारी, एस.डी.ओ., बी0एस0एन0एल0	233200	9467812966
21	कृषि	मुख्य कृषि अधिकारी		9675477120
22	सूचना	जिला सूचना अधिकारी		9258791119
23	ग्राम पंचायत	जिला विकास अधिकारी		9456592258
24	समाज कल्याण	जिला समाज कल्याण अधिकारी		9634822202
25	उद्यान	जिला उद्यान अधिकारी		
26	पर्यटन	जिला पर्यटक विकास अधिकारी		8882976860
27	नगर पालिका	अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, रूद्रप्रयाग	233212	9410535700
28	नगर पंचायत	अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत, तिलवाड़ा		7453007798
29	नगर पंचायत	अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, अगस्त्यमुनि		7055590813
30	नगर पंचायत	अधिशासी अधिकारी नगर पचायत, गुप्तकाशी		8954241234
31	नगर पंचायत	अधिशासी अधिकारी नगर पचायत, ऊखीमठ		7983122881
32	नगर पंचायत	अधिशासी अधिकारी नगर पचायत, केदारनाथ		9877862055
33	ग्रामीण निर्माण	अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग	233041	9219513182
34	युवा कल्याण	युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी		9193337926
35	होमगार्ड	जिला कमाडेण्ट, होमगार्डस्		7906049499
36	अग्निशमन	अग्निशमन अधिकारी, रूद्रप्रयाग	233527	9411144046
37	जिला पंचायत	अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत रूद्रप्रयाग	233493	9639934216
38	महिला शक्तिकरण एवं बाल विकास	जिला कार्यक्रम अधिकारी, रूद्रप्रयाग	233606	9411320889

3.3.4 – पूर्व चेतावनी हेतु उत्तरदायी नोडल ऐजेन्सी

क्र.सं.	घटना का प्रकार	पूर्व चेतावनी हेतु उत्तरदायी ऐजेन्सी	सम्पर्क विवरण
1	भूकंप	N- (IMD) Indian Meteorological Department S- USDMA/SEOC D- DDMA/ DEOC	011-2434459 wxchannel@gmail.com भारत मौसम विज्ञान केन्द्र, देहरादून फोन नंबर- 7078675082 01364-233727/8958757335 ddmarudraprayag@gmail.com
2	भूस्खलन	N- (GSI) Geological Survey of India S- ULLMC Dehradun D- DEOC	0172-2622529/ IP 10013 or 10014. ocbis.helpdesk@gsi.gov.in ULMMC - 8228867005 ulmmc.uk@gmail.com 01364-233727/8958757335 ddmarudraprayag@gmail.com
		N- (IMD) Indian Meteorological Department	011-2434459 wxchannel@gmail.com

क्र.सं.	घटना का प्रकार	पूर्व चेतावनी हेतु उत्तरदायी ऐजेन्सी	सम्पर्क विवरण
3	भारी वर्षा / बर्फवारी	S- IMD Dehradun/USDMA D- DEOC	भारत मौसम विज्ञान केन्द्र, देहरादून फोन नंबर- 7078675082 01364-233727/8958757335 ddmarudraprayag@gmail.com
4	बाढ़ / त्वरित बाड़	N- (CWC) Central Water Commission/IMD Indian Meteorological Department S - USDMA D – Irrigation/ DEOC	011-26187232 Secy-cwc@nic.in SEOC – 8218867005 seoc.dmmc@gmail.com 01364-233727/8958757335 ddmarudraprayag@gmail.com
5	एवलाच	Snow & Avalanche Study Establishment	+011-26562122/25/33/44, director.dgre.gov.in
6	फारेस्ट फायर	S – Forest Fire Alert System 3.0 D – Forest Départment	01364-233505 8126559099 7017091720 dforudraprayag@gmail.com
7	महामारी	S- Health and Family Welfare Department of Uttarakhand D – Health Department	0135-2608763@0135-2608646 dghealth.uttarakhand@gmail.com
8	डैम / जलाशय टूटना	रिन्यू जल ऊर्जा कुण्ड	8218450617 sudhanshu-s@Larsentoubro.com

अध्याय–4

रोकथाम और शमन उपाय/आपदा जोखिम न्यूनीकरण
(Prevention and Mitigation Measures)

4.1– आपदा जोखिम न्यूनीकरण का तात्पर्य– आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30 (2) (V) तथा धारा 32 (क) (I) में अधिकथित प्रावधानों अनुसार, जनपद में विद्यमान खतरों तथा संभावित आपदाओं के जोखिम न्यूनीकरण हेतु योजनाबद्ध तरीके से आपदा प्रबंधन के प्रत्येक हितग्राहियों द्वारा कार्य किया जाएगा। योजना मे आपदा जोखिम न्यूनीकरण तथा शमन कार्यो का तात्पर्य, अध्याय 2 में चिन्हित खतरों को गैर संरचनात्मक तथा संरचनात्मक उपायों द्वारा समाप्त करना अथवा उनके प्रभाव को न्यून करना है।

सैन्डाई फ्रेमवर्क के अंतर्गत वैश्विक स्तर पर आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु वर्ष 2030 तक प्राप्त करने हेतु 04 विशिष्ट प्राथमिकताऐं तय की गई हैं:–

- आपदा जोखिम के बारे में समझदारी विकसित करना।
- आपदा जोखिम प्रबधन हेतु प्रशासकीय तंत्र का क्षमता वृद्धि।
- आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों में निवेश।
- प्रभावी आपदा प्रतिक्रिया, पुनःस्थापन, पुनर्निर्माण हेतु पूर्व तैयारी कार्यों को बढावा देना ।

4.1.2– आपदा जोखिम को न्यूनीकरण उपाय–

- राष्ट्रीय/राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जारी सुझाव/निर्देश/गाइड लाइन का जनपद में प्रभावी अनुपालन एवं अनुश्रवण हेतु स्थायी कार्यालीन व्यवस्था–आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु राष्ट्रीय/राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा केंद्र एवं राज्य द्वारा समय समय पर जारी किए गए सुझावों तथा गाइड लाइन पर कार्यवाही एवं अनुश्रवण सुनिश्चित कराने हेतु जनपद आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा विकसित जनपद आपदा प्रबंधन कार्ययोजना का विकास एंव अद्यतन करना।
- विभागों द्वारा संचालित योजनाओं को जनपद के आपदा जोखिम मानकों के अनुरूप विकसित करना।
- जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा विभागीय योजनाओं का खतरों के परिप्रेक्ष्य मे ंजिले के संभावित आपदाओं के जोखिम न्यूनीकरण में भूमिका को चिन्हित करते हुए महत्वपूर्ण कार्यों की प्राथमिकता तथा समय सीमा तय करना।
- विभागीय योजनाओं के आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु एकीकरण के लिए लगातार मॉनिट्रिंग एवं विशेषज्ञ सुझाव प्रदान करने हेतु आपदा प्रबंधन अधिनियम–2005 के प्रावधानों के अंतर्गत जिला प्राधिकरण द्वारा अनुपालन सुंनिष्चित करवाना।

4.2– खतरे के लिये विशिष्ट रोकथाम और न्यूनीकरण शमन उपाय–

4.2.1– संरचनात्मक उपायों– जनपद के संभावित आपदाओं को न्यून अथवा समाप्त करने हेतु लघु तथा दीर्घ अवधि की संरचना निर्माण से संबन्धित विकास परियोजनाओं को संचालित कर संभावित आपदा से होने वाले आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय क्षति को कम करने की योजना तथा वर्तमान में संचालित परियोजनाओं को जनपद में संभावित आपदाओं के जोखिम न्यूनीकरण तथा शमन की दृष्टि से अनुकूल बनाया जाना शामिल है।

4.2.2– गैर संरचनात्मक उपायों– के अंतर्गत आपदाओं के जोखिम न्यूनीकरण हेतु राष्ट्रीय/राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा अधिकथित नीतिगत निर्णयों को समुदाय स्तर पर लागू करने हेतु आवश्यक कदम उठाना, आपदा प्रबंधन से संबन्धित समस्त नियमों/सुरक्षा कोड का कड़ाई से पालन करने हेतु आवश्यक अनुश्रवण विधि स्थापित करना, विभाग स्तरीय आपदा प्रबंधन योजना तैयार करना, आपदा प्रबंधन कार्यों में संलग्न शासकीय एवं गैर शासकीय अमले एवं संस्थाओं का प्रशिक्षण एवं शिक्षा के माध्यम से क्षमता वृद्धि एवं प्रचार–प्रसार एवं अन्य साधनों से जन जागरूकता शामिल है।

4.3– राज्य व केंद्र सरकार के विभाग तथा स्थानीय निकायों का विभागीय आपदा प्रबंधन योजना (Departmental Disaster Management Plan)

आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30 (XVII) तथा धारा 32 के अंतर्गत जनपद के सभी शासकीय विभाग, जनपद स्थित केंद्र शासन के विभाग तथा स्थानीय निकायों द्वारा प्रतिक्रिया योजना सहित विभागीय व जनपद स्तरीय आपदा प्रबंधन कार्ययोजना तैयार करना। अधिनियम अनुसार इस योजना के अंतर्गत निम्नांकित महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध होगी :–

- जनपद आपदा प्रबंधन योजना में प्रस्तावित आपदा निरोधी एवं शमन उपायों, क्षमतावृद्धि एवं पूर्व तैयारी कार्यों को विभागीय स्तर पर पूर्ण करने हेतु विभागीय बजट में प्राविधान तथा कार्ययोजना।
- विभाग के कार्यक्षेत्र से संबन्धित जिले में आकस्मिक स्थितियों का विवरण।
- आकस्मिक स्थिति प्रतिक्रिया योजना।
- आकस्मिक स्थिति से निपटने हेतु विभाग के पास उपलब्ध मानव संसाधन, उपकरण एवं अधोसंरचना का विवरण।
- आकस्मिक स्थिति से निपटने हेतु विभाग द्वारा गठित टीमों का विवरण एवं संपर्क नम्बर।
- आकस्मिक कार्यों को सम्पन्न करने हेतु विभाग के कर्मचारियों/अधिकारियों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।
- विभाग के नियंत्रण की जानकारी रखना।
- अन्य विभागों/संस्थाओं आदि से आपदा प्रबंधन कार्यों हेतु समन्वय कर योजना विकसित करना।

4.4 राज्य के नियंत्रणाधीन समस्त अस्पतालों की आपदा प्रबंधन योजना– NDMA द्वारा जारी Guidelines on Management of Hospital Safety 2016 में सुझावित प्रारूप अनुसार जनपद प्रशासन के नियंत्रण मे कार्यरत समस्त चिकित्सालयों द्वारा अस्पताल आपदा प्रबंधन योजना तैयार करना तथा निर्धारित सुरक्षा उपायों को जनपद के समस्त अस्पतालों में लागू करने हेतु मुख्य चिकित्साधिकारी एवं स्वास्थ्य अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त करना। मुख्य चिकित्साधिकारी एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा अपने नियंत्रण मे कार्यरत समस्त चिकित्सायों के आपदा प्रबंधन योजना को अद्यतन रखने तथा योजना अनुसार पूर्व तैयारी, शमन एवं राहत बचाव से संबन्धित कार्यवाहियॉ सुनिश्चित करने हेतु अवगत कराना।

4.5 सामुदायिक भागीदारी और क्षमता निर्माण–

- **भूमिका–** आपदा प्रबंधन की प्रक्रिया में स्थानीय समुदाय की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी भी आपदा की स्थिति में प्रथम प्रत्युत्तर (First Responder) के रूप में स्थानीय नागरिक ही सबसे पहले सक्रिय होते हैं। जनपद रूद्रप्रयाग का भौगोलिक स्वरूप–पर्वतीय, सीमांत एवं दुर्गम होने के कारण–यहाँ समुदाय की सहभागिता और क्षमता विकास आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अत्यावश्यक है।

- **सामुदायिक भागीदारी की आवश्यकता–** रूद्रप्रयाग के कई गाँव दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित हैं, जहाँ आपदा के समय त्वरित बाहरी सहायता पहुँचना कठिन होता है। स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षित नागरिक, स्वयंसेवी संगठन, महिला समूह और युवक मंगल दल आपदा के दौरान राहत एवं बचाव में अहम भूमिका निभाते हैं। सामुदायिक भागीदारी से स्थानीय स्तर पर जोखिम की पहचान, चेतावनी प्रसारण, निकासी योजना तथा सुरक्षित आश्रय प्रबंधन प्रभावी रूप से संचालित किया जा सकता है।

- **क्षमता निर्माण की रणनीति–** जनपद रूद्रप्रयाग में विभिन्न स्तरों पर समुदाय की क्षमता बढ़ाने हेतु निम्न रणनीतियाँ अपनाई जा रही हैं–

- **प्रशिक्षण एवं अभ्यास–** प्रत्येक ब्लॉक एवं ग्राम पंचायत स्तर पर आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं।
- राजस्व, पुलिस, स्वास्थ्य, शिक्षा, वन, लोक निर्माण, बिजली विभाग, एवं स्थानीय स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से मॉक ड्रिल (Mock Drills) का आयोजन किया जाता है।
- विद्यालयों में स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम (School Safety Programme) के अंतर्गत विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को भूकंप, अग्निकांड, एवं भूस्खलन से सुरक्षा के उपाय सिखाए जाते हैं।
- सामुदायिक आपदा प्रबंधन समितियाँ (Community Disaster Management Committees)
- प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम आपदा प्रबंधन समिति (VDMC) गठित की गई है।
- इन समितियों में प्रधान, आंगनवाड़ी कार्यकत्री, आशा, युवक मंगल दल/महिला मंगल दल एवं स्थानीय शिक्षक शामिल हैं।
- समिति का कार्य है कृ स्थानीय जोखिम का आकलन, संसाधनों की सूची बनाना, प्राथमिक चेतावनी प्रसार एवं राहत समन्वय।

➢ **स्वयंसेवी संगठन एवं एनजीओ की भूमिका (Role of NGOs and Volunteers)–** जनपद में सक्रिय स्वयंसेवी संगठन जैसे रेडक्रॉस सोसायटी, एन.एस.एस., एन.सी.सी., युवक मंगल दल, महिला समूह आदि को आपदा पूर्व तैयारी में जोड़ा जा रहा है। ये संगठन जागरूकता रैली, प्रशिक्षण कार्यक्रम, रक्तदान शिविर, एवं राहत वितरण कार्यों में सहयोग करते हैं।

➢ **महिला एवं युवाओं की भागीदारी (Women and Youth Participation)–** महिलाओं को आपदा से पूर्व तैयारी, प्राथमिक उपचार, परिवार की सुरक्षा एवं संसाधन प्रबंधन में प्रशिक्षित किया जा रहा है। युवाओं को आपदा स्वयंसेवक (Community Volunteers) के रूप में प्रशिक्षित किया जा रहा है ताकि वे आपदा के दौरान त्वरित प्रतिक्रिया दे सकें।

➢ **सूचना, शिक्षा एवं संचार (Information, Education and Communication–IEC)–** आपदा जागरूकता हेतु पोस्टर, पम्पलेट, दीवार लेखन, रेडियो कार्यक्रम, ग्राम सभाओं के माध्यम से IEC अभियान चलाए जा रहे हैं। "आपदा सुरक्षा सप्ताह" एवं "मॉक ड्रिल दिवस" के आयोजन से जनता में चेतना एवं आत्मविश्वास बढ़ाया जा रहा है।

➢ **भविष्य की कार्ययोजना (Future Action Plan)**

- प्रत्येक ग्राम पंचायत में स्थानीय स्तर पर आपदा प्रबंधन कोष (Local Disaster Fund) स्थापित किया जाएगा।
- स्कूल, अस्पताल, बाजार एवं धार्मिक स्थलों को सामुदायिक आश्रय स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा।
- सामुदायिक रेडियो एवं मोबाइल चेतावनी प्रणाली को सशक्त किया जाएगा।
- सामुदायिक प्रशिक्षण केंद्रों (Community Training Centres) की स्थापना हेतु प्रस्ताव तैयार किया जाएगा।
- महिला मंगल दलों एवं युवक दलों को आपदा प्रबंधन उपकरणों से सुसज्जित किया जाएगा।

➢ **निष्कर्ष (Conclusion)–** सामुदायिक भागीदारी और क्षमता निर्माण जनपद रूद्रप्रयाग में आपदा जोखिम न्यूनीकरण की रीढ़ (backbone) है। यदि समुदाय सशक्त, प्रशिक्षित और सजग होगा, तो किसी भी आपदा

के प्रभाव को न्यूनतम किया जा सकता है। जिला प्रशासन का प्रयास है कि प्रत्येक नागरिक "आपदा जागरूक, सक्षम और उत्तरदायी" बने।

4.6 समस्त विद्यालयों का विद्यालय आपदा प्रबंधन योजना एवं विद्यालय सुरक्षा से संबन्धित कार्य–

NDMA द्वारा जारी School Safety Policy 2016 में सुझावित प्रारूप अनुसार समस्त विद्यालयों द्वारा विद्यालय आपदा प्रबंधन योजना तैयार करना तथा पॉलिसी के अंतर्गत निर्धारित सुरक्षा उपायों को जनपद के समस्त विद्यालयों में लागू करने हेतु जिला शिक्षा अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त कर जन जागरूकता, प्रशिक्षण तथा मॉक ड्रिल का आयोजन एवं अन्य संरचनात्मक तथा गैर संरचनात्मक कार्य सुनिश्चित करना।

Guideline for School Disaster Preparedness

- ***School Disaster Management Plan***

1. Formation of School Disaster Management Committee

   Members: CRC, Trustee, Principal, Vice principal, BEO, Physical Teacher, Peon, School Bus/Van/Auto driver, Sanitation worker, Clerk, One or Two Parents, students, and other Departmental officers.
2. Orientation program for SDMC, School teachers & Students.
3. Formation of School Disaster Management Teams

   Detail of Teams:
   (a) Early warning & Communication
   (b) Search & Rescue
   (c) First Aid
   (d) Evacuation Team
   (e) Awareness Generation Team

   Members: Trustee, Principal, Vice principal, Physical Teacher, Peon, School Bus/Van/Auto driver, Sanitation worker, Clerk, One or Two Parents, One or Two students.
4. Mapping Exercises:
   (a) Hazard, Risk & Vulnerability mapping of school
   (b) Resource mapping of school
   (c) Evacuation mapping of school
5. Resources availability in school
6. Emergency contact details
7. Training for SDMTs
8. Awareness Generation related activities:
   (a) Drawing competition & exhibitions on disasters
   (b) Essay competition
   (c) Vorkuta sprdha (Speech)
   (d) Debate
   (e) Rally
   (f) Play/Street play
   (g) Do's & Don'ts painting about Earthquake, Flood, Road Accident, Fire, Industrial Accident etc. on main wall of school
   (h) Do's & Don'ts speaking by students in morning/ Noon pray of school.
9. Mock Drill

4.6.1– विद्यालय आपदा प्रबन्धन योजना–

योजना बनाने की तारीख –
विद्यालय का नाम –
पता –
विकास खण्ड –
तहसील –
जनपद –
नगर पालिका वार्ड संख्या-

1. नक्शा स्कूल –
   1.1 जोखिम एवं घातकता चित्रण
   1.2 संसाधन चित्रण एवं सुरक्षित मार्ग
   1.3 निष्कासन चित्रण

क्र. स.	विभागों के नाम	फोन न0
1	राज्य कन्ट्रोल रूम	
2	जनपद कन्ट्रोल रूम	
3	अग्निशमन	
4	पुलिस चौकी/थाना	
5	एम्बुलेंस	
6	कार्यालय जिलाधिकारी	
7	उप जिलाधिकारी कार्यालय	
8	नजदीकी चिकित्सालय	
9	मुख्य चिकित्सा केन्द्र	
10	विकास खण्ड अधिकारी	
11	अधिषासी अधिकारी, नगर पालिका/नगर पंचायत	
12	नागरिक सुरक्षा संगठन	

विद्यार्थियो की संख्या कक्षावार –

क्र.सं.	कक्षा	बालक	बालिका	विकंलाग	संख्या
1	1-5				
2	6-12				
कुल					

एन. सी. सी छात्रः
स्काउट एंव गाइडः
एन.एस.एस. छात्रः

2. विद्यालय का विवरण –

कक्षो की कुल संख्या	पक्के कक्षों की संख्या	टिन की छत वाले कक्षों की संख्या	खपरैल/छप्पर की छत वाले कक्षों की संख्या

2.1 मुख्य सड़क से दूरी –
2.2 अग्निशमन केन्द्र से दूरी –
2.3 पुलिस चौकी/थाने से दूरी –
2.4 जिला मुख्यालय से दूरी –
2.5 निकटतम बाजार से दूरी –
2.6 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र से दूरी –
2.7 सीढ़ीयो की संख्याः
2.8 बाहर जाने के रास्तो की संख्याः

3. संसाधन सूची –

संख्या	मूलभूत संरचनाएँ	हॉ	नही	संख्या	दूरी
1	हैण्ड पम्प				
2	वाटर सप्लाई				
3	अग्नि शमन यन्त्र				
4	खेल का मैदान				
5	छत पर आने जाने के लिए पक्की सीढ़ीयॉ				
6	लकड़ी की सीढ़ीयॉ				
7	पानी के पाइप				
8	मोटी रस्सियॉ				
9	टेलीफोन				
10	फैक्स				
11	इन्टरनेट				
12	छायादार वृक्ष				

संख्या	मूलभूत संरचनाऍं	हॉ	नही	संख्या	दूरी
13	विद्यालय से बाहर निकलने हेतु गेट				
14	प्राथमिक चिकित्सा किट				
15	रेडियो सेट एंव टेलीविजन सैट				
16	जनरेटर				
17	पम्पसेट				
18	पैटोमैक्स				
19	गैस लाइट				
20	सौर उर्जा के उपकरण				
21	जीप/बस/अन्य वाहन				

4. विद्यालय के आसपास सुरक्षित स्थान पर अस्थाई आश्रय के लिए स्थान –
5. विद्यालय के आसपास सामुदायिक संगठन –
6. वैकल्पिक सुरक्षित रास्ते –
7. खतरे के स्थान से दूरी –

संख्या	खतरा	विद्यालय से दूरी	टिप्पणी
1	नदी		
2	तटबन्ध		
3	बॉध/पुल		
4	चट्टान		
5	बिजली के खम्बे / हाईटेंशन वायर		
6	पानी की टंकियो से		
7	बड़े पेड़ो से		
8	खड़ी चट्टानो से		
9	खतरनाक भवनों से		
10	राष्ट्रीय राजमार्गो से		

8 विद्यालय सुरक्षा योजना –

8.1 विद्यालय आपदा प्रबन्धन समिति

क.सं.	नाम	पता	दूरभाष संख्या
1			
2			

8.2 विद्यालय की सीमा के अन्दर सुरक्षित स्थानो का चिन्हीकरण –

संख्या	स्थलों का नाम	कक्षा भवन से दूरी

8.3 विद्यालय आपदा प्रबन्धन समिति के परामर्श से विद्यालय का जोखिम एवं घातकता विश्लेषण

क्रमांक	विद्यालय में अवस्थित सेवायें/संरचनाएं	आपदा (जिनसे सेवाएं/संरचनाएं प्रभावित हो सकती हैं)			
		भूकम्प (हां/नहीं)	भू–स्खलन (हां/नहीं)	बाढ़ (हां/नहीं)	अग्निकांड (हां/नहीं)
1	भवन अवसंरचना				
2	पेयजल				
3	विद्युत व्यवस्था				
4	दूरसंचार व्यवस्था				
5	सड़क/पहुँच मार्ग				
6	अन्य				

8.4 विभिन्न आपदा राहत दल

क– निष्कासन दल –

क0 सं0	सदस्यों के नाम	पद	छात्र/छात्राओं के नाम
1			

ख – प्राथमिक चिकित्सा दल –

1			
2			

ग – खोज व बचाव दल

क्र.सं.	सदस्यों के नाम	पद	छात्र/छात्राओं के नाम
1			
2			

ध – जागरूकता (Awareness) दल

क्र.सं.	सदस्यों के नाम	पद	छात्राओं के नाम
1			
2			

(प्रधानाचार्य का नाम, सील व हस्ताक्षर)

भूकम्प एवं अन्य आपदा/दुर्घटना हेतु चेक लिस्ट

क्र.सं.	सूची	हॉ/नही	टिप्पणी
1	क्या गलियारे और सीढ़ीयॉ आने–जाने में बाधा रहित हैं ?		
2	क्या स्कूल में आपातकालीन बिजली की व्यवस्था है ?		
3	क्या पंखे और बिजली के उपकरण पूर्ण रूप से दीवारों व छतों में लगे हैं ?		
4	क्या कहीं पे बिजली की तारें खुली तो नहीं हैं ?		
5	क्या सभी कक्षाओं के दरवाजे बाहर की ओर खुलते हैं ?		
6	क्या खिड़की और बालकनी ढके हैं ?		
7	क्या विद्यालय में बाहर निकलने के न्यूनतम दो रास्ते हैं ?		
8	क्या विद्यालय से बाहर निकलने के सारे रास्ते बाधा रहित हैं ?		
9	क्या आग से सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था है ?		
10	क्या आग बुझाने वाला उपकरण (Fire Extinguisher) कार्य करने की स्थिति में है ?		
11	क्या आग बुझाने हेतु रेत की थैली पर्याप्त मात्रा में है ?		
12	क्या विद्यालय में जल भण्डारण की सुविधा उपलब्ध है ?		
13	क्या विद्यालय में पानी के पाइप हैं ?		
14	क्या विद्यालय में पानी का पंप है ?		
15	क्या प्रत्येक मंजिल पर पानी व शौचालय की सुविधा उपलब्ध है ?		
16	क्या सीढ़ीयॉ हमेशा प्रयोग में लायी जाती हैं या कुछ मार्ग बंद किये हैं ?		
17	विद्यालय भवन की आयु ?		
18	क्या विद्यालय भवनों में दरारें हैं ?		
19	क्या दरारें मरम्मत योग्य हैं ?		
20	विद्यालय से बाहर सड़क पर यातायात की स्थिति क्या है ?		
21	क्या चेतावनी साईन बोर्ड लगे हैं ?		
22	क्या विद्यालय परिसर के अन्दर किसी भी प्राकर की हाई टेंशन लाईन/बिजली के पोल/पेड़/ट्रांसफार्मर लगे हैं ?		
23	क्या विद्यालय भवन से सटा हुआ या समीप कोई बहुमंजिली भवन है ?		

4.7 समस्त व्यवसायी भवनों, मॉल, सिनेमा हाल, थियेटर, स्टेडियम आदि का अग्निश्मन एवं निकासी योजना (Fire Exit and Evacuation Plan)– जिला विकास प्राधिकरण में दिये गए प्रावधानों के अंतर्गत जिले के समस्त व्यवसायिक भवनों, मॉल, सिनेमा हाल, थियेटर, स्टेडियम आदि का फायर निकासी योजना बनाया जाना तथा इस योजना अनुसार निश्चित समयावधि मे पूर्व तैयारी एवं समय–समय पर माक ड्रिल का कराया जाना सुनिश्चित किया जाना।

4.8 नीति और शासन (Policy and Governance – District Rudraprayag)

➢ **भूमिका–** आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में नीति एवं शासन तंत्र (Policy and Governance Framework) का उद्देश्य है– जनपद स्तर पर आपदा जोखिम न्यूनीकरण (Disaster Risk Reduction–DRR), तैयारी (Preparedness), प्रतिक्रिया (Response) तथा पुनर्वास (Recovery) से संबंधित सभी गतिविधियों को संगठित, समन्वित एवं संस्थागत रूप देना। जनपद रूद्रप्रयाग में यह प्रणाली राज्य व केंद्र सरकार की नीतियों के अनुरूप संचालित की जाती है।

➢ **विधिक एवं नीतिगत ढाँचा (Legal and Policy Framework)–** जनपद रूद्रप्रयाग में आपदा प्रबंधन संबंधी गतिविधियाँ निम्न प्रमुख नीतिगत एवं विधिक प्रावधानों के अंतर्गत संचालित की जाती हैं –

1. आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (Disaster Management Act, 2005)
2. उत्तरांचल आपदा न्यूनीकरण, प्रबन्धन तथा निवारण अधिनियम, 2005
3. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति, 2009
4. सेंडाई फ्रेमवर्क (Sendai Framework for Disaster Risk Reduction, 2015–2030)
5. भारत सरकार की आपदा प्रबंधन दिशा–निर्देश (NDMA Guidelines)
6. राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (USDMA) के दिशा–निर्देश
7. जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA–Rudraprayag) द्वारा स्वीकृत स्थानीय नीति व कार्ययोजनाएँ।

➢ **जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (District Disaster Management Authority–DDMA)–** जनपद रूद्रप्रयाग में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) गठित है, जो आपदा प्रबंधन से संबंधित सभी कार्यों का संचालन एवं पर्यवेक्षण करता है।

तालिका 4.1

पदनाम	भूमिका / उत्तरदायित्व
जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग Chairperson)	DDMA के अध्यक्षय नीति निर्माण, दिशा–निर्देशन एवं समन्वय।
मुख्य विकास अधिकारी (Co&Chairperson)	विकास योजनाओं में आपदा न्यूनीकरण का एकीकरण।
मुख्य चिकित्साधिकारी, अधिशासी अभियंता, पुलिस अधीक्षक, DFO, DEO आदि	सदस्यय क्षेत्रीय विभागों के समन्वय व कार्यान्वयन।
जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी (DDMO)	नोडल अधिकारीय DDMA की योजनाओं का क्रियान्वयन।

➢ **शासन व्यवस्था एवं विभागीय समन्वय (Governance and Inter&Departmental Coordination)–**

- प्रत्येक विभाग में एक नोडल अधिकारी (Departmental Nodal Officer) नामित किया गया है जो आपदा से पूर्व तैयारी एवं प्रतिक्रिया योजनाओं का अनुपालन सुनिश्चित करता है। जिला आपदा प्रबंधन समिति (District Disaster Management Committee) में सभी विभागों के प्रतिनिधि शामिल हैं।
- तहसील, ब्लॉक एवं ग्राम स्तर पर आपदा प्रबंधन समितियाँ गठित की गई हैं, जो निचले स्तर पर शासन की भूमिका को सुदृढ़ बनाती हैं।

- EOC (Emergency Operation Centre), Rudraprayag 24×7 संचालित रहता है और सूचना संकलन, चेतावनी प्रसारण एवं समन्वय का केंद्र बिंदु है।

➢ **नीति का उद्देश्य (Policy Objectives)–** जनपद रूद्रप्रयाग की आपदा प्रबंधन नीति के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं–

1. जोखिम न्यूनीकरण (Risk Reduction)– विकास योजनाओं में क्त्त सिद्धांतों का समावेश।
2. सुरक्षित अवसंरचना (Safe Infrastructure)– भवन निर्माण, सड़क, जल निकासी, और पहाड़ी स्थिरता के मानक लागू करना।
3. सामुदायिक सशक्तिकरण (Community Empowerment)– प्रशिक्षण, जागरूकता और स्थानीय सहभागिता को बढ़ावा देना।
4. सूचना व तकनीकी प्रबंधन (Information and Technology) –GIS आधारित डेटा, चेतावनी प्रणाली एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग।
5. संवेदनशील क्षेत्रों का संरक्षण (Environmental Protection)–भूस्खलन–प्रवण, बाढ़–प्रभावित और वन क्षेत्रों में नियंत्रित विकास।

➢ **सुशासन और पारदर्शिता (Good Governance and Transparency)**

- आपदा प्रबंधन से संबंधित सभी योजनाओं, राहत वितरण एवं पुनर्वास कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही (Accountability) सुनिश्चित की जाती है।
- ई–गवर्नेंस प्रणाली के अंतर्गत सूचनाएँ DDMA पोर्टल एवं जिला वेबसाइट पर सार्वजनिक की जाती हैं।
- समुदाय आधारित निगरानी तंत्र (Community Monitoring Mechanism) को प्रोत्साहन दिया गया है ताकि नीति का प्रभाव जमीनी स्तर पर सुनिश्चित हो।

➢ **भावी रणनीति (Future Strategy)**

1. जिला आपदा नीति दस्तावेज (District Disaster Policy Document) का अद्यतन।
2. विकास योजनाओं की आपदा संवेदनशीलता जाँच (Disaster Sensitivity Audit)।
3. ग्राम एवं वार्ड स्तर पर आपदा नीति के कार्यान्वयन हेतु दिशानिर्देशों का प्रसार।
4. राज्य व केंद्र योजनाओं (NDMA, USDMA, SDRF) के साथ एकीकृत वित्तीय एवं प्रशासनिक ढाँचा विकसित करना।
6. नीति–निर्माण में स्थानीय अनुभवों (Local Knowledge & Practices) को शामिल करना।

➢ **निष्कर्ष (Conclusion)–** जनपद चंपावत में नीति एवं शासन तंत्र का उद्देश्य केवल आपदा के बाद राहत देना नहीं, बल्कि आपदा से पहले जोखिम घटाना और समाज को सशक्त बनाना है। जिला प्रशासन का लक्ष्य है कि हर विभाग, हर पंचायत और हर नागरिक "आपदा सुरक्षित विकास" (Disaster Safe Development) की दिशा में योगदान दे।

आपदा प्रभावित गांवों एवं शहरी वार्डों का आपदा प्रबंधन योजना– नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत एवं विकास विभाग क्रमशः समस्त आपदा प्रभावित गांवों तथा शहरी वार्डों का आपदा प्रबंधन योजना प्रारूप अनुसार तैयार करना।

ग्राम स्तरीय आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना

1–सामान्य परिचय :

ग्राम पंचायत	
ग्राम प्रधान का नाम व दूरभाष	
ग्राम विकास अधिकारी का नाम व दूरभाष नं0	
राजस्व उपनिरीक्षक का नाम व दूरभाष नं0	
तहसील	
विकासखण्ड	
जनपद	

2–सामान्य सूचनायें :

1	कुल परिवारों की संख्या	8	स्कूलों में छात्र संख्या
2	कुल जनसंख्या	9	पंचायत सदस्यों की संख्या
3	पुरूष	10	जन संचार का माध्यम
4	महिलायें	11	भवनों की संख्या
5	पशुधन की संख्या	12	मुख्य पैदावार
6	साक्षरता केन्द्र/प्रौढ़ शिक्षा	13	विकलांगों की संख्या
7	स्कूलों की संख्या विवरण	14	कुल तोको की संख्या एवं नाम

3–शिक्षण संस्थान एवं छात्रों का वर्गीकरण :

आयु वर्ग (वर्ष में)	छात्रों की संख्या	आयु वर्ग (वर्ष में)	छात्रो की संख्या
4–6		13–16	
7–12		16 से अधिक	

4–जनसंख्या :

SC		ST		OBC		GEN		Total	
महिला	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला	पुरूष

5–भौगोलिक विवरण:

कुल भौगोलिक क्षेत्रफल (हे0)	कृषि योग्य भूमि (हे0)	वन भूमि (हे0)	चारागाह (हे0)	बंजर व अन्य भूमि (हे0)

6–जीविकापार्जन का विवरण :

जीविकापार्जन के तरीके	लोगों की संख्या	परिवारों की संख्या
कृषि		
खेतीहर मजदूर		
अन्य मजदूर		
दस्तकारी		
छोटा–मोटा व्यवसाय		
नौकरी		
अन्य		

7–संसाधन सूची :

संख्या	मूलभूत संरचनाएँ	हॉ	नहीं	सड़क मार्ग से दूरी	सम्पर्क व्यक्ति का दूरभाष नं0
1	विकासखण्ड कार्यालय				
2	ग्राम पंचायत कार्यालय				
3	संसाधन केन्द्र				
4	ऑगनवाड़ी				
5	बालवाड़ी				
6	विद्यालय–प्राथमिक				
7	माध्यमिक				
8	अन्य–संकुल भवन, मंदिर, मस्जिद				
9	दूरभाष सुविधा				
10	आवश्यक सामग्री की दुकान				
11	पोस्ट ऑफिस				
12	थाना/आउटपोस्ट				
13	सार्वजनिक वितरण प्रणाली दुकान				
14	स्वास्थ्य सुविधाऐ : स्वास्थ्य केन्द, (उप), प्रा0स्वा0 केन्द, ए0एन0एम0/आशा आर0एम0पी0 अन्य				
15	दूरदर्शन/रेडियो				
16	सड़क				

संख्या	मूलभूत संरचनाएँ	हॉ	नहीं	सड़क मार्ग से दूरी	सम्पर्क व्यक्ति का दूरभाष नं0
17	पशु चिकित्सा केन्द्र				
18	दुग्ध–सहकारी संघ				
19	स्वयंसेवी संस्थाएं/संगठन				
20	अन्य				

8–गॉव के संगठन :

संख्या	संगठन के प्रकार	सदस्यों की संख्या	टिप्पणी
1	महिला मंगल दल		
2	युवक मंगल दल		

9–संकट/संवेदनशीलता का आंकलन : आपदा का इतिहास (पिछले 20 वर्ष का)

संख्या	आपदा	वर्ष	क्षति का विवरण				
			जनहानि	पशुहानि	फसल	भवन	सार्वजनिक सम्पत्ति
1	शीतलहर						
2	ओलावृष्टि						
3	बादल फटना						
4	आकाशीय विद्युत						
5	बाढ़						
6	भूकम्प						
7	भूस्खलन						
8	आगजनी						
9	बर्फवारी						
10	सूखा						
11	अन्य						

10–आपदा का मौसमी बारम्बारता :

संख्या	आपदा	माह			
		जनवरी–मार्च	अप्रैल–जून	जुलाई–सितम्बर	अक्टूबर–दिसम्बर
1	शीतलहर				
2	ओलावृष्टि				
3	बादल फटना				
4	आकाशीय विद्युत				
5	बाढ़				
6	भूकम्प				
7	भूस्खलन				
8	आगजनी				
9	बर्फवारी				
10	सूखा				
11	अन्य				

11–खतरे के स्थान से दूरी :

संख्या	खतरा	गॉव से दूरी	टिप्पणी
1.	नदी		
2.	तटबन्ध		
3.	बॉध/पुल		
4.	भूस्खलन का स्थान		
5.	अन्य		

12–जोखिम समूह आंकलन :

क्र.सं.	जोखिम समूह	संख्या	टिप्पणी
1.	गर्भवती महिला/दूध पिलाती माताएँ		
2	पॉच वर्ष से कम आयु के बच्चे		
3.	वृद्ध/लाचार		
4.	अकेली/विधवा महिलाएँ		

क्र.सं.	जोखिम समूह	संख्या	टिप्पणी
5.	अपंग / विकलांग		
6.	बीमार / रोगी		
7.	छप्पर / मिट्टी के घर		
8.	बॉध के पास के घर		
9.	अन्य		

13–विद्युत आपूर्तिः

14–जलापूर्ति :

15–संचार व्यवस्था :

16–स्वास्थ्य केन्द्र :

17–यातायात के साधनः

18–आपदा पूर्व तैयारीः

(क) सुरक्षित स्थान..(ख) सूचना तंत्र..(ग) आश्रय स्थल की सूचनाः–

15–ग्रामस्तरीय आपदा प्रबन्धन समिति के सदस्यों की सूचीः

क्रं सं.	नाम	उम्र	पिता / पति का नाम	राजस्व ग्राम / तोक	शैक्षिक योग्यता	पद / व्यवसाय	दूरभाष	हस्ताक्षर

16–ग्राम की आम सभा से सहमति प्रस्तावः

राजस्व उपनिरीक्षक का नाम हस्ताक्षर	ग्राम विकास अधिकारी का नाम हस्ताक्षर	ग्राम प्रधान का नाम हस्ताक्षर

ग्राम संसाधन मानचित्र

ग्राम का सामुदायिक जोखिम मानचित्र :

अध्याय–5

तैयारी के उपाय

(Preparedness Measures)

5.1 तैयारी उपाय का उद्देश्य– जनपद रूद्रप्रयाग में आपदा के समय जनहानि और संपत्ति की हानि को न्यूनतम करना, समय पर राहत एवं बचाव कार्यों को क्रियान्वित करना तथा त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना। इसके अंतर्गत सभी विभागों, एजेंसियों एवं समुदायों को आपदा से पूर्व तैयार रहने हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश प्रदान करना तथा सक्षम प्रशासनिक तंत्र द्वारा पूर्व चेतावनी जारी कर आपदा से होने वाले सम्भावित जन–धन की हानि को कम किये जाने में सहायक है। पूर्व चेतावनी का मुख्य उद्देश्य जन–जीवन, सम्पत्तियों एवं पर्यावरण की रक्षा करना तथा आपदा के पश्चात् सामुदाय के बुनियादी जरूरतों को सामान्य करना है। पूर्व चेतावनी की तैयारी का उद्देश्य उन प्रभावित लोगों के बचाव का है जिन्हें आपदा से प्रभावित होने की सम्भावना है।

पूर्व– तैयारी के महत्वपूर्ण तत्व

आपदा की स्थिति में राहत, बचाव एवं अन्य सम्बन्धित कार्य की प्रभावशीलता पूर्व में की गई समुचित तैयारी पर निर्भर करता है। इन तैयारियों में निम्नलिखित तत्व महत्वपूर्ण है:–

- स्थानीय दलों का गठन एवं उनकी क्षमतावृद्धि ।
- जनपद के समस्त संबन्धित विभागों की विभागीय आपदा प्रबंधन कार्ययोजना।
- अनुभाग एवं जिला स्तर पर इंसिडेंट रिस्पॉस टीमों का गठन एवं उनका प्रशिक्षण ।
- जनपद एवं तहसील स्तर पर आपातकालीन परिचालन केन्द्रों की स्थापना व संचालन।
- आपदा की स्थिति में अबाधित संचार व्यवस्था की पूर्व तैयारी ।
- आपदा प्रबंधन हेतु आवश्यक संसाधनों का चिंहांकन एवं उनकी तैयारी ।
- राहत स्थलों का चिंहांकन तथा उनकी तैयारी ।
- आपदा हेतु संवेदनशील वर्गों की पहचान एवं उनके संरक्षण की विशेष योजना।
- जनपद में संभावित खतरों के प्रतिक्रिया हेतु अवास्तविक अभ्यासों का आयोजन।

पूर्व तैयारी की सुनिश्चितता के मुख्य तत्व– जनपद में संभावित आपदाओं के तत्पर प्रतिक्रिया तथा राहत एवं बचाव कार्यों को योजना अनुसार सुनिश्चित करने हेतु जिला प्राधिकरण द्वारा ढॉचागत व्यवस्था सुदृढ किया जाएगा। जिसके तहत आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा 37 (A) में दिये गये प्राविधान के अनुसार आपदा न्यूनीकरण, तैयारी एवं प्रतिक्रिया के दृष्टिगत आपदा प्रबन्धन की योजना बनायी गयी है। आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा 22(2), 30 एवं 34 में आपदा प्रबन्धन से सम्बन्धित विभिन्न कर्तव्यों को विभागों/संस्थाओं द्वारा निष्पादित करने के प्रविधान है। संस्थागत व्यवस्था की रूपरेखा के अनुसार जनपद में आपताकालीन परिचालन केन्द्र भारतीय मौसम विभाग एवं सी0डब्लू0सी0 से जानकारी प्राप्त कर चेतावनी प्रसार करेगा तथा मौसम विभाग द्वारा मौसम सम्बन्धी पूर्वानुमान प्रातः 10:00 बजे दिन में 1:00 बजे सांय 5:00 बजे ईमेल के माध्यम से प्रसारित किया जाता है। जिसे जिला स्तर पर बल्क एस0एम0एस0, पुलिस वायरलेस सेट, फोन, ई–मेल, तथा अधिकारियों एवं मीडिया के वाट्सएप के द्वारा प्रचारित किया जाता है।

जिला स्तरीय सूचना तंत्र

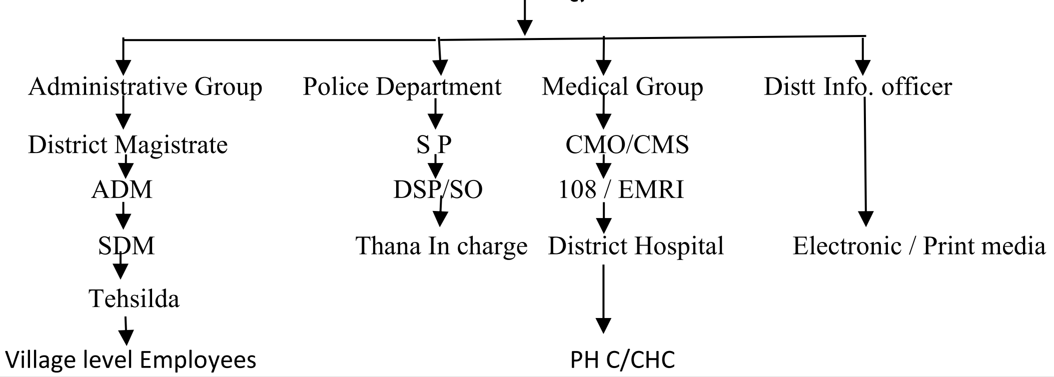

.2 जनपद सामान्य तैयारी जांच सूची

- सभी विभागों के कंटिजेंसी प्लान का अद्यतन।
- आपदा प्रबंधन नियंत्रण कक्ष की 24X7 कार्यशीलता सुनिश्चित करना।
- प्राथमिक चिकित्सा, राहत सामग्री एवं आपात उपकरणों की उपलब्धता जांच।
- विद्यालयों, अस्पतालों, पुलिस, अग्निशमन और राजस्व विभाग द्वारा मॉक ड्रिल आयोजन।
- संचार माध्यमों की कार्यशीलता की जांच (वायरलेस, सैटेलाइट फोन आदि)।

आपदा से पूर्व सभी विभागों, संस्थाओं एवं समुदायों की तैयारी का मूल्यांकन करने हेतु यह जांच सूची बनाई गई है।

इसका उद्देश्य है–

- संसाधनों की तत्परता सुनिश्चित करना
- संचार और समन्वय प्रणाली को सक्रिय रखना
- राहत एवं बचाव दलों को पूर्व–सज्जित रखना

(A) प्रशासनिक तैयारी

1. जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) की वार्षिक बैठक आयोजित की गई है या नहीं।
2. सभी विभागों के आपदा प्रबंधन प्लान (DMP) का अद्यतन किया गया है या नहीं।
3. जिला, तहसील एवं ब्लॉक स्तर पर आपदा नियंत्रण कक्ष (Control Room) 24x7 कार्यशील हैं या नहीं।
4. Incident Response System (IRS) के प्रमुख अधिकारियों की सूची अद्यतन एवं DEOC में प्रदर्शित है।
5. जिला आपदा कोष (District Disaster Response Fund) में पर्याप्त राशि उपलब्ध है या नहीं।

(B) संचार एवं सूचना व्यवस्था

1. DEOC, SEOC, तहसील, पुलिस और SDRF के बीच संचार नेटवर्क कार्यशील है या नहीं।
2. सैटेलाइट फोन, वायरलेस सेट, वॉकी–टॉकी की कार्यशीलता की जांच की गई है।
3. BSNL, NIC और रेडियो संचार प्रणाली का परीक्षण पूरा किया गया है।
4. सोशल मीडिया, FM रेडियो और स्थानीय चौनलों के माध्यम से चेतावनी संदेश प्रसारित करने की तैयारी है।
5. आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर (1077, 112, 101, 102) जनसाधारण को ज्ञात हैं या नहीं।

(C) राहत एवं बचाव तैयारी

1. SDRF, पुलिस, अग्निशमन, स्वास्थ्य विभाग एवं PWD की Quick Response Teams (QRT) गठित हैं।
2. राहत शिविरों का चयन, मानचित्रण एवं निरीक्षण किया गया है।
3. राहत शिविरों में टेंट, पानी, प्रकाश व्यवस्था और शौचालय की उपलब्धता है।
4. जनरेटर, मोटर बोट, ट्रैक्टर, JCB, क्रेन आदि उपकरण तैयार हैं।
5. प्राथमिक चिकित्सा किट, स्ट्रेचर और एम्बुलेंस की उपलब्धता सुनिश्चित है।

(D) लॉजिस्टिक और आपूर्ति व्यवस्था

1. खाद्यान्न, पानी, दवाइयाँ, कंबल, तिरपाल आदि राहत सामग्री का पर्याप्त भंडारण है।
2. खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा संवेदनशील क्षेत्रों के लिए वितरण बिंदु निर्धारित किए गए हैं।
3. परिवहन विभाग द्वारा राहत वाहनों की सूची तैयार की गई है।
4. सभी गोदामों की स्थिति व सामग्री का सत्यापन किया गया है।

(E) स्वास्थ्य एवं चिकित्सा तैयारी

1. सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHC/CHC) में आपातकालीन दवाइयाँ उपलब्ध हैं।
2. मेडिकल टीमें और एम्बुलेंस चालकों की ड्यूटी लिस्ट तैयार की गई है।

3. जिला चिकित्सालय में आपदा हेतु विशेष वार्ड चिह्नित है।
4. ब्लड बैंक में रक्त की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध है।
5. पशुपालन विभाग द्वारा पशु चिकित्सा टीम तैयार की गई है।

(F) शिक्षा एवं प्रशिक्षण तैयारी

1. सभी विद्यालयों में स्कूल सुरक्षा योजना अद्यतन है।
2. छात्रों एवं शिक्षकों के लिए मॉक ड्रिल आयोजित की गई है।
3. आपदा मित्र, रेडक्रॉस, NSS, NYK आदि संस्थाओं का प्रशिक्षण पूरा हुआ है।
4. स्वयंसेवकों की संपर्क सूची DEOC में प्रदर्शित है।

(G) अवसंरचना और निरीक्षण कार्य

1. पुल, सड़कें, भवन, विद्युत लाइन, जल स्रोतों का निरीक्षण कार्य समय पर हुआ है।
2. संवेदनशील क्षेत्रों (भूस्खलन, जलभराव, नदी किनारा) की पहचान और निगरानी की जा रही है।
3. बिजली और पेयजल विभाग ने आपात मरम्मत दल गठित किए हैं।
4. मौसम विभाग और जल संस्थान द्वारा चेतावनी प्रणाली सक्रिय है।

(H) समन्वय एवं रिपोर्टिंग व्यवस्था

1. सभी विभागों के नोडल अधिकारी और वैकल्पिक अधिकारी नामित किए गए हैं।
2. DEOC में सभी विभागों के संपर्क नंबर और ईमेल अद्यतन हैं।
3. SEOC, SDRF, पुलिस, स्वास्थ्य, PWD के साथ आपसी समन्वय योजना तैयार है।
4. प्रत्येक माह विभागीय स्थिति रिपोर्ट (SITREP) प्रस्तुत की जा रही है।

(I) विशेष संवेदनशील समूहों हेतु तैयारी

1. विकलांग, वृद्ध, गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों की सूची ग्राम स्तर पर तैयार है।
2. राहत केंद्रों में विशेष सहायता (व्हीलचेयर, रैंप, स्वच्छता सामग्री) की व्यवस्था है।

(J) मॉक ड्रिल एवं समीक्षा

1. जनपद, ब्लॉक एवं संस्थागत स्तर पर मॉक ड्रिल आयोजित की गई है।
2. ड्रिल के परिणामों की समीक्षा रिपोर्ट तैयार की गई है।
3. कमियों के सुधार हेतु कार्ययोजना बनाई गई है।

5.3 राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र (SEOC)

देहरादून स्थित SEOC के साथ जिला DEOC का सीधा समन्वय स्थापित रहेगा। किसी भी आपात स्थिति में SEOC को तत्काल सूचना एवं रिपोर्टिंग सुनिश्चित की जाएगी।

5.4 जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र (DEOC)

जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र (कन्ट्रोल रूम) प्राकृतिक आपदा की स्थिति में नियंत्रण कक्ष के रूप में समस्त सम्बन्धित विभागों से समन्वय कर कार्यवाही की जाती है। इसके अतिरिक्त वनाग्नि नियंत्रण, यात्रा प्रबन्धन/नियंत्रण तथा अन्य प्रकार की दुर्घटनाओं की सूचनाओं का आदान–प्रदान, कन्ट्रोल रूम पंजी में सूचना दर्ज किया जाता है। कन्ट्रोल रूम को 24 x7 घंटे कार्यशील रखते हुये कार्मिकों की शिफ्टवार तैनाती की गयी है।

- ❖ Phone: + 91 - 01364 - 233727, 1077 (Toll free),
- ❖ Mobile.: + 918958757335
- ❖ Mobile + 918218326386
- ❖ Mail Id: ddmarudraprayag@gmail.com

जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र संचालन हेतु उत्तरदायी अधिकारी एवं कर्मचारी–

क्र. सं	अधिकारी / कर्मचारी का नाम	पदनाम	दूरभाष
1	श्री श्याम सिंह राणा	प्रभारी अधिकारी / मुख्य कार्यकारी अधिकारी	7300505330
2	श्री नन्दन सिंह रजवार	जिला आपदा प्रबन्धन अधिकारी	8078687829
3	श्री संतोष प्रकाश नौडियाल	सहायक प्रबन्धक / प्रभारी	9557214015
4	कुमारी सीमा परमार	मास्टर ट्रेनर	9568320624
5	श्री संदीप भेतवाल	डाटा इन्ट्री ऑपरेटर	7253803635
6	श्री जयराज कुमार	डाटा इन्ट्री ऑपरेटर	9720346712
7	श्री अनूप कुमार	डाटा इन्ट्री ऑपरेटर	7300618765
8	श्री कैलाश	मल्टी पर्पज वर्कर	9368179331
9	श्री सूरज	मल्टी पर्पज वर्कर	9557216688
10		मल्टी पर्पज वर्कर	

तहसील स्तरीय आपातकालीन परिचालन केन्द्र– मानसून पूर्व सभी तहसीलों में कंट्रोल रूम की स्थापना कर ली गयी है एवं चेतावनी मिलने के उपरांत संबन्धित तहसील में आपातकालीन संचालन केन्द्रों से आवश्यक समन्वय कर राहत एवं बचाव कार्य संचालित किया जाएगा। जनपद में आपदा के दृष्टिगत प्रत्येक तहसील में एक सेन्ट्रल कन्ट्रोल रूम स्थापित है। सभी तहसीलदार / उपजिलाधिकारी कन्ट्रोल रूम के लिए जिम्मेदार रहेंगे। तहसीलदार समस्त तहसील स्तरीय विभागों के अधिकारी / कर्मचारियों की शिफ्टवार तैनाती सुनिश्चित करते हुये इसकी सूचना जनपद आपताकालीन परिचालन केन्द्र को उपलब्ध करायेंगे।

क्र.स.	तहसील	दूरभाष
1	रूद्रप्रयाग	8394870506
2	जखोली	9997077434, 7409864459
3	ऊखीमठ	8273049249
4	बसुकेदार	8859122192

5.5 स्थानीय प्रशासन, SDRF और NDRF– आपदा के दौरान राहत, बचाव और पुनर्वास कार्यों को प्रभावी बनाने हेतु स्थानीय प्रशासन, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (SDRF) और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) के बीच समन्वित व्यवस्था स्थापित करना।

2. स्थानीय प्रशासन की भूमिका (Role of Local Administration)– जनपद रूद्रप्रयाग में आपदा प्रबंधन का पहला और सबसे महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व स्थानीय प्रशासन का है।
यह प्रशासनिक ढाँचा ग्राम स्तर से लेकर जिला स्तर तक फैला है।
मुख्य जिम्मेदारियाँ:

1. आपदा पूर्व तैयारी (Preparedness):
    - ग्राम, ब्लॉक और तहसील स्तर पर नियंत्रण कक्ष स्थापित करना।
    - आपदा जोखिम वाले क्षेत्रों की पहचान एवं मानचित्रण करना।
    - आपदा से पूर्व जनजागरूकता कार्यक्रम, प्रशिक्षण एवं मॉक ड्रिल आयोजित करना।
2. आपदा के समय (During Disaster)
    - राहत एवं बचाव कार्यों की निगरानी और समन्वय करना।
    - आपदा स्थल पर त्वरित निर्णय लेकर संसाधनों की तैनाती करना।
    - प्रभावित क्षेत्रों में राहत शिविर, भोजन, पानी और चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराना।

3. आपदा के बाद (Post Disaster)

- क्षति मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार कर शासन को भेजना।
- पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण कार्यों का समन्वय करना।
- सरकारी एवं गैर सरकारी एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित करना।

स्थानीय स्तर की संरचना

स्तर	अधिकारी / संस्था	प्रमुख जिम्मेदारी
ग्राम स्तर	ग्राम प्रधान / ग्राम आपदा प्रबंधन समिति	प्रारंभिक सूचना, निकासी, राहत शिविर व्यवस्था
ब्लॉक स्तर	खंड विकास अधिकारी	राहत सामग्री वितरण, संचार और समन्वय
तहसील स्तर	उप जिलाधिकारी	राहत एवं बचाव कार्यों का नेतृत्व
जिला स्तर	जिलाधिकारी (Incident Commander)	समग्र दिशा, नियंत्रण एवं नीति निर्धारण

3. राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (SDRF) की भूमिका– SDRF (State Disaster Response Force) उत्तराखंड सरकार के पुलिस विभाग के अधीन कार्यरत एक विशेष बल है।

मुख्य कार्य

- आपदा स्थल पर राहत एवं बचाव कार्यों में अग्रणी भूमिका निभाना।
- भूकंप, भूस्खलन, जलप्रलय, सड़क दुर्घटना और आग लगने जैसी घटनाओं में त्वरित प्रतिक्रिया देना।
- खोज एवं निकासी (Search and Rescue) कार्यों के लिए उपकरणों का प्रयोग करना।
- विद्यालयों, सार्वजनिक स्थानों एवं संस्थाओं में आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण आयोजित करना।
- जिला प्रशासन एवं DEOC के साथ सतत समन्वय बनाकर कार्य करना।

SDRF तैनाती रूद्रप्रयाग में–

- SDRF की एक यूनिट रूद्रप्रयाग जनपद में पूर्व से अलर्ट मोड पर रखी जाती है।
- आवश्यकता अनुसार अगस्त्यमुनि, सोनप्रयाग से अतिरिक्त टीमें तैनात की जा सकती हैं।
- SDRF नियंत्रण कक्ष, DEOC रूद्रप्रयाग के साथ सीधे संपर्क में रहता है।

4. राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) की भूमिका– NDRF (National Disaster Response Force) भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत है। यह राष्ट्रीय स्तर पर बड़े पैमाने की आपदाओं में राज्य सरकार को तकनीकी और मानव संसाधन सहायता प्रदान करती है।

मुख्य कार्य

1. विशेषज्ञ खोज एवं बचाव कार्य (Specialized Search & Rescue)
   - भूकंप, बाढ़, भूस्खलन, रासायनिक, जैविक और औद्योगिक दुर्घटनाओं में तैनाती।
2. राज्य एवं जिला प्रशासन को तकनीकी सहयोग
   - SDRF व स्थानीय टीमों को तकनीकी दिशा–निर्देश देना।
   - आपदा प्रतिक्रिया में विशेष उपकरण और संचार सहायता प्रदान करना।
3. सामुदायिक प्रशिक्षण
   - ग्राम, विद्यालय और संस्थागत स्तर पर आपदा प्रबंधन जागरूकता कार्यक्रम चलाना।

NDRF तैनाती प्रक्रिया

1. जब जनपद स्तर पर आपदा नियंत्रण से बाहर हो जाए तो जिलाधिकारी द्वारा SEOC को रिपोर्ट भेजी जाती है।
2. राज्य स्तर से NDRF सहायता हेतु अनुरोध भारत सरकार को भेजा जाता है।
3. आवश्यकता पड़ने पर गाजियाबाद या लखनऊ स्थित NDRF बटालियन को तैनात किया जाता है।
4. NDRF टीम स्थानीय प्रशासन और SDRF के साथ संयुक्त अभियान चलाती है।

5. समन्वय एवं संचार प्रणाली (Coordination Mechanism)

- DEOC रूद्रप्रयाग मुख्य नियंत्रण केंद्र के रूप में कार्य करता है, जहाँ SDRF और NDRF दोनों की सूचना प्रणाली जुड़ी रहती है।
- प्रत्येक अभियान के लिए Incident Commander (DM) द्वारा आदेश जारी किया जाता है।
- SDRF और NDRF की टीमें स्थानीय प्रशासन की अनुमति एवं नियंत्रण में कार्य करती हैं।
- सभी रिपोर्ट, वीडियो और ड्रोन सर्वे DEOC के माध्यम से SEOC को भेजे जाते हैं।

6. संयुक्त प्रशिक्षण और मॉक ड्रिल (Joint Training – Mock Drill)

- SDRF, पुलिस, अग्निशमन, स्वास्थ्य एवं प्रशासन की संयुक्त मॉक ड्रिल प्रत्येक छह माह में आयोजित की जाएगी।
- NDRF की सहायता से जनपद स्तर पर Search and Rescue प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा।
- ग्राम पंचायतों एवं विद्यालयों में आपदा सुरक्षा अभ्यास (Drop-Cover-Hold) कराया जाएगा।
- स्थानीय पुलिस, राजस्व उपनिरीक्षक, अग्निशमन एवं SDRF की टीमों को तहसील स्तर पर तैनात किया जाएगा।
- आवश्यकता पड़ने पर NDRF को मंगवाने हेतु राज्य स्तर पर अनुरोध भेजा जाएगा।

5.6 आपदा प्रतिक्रिया में शामिल हितधारकों की पहचान– जनपद रूद्रप्रयाग में आपदा के समय राहत, बचाव, पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण कार्यों में भाग लेने वाले सभी सरकारी, अर्ध–सरकारी, निजी और सामुदायिक हितधारकों की पहचान एवं उनकी भूमिकाओं को स्पष्ट करना ताकि समन्वित एवं प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित की जा सके।

1. हितधारकों की श्रेणियाँ (Categories of Stakeholders)– जनपद रूद्रप्रयाग में आपदा प्रबंधन में शामिल हितधारकों को निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया गया है:

- प्रशासनिक हितधारक (Administrative Stakeholders)
- तकनीकी एवं आपदा प्रतिक्रिया एजेंसियाँ (Technical / Response Agencies)
- सेवा प्रदाता विभाग (Service Provider Departments)
- सामुदायिक एवं स्वयंसेवी संगठन (Community & Voluntary Organizations)
- निजी क्षेत्र / कॉर्पोरेट इकाइयाँ (Private Sector & CSR Partners)
- मीडिया एवं सूचना साझेदार (Media & Communication Partners)

2. हितधारकों की सूची एवं जिम्मेदारियाँ (Stakeholder List & Responsibilities)

क्रम	हितधारक	भूमिका / जिम्मेदारी	प्रमुख अधिकारी / संस्था
1.	जिला प्रशासन	समन्वय, आदेश निर्गमन, नीति निर्माण, DEOC संचालन	जिलाधिकारी, ADM
2.	राजस्व विभाग	राहत वितरण, क्षति मूल्यांकन, प्रभावित परिवारों की सूची	SDM, तहसीलदार, राजस्व उपनिरीक्षक
3.	पुलिस विभाग	कानून व्यवस्था, यातायात नियंत्रण, भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा	पुलिस अधीक्षक, थानाध्यक्ष
4.	SDRF / NDRF	खोज एवं बचाव (Search & Rescue), निकासी, तकनीकी सहायता	SDRF टीम कमांडर
5.	अग्निशमन विभाग	आग, विस्फोट, रासायनिक दुर्घटनाओं में प्रतिक्रिया	फायर स्टेशन अधिकारी, रूद्रप्रयाग
6.	स्वास्थ्य विभाग	प्राथमिक चिकित्सा, एम्बुलेंस सेवा, राहत शिविरों में स्वास्थ्य सुविधा	मुख्य चिकित्साधिकारी, PHC/CHC प्रभारी
7.	लोक निर्माण विभाग(PWD)	सड़कों, पुलों, भवनों की मरम्मत, वैकल्पिक मार्ग खोलना	EE PWD

क्रम	हितधारक	भूमिका / जिम्मेदारी	प्रमुख अधिकारी / संस्था
8.	जल संस्थान/जल निगम	पेयजल आपूर्ति, पाइपलाइन मरम्मत, जल परीक्षण	EE, Jal Sansthan
9.	विद्युत विभाग (UPCL)	बिजली आपूर्ति बहाल करना, खतरनाक तारों को सुरक्षित करना	EE, UPCL
10.	नगर निकाय / ग्राम पंचायतें	सफाई, अपशिष्ट निपटान, राहत शिविरों की व्यवस्था	EO नगर पालिका, ग्राम प्रधान
11.	शिक्षा विभाग	स्कूलों को राहत शिविर के रूप में उपयोग, छात्रों का प्रशिक्षण	जिला शिक्षा अधिकारी
12.	परिवहन विभाग	राहत सामग्री और टीमों का आवागमन	ARTO रूद्रप्रयाग
13.	खाद्य एवं आपूर्ति विभाग	खाद्यान्न, राशन और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति	जिला आपूर्ति अधिकारी
14.	पशुपालन विभाग	पशुओं के लिए चिकित्सा सहायता, चारा आपूर्ति	जिला पशुपालन अधिकारी
15.	कृषि विभाग	फसल हानि मूल्यांकन, कृषि पुनर्वास योजना	जिला कृषि अधिकारी
16.	सूचना विभाग / NIC	सूचना प्रसारण, मीडिया समन्वय, रिपोर्टिंगजिला	सूचना अधिकारी, DIO NIC
17.	रेडक्रॉस सोसाइटी/ एनजीओ	राहत सामग्री वितरण, रक्तदान, चिकित्सा सहयोग	जिला रेडक्रॉस शाखा
18.	नेहरू युवा केंद्र/ NSS / NCC / आपदा मित्र	स्वयंसेवक सहायता, निकासी, राहत शिविर सहयोग	NYK समन्वयक
19.	स्वयंसेवी संगठन/ स्थानीय NGO	जनजागरूकता, राहत वितरण, पुनर्वास सहयोग	रूद्रप्रयाग स्थित NGOs
20.	सेना / ITBP / BRO (यदि तैनात)	दुर्गम क्षेत्रों में खोज एवं राहत, सड़क पुनर्निर्माण	स्थानीय सैन्य इकाई
21.	मीडिया (प्रिंट/ इलेक्ट्रॉनिक/ सोशल)	सूचना प्रसार, चेतावनी संदेश, जनसंपर्क	स्थानीय मीडिया प्रतिनिधि
22.	निजी कंपनियाँ / CSR इकाइयाँ	राहत सामग्री, जल, चिकित्सा या उपकरणों की CSR सहायता	स्थानीय उद्योग या बैंक शाखाएँ
23.	राजस्व एवं ग्राम स्तर की समितियाँ	प्रारंभिक प्रतिक्रिया, सूचना संप्रेषण, स्थानीय सहायता	ग्राम आपदा प्रबंधन समिति (VDMC)

4. हितधारक समन्वय व्यवस्था (Coordination Mechanism)

- जिलाधिकारी (Incident Commander) सभी हितधारकों के बीच समन्वय का केंद्र बिंदु होंगे।
- DEOC रूद्रप्रयाग से सभी विभागों के नोडल अधिकारियों के बीच सूचना साझा की जाएगी।
- प्रत्येक विभाग अपने नोडल अधिकारी और वैकल्पिक अधिकारी की संपर्क सूची DEOC को देगा।
- आपदा की स्थिति में सभी हितधारक Incident Response System (IRS) संरचना के तहत कार्य करेंगे।
- नियमित समीक्षा बैठकें एवं संयुक्त मॉक ड्रिल आयोजित की जाएंगी ताकि सभी एजेंसियों के बीच तालमेल सुनिश्चित हो।

5. सामुदायिक भागीदारी (Community Participation)

- ग्राम प्रधान, स्वयंसेवक, शिक्षक, महिला समूह (SHG), और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता स्थानीय स्तर पर "पहली प्रतिक्रिया टीम (First Responders)" के रूप में कार्य करेंगे।
- "आपदा मित्र" कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षित युवाओं को राहत व निकासी कार्यों में सक्रिय किया जाएगा।

5.7 विकलांग व्यक्तियों की निकासी और प्रतिक्रिया– जनपद रूद्रप्रयाग पर्वतीय एवं सीमांत क्षेत्र होने के कारण भूकंप, भूस्खलन, अतिवृष्टि, सड़क दुर्घटनाओं और आगजनी जैसी आपदाओं की संभावना अधिक रहती है। ऐसे में विकलांग,

दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित, मानसिक रूप से अस्वस्थ और चलने–फिरने में असमर्थ व्यक्तियों की सुरक्षा विशेष प्राथमिकता का विषय है। जिला प्रशासन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आपदा की स्थिति में ऐसे सभी व्यक्तियों की सुरक्षित निकासी, प्राथमिक चिकित्सा, और पुनर्वास के लिए आवश्यक व्यवस्था की जाए।

1. उद्देश्य (Objective)

- आपदा के दौरान विकलांग व्यक्तियों की पहचान एवं प्राथमिक सुरक्षा सुनिश्चित करना।
- राहत, निकासी और आश्रय स्थलों में विशेष आवश्यकताधारी लोगों की सुविधा हेतु तैयारी करना।
- समुदाय और स्वयंसेवकों को ऐसे व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रशिक्षित करना।
- प्रत्येक ग्राम व वार्ड में विकलांग व्यक्तियों का अद्यतन डाटा बनाए रखना।

2. पूर्व तैयारी (Pre&Disaster Preparedness)

क्र.	कार्य / गतिविधि	जिम्मेदार एजेंसी / अधिकारी	टिप्पणियाँ
1	प्रत्येक ग्राम पंचायत वार्ड में विकलांग व्यक्तियों की सूची तैयार कर अद्यतन रखना	समाज कल्याण विभाग, ग्राम प्रधान	सूची DEOC में भी रखी जाए
2	राहत शिविरों में रैंप, रेलिंग और विशेष शौचालय की व्यवस्था	जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA), PWD, नगर निकाय	निर्माण मानकों के अनुसार
3	प्रशिक्षित स्वयंसेवक (आपदा मित्र / NYK / NSS) को विकलांग व्यक्तियों की सहायता हेतु नामित करना	NYK / DDMA	सूची DEOC में उपलब्ध रहे
4	विद्यालयों, कार्यालयों और अस्पतालों में रैंप व व्हीलचेयर की उपलब्धता सुनिश्चित करना	शिक्षा विभाग, CMO, PWD	भवनों का निरीक्षण समय–समय पर
5	विकलांग व्यक्तियों को आपदा चेतावनी प्रणाली से जोड़ना (SMS, घोषणाएँ, रेडियो, ग्राम वार्ता)	सूचना विभाग, राजस्व विभाग	दृष्टिबाधित / श्रवणबाधित हेतु वैकल्पिक संचार

3. निकासी प्रक्रिया (Evacuation Procedure)

1. प्राथमिक पहचान

- ग्राम आपदा प्रबंधन समिति (VDMC) द्वारा पहले से तैयार सूची के अनुसार विकलांग व्यक्तियों की पहचान की जाएगी।
- निकासी टीम को इन स्थानों की जानकारी पहले से होगी।

2. सहायक टीम की नियुक्ति

- प्रत्येक ग्राम में 2–3 स्वयंसेवक विशेष रूप से विकलांग व्यक्तियों की सहायता हेतु नामित किए जाएंगे।
- SDRF / पुलिस / स्थानीय युवा मिलकर सहायता करेंगे।

3. सुरक्षित मार्ग और वाहन

- व्हीलचेयर–अनुकूल वाहन, स्ट्रेचर और अस्थायी रैंप की व्यवस्था की जाएगी।
- पहाड़ी क्षेत्रों में पालकी, रस्सी सहायता या अस्थायी स्ट्रेचर का उपयोग किया जाएगा।

4. राहत शिविरों में विशेष व्यवस्था

- प्रवेश द्वार पर रैंप, फर्श पर नॉन–स्लिप मैट, प्रकाश व्यवस्था, और अलग शौचालय सुविधा।
- दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए श्रव्य संकेतक (Audio Alert)।
- श्रवणबाधित व्यक्तियों हेतु दृश्य चेतावनी संकेत (Flash Signal)।

5. राहत और चिकित्सा सहायता (Relief and Medical Assistance)

- स्वास्थ्य विभाग द्वारा विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष चिकित्सा सहायता टीम तैनात की जाएगी।

- यदि किसी को चलने या सुनने में कठिनाई है, तो उसकी मदद के लिए सहायक उपकरण (crutches, hearing aid, wheelchair) मुहैया कराई जाएगी।
- राहत शिविरों में बैठने और सोने की व्यवस्था अलग और सुरक्षित स्थान पर की जाएगी।
- मनोवैज्ञानिक सहायता (Counselling) की व्यवस्था भी की जाएगी।

6. प्रशिक्षण और जनजागरूकता (Training – Awareness)

- आपदा मित्र, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, ग्राम प्रधान, शिक्षक, और पंचायत सचिव को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा कि विकलांग व्यक्तियों को कैसे निकाला और संभाला जाए।
- स्कूलों और समुदायों में मॉक ड्रिल के दौरान ऐसे व्यक्तियों को शामिल किया जाएगा ताकि वास्तविक स्थिति में कोई भ्रम न हो।
- Inclusive Disaster Management की भावना को ग्राम स्तर तक पहुंचाया जाएगा।

5.8 विभिन्न कार्यों के लिए टीमों का गठन– आपदा के समय त्वरित, समन्वित एवं प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न विभागों और एजेंसियों को मिलाकर विभिन्न कार्यों हेतु टीमों का गठन किया जाता है। इन टीमों का उद्देश्य राहत, बचाव, पुनर्वास, चिकित्सा, संचार, परिवहन, और लॉजिस्टिक कार्यों में तत्परता सुनिश्चित करना है।

1. उद्देश्य (Objective)

- आपदा प्रतिक्रिया के दौरान कार्यों का स्पष्ट विभाजन करना।
- प्रत्येक टीम की जिम्मेदारी और नोडल अधिकारी निर्धारित करना।
- जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA), SDRF, NDRF और स्थानीय प्रशासन के बीच समन्वय स्थापित करना।
- त्वरित निर्णय और स्थल पर क्रियान्वयन की सुविधा देना।

2. टीम गठन की प्रक्रिया (Team Formation Process)

- जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) द्वारा प्रतिवर्ष सभी टीमों की सूची का अद्यतन किया जाएगा।
- प्रत्येक टीम के प्रमुख अधिकारी और वैकल्पिक अधिकारी नामित किए जाएंगे।
- टीमों के संपर्क विवरण (Mobile, WhatsApp, Email) जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र (DEOC) में प्रदर्शित रहेंगे।
- सभी टीमों को वर्ष में कम से कम एक बार प्रशिक्षण और मॉक ड्रिल में शामिल किया जाएगा।

1. विभिन्न कार्यों हेतु गठित टीमें (Teams for Specific Functions)

क्र. सं.	टीम का नाम	मुख्य कार्य/जिम्मेदारी	नोडल विभाग/अधिकारी	सहायक विभाग
1.	चेतावनी एवं सूचना प्रसारण टीम (Warning-Communication Team)	मौसम पूर्व चेतावनी, जनता को अलर्ट संदेश, मीडिया समन्वय	जिला सूचना अधिकारी (DIO)	पुलिस, NIC, राजस्व विभाग
2.	राहत एवं बचाव टीम (Relief and Rescue Team)	प्रभावित क्षेत्रों में बचाव, घायल व्यक्तियों की सहायता	पुलिस अधीक्षक (SP)/ SDRF प्रभारी	अग्निशमन, स्वास्थ्य, सेना, एनडीआरएफ
3.	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य टीम (Medical-Health Team)	घायलों का उपचार, प्राथमिक चिकित्सा, एम्बुलेंस प्रबंधन	मुख्य चिकित्साधिकारी (CMO)	स्वास्थ्य, रेडक्रॉस, पशु चिकित्सा विभाग

क्र. सं.	टीम का नाम	मुख्य कार्य / जिम्मेदारी	नोडल विभाग / अधिकारी	सहायक विभाग
4.	लॉजिस्टिक एवं परिवहन टीम (Logistics and Transport Team)	राहत सामग्री, वाहन, ईंधन एवं परिवहन व्यवस्था	ARTO / परिवहन अधिकारी	खाद्य एवं आपूर्ति, PWD
5.	भोजन एवं पेयजल आपूर्ति टीम (Food-Water Supply Team)	राहत शिविरों में भोजन व जल आपूर्ति	जिला पूर्ति अधिकारी	जल संस्थान, नगर निकाय, शिक्षा विभाग
6.	संचार एवं समन्वय टीम (Coordination-Communication Team)	विभागों के बीच सूचना प्रवाह और समन्वय	ADM (वित्त एवं राजस्व)	DEOC सभी नोडल अधिकारी
7.	सुरक्षा एवं भीड़ नियंत्रण टीम (Security-Law-Order Team)	सुरक्षा, ट्रैफिक प्रबंधन, भीड़ नियंत्रण	पुलिस विभाग	होमगार्ड, PRD, SDRF
8.	निर्माण एवं मरम्मत टीम (Infrastructure-Engineering Team)	सड़क, पुल, विद्युत, जलापूर्ति की मरम्मत	PWD, UJVNL	जल संस्थान, ऊर्जा विभाग
9.	आश्रय एवं राहत शिविर प्रबंधन टीम (Shelter-Camp Management Team)	शिविर की व्यवस्था, शौचालय, प्रकाश, आवास प्रबंधन	नगर पालिका / पंचायत विभाग	शिक्षा, स्वास्थ्य, PRD
10.	सामग्री मूल्यांकन एवं क्षति आकलन टीम (Damage Assessment Team)	संपत्ति, भवन, सड़क, फसल आदि की क्षति का मूल्यांकन	राजस्व विभाग	कृषि, PWD, उद्यान विभाग
11.	विकलांग व विशेष समूह सहायता टीम (Disability -Special Group Support Team)	विकलांग, वृद्ध, गर्भवती महिलाओं व बच्चों की सुरक्षा	समाज कल्याण अधिकारी	ICDS, आंगनवाड़ी, स्वास्थ्य विभाग
12.	पशुधन सहायता टीम (Animal Care Team)	पशुओं का उपचार, चारा वितरण, पशु शिविर प्रबंधन	पशुपालन विभाग	कृषि, वन विभाग
13.	स्वयंसेवक एवं NGO समन्वय टीम (Volunteer -NGO Coordination Team)	स्वयंसेवकों का प्रशिक्षण, NGO के साथ समन्वय	DDMA / NYK	रेडक्रॉस, NSS, NCC
14.	प्रेस एवं जनसंपर्क टीम (Public Information-Media Team)	मीडिया ब्रीफिंग, जन–जागरूकता	सूचना वितरण जिला सूचना कार्यालय	सभी विभाग
15.	वित्तीय प्रबंधन टीम (Financial Management Team)	राहत कोष का वितरण, लेखा परीक्षण, व्यय नियंत्रण	कोषाधिकारी / वित्त अधिकारी	लेखा एवं वित्त विभाग

2. टीमों का प्रशिक्षण एवं मॉक ड्रिल (Training and Mock Drill)

- प्रत्येक टीम के सदस्य को आपदा प्रतिक्रिया, प्राथमिक चिकित्सा, फर्स्ट एड, संचार और उपकरण उपयोग पर वार्षिक प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- SDRF और NDRF द्वारा संयुक्त मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा।
- ग्राम और ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों में टीमों की भागीदारी अनिवार्य होगी।

5.9 जनपद में IRS (Incident Response System) को सक्रिय करना–आपदा की स्थिति में समन्वित, त्वरित और प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए Incident Response System (IRS) को सक्रिय किया जाता है। यह प्रणाली आपदा प्रतिक्रिया के दौरान विभिन्न विभागों की जिम्मेदारियों, आदेश श्रृंखला (chain of command), और संचार व्यवस्था को स्पष्ट करती है।

1. IRS सक्रिय करने की स्थिति– जनपद रूद्रप्रयाग में निम्न परिस्थितियों में IRS को तत्काल सक्रिय किया जाएगा–

- किसी भी प्राकृतिक या मानवजनित आपदा जैसे भूकंप, भूस्खलन, बादल फटना, आग, सड़क दुर्घटना, जलभराव या महामारी की स्थिति में।
- जब स्थानीय प्रशासन की क्षमता से अधिक संसाधनों की आवश्यकता हो।
- जब राज्य या राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा निर्देश प्राप्त हो।

2. IRS के प्रमुख घटक (मुख्य अधिकारी)

पदनाम	जिम्मेदारी / भूमिका	अधिकारी / विभाग
Incident Commander (IC)	समग्र नेतृत्व एवं नियंत्रण	जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग
Operations Section Chief (OSC)	राहत, बचाव, निकासी कार्यों का संचालन	अपर जिलाधिकारी (राजस्व)
Planning Section Chief (PSC)	डाटा एकत्रीकरण, सूचना विश्लेषण, संसाधन योजना	मुख्य विकास अधिकारी (CDO)
Logistics Section Chief (LSC)	राहत सामग्री, उपकरण, परिवहन एवं मानव संसाधन व्यवस्था	जिला आपूर्ति अधिकारी / DPRO
Finance & Administration Section Chief (FSC)	व्यय, भुगतान, लेखा एवं संसाधनों का रिकॉर्ड	जिला कोषाधिकारी / लेखा अधिकारी

3. IRS की सक्रियण प्रक्रिया (Activation Procedure)

- आपदा की सूचना प्राप्त होते ही जिलाधिकारी द्वारा DEOC को अलर्ट मोड पर किया जाएगा।
- DEOC स्थिति की पुष्टि कर Incident Commander (IC) को रिपोर्ट देगा।
- IC स्थिति के अनुसार IRS संरचना को सक्रिय करेगा और संबंधित Section Chiefs को आदेश जारी करेगा।
- सभी सेक्शन प्रमुख अपने–अपने नोडल अधिकारियों और टीमों को सक्रिय करेंगे।
- आवश्यकतानुसार SEOC (राज्य आपात केंद्र) को सहायता के लिए सूचना दी जाएगी।

4. IRS कमांड संरचना (Command Structure – Rudraprayag District)

- Incident Commander: जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग
- Deputy Incident Commander: अपर जिलाधिकारी
- Operations Section: राजस्व, पुलिस, SDRF, PWD, स्वास्थ्य, जल संस्थान, अग्निशमन, परिवहन विभाग
- Planning Section: CDO, कृषि, शिक्षा, पशुपालन, पंचायत, नगर पालिका
- Logistics Section: आपूर्ति, परिवहन, खाद्य विभाग, डीआईओ (NIC), जल संस्थान
- Finance Section: कोषागार, लेखा, वित्त एवं योजना विभाग

5. IRS की बैठक एवं रिपोर्टिंग प्रणाली

- IRS बैठक DEOC, रूद्रप्रयाग में नियमित अंतराल पर आयोजित की जाएगी।
- प्रत्येक सेक्शन प्रमुख अपनी स्थिति रिपोर्ट (Situation Report – SITREP) प्रत्येक 6 घंटे में DEOC को देंगे।
- IC द्वारा समग्र स्थिति की समीक्षा कर SEOC को रिपोर्ट भेजी जाएगी।

6. प्रशिक्षण एवं मॉक ड्रिल

- जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा IRS अधिकारियों के लिए वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
- प्रत्येक छह माह में IRS आधारित मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी ताकि सभी विभाग वास्तविक स्थिति में समन्वय के लिए तैयार रहें।

7. IRS नियंत्रण कक्ष (IRS Control Room)

- DEOC, कलेक्ट्रेट रूद्रप्रयाग में स्थित होगा।
- इसमें 24X7 संचार सुविधा, वायरलेस नेटवर्क, सैटेलाइट फोन, इंटरनेट, वॉकी–टॉकी और व्हाइटबोर्ड सुविधा होगी।
- नियंत्रण कक्ष में सभी विभागों के संपर्क नंबर, राहत संसाधन सूची और मानचित्र प्रदर्शित रहेंगे।

8. समन्वय एवं पुनर्स्थापन (Coordination – Demobilization)

- जब स्थिति नियंत्रण में आ जाए तो Incident Commander द्वारा सभी सेक्शन प्रमुखों के साथ समीक्षा की जाएगी।
- राहत व पुनर्स्थापन कार्य पूर्ण होने पर IRS को औपचारिक रूप से निष्क्रिय किया जाएगा।
- सभी रिकॉर्ड, व्यय विवरण और रिपोर्ट DEOC में सुरक्षित रखी जाएगी।
- किसी भी आपदा की स्थिति में जिलाधिकारी "Incident Commander" के रूप में कार्य करेंगे तथा सभी विभाग ICS संरचना के अनुसार दायित्व निभाएँगे।

5.10 अन्य एजेंसी से सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया–राज्य, सेना, NDRF, BRO एवं अन्य एजेंसियों से सहायता हेतु औपचारिक अनुरोध DEOC के माध्यम से SEOC को भेजा जाएगा। जनपद रूद्रप्रयाग की भौगोलिक स्थिति पर्वतीय एवं सीमावर्ती होने के कारण यहां बाहरी एजेंसियों की सहायता समय पर प्राप्त करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।

1. सहायता प्राप्त करने की आवश्यकता

- जब स्थानीय प्रशासन, पुलिस, चिकित्सा, अग्निशमन, या एसडीआरएफ की उपलब्ध क्षमता अपर्याप्त हो।
- जब एक से अधिक तहसीलोंध्ब्लॉकों में एक साथ आपदा प्रभावित क्षेत्र हों।
- जब आपदा की तीव्रता ष्स्तर–2ष या ष्स्तर–3ष (राज्य या राष्ट्रीय स्तर) घोषित हो।
- जब राहत शिविरों, परिवहन, चिकित्सा या संचार में बाहरी सहायता की आवश्यकता हो।

2. सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया (Process Flow)

(क) प्रारंभिक सूचना एवं अनुरोध

- तहसील स्तर पर दृ तहसीलदारध्राजस्व निरीक्षक द्वारा स्थिति की प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार की जाती है।
- जिला आपदा नियंत्रण कक्ष (EOC] Rudarparyag) को तत्काल सूचित किया जाता है।
- जिलाधिकारी रूद्रप्रयाग द्वारा स्थिति का मूल्यांकन कर आवश्यकता अनुसार सहायता के प्रकार की
- पहचान की जाती है (जैसे दृ राहत सामग्री, मानव संसाधन, मशीनरी, हेलीकॉप्टर, चिकित्सक दल आदि)।

(ख) राज्य स्तर पर अनुरोध

- यदि स्थिति जिला स्तर की क्षमता से बाहर हो, तो जिलाधिकारी द्वारा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (USDMA) देहरादून एवं राजस्व सचिव/आपदा सचिव उत्तराखंड शासन को अनुरोध भेजा जाता है।
- अनुरोध लिखित, टेलीफोनिक या ई–मेल माध्यम से "Form–IRR (Immediate Resource Request)" के अनुसार भेजा जा सकता है।

(ग) विशेष बलों की सहायता प्राप्ति

- एसडीआरएफ उत्तराखंड दृ देहरादून से अनुरोध पर टीम रूद्रप्रयाग भेजी जाती है।
- एनडीआरएफध्सशस्त्र बलदृयदि आवश्यकता हो, तो राज्य के माध्यम से गृह मंत्रालय, भारत सरकार को अनुरोध प्रेषित किया जाता है।
- आईटीबीपीध्सेना इकाई दृ टनकपुर, लोहाघाट या पिथौरागढ़ सेक्टर में स्थित इकाइयों से तत्काल समन्वय किया जा सकता है।

(घ) एनजीओ /निजी एजेंसी सहयोग

- आपदा के दौरान रूद्रप्रयाग में सक्रिय एनजीओ जैसे रेडक्रॉस सोसाइटी, नेहरू युवा केन्द्र, एनएसएस, स्काउट–गाइड, तथा स्थानीय सामाजिक संस्थाओं को जिला प्रशासन द्वारा राहत कार्य में शामिल किया जाता है।
- इन एजेंसियों को कार्य क्षेत्र (जैसे खाद्य वितरण, स्वास्थ्य सेवा, पशु चिकित्सा सहायता, संचार आदि) के अनुसार दायित्व सौंपे जाते हैं।

5.11 लॉजिस्टिक उपकरणों और भंडारण की जांच एवं प्रमाणन–भंडारण स्थलों पर राहत सामग्री, JCB, डोजर, टेंट, जनरेटर, बोट आदि का समय–समय पर परीक्षण एवं प्रमाणन किया जाएगा।

5.12 चेतावनी प्रणाली का प्रशिक्षण–आपदा की स्थिति में जिला प्रशासन के पास उपलब्ध संसाधन सीमित हो सकते हैं। ऐसे में राहत, बचाव, पुनर्वास और पुनर्निर्माण कार्यों को प्रभावी ढंग से संचालित करने हेतु अन्य विभागों, राज्य, केंद्र सरकार, निजी संस्थानों, गैर सरकारी संगठनों (NGO), स्वयंसेवी संस्थाओं (VOs), तथा सशस्त्र बलों (Army, ITBP, NDRF, SDRF आदि) से सहायता प्राप्त की जाती है। आपदा की स्थिति में समय पर चेतावनी (Early Warning) जारी करना जनहानि एवं संपत्ति के नुकसान को कम करने का सबसे प्रभावी उपाय है। इसके लिए जिला स्तर पर स्थापित चेतावनी प्रणाली का सही संचालन एवं प्रशिक्षण अत्यंत आवश्यक है। जनपद रूद्रप्रयाग की भौगोलिक परिस्थितियाँ कृ पर्वतीय क्षेत्र, नदी घाटियाँ, भूस्खलन प्रवण क्षेत्र इसे आपदाओं के प्रति संवेदनशील बनाती हैं। इसलिए चेतावनी प्रणाली का नियमित प्रशिक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है।

1. उद्देश्य

- जिला, तहसील एवं ग्राम स्तर पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों को चेतावनी प्रणाली के संचालन का प्रशिक्षण देना।
- संचार चौनलों (Wireless, VHF, eksckby, WhatsApp, Control Room) की कार्यप्रणाली को समझाना।
- सूचना के प्रवाह (Warning Flow) की समयबद्धता और सटीकता सुनिश्चित करना।
- समुदायों को चेतावनी मिलने पर उचित प्रतिक्रिया हेतु तैयार करना।

2. प्रशिक्षण की आवश्यकता

- पर्वतीय क्षेत्रों में संचार बाधित होने की संभावना रहती है।
- कुछ क्षेत्रों में मोबाइल नेटवर्क कमजोर है, अतः वैकल्पिक संचार (VHF, HAM Radio) का प्रयोग आवश्यक है।
- चेतावनी मिलने पर अधिकारियों, पुलिस, SDRF, स्वास्थ्य एवं ग्राम स्तर पर त्वरित प्रतिक्रिया देने हेतु समन्वित अभ्यास आवश्यक है।

3. चेतावनी प्रणाली की संरचना (Rudraprayag Early Warning System)

स्तर	नियंत्रण केंद्र	उपकरण / माध्यम	मुख्य जिम्मेदारी
जिला स्तर	जिला आपदा नियंत्रण कक्ष (DEOC) – रूद्रप्रयाग	Wireless,VHF, Mobile, Satellite Phone	चेतावनी प्राप्त करना एवं प्रसारित करना
तहसील स्तर	तहसील आपदा नियंत्रण कक्ष (रूद्रप्रयाग, जखोली, ऊखीमठ, बसुकेदार)	VHF सेट, मोबाइल नेटवर्क	जिला EOC से सूचना लेकर ग्रामों तक पहुँचाना
ग्राम स्तर	ग्राम आपदा प्रबंधन समिति (VDMC)	मोबाइल, मेघ सायरन, माइक / ढोल / ग्राम सूचना तंत्र	समुदाय को सतर्क करना एवं निकासी शुरू करना

4. प्रशिक्षण कार्यक्रम की प्रक्रिया

(क) प्रशिक्षण आयोजन की रूपरेखा

- प्रशिक्षण नोडल एजेंसी: जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) रूद्रप्रयाग
- समन्वयक विभाग: राजस्व, पुलिस, स्वास्थ्य, शिक्षा, PWD, SDRF
- सहयोगी संस्थान: NDRF, रेडक्रॉस, नेहरू युवा केन्द्र, एनएसएस, स्काउट–गाइड, वन विभाग
- स्थानरू जिला प्रशिक्षण केंद्र / तहसील मुख्यालय / विद्यालय / ग्राम पंचायत भवन

(ख) प्रशिक्षण के प्रमुख चरण

चरण	विवरण	उत्तरदायी अधिकारी
चरण–1	अधिकारियों एवं कर्मचारियों का सैद्धांतिक प्रशिक्षण – चेतावनी प्रणाली की समझ	ADM / DDMO
चरण–2	उपकरण आधारित प्रशिक्षण – VHF, Wireless, Satellite Phone का उपयोग	SDRF / Police Radio Officer
चरण–3	संचार अभ्यास – सूचना प्राप्ति से प्रसारण तक मॉक ड्रिल	SDM Concerned
चरण–4	समुदाय स्तर पर चेतावनी सन्देश की पहचान एवं निकासी अभ्यास	ग्राम प्रधान / VDMC
चरण–5	प्रशिक्षण के बाद मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करना	DDMO / CDO

2. प्रशिक्षण की आवृत्ति (Frequency)

स्तर	प्रशिक्षण आवृत्ति	टिप्पणी
जिला स्तरीय अधिकारी	वर्ष में 2 बार (पूर्व मानसून और शीतकाल से पूर्व)	मुख्यालय में आयोजित
तहसील स्तरीय कर्मचारी	वर्ष में 2 बार	SDM कार्यालय द्वारा
ग्राम स्तर / VDMC	वर्ष में 1 बार	ग्राम पंचायत में मॉक ड्रिल सहित
विद्यालय / समुदाय	वर्ष में 1 बार	स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम के तहत

6. प्रशिक्षण विषयवस्तु (Training Modules)

- आपदा चेतावनी प्रणाली का परिचय
- राज्य / जिला आपदा नियंत्रण कक्ष की भूमिका
- चेतावनी प्राप्त करने एवं प्रसारित करने की विधि
- प्राकृतिक संकेतों की पहचान (जैसे बारिश, भूस्खलन, नदी जलस्तर)
- तकनीकी उपकरणों (VHF, Satellite Phone, SIREN System) का उपयोग
- संचार श्रृंखला में देरी न होने के उपाय

- चेतावनी के बाद जनसमुदाय को प्रतिक्रिया हेतु प्रशिक्षित करना
- मॉक ड्रिल एवं समीक्षा प्रक्रिया
- स्वचलित मौसम केन्द्र तथा वर्षामापी यंत्रों का विवरण–

क्र.सं.	उपकरण का नाम	स्थान	तहसील	पता
1	AWS/ARG/SSS	रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जिलाधिकारी कार्यालय, रूद्रप्रयाग
2	AWS	अगस्त्यमुनि	रूद्रप्रयाग	
3	AWS	जखोली	जखोली	
4	AWS	केदारनाथ	ऊखीमठ	
5	AWS/ARG/SSS	ऊखीमठ	ऊखीमठ	
6	ASG	ऊखीमठ	ऊखीमठ	
7	ASG	चोपता	ऊखीमठ	

5.13 जनपद आपातकालीन संचालन केंद्र का परीक्षण–प्रत्येक तीन माह में DEOC का मॉक टेस्ट एवं सैटेलाइट संचार प्रणाली की जांच की जाएगी। आपातकालीन संचालन केंद्र (Emergency Operation Centre – EOC) किसी भी आपदा की स्थिति में कमांड, कंट्रोल और कम्युनिकेशन का मुख्य केंद्र होता है। जनपद रूद्रप्रयाग में स्थापित EOC का मुख्य उद्देश्य आपदा के समय सूचना संग्रह, विश्लेषण, राहत–संसाधन प्रबंधन, एवं त्वरित निर्णय सुनिश्चित करना है। इसकी कार्यक्षमता बनाए रखने हेतु इसका नियमित परीक्षण (Testing) एवं मूल्यांकन (Evaluation) किया जाना आवश्यक है।

1. उद्देश्य

- यह सुनिश्चित करना कि आपात स्थिति में EOC की सभी संचार प्रणालियाँ सुचारू रूप से कार्य कर रही हैं।
- उपकरणों (Wireless, VHF, Computer, Generator, CCTV, Satellite Phone आदि) की कार्यप्रणाली की जांच करना।
- प्रशिक्षित कर्मचारियों की तैनाती और तत्परता का मूल्यांकन।
- डेटा बैकअप, संपर्क सूची (Directory), और संसाधन विवरण का अद्यतन सत्यापन करना।
- आपदा की स्थिति में Incident Command System (ICS) के अंतर्गत त्वरित समन्वय सुनिश्चित करना।

2. जनपद में EOC की स्थिति

- स्थान: जिला आपदा नियंत्रण कक्ष, कलेक्ट्रेट भवन, रूद्रप्रयाग
- प्रमुख अधिकारी: जिलाधिकारी (Incident Commander)
- संचालन अधिकारी: जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी (DDMO), रूद्रप्रयाग
- संपर्क माध्यम: लैंडलाइन, VHF, ईमेल, मोबाइल, वायरलेस, व्हाट्सएप ग्रुप
- कर्मचारी: Control Room Incharge, Data Entry Operator, सहायक कर्मचारी
- कार्य समय: सामान्य स्थिति में 24×7 मॉनिटरिंग/आपदा के समय निरंतर संचालन

3. परीक्षण की आवश्यकता

- पर्वतीय भूगोल के कारण बिजली, नेटवर्क या सड़क मार्ग बाधित हो सकता है।
- तकनीकी उपकरणों की निरंतर कार्यप्रणाली सुनिश्चित करनी होती है।
- EOC में कार्यरत कर्मियों को हर परिस्थिति में कार्य करने की क्षमता विकसित करनी होती है।
- समय–समय पर अभ्यास (Mock Drill) के माध्यम से कमजोरियों की पहचान की जा सके।

4. EOC परीक्षण की प्रक्रिया (Testing Procedure)

(क) तैयारी चरण (Pre&Test Stage)

- DDMO रूद्रप्रयाग द्वारा परीक्षण की तिथि निर्धारित की जाती है।
- सभी संबंधित विभागों (पुलिस, SDRF, स्वास्थ्य, PWD, जल संस्थान, ऊर्जा, संचार, परिवहन आदि) को सूचित किया जाता है।
- Control Room कर्मियों को उपकरण जांच की सूची (Checklist) दी जाती है।

(ख) परीक्षण चरण (Testing Stage)

1. संचार परीक्षण:

- VHF एवं वायरलेस नेटवर्क की जाँच (SDM कार्यालयों से संपर्क परीक्षण)।
- मोबाइल एवं लैंडलाइन के माध्यम से सूचना प्रसारण परीक्षण।
- इंटरनेट और ईमेल संचार की कार्यशीलता की पुष्टि।

2. विद्युत एवं बैकअप परीक्षण:

- DG Set (Generator) का संचालन परीक्षण।
- UPS / Solar Backup की क्षमता जांच।

3. डेटा एवं सॉफ्टवेयर परीक्षण:

- आपदा प्रबंधन सॉफ्टवेयर, Google Sheet/Portal अपडेट चेक।
- संपर्क सूची, राहत सामग्री सूची और वाहन सूची का सत्यापन।

4. समन्वय परीक्षण:

- EOC से तहसील, ब्लॉक और पुलिस नियंत्रण कक्ष तक सूचना प्रवाह का मॉक ड्रिल।
- Incident Commander तक सूचना पहुँचने में समय का आकलन।

(ग) परीक्षण उपरांत मूल्यांकन (Post&Test Evaluation)

- प्रत्येक विभाग से फीडबैक रिपोर्ट प्राप्त की जाती है।
- कमियों एवं सुधार के सुझावों को संकलित कर EOC Performance Report तैयार की जाती है।
- रिपोर्ट जिलाधिकारी को अनुमोदन हेतु भेजी जाती है।
- सुधार कार्यों की समयबद्ध अनुपालन रिपोर्ट तैयार की जाती है।

5.14 मौसमी आपदाओं से बचाव हेतु सुरक्षा ढांचे का निरीक्षण–बरसात पूर्व भूस्खलन संभावित स्थलों, पुलों, सड़कों एवं नालों का निरीक्षण लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाएगा। जनपद रूद्रप्रयाग भौगोलिक रूप से पर्वतीय, भूस्खलन–प्रवण एवं वर्षा आधारित नदियों से प्रभावित क्षेत्र है। हर वर्ष मानसून, शीतकालीन वर्षा, तेज हवाओं और ओलावृष्टि के कारण जन–धन की हानि की संभावनाएँ बनी रहती हैं। ऐसी मौसमी आपदाओं से बचाव हेतु बनाए गए सुरक्षा ढांचे (Protective Infrastructure) जैसे तटबंध, नालियाँ, पुल, ड्रेनेज, रिटेनिंग वाल, भूस्खलन सुरक्षा दीवारें, जल निकासी तंत्र, राहत शिविर, और चेतावनी उपकरण कृ की नियमित जांच एवं निरीक्षण आवश्यक है।

1. उद्देश्य

- मौसमी आपदाओं के दौरान जनहानि एवं संपत्ति हानि को न्यूनतम करना।
- सुरक्षा ढांचे की स्थिति की समय–समय पर जांच करना।
- दोषपूर्ण या कमजोर संरचनाओं की मरम्मत हेतु पूर्व–योजना बनाना।
- संवेदनशील स्थानों (भूस्खलन, बाढ़, कटाव, हिमपात क्षेत्र) की सूची तैयार करना।
- सभी विभागों के बीच समन्वय स्थापित कर सतत निगरानी सुनिश्चित करना।

2. जनपद रूद्रप्रयाग में प्रमुख मौसमी आपदाएँ

क्रम	आपदा का प्रकार	प्रभावित क्षेत्र / तहसील	संभावित प्रभाव
1	अतिवृष्टि / क्लाउड बर्स्ट	रूद्रप्रयाग, जखोली, ऊखीमठ, बसुकेदार	भूस्खलन, सड़क क्षति
2	नदी तट कटाव / बाढ़	रूद्रप्रयाग	कृषि भूमि व आवासीय क्षति
3	हिमपात	उच्च हिमालयी क्षेत्र	सड़क अवरोध व संचार बाधा
4	ओलावृष्टि / तेज हवाएँ	संपूर्ण जनपद	फसल क्षति, बिजली बाधित
5	भूकंप जनित द्वितीयक आपदा	संपूर्ण जनपद	भवन संरचना प्रभावित

3. सुरक्षा ढांचे का प्रकार और जिम्मेदार विभाग

क्रम	सुरक्षा ढांचा / संरचना	उत्तरदायी विभाग	निरीक्षण आवृत्ति
1	तटबंध, नदी सुरक्षा कार्य	सिंचाई विभाग	वर्ष में 2 बार (पूर्व मानसून व पश्चात)
2	भूस्खलन निरोधक दीवारें / क्रेट वॉल	लोक निर्माण विभाग	वर्ष में 2 बार
3	ड्रेनेज एवं जल निकासी प्रणाली	नगर पालिका / ग्राम पंचायत	प्रत्येक 3 माह
4	राहत शिविर भवन / स्कूल भवन	शिक्षा विभाग / राजस्व विभाग	वर्ष में 1 बार
5	विद्युत पोल, ट्रांसफार्मर	विद्युत विभाग	वर्ष में 2 बार
6	जलापूर्ति एवं पाइपलाइन	जल संस्थान / पेयजल निगम	वर्ष में 2 बार
7	चेतावनी सायरन / संचार उपकरण	DDMO / SDRF	प्रत्येक 6 माह

4. निरीक्षण प्रक्रिया (Inspection Process)

(क) पूर्व निरीक्षण योजना

- DDMO रूद्रप्रयाग द्वारा प्रत्येक वर्ष अप्रैल व अक्टूबर माह में निरीक्षण कार्यक्रम तैयार किया जाता है।
- संबंधित विभागों से संवेदनशील स्थलों की सूची प्राप्त की जाती है।
- निरीक्षण दल गठित किए जाते हैं जिनमें संबंधित विभागों के अभियंता, राजस्व अधिकारी, और पुलिस प्रतिनिधि शामिल होते हैं।

(ख) स्थल निरीक्षण

- प्रत्येक ढांचे की भौतिक स्थिति का मूल्यांकन किया जाता है।
- फोटो, वीडियो एवं GPS समन्वय के साथ Inspection Report तैयार की जाती है।
- यदि कोई ढांचा क्षतिग्रस्त या कमजोर पाया जाता है तो तत्काल मरम्मत की संस्तुति की जाती है।

(ग) रिपोर्ट एवं अनुवर्ती कार्यवाही

- सभी निरीक्षण रिपोर्ट जिला आपदा नियंत्रण कक्ष (EOC) में संकलित की जाती हैं।
- DM/CDO के माध्यम से संबंधित विभाग को आवश्यक सुधार कार्य हेतु आदेश दिए जाते हैं।
- कार्य पूर्ण होने पर Compliance Report तैयार कर DM रूद्रप्रयाग को भेजी जाती है।

5 निरीक्षण टीमों का गठन (जनपद रूद्रप्रयाग)

क्रम	टीम का नाम	प्रमुख अधिकारी	सदस्य विभाग
1	तटबंध निरीक्षण टीम	EE, सिंचाई विभाग	राजस्व, SDRF, PWD
2	भूस्खलन निरीक्षण टीम	EE, PWD	वन विभाग, DDMO
3	शहरी सुरक्षा टीम	EO, नगर पालिका	विद्युत, स्वास्थ्य, जल संस्थान
4	ग्राम स्तरीय निरीक्षण टीम	संबंधित SDM / तहसीलदार	ग्राम प्रधान, सचिव, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता
5	शिक्षा भवन निरीक्षण टीम	BEO / खंड शिक्षा अधिकारी	राजस्व, PWD

5.15 त्वरित प्रतिक्रिया दलों की पहचान–प्रत्येक ब्लॉक एवं तहसील स्तर पर राजस्व, पुलिस, स्वास्थ्य, SDRF, और अग्निशमन विभाग से "Quick Response Team (QRT)" गठित की जाएगी।आपदा की स्थिति में त्वरित राहत, बचाव एवं पुनर्वास कार्यों के संचालन हेतु जनपद रूद्रप्रयाग में त्वरित प्रतिक्रिया दल (Quick Response Teams –

QRTs) गठित किए गए हैं। इन दलों का उद्देश्य आपदा की सूचना प्राप्त होते ही स्थल पर तुरंत पहुँचकर राहत एवं बचाव कार्य प्रारंभ करना है।

(1) त्वरित प्रतिक्रिया दलों के गठन का उद्देश्य:

- आपदा की स्थिति में तत्काल राहत एवं बचाव कार्य प्रारंभ करना।
- प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक संसाधन एवं सेवाएँ शीघ्र पहुँचाना।
- सूचना, समन्वय एवं नियंत्रण तंत्र को प्रभावी बनाना।
- जनहानि एवं संपत्ति हानि को न्यूनतम करना।

(2) दलों की संरचना (जनपद स्तर पर)

- जिलाधिकारी रूद्रप्रयाग की अध्यक्षता में निम्नलिखित विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी त्वरित प्रतिक्रिया दलों में सम्मिलित हैं—

क्र.सं	दल का नाम	नोडल विभाग / अधिकारी	प्रमुख उत्तरदायित्व
1.	खोज एवं बचाव दल	SDRF/पुलिस/फायर सेवा	फँसे हुए लोगों का रेस्क्यू, घायल व्यक्तियों को सुरक्षित स्थान पर ले जाना
2.	चिकित्सा एवं प्राथमिक उपचार दल	मुख्य चिकित्सा अधिकारी	घायलों को प्राथमिक उपचार एवं अस्पताल तक परिवहन
3.	संचार एवं सूचना दल	सूचना विभाग/BSNL	संचार माध्यमों को सक्रिय रखना, सूचना का प्रसार
4.	पुलिस सुरक्षा दल	पुलिस विभाग	सुरक्षा व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण, संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी
5.	पेयजल एवं स्वच्छता दल	जल संस्थान / जल निगम	स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता, अस्थायी जलापूर्ति
6.	बिजली पुर्नस्थापना दल	विद्युत विभाग	बिजली आपूर्ति बहाल करना, क्षतिग्रस्त लाइनों की मरम्मत
7.	सड़क एवं परिवहन दल	लोक निर्माण विभाग	सड़कों से मलबा हटाना, आपात परिवहन की व्यवस्था
8.	खाद्य एवं रसद दल	खाद्य एवं आपूर्ति विभाग	आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति एवं राहत सामग्री वितरण
9.	पशुपालन सहायता दल	पशुपालन विभाग पशुओं की देखभाल,	चारे एवं दवा की उपलब्धता
10.	स्वयंसेवी दल / एनजीओ सहायता दल	आपदा प्रबंधन प्राधिकरण / एनजीओ	राहत शिविरों में सहयोग, जागरूकता एवं जनसंपर्क कार्य
11.	नगर निकाय दल	नगरपालिका/ग्राम पंचायतें	मलबा हटाना, सफाई एवं कचरा निस्तारण
12.	महिला एवं बाल कल्याण दल	महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग	राहत शिविरों में महिलाओं एवं बच्चों के लिए विशेष सहायता

(3) त्वरित प्रतिक्रिया दलों का संचालन तंत्र

- सभी दलों का समन्वय जिला आपातकालीन संचालन केंद्र (DEOC), रूद्रप्रयाग द्वारा किया जाता है।
- प्रत्येक दल का नोडल अधिकारी नामित है, जो आपदा की सूचना प्राप्त होते ही अपनी टीम को सक्रिय करेगा।
- दलों की संपर्क सूची, दायित्व और संसाधनों की जानकारी DEOC में संधारित की जाती है।
- सभी दलों को समय–समय पर मॉक ड्रिल एवं प्रशिक्षण द्वारा तैयार रखा जाता है।

(4) ब्लॉक एवं तहसील स्तर पर दलों की व्यवस्था:

- तहसील रूद्रप्रयाग, जखोली, ऊखीमठ और बसुकेदार में स्थानीय स्तर पर QRTs गठित हैं।
- प्रत्येक तहसील में राजस्व निरीक्षक, ग्राम पंचायत अधिकारी, फॉरेस्ट गार्ड, आशा कार्यकर्ता एवं स्वयंसेवी संस्थाएँ सहयोग करती हैं।

- ब्लॉक विकास अधिकारी द्वारा दलों की गतिविधियों की समीक्षा की जाती है।

(5) संसाधन एवं प्रशिक्षण:

- सभी त्वरित प्रतिक्रिया दलों को आवश्यक उपकरण जैसे — फर्स्ट एड किट, टॉर्च, रस्सियाँ, ट्रॉली, सायरन, संचार सेट आदि प्रदान किए गए हैं।
- प्रशिक्षण SDRF, NDRF एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा नियमित रूप से आयोजित किया जाता है।
- प्रशिक्षण में प्राथमिक उपचार, सर्च एंड रेस्क्यू, फायर सेफ्टी, संचार प्रबंधन एवं लॉजिस्टिक समन्वय शामिल हैं।

5.16 गैर सरकारी संगठनों और हितधारकों का समन्वय–रेडक्रॉस, नेहरू युवा केंद्र, आपदा मित्र, स्वयंसेवी संस्थाओं और NSS के साथ पूर्व से समन्वय बैठकें आयोजित की जाएँगी।

आपदा प्रबंधन एक बहुआयामी कार्य है, जिसमें सरकारी तंत्र के साथ–साथ गैर सरकारी संगठन (NGOs), स्वयंसेवी संस्थाएँ, सामुदायिक समूह, निजी क्षेत्र, मीडिया और आम नागरिकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है।

जनपद रूद्रप्रयाग में आपदा के समय इन सभी हितधारकों का समन्वय जिला प्रशासन द्वारा स्थापित जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) तथा जिला आपातकालीन संचालन केंद्र (DEOC) के माध्यम से किया जाता है।

(1) उद्देश्य

- गैर सरकारी संगठनों, स्वयंसेवी समूहों एवं निजी संस्थानों को आपदा प्रबंधन प्रणाली से जोड़ना।
- राहत, बचाव एवं पुनर्वास कार्यों में सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करना।
- समुदाय स्तर पर जागरूकता और प्रशिक्षण को बढ़ावा देना।
- आपदा के बाद पुनर्निर्माण और मनोवैज्ञानिक सहयोग उपलब्ध कराना।

(2) प्रमुख हितधारक (जनपद रूद्रप्रयाग में):

1. गैर सरकारी संगठन (NGOs):

- रेड क्रॉस सोसाइटी, हेल्प इन हैंड्स, मानव सेवा समिति, सेवा भारती, और अन्य स्थानीय संस्थाएँ।
- इन संगठनों द्वारा राहत सामग्री वितरण, अस्थायी शिविर स्थापना, खाद्य सामग्री, वस्त्र और प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराया जाता है।

2. स्वयंसेवी संस्थाएँ एवं सामाजिक समूह:

- स्काउट गाइड, NSS, नेहरू युवा केंद्र, और कॉलेज/विद्यालय स्तर के युवा समूह।
- आपदा के समय स्वैच्छिक श्रमदान, पीड़ितों की सहायता, और जागरूकता गतिविधियों में भागीदारी।

3. धार्मिक एवं सामुदायिक संस्थाएँ:

- मंदिर समितियाँ, गुरुद्वारा प्रबंधन समिति, महाविद्यालय समितियाँ आदि, राहत शिविरों में भोजन, आश्रय और सेवा उपलब्ध कराती हैं।

4. निजी क्षेत्र और व्यापारी संघ:

- स्थानीय व्यापारी संगठन, होटल एसोसिएशन और ट्रांसपोर्ट यूनियन आपदा के समय आवश्यक संसाधन एवं वाहनों की व्यवस्था में सहयोग करते हैं।

5. मीडिया एवं संचार हितधारक:

- स्थानीय समाचार पत्र, रेडियो स्टेशन, सोशल मीडिया समूह — चेतावनी, अलर्ट और जनसंपर्क में सक्रिय सहयोग देते हैं।

6. शैक्षणिक संस्थान:

- विद्यालय एवं महाविद्यालय स्तर पर आपदा प्रबंधन Dyc

- बनाए गए हैं जो छात्र–छात्राओं को आपदा जागरूकता में प्रशिक्षित करते हैं।

(3) समन्वय की व्यवस्था:

- जिला आपातकालीन संचालन केंद्र (DEOC) सभी हितधारकों से नियमित संपर्क रखता है।
- आपदा की स्थिति में DEOC द्वारा एनजीओ और स्वयंसेवी संस्थाओं को कार्यक्षेत्र (sector) आवंटित किए जाते हैं।
- प्रत्येक तहसील में राजस्व उपनिरीक्षक और तहसीलदार के माध्यम से स्थानीय स्तर पर समन्वय समितियाँ गठित हैं।
- जिला स्तर पर नोडल अधिकारी (आपदा प्रबंधन अधिकारी, रूद्रप्रयाग) को एनजीओ समन्वय की जिम्मेदारी दी गई है।

(4) नियमित बैठकें एवं प्रशिक्षण:

- प्रत्येक छह माह में एनजीओ समन्वय बैठक आयोजित की जाती है जिसमें सभी संगठनों को बुलाया जाता है।
- SDRF, स्वास्थ्य विभाग और आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से संयुक्त प्रशिक्षण एवं मॉक ड्रिल कराई जाती हैं।
- ग्राम स्तर पर स्वयंसेवकों को चेतावनी प्रसारण, प्राथमिक चिकित्सा, और राहत सामग्री वितरण में प्रशिक्षित किया जाता है।

(5) आपदा के समय समन्वय कार्यप्रणाली:

- घटना की सूचना मिलने पर DEOC द्वारा संबंधित एनजीओ को तुरंत सक्रिय किया जाता है।
- प्रभावित क्षेत्र में राहत शिविर, चिकित्सा शिविर, एवं भोजन वितरण का दायित्व बांटा जाता है।
- प्रशासनिक नियंत्रण जिलाधिकारी के अधीन रहता है और सभी एनजीओ उसी के निर्देशन में कार्य करते हैं।
- प्रत्येक संगठन अपनी दैनिक रिपोर्ट DEOC को प्रस्तुत करता है।
- राहत कार्यों की पारदर्शिता के लिए रजिस्टर एवं डिजिटल रिपोर्टिंग की व्यवस्था की जाती है।

(6) आपदा के बाद पुनर्वास में भूमिका:

- पुनर्निर्माण कार्यों में एनजीओ समुदाय को तकनीकी व आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं।
- मनोवैज्ञानिक सहायता (Counselling) और सामाजिक पुनर्वास में भी इनकी भागीदारी रहती है।
- विकलांग, वृद्ध, महिला एवं बाल हितधारकों के लिए विशेष कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं।

5.17 जन हानि प्रबंधन–मृत एवं घायल व्यक्तियों की सूची संधारण, पहचान और परिजनों को सूचना देने हेतु तहसील स्तर पर नोडल अधिकारी नामित रहेंगे।

आपदा की स्थिति में जनहानि (मानव जीवन की हानि) सबसे गंभीर प्रभावों में से एक होती है।

जनपद रूद्रप्रयाग में आपदा के दौरान जनहानि को न्यूनतम करने, मृतकों की पहचान, उनके परिजनों को सहायता प्रदान करने तथा मृतक शरीरों के सम्मानजनक निस्तारण हेतु एक व्यवस्थित जन हानि प्रबंधन प्रणाली विकसित की गई है।

(1) उद्देश्य–

- आपदा में मृत व्यक्तियों की शीघ्र पहचान एवं पंजीकरण।
- शवों का सम्मानपूर्वक निस्तारण।
- लापता व्यक्तियों की खोज एवं परिजनों को सूचना प्रदान करना।

- पीड़ित परिवारों को वित्तीय सहायता एवं मनोवैज्ञानिक सहयोग उपलब्ध कराना।
- संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए स्वच्छता और स्वास्थ्य प्रबंधन।

(2) जन हानि प्रबंधन के लिए दायित्व निर्धारण (जनपद रूद्रप्रयाग):

क्रमांक	विभाग / अधिकारी	प्रमुख उत्तरदायित्व
1.	जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग	संपूर्ण जन हानि प्रबंधन प्रक्रिया का पर्यवेक्षण एवं आदेश जारी करना।
2.	मुख्य चिकित्सा अधिकारी	शवों की पहचान, पोस्टमार्टम, मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करना।
3.	पुलिस विभाग	मृत व्यक्तियों की फोटोग्राफी, पहचान, शवों की सुरक्षा और कानूनी औपचारिकताएँ पूरी करना।
4.	राजस्व विभाग	मृतकों के परिवारों को मुआवजा वितरण, रिपोर्ट तैयार करना और सूची संधारित करना।
5.	नगर पालिका / ग्राम पंचायतें	शव निस्तारण हेतु आवश्यक स्थान, स्वच्छता और अन्य व्यवस्थाएँ करना।
6.	स्वास्थ्य विभाग	संक्रमण नियंत्रण, शवों के लिए सैनिटाइजेशन और स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करना।
7.	स्वयंसेवी संगठन / रेड क्रॉस सोसाइटी	सहायता कार्य, शव पहचान में सहयोग और परिजनों को मनोवैज्ञानिक समर्थन प्रदान करना।

(3) जनहानि की स्थिति में कार्यवाही की प्रक्रिया

1. सूचना प्राप्ति–

- आपदा के बाद मृत या लापता व्यक्तियों की सूचना DEOC रूद्रप्रयाग को प्राप्त होती है।
- संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक एवं पुलिस अधिकारी मौके पर पहुँचकर स्थिति का आकलन करते हैं।

2. शवों की पहचान एवं रिकॉर्डिंग–

- प्रत्येक शव का फोटोग्राफ लिया जाता है, अस्थायी टैग लगाया जाता है।
- शवों की पहचान परिवारजन, स्थानीय नागरिक या पंचायत प्रतिनिधि द्वारा कराई जाती है।
- अज्ञात शवों का DNA सैंपल सुरक्षित किया जाता है।

3. पोस्टमार्टम एवं प्रमाण पत्र–

- चिकित्सा अधिकारी द्वारा पोस्टमार्टम किया जाता है।
- मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर संबंधित परिजनों को प्रदान किया जाता है।

4. निस्तारण–

- यदि शव की पहचान हो चुकी है, तो परिजनों को सुपुर्द किया जाता है।
- अज्ञात शवों का दाह संस्कार या दफन स्थानीय प्रशासन की देखरेख में किया जाता है।
- धार्मिक रीति–रिवाजों का सम्मान सुनिश्चित किया जाता है।

5. मुआवजा एवं सहायता:

- जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित राहत मानकों के अनुसार मृतक परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- मुआवजा वितरण की प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से की जाती है।

6. संक्रमण रोकथाम उपाय:

- शव निस्तारण के बाद क्षेत्र का सैनिटाइजेशन किया जाता है।
- स्वास्थ्य दल द्वारा दवाइयों का छिड़काव एवं जल स्रोतों की जांच की जाती है

5.18 राहत भोजन और पानी की व्यवस्था– खाद्य एवं आपूर्ति विभाग तथा जल संस्थान द्वारा राहत शिविरों में भोजन एवं पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी।आपदा की स्थिति में प्रभावित जनसंख्या के लिए तत्काल राहत,

भोजन एवं पेयजल की उपलब्धता अत्यंत आवश्यक होती है। जनपद रूद्रप्रयाग में इस उद्देश्य हेतु एक सुव्यवस्थित राहत आपूर्ति एवं वितरण प्रणाली विकसित की गई है, जिससे आपदा के समय प्रत्येक प्रभावित व्यक्ति तक शीघ्र सहायता पहुँच सके।

(1) उद्देश्य–

- आपदा प्रभावित व्यक्तियों को समय पर भोजन, स्वच्छ पेयजल और आवश्यक वस्तुएँ उपलब्ध कराना।
- राहत शिविरों में रहने वाले लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना।
- राहत वितरण की पारदर्शिता और समन्वय सुनिश्चित करना।
- बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए विशेष प्रावधान करना।

(2) दायित्व निर्धारण (जनपद रूद्रप्रयाग):

क्रमांक	विभाग/संस्था	प्रमुख उत्तरदायित्व
1.	जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग	राहत वितरण कार्यों की संपूर्ण निगरानी एवं समन्वय।
2.	खाद्य एवं आपूर्ति विभाग	राशन सामग्री (चावल, आटा, दाल, नमक, तेल आदि) की उपलब्धता और वितरण।
3.	नगर पालिका/ग्राम पंचायतें	राहत शिविरों में भोजन पकाने व वितरण की व्यवस्था।
4.	जल संस्थान/जल निगम	स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति, टैंकर प्रबंधन और जल गुणवत्ता की जांच।
5.	स्वास्थ्य विभाग	भोजन और पानी की गुणवत्ता की जांच एवं संक्रामक रोग नियंत्रण।
6.	पुलिस/SDRF	राहत सामग्री की सुरक्षा और वितरण में सहयोग।
7.	एनजीओ/स्वयंसेवी संगठन	भोजन वितरण, राहत सामग्री पैकिंग और वितरण शिविरों में सहायता।

(3) राहत भोजन की व्यवस्था–

1. पूर्व तैयारी–

- जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) द्वारा रूद्रप्रयाग, जखोली, ऊखीमठ और बसुकेदा तहसील स्तर पर राहत खाद्य भंडार स्थापित किए गए हैं।
- प्रत्येक भंडार में सूखा राशन, पैक्ड फूड, बिस्किट, रेडी–टू–ईट भोजन आदि का भंडारण किया जाता है।

2. आपदा के समय क्रियान्वयन:

- प्रभावित क्षेत्रों में अस्थायी "राहत रसोई (Relief Kitchen)" चलाई जाती हैं।
- स्कूल भवन, पंचायत घर या धर्मशालाएँ राहत भोजन केंद्र के रूप में उपयोग की जाती हैं।
- महिला स्वयं सहायता समूह (SHG) एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भोजन तैयार करने में सहयोग करती हैं।

3. विशेष प्रावधान:

- बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं बुजुर्गों के लिए पौष्टिक भोजन जैसे दूध, दलिया, बिस्किट, फल आदि की विशेष व्यवस्था की जाती है।
- भोजन वितरण की सूची DEOC में दर्ज की जाती है ताकि पारदर्शिता बनी रहे।

(4) पेयजल की व्यवस्था:

- जल संस्थान / जल निगम द्वारा प्रभावित क्षेत्रों में टैंकरों के माध्यम से स्वच्छ जल आपूर्ति की जाती है।
- राहत शिविरों में अस्थायी पानी के टैंक (Syntax Tank) लगाए जाते हैं।
- हैंडपंप, ट्यूबवेल और जलस्रोतों की गुणवत्ता की जांच स्वास्थ्य विभाग द्वारा की जाती है।
- क्लोरीन टैबलेट एवं फिल्टर यूनिट राहत टीमों के पास उपलब्ध रखी जाती हैं।
- दुर्गम क्षेत्रों में जल बोतलों का पैकेट वितरण किया जाता है।

(5) राहत सामग्री का भंडारण और परिवहन:

- जनपद स्तर पर राहत सामग्री का मुख्य भंडारण स्थल जिला आपातकालीन संचालन केंद्र (DEOC), रूद्रप्रयाग में स्थित है।
- अतिरिक्त भंडार तहसील रूद्रप्रयाग, जखोली, ऊखीमठ और बसुकेदा में बनाए गए हैं।
- आवश्यकतानुसार निजी ट्रांसपोर्ट यूनियन एवं राज्य परिवहन निगम के वाहनों का उपयोग किया जाता है।
- राहत सामग्री की नियमित जांच और अद्यतन सूची तैयार रखी जाती है।

(6) राहत वितरण की प्रक्रिया:

- सर्वेक्षण: राजस्व विभाग एवं ग्राम स्तर की टीमें प्रभावित परिवारों का सर्वेक्षण करती हैं।
- वितरण सूची तैयार करना: सत्यापन के उपरांत राहत सूची तैयार की जाती है।
- वितरण: शिविरों या पंचायत स्तर पर प्रशासन की उपस्थिति में राहत सामग्री वितरित की जाती है।
- रिपोर्टिंग: राहत वितरण की दैनिक रिपोर्ट DEOC को भेजी जाती है।

5.19 आश्रय, सार्वजनिक चिकित्सा एवं स्वच्छता प्रबंधन– अस्थायी राहत शिविरों में शौचालय, पीने का पानी, चिकित्सीय सुविधा और बच्चों व महिलाओं के लिए पृथक व्यवस्था की जाएगी।आपदा की स्थिति में प्रभावित व्यक्तियों को सुरक्षित आश्रय, चिकित्सकीय सहायता एवं स्वच्छता सुविधाओं की तत्काल व्यवस्था अत्यंत आवश्यक होती है। जनपद रूद्रप्रयाग की भौगोलिक स्थिति पर्वतीय होने के कारण भूस्खलन, अतिवृष्टि, भूकंप एवं सड़क दुर्घटनाओं जैसी आपदाएँ सामान्य हैं। अतः आपदा के समय राहत शिविर, अस्थायी आश्रय, स्वच्छ पेयजल एवं प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं की सुव्यवस्थित व्यवस्था आवश्यक है।

1. आश्रय प्रबंधन (Shelter Management)

1.1 उद्देश्य

- प्रभावित परिवारों को तात्कालिक रूप से सुरक्षित स्थान उपलब्ध कराना।
- राहत शिविरों में भोजन, पानी, शौचालय, दवा एवं आवश्यक सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- महिलाओं, बच्चों, वृद्धजनों एवं दिव्यांगों के लिए विशेष प्रावधान रखना।

1.2 संभावित आश्रय स्थल

जनपद रूद्रप्रयाग में निम्न स्थानों को अस्थायी राहत शिविर हेतु चिह्नित किया गया है:

क्रम	स्थान का नाम	क्षेत्र	सुविधा उपलब्धता
1.	गुलाबराय मैदान	रूद्रप्रयाग मुख्यालय	चिकित्सा निकट
2.	अगस्त्यमुनि क्रीडा मैदान	अगस्त्यमुनि	चिकित्सा निकट
3.	रा0इ0का0 ऊखीमठ	ऊखीमठ	बिजली, पानी, शौचालय
4.	रा0इ0का गुप्तकाशी	गुप्तकाशी	बिजली, पानी, शौचालय
5.	विकास खण्ड मुख्यालय जखोली	जखोली	बिजली, पानी, शौचालय
6.	रा0इ0का0 सिद्धसोड	जखोली	बिजली, पानी, शौचालय
7.	वन चेतना केन्द्र जखोली	जखोली	अस्थायी आश्रय
8.	रा0इ0का0 बसुकेदार	बसुकेदार	बिजली, पानी, शौचालय

1.3 जिम्मेदार विभाग

- नोडल विभाग राजस्व विभाग / जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA)
- सहायक विभाग लोक निर्माण विभाग (PWD), पंचायत राज, नगर निकाय, शिक्षा विभाग, विद्युत एवं जल संस्थान।

1.4 प्रमुख कार्य

- राहत शिविरों का त्वरित संचालन एवं रख–रखाव।
- आवश्यक सामग्रियों की आपूर्ति (टेंट, चादर, दरी, बिस्तर)।
- अस्थायी आवास के लिए सुरक्षित स्थानों का चयन।
- भीड़ नियंत्रण एवं सुरक्षा प्रबंधन (पुलिस विभाग)।

2. सार्वजनिक चिकित्सा प्रबंधन (Public Health Management)

2.1 उद्देश्य

- आपदा के दौरान घायल एवं बीमार व्यक्तियों को शीघ्र उपचार।
- प्राथमिक चिकित्सा शिविर एवं मोबाइल मेडिकल यूनिट की स्थापना।?
- जलजनित एवं संक्रामक रोगों की रोकथाम।

2.2 प्रमुख एजेंसियाँ

- नोडल विभाग मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO), रूद्रप्रयाग
- सहायक एजेंसियाँ 108 आपात सेवा, रेड क्रॉस सोसायटी, एनसीसी, एनएसएस, तथा स्थानीय स्वास्थ्य उपकेंद्र।

2.3 क्रियान्वयन योजना

- प्रत्येक राहत शिविर में मेडिकल टीम की तैनाती।
- आवश्यक दवाइयों का पूर्व भंडारण जिला अस्पताल व CHC/PHC स्तर पर।
- चिकित्साकर्मियों की त्वरित मोबिलाइजेशन योजना।
- बीमारियों की निगरानी हेतु Disease Surveillance Team" का गठन।
- मृत व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य मानकों के अनुसार निस्तारण की व्यवस्था।

2.4 उपलब्ध संसाधन (जनपद स्तर पर)

संसाधन	संख्या	स्थान
जिला अस्पताल	1	रूद्रप्रयाग
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC)	2	अगस्त्यमुनि एवं जखोली
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र टाईप B (PHC)	1	ऊखीमठ
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र टाईप A (PHC)	37	समस्त विकासखण्ड स्तर पर
ग्रामीण स्वास्थ्य उपकेन्द्र	75	समस्त विकासखण्ड स्तर पर
एम्बुलेंस(108)	12	सभी ब्लॉक मुख्यालयों में

3. स्वच्छता प्रबंधन (Sanitation Management)

3.1 उद्देश्य

- राहत शिविरों में साफ–सफाई, कचरा निस्तारण एवं शौचालय सुविधा सुनिश्चित करना।
- संक्रमण एवं जलजनित रोगों से बचाव।
- जल स्रोतों की स्वच्छता बनाए रखना।

3.2 जिम्मेदार विभाग

- नोडल विभाग जल संस्थान / नगर निकाय / स्वच्छ भारत मिशन इकाई
- सहायक विभाग स्वास्थ्य विभाग, पंचायत राज, शिक्षा विभाग।

3.3 क्रियान्वयन प्रक्रिया

- अस्थायी शौचालयों की स्थापना (टेंट आधारित)।
- स्वच्छ पेयजल हेतु क्लोरीनेशन / ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग।

- राहत शिविरों में दैनिक सफाई कर्मियों की ड्यूटी तय करना।
- ठोस एवं तरल अपशिष्ट के पृथक्करण और निस्तारण की व्यवस्था।
- सार्वजनिक जागरूकता अभियान (हैंडवाश, स्वच्छता नियम)।

4. विशेष प्रावधान

- महिलाओं एवं बच्चों हेतु पृथक आश्रय कक्ष।
- दिव्यांगों के लिए रैंप सुविधा एवं सहायता कर्मी।
- प्रत्येक शिविर में शिकायत / सुझाव पंजी।
- मानसून पूर्व "स्वच्छता निरीक्षण अभियान" चलाया जाएगा।

5.20 प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली (Emergency Alert System)–सायरन, सैटेलाइट फोन, हेल्पलाइन नंबर (1077), पुलिस वायरलेस और सोशल मीडिया प्लेटफार्म के माध्यम से सूचना प्रसारित की जाएगी। प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली (Early Warning System - EWS) आपदा प्रबंधन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटक है। इसका उद्देश्य है आसन्न आपदा की स्थिति में समय रहते सूचना देकर जनहानि, पशुधन हानि तथा संपत्ति की क्षति को न्यूनतम करना।

जनपद रूद्रप्रयाग की भौगोलिक स्थिति पर्वतीय एवं संवेदनशील है, जहाँ भूस्खलन, अतिवृष्टि, भूकंप, सड़क दुर्घटनाएँ, बादल फटना, जंगल की आग और नदी का जलस्तर बढ़ना जैसी घटनाएँ संभावित रहती हैं। अतः एक सुदृढ़ चेतावनी तंत्र का होना अत्यावश्यक है।

1. उद्देश्य

- समय रहते खतरे की सूचना जनसामान्य तक पहुँचाना।
- चेतावनी संदेशों की सटीकता और शीघ्रता सुनिश्चित करना।
- विभागीय समन्वय एवं सूचना प्रवाह को सुचारू बनाना।
- चेतावनी मिलने पर त्वरित प्रतिक्रिया दलों की सक्रियता सुनिश्चित करना।

2. चेतावनी प्रणाली की संरचना (Warning System Structure)

1. राष्ट्रीय/राज्य स्तर से सूचना प्राप्ति

- भारतीय मौसम विभाग (IMD),
- केंद्रीय जल आयोग (CWC),
- राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (USDMA),
- आपदा संचालन केंद्र, देहरादून।

2. जनपद स्तर पर सूचना प्रसारण:

- जिला आपदा नियंत्रण कक्ष (DEOC), रूद्रप्रयाग द्वारा प्राप्त चेतावनी को संबंधित विभागों, तहसीलों, ग्राम पंचायतों एवं जनता तक प्रसारित किया जाता है।
- सूचना माध्यम व्हाट्सएप ग्रुप, SMS अलर्ट, वायरलेस, VHF, ईमेल, माइकिंग, और स्थानीय रेडियो प्रसारण।

3. स्थानीय स्तर पर प्रसार:

- राजस्व उपनिरीक्षक, ग्राम प्रधान, ग्राम प्रहरी (चौकीदार) और स्वयंसेवी संगठन (NGOs) द्वारा जनता को चेतावनी की सूचना पहुँचाई जाती है।

4. चेतावनी के प्रमुख प्रकार (Types of Early Warning Alerts)

क्रम	आपदा का प्रकार	चेतावनी जारी करने वाली एजेंसी	सूचना का माध्यम
1.	अतिवृष्टि / भारी वर्षा	भारतीय मौसम विभाग (IMD)	SMS, मोबाइल ऐप, DEOC
2.	भूकंप	IMD / NDMA	सायरन, मीडिया, वायरलेस
3.	भूस्खलन	भूगर्भ सर्वे विभाग/ PWD	स्थानीय निरीक्षण रिपोर्ट
4.	बाढ़ /नदी जलस्तर	केंद्रीय जल आयोग/ Irrigation Dept	जलस्तर मीटर, माइकिंग
5.	जंगल की आग	वन विभाग/ FSI अलर्ट	मोबाइल ऐप, वायरलेस
6.	सड़क दुर्घटना/लैंड स्लाइड	पुलिस/PWD	कंट्रोल रूम सूचना
7.	स्वास्थ्य आपदा (महामारी)	स्वास्थ्य विभाग	मीडिया, जागरूकता संदेश

5. प्रमुख संस्थागत जिम्मेदारियाँ

विभाग	मुख्य कार्य
जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA)	समस्त चेतावनी सूचना का संकलन, सत्यापन एवं प्रसारण।
राजस्व विभाग / SDM कार्यालय	स्थानीय स्तर पर सूचना का प्रसार व त्वरित कार्रवाई।
पुलिस एवं अग्निशमन विभाग	सायरन प्रणाली व जन–सूचना का माइकिंग।
जल संस्थान एवं सिंचाई विभाग	नदी जलस्तर की निरंतर मॉनिटरिंग।
स्वास्थ्य विभाग	महामारी एवं संक्रामक रोग संबंधी चेतावनी।
वन विभाग	जंगल की आग की निगरानी व सूचना प्रसार।
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग	मीडिया व सोशल मीडिया के माध्यम से सूचना प्रसारण।

6. जनसामान्य को चेतावनी देने के माध्यम

- मोबाइल आधारित सूचना प्रणाली DEOC द्वारा SMS एवं WhatsApp ग्रुप्स (DDMA Officials, Revenue Staff, Police, Media) के माध्यम से अलर्ट प्रसारित किए जाते हैं।
- सायरन प्रणाली: चयनित संवेदनशील गाँवों व बैराज क्षेत्र में सायरन अलर्ट प्रणाली लागू की जाती है।
- माइकिंग एवं लोक उद्घोषणा: ग्राम पंचायत स्तर पर आपदा के दौरान लाउडस्पीकर द्वारा सूचना प्रसारित।
- मीडिया एवं रेडियो: AIR अल्मोड़ा, FM चौनल्स, केबल टीवी के माध्यम से चेतावनी सूचना।
- स्थानीय सूचना केंद्र स्कूल, ग्राम सभा भवन, पंचायत घर में सूचना बोर्ड लगाए जाते हैं।

7. चेतावनी के बाद की कार्रवाई

- संबंधित विभागों द्वारा अपने Standard Operating Procedure (SOP) के अनुसार तत्काल तैयारी।
- त्वरित प्रतिक्रिया दल (QRTs) की सक्रियता।
- राहत शिविरों की तैयारी और संभावित प्रभावित क्षेत्रों में निकासी कार्य।
- स्वास्थ्य एवं पुलिस विभाग द्वारा नियंत्रण और सहायता कार्य प्रारंभ करना।

8. प्रणाली का परीक्षण एवं प्रशिक्षण

- DEOC,रूद्रप्रयाग द्वारा प्रत्येक तीन माह में एक बार "चेतावनी प्रणाली परीक्षण (Mock Test)" किया जाएगा।
- सभी विभागों को चेतावनी सूचना के अभ्यास हेतु प्रशिक्षित किया जाएगा।
- ग्राम स्तर पर "आपदा जागरूकता शिविर" आयोजित कर जनता को चेतावनी संकेतों का अर्थ समझाया जाएगा।

आकाशीय बिजली से खुद को रखें सुरक्षित–

क्या करें जब गिरे आकाशीय बिजली!

जब घर के अन्दर हों	जब घर से बाहर हों
❖ सभी इलेक्ट्रिक उपकरणों के प्लग निकाल दें। ❖ तार वाले फोन का इस्तेमाल न करें। ❖ बच्चों को विद्युत उपकरणों से दूर रखें। ❖ खिड़की और दरवाजों से दूर रहें व बरामदे में खड़े न रहें। ❖ नल से बहते पानी का इस्तेमाल न करें। ❖ बिजली चमकने के दौरान न तो नहाएं और न ही बर्तन धोएं।	❖ किसी घर या मकान में आश्रय लें। ❖ टिन या लोहे से बनी संरचनाओं से दूर रहें। ❖ पेड़ के नीचे खड़े न रहें। ❖ यदि आप कार, बस या ट्रेन में सफर कर रहें हैं तो वहीं रहना ज्यादा सुरक्षित है। ❖ बिजली या टेलीफोन के खंभों से दूर रहें। ❖ स्वीमिंग पूल अथवा झील में तैर रहे हैं या नौकायन कर रहें हैं तो तुरंत बाहर आ जाएं।
जब आपके आसपास बिजली गिरने की संभावना हाती है, गर्दन के पीछे के बाल या रोएं खड़े हो जाते	**30–30 का नियम** बिजली देखने के बाद तुरंत सेकेंड गिनना शुरू कर दें। यदि तीस सेकेंड के भीतर गड़गड़ाहट सुनाई दे तो समझ लीजिए बिजली गिरने का खतरा है। ऐसे में तुरंत सुरक्षित स्थान पर आश्रय लें। स्थिति सामान्य होने के आधे घंटे बाद ही बाहर निकलें।

भूंकप आने पर बचाव हेतु उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण और आईआईटी रूड़की द्वारा बनाये गये "BhuDev" ऐप का विवरण–

- ❖ 15–30 सेकेंड पहले आपको मिल जाऐगा भूंकप का एलर्ट।*
- ❖ यह एप एंड्रायड और आईओएस दोनों पर उपलब्ध है।
- ❖ प्ले स्टोर और एप स्टोर में "BhuDev" सर्च कर अपने फोन में इंस्टॉल करें।
- ❖ Welcome स्क्रीन में Get Started पर क्लिक करें।
- ❖ अपना फोन नम्बर इंटर करें।
- ❖ नियम और शर्तों से सहमत पर क्लिक करें।
- ❖ अपने परिवार के सदस्य या परिचित का इमरजेंसी कांटेक्ट नम्बर डालें।
- ❖ अब आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है।

आमजन को मोबाइल पर आपदा से संबंधित जानकारी की चेतावनी और अलर्ट हेतु राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा बनाये गये "Sachet App" & Portal–

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा प्रारंभिक चेतावनी और अलर्ट के लिए राष्ट्रीय आपदा चेतावनी पोर्टल और मोबाइल ऐप **"Sachet"** लांच किया गया। इस पोर्टल व ऐप के माध्यम से आमजन को मोबाइल पर आपदा से संबंधित जानकारी की चेतावनी और अलर्ट प्राप्त होता है।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा एनपीडीआरआर के तीसरे स्तर के दौरान यह राष्ट्रीय आपदा चेतावनी पोर्टल और सचेत मोबाइल ऐप (**Sachet app**) लांच किया गया, यह पोर्टल आपदा विंग प्रसार से संबंधित प्रारंभिक चेतावनी प्राप्त करने के लिए बनाया गया है।

5.21 विकलांग व्यक्तियों के लिए तैयारी और निकासी–प्रत्येक राहत केंद्र में व्हीलचेयर, रैंप, और सहायता कर्मियों की व्यवस्था रखी जाएगी।

पूर्व तैयारी (Pre&Disaster Preparedness)

क्र.	कार्य / गतिविधि	जिम्मेदार एजेंसी / अधिकारी	टिप्पणियाँ
1	प्रत्येक ग्राम पंचायत वार्ड में विकलांग व्यक्तियों की सूची तैयार कर अद्यतन रखना	समाज कल्याण विभाग, ग्राम प्रधान	सूची DEOC में भी रखी जाए
2	राहत शिविरों में रैंप, रेलिंग और विशेष शौचालय की व्यवस्था	जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA), PWD, नगर निकाय	निर्माण मानकों के अनुसार
3	प्रशिक्षित स्वयंसेवक (आपदा मित्र/ NYK/NSS) को विकलांग व्यक्तियों की सहायता हेतु नामित करना	NYK / DDMA	सूची DEOC में उपलब्ध रहे
4	विद्यालयों, कार्यालयों और अस्पतालों में रैंप व व्हीलचेयर की उपलब्धता सुनिश्चित करना	शिक्षा विभाग, CMO, PWD	भवनों का निरीक्षण समय–समय पर
5	विकलांग व्यक्तियों को आपदा चेतावनी प्रणाली से जोड़ना (SMS, घोषणाएँ, रेडियो, ग्राम वार्ता)	सूचना विभाग, राजस्व विभाग	दृष्टि बाधित / श्रवण बाधित हेतु वैकल्पिक संचार

4. निकासी प्रक्रिया (Evacuation Procedure)

1. प्राथमिक पहचान

- ग्राम आपदा प्रबंधन समिति (VDMC) द्वारा पहले से तैयार सूची के अनुसार विकलांग व्यक्तियों की पहचान की जाएगी।
- निकासी टीम को इन स्थानों की जानकारी पहले से होगी।

2. सहायक टीम की नियुक्ति

- प्रत्येक ग्राम में 2–3 स्वयंसेवक विशेष रूप से विकलांग व्यक्तियों की सहायता हेतु नामित किए जाएंगे।
- SDRF / पुलिस / स्थानीय युवा मिलकर सहायता करेंगे।

3. सुरक्षित मार्ग और वाहन

- व्हीलचेयर–अनुकूल वाहन, स्ट्रेचर और अस्थायी रैंप की व्यवस्था की जाएगी।
- पहाड़ी क्षेत्रों में पालकी, रस्सी सहायता या अस्थायी स्ट्रेचर का उपयोग किया जाएगा।

4. राहत शिविरों में विशेष व्यवस्था

- प्रवेश द्वार पर रैंप, फर्श पर नॉन–स्लिप मैट, प्रकाश व्यवस्था, और अलग शौचालय सुविधा।
- दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए श्रव्य संकेतक (Audio Alert)।
- श्रवणबाधित व्यक्तियों हेतु दृश्य चेतावनी संकेत (Flash Signal)।

5.22 अन्य एजेंसी से सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया–

5.23 संचार तंत्र

(दूरसंचार सेवाएं, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट और सोशल मीडिया)

- BSNL नेटवर्क, VHF वायरलेस और NIC ईमेल नेटवर्क का प्रयोग।
- "रूद्रप्रयाग जिला प्रशासन" का आधिकारिक X (Twitter) और WhatsApp समूह द्वारा त्वरित सूचना प्रसारण।
- AIR और स्थानीय रेडियो के माध्यम से जनता को सतर्क किया जाएगा।

जनपद में आपदा के समय चिन्हित राहत शिविरों एवं नामित अधिकारियों का विवरण–

क्र0 स0	उपलब्ध भवन/आवासीय सुविधा का विवरण	प्रकार निजी/सरकारी	कमरों/हॉल की संख्या	कुल आवासीय क्षमता	विद्युत उपलब्धता	पेयजल आपूर्ति	शौचालय	सड़क से दूरी	भवन प्रभारी का नाम	मो0न0
01	डायट रतूडा	सरकारी	03	50	हाँ	हाँ	हाँ	50 मी0	श्री हरिबल्लभ डिमरी	8057127143
02	रा0इ0का नगरासू	सरकारी	05	100	हाँ	हाँ	हाँ	0	श्री सुमन प्रकाश (प्रधानाचार्य)	9412116173
03	रा0प्रा0वि0 घोलतीर	सरकारी	02	30	हाँ	हाँ	हाँ	0	प्रधानाध्यापिका	9758511102
04	पंचायत भवन नगरासू	सरकारी	01	06	हाँ	हाँ	हाँ	0	श्री देवेन्द्र नेगी (ग्रा0पं0अ0)	9536464055
05	रा0उ0प्रा0वि0 रतूडा	सरकारी	03	36	हाँ	हाँ	हाँ	0	प्रधानाध्यापक	9411151422
06	रा0प्रा0वि0 गांधीपुर	सरकारी	02	32	हाँ	हाँ	हाँ	0	प्रधानाध्यापक	9451235611
कुल योग			**16**	**254**						

सैक्टर/सब सैक्टर प्रकार से आवासीय विवरणः–

सैक्टर का नाम – रुद्रप्रयाग सब सैक्टर का नाम – (खांकरा से रुद्रप्रयाग बाजार तक)

क्र0 स0	उपलब्ध भवन/आवासीय सुविधा का विवरण	प्रकार निजी/सरकारी	कमरों/हॉल की संख्या	कुल आवासीय क्षमता	विद्युत उपलब्धता	पेयजल आपूर्ति	शौचालय	सड़क से दूरी	भवन प्रभारी का नाम	मो0न0
01	रैन बसेरा	सरकारी	01	16	हाँ	हाँ	हाँ	0	हरेन्द्र चौहान	9410535700
02	सामुदायिक भवन गुलाबराय	सरकारी	02	30	हाँ	हाँ	हाँ	0	अ0अधि0न0पा0रुद्र0	9410535700
03	रा0इ0का0 खांकरा	सरकारी	03	100	हाँ	हाँ	हाँ	0	प्रमोद सिंह रावत	8057077341
04	अ0उ0रा0इ0का0 रुद्रप्रयाग	सरकारी	04	200	हाँ	हाँ	हाँ	0	नरेश जमलोकी (प्रधानाचार्य)	9690685540
05	रा0बा0इ0 रुद्रप्रयाग।	सरकारी	02	150	हाँ	हाँ	हाँ	0	डॉ गार्गी नेनवाल (प्रधानाचार्य)	9927225618
06	रा0प्रा0वि0 भाणाधार रुद्रप्रयाग।	सरकारी	02	30	हाँ	हाँ	हाँ	0	प्रधानाध्यापक	9627302051
07	रा0प्रा0वि0 रुद्रप्रयाग।	सरकारी	02	300	हाँ	हाँ	हाँ	0	प्रधानाध्याक	9639041439
08	पंचायत भवन खांकरा	सरकारी	01	15	हाँ	हाँ	हाँ	0	डेनी राणा (ग्रा0पं0अधि0 खांकरा)	7455993848
09	आई0टी0आई0 रुद्रप्रयाग	सरकारी	08	80	हाँ	हाँ	हाँ	0	श्री जगदीश चन्द्र	9411549412
10	राजकीय महाविद्यालय रुद्रप्रयाग।	सरकारी	09	200	हाँ	हाँ	हाँ	0	श्री त्रिपाठी जी प्रधानचार्य	9410769711
	कुल योग		**34**	**1121**						

सैक्टर/सब सैक्टर प्रकार से आवासीय विवरणः–

सैक्टर का नाम – रुद्रप्रयाग सब सैक्टर का नाम – तिलवाडा (रुद्रप्रयाग बाजार सीमा से तिलवाडा तक)

क्र0 स0	उपलब्ध भवन/आवासीय सुविधा का विवरण	प्रकार निजी/सरकारी	कमरों/हॉल की संख्या	कुल आवासीय क्षमता	विद्युत उपलब्धता	पेयजल आपूर्ति	शौचालय	सड़क से दूरी	भवन प्रभारी का नाम	मो0न0
01	रा0प्रा0वि0 तिलवाडा	सरकारी	02	30	हाँ	हाँ	हाँ	0	प्रधानाध्यापक	9412948881
	कुल योग		**02**	**30**						

सैक्टर/सब सैक्टर प्रकार से आवासीय विवरणः–

सैक्टर का नाम – रुद्रप्रयाग सब सैक्टर का नाम – अगस्त्यमुनि (तिलवाडा बाजार से अगस्त्यमुनि तक)

क्र0 स0	उपलब्ध भवन/ आवासीय सुविधा का विवरण	प्रकार निजी/ सरकारी	कमरों /हॉल की संख्या	कुल आवासीय क्षमता	विद्युत उपलब्धता	पेयजल आपूर्ति	शौचालय	सड़क से दूरी	भवन प्रभारी का नाम	मो0न0
01	अ0उ0रा0इ0का0 अगस्त्यमुनि	सरकारी	05	200	हाँ	हाँ	हाँ	0	संजय सजवाण (प्रधानाचार्य)	7417133888
02	रा0बा0इ0 का0 अगस्त्यमुनि	सरकारी	05	150	हाँ	हाँ	हाँ	0	रागनी नेगी प्रधानाचार्य	9627591532
03	रा0प्रा0वि0 रामपुर	सरकारी	02	30	हाँ	हाँ	हाँ	0	प्रधानाध्यापक	9412115944
04	रा0प्रा0वि0 अगस्त्यमुनि	सरकारी	02	30	हाँ	हाँ	हाँ	0	प्रधानाध्यापक	9917057099
05	रैन बसेरा अगस्त्यमुनि	सरकारी	02	45	हाँ	हाँ	हाँ	0	मनोज राणा	9758449333
06	क्रीडा भवन अगस्त्यमुनि	सरकारी	02	80	हाँ	हाँ	हाँ	0	क्रीडा विभाग	9719025748
	कुल योग		**18**	**535**						

सैक्टर/सब सैक्टर प्रकार से आवासीय विवरणः–

सैक्टर का नाम – रुद्रप्रयाग सब सैक्टर का नाम – अगस्त्यमुनि (अगस्त्यमुनि बाजार से कुण्ड तक)

क्र0 स0	उपलब्ध भवन/ आवासीय सुविधा का विवरण	प्रकार निजी/ सरकारी	कमरों/ हॉल की संख्या	कुल आवासीय क्षमता	विद्युत उपलब्धता	पेयजल आपूर्ति	शौचालय	सड़क से दूरी	भवन प्रभारी का नाम	मो0न0
01	रा0इ0का0 चन्द्रापुरी	सरकारी	04	100	हाँ	हाँ	हाँ	0	ब्रिजपति चमोली (प्रधानाचार्य)	9536585896
02	रा0इ0का0 भीरी	सरकारी	04	100	हाँ	हाँ	हाँ	0	गिरीश चन्द्र (प्रधानाचार्य)	7830839271
03	रा0प्रा0वि0 बेडूबगड़	सरकारी	02	33	हाँ	हाँ	हाँ	0	प्रधानाध्यापक	8755970848
04	रा0प्रा0वि0 सेमी	सरकारी	02	32	हाँ	हाँ	हाँ	0	प्रधानाध्यापक	8449217759
05	रा0प्रा0वि0 चन्द्रापुरी	सरकारी	02	34	हाँ	हाँ	हाँ	0	प्रधानाध्यापक	7248114790
06	रा0उ0प्रा0वि0 सेमी	सरकारी	02	40	हाँ	हाँ	हाँ	0	प्रधानाध्यापक	9719877641
07	रा0प्रा0वि0 भीरी	सरकारी	02	32	हाँ	हाँ	हाँ	0	प्रधानाध्यापक	9411728204
	कुल योग		**18**	**371**						

सैक्टर/सबसैक्टर प्रकार से आवासीय विवरणः—

सैक्टर का नाम – ऊखीमठ सब सैक्टर का नाम – (गुप्तकाशी)

क्र0 स0	उपलब्ध भवन/ आवासीय सुविधा का विवरण	कमरों/ हॉल की संख्या	कुल आवासीय क्षमता	विद्युत उपलब्धता	पेयजल आपूर्ति	शौचालय	सड़क से दूरी	भवन प्रभारी का नाम	मो0न0
01	रा0उ0मा0 वि0 देवर	03	50	हाँ	हाँ	हाँ	0	हीरा सिह जगवाण	8859239239
02	अटल उत्कृष्ट रा0इ0का0 गुप्तकाशी	05	200	हाँ	हाँ	हाँ	0	विनोद अस्वाल (प्रधानाचार्य)	9675086060
03	रा0प्रा0वि0 गुप्तकाशी	02	32	हाँ	हाँ	हाँ	0	प्रधानाध्यापक	8489217687
04	रा0प्रा0वि0 भैंसारी गुप्तकाशी	02	30	हाँ	हाँ	हाँ	0	प्रधानाध्यापक	8126270530
05	राजकीय महा विद्यालय विद्यापीठ गुप्तकाशी	16	250	हाँ	हाँ	हाँ	0	जगवाण जी प्रधानाचार्य	9412913084
कुल योग		28	562						

सैक्टर/सब सैक्टर प्रकार से आवासीय विवरणः—

सैक्टर का नाम – ऊखीमठ सब सैक्टर का नाम –रामपुर (गुप्तकाशी बाजार से रामपुर तक)

क्र0 स0	उपलब्ध भवन/ आवासीय सुविधा का विवरण	कमरों/ हॉल की संख्या	कुल आवासीय क्षमता	विद्युत उपलब्धता	पेयजल आपूर्ति	शौचालय	सड़क से दूरी	भवन प्रभारी का नाम	मो0न0
01	रा0प्रा0वि0 भेतसेम	02	32	हाँ	हाँ	हाँ	0	प्रधानाध्यापक	7327063378
02	रा0इ0का0 नारायण कोटी	05	75	हाँ	हाँ	हाँ	0	धर्मेन्द्र बमस्वाल (प्रधानाचार्य)	8171827564
03	रा0इ0का0 न्यालसू	04	75	हाँ	हाँ	हाँ	0	जगजीत सिंह रमोला (प्रधानाचार्य)	8126260770
04	रा0इ0का0 फाटा	05	150	हाँ	हाँ	हाँ	0	शुभलक्ष्मी सेमवाल (प्रधानाचार्य)	9410536139
05	रा0प्रा0वि0 नाला	02	32	हाँ	हाँ	हाँ	0	प्रधानाध्यापक	9411697283
06	रा0प्रा0वि0 धानी	02	32	हाँ	हाँ	हाँ	0	प्रधानाध्यापक	8979746196
07	रा0प्रा0वि0 खाट	02	30	हाँ	हाँ	हाँ	0	प्रधानाध्यापक	9927527995
08	रा0प्रा0वि0 बडासू	02	60	हाँ	हाँ	हाँ	0	प्रधानाध्यापक	9759951851
09	रा0प्रा0वि0 खुमेरा	02	32	हाँ	हाँ	हाँ	500 मी0	प्रधानाध्यापक	9788252088
10	रा0प्रा0वि0 हयूण	02	32	हाँ	हाँ	हाँ	500 मी0	प्रधानाध्यापक	9627186589
11	रा0प्रा0वि0 हयूण	02	33	हाँ	हाँ	हाँ	500 मी0	प्रधानाध्यापक	9627186589
12	पंचायत भवन फाटा	02	15	हाँ	हाँ	हाँ	0	ग्रा0पं0वि0अ0	8126078161
13	पंचायत भवन नाला	01	15	हाँ	हाँ	हाँ	0	ग्रा0पं0वि0अ0	9758848131
14	पंचायत भवन खाट	01	15	हाँ	हाँ	हाँ	0	ग्रा0पं0वि0अ0	8126078161
	कुल योग	34	628						

सैक्टर/सब सैक्टर प्रकार से आवासीय विवरणः–

सैक्टर का नाम – ऊखीमठ सब सैक्टर का नाम –सोनप्रयाग (रामपुर से सोनप्रयाग तक)

क्र0 स0	उपलब्ध भवन/ आवासीय सुविधा का विवरण	कमरों/ हॉल की संख्या	कुल आवासीय क्षमता	विद्युत उपलब्धता	पेयजल आपूर्ति	शौचालय	सड़क से दूरी	भवन प्रभारी का नाम	मो0न0
01	रा0प्रा0वि0 कोणगढ़	02	32	हाँ	हाँ	हाँ	0	प्रधानाध्यापक	9639955961
02	रा0उ0प्रा0वि0 सोनप्रयाग	02	40	हाँ	हाँ	हाँ	0	प्रधानाध्यापक	9756463965
	कुल योग	**04**	**72**						

सैक्टर/सब सैक्टर प्रकार से आवासीय विवरणः–

सैक्टर का नाम– ऊखीमठ सब सैक्टर का नाम –ऊखीमठ (कुण्ड से ऊखीमठ तक)

क्र0 स0	उपलब्ध भवन/ आवासीय सुविधा का विवरण	कमरों/ हॉल की संख्या	कुल आवासीय क्षमता	विद्युत उपलब्धता	पेयजल आपूर्ति	शौचालय	सड़क से दूरी	भवन प्रभारी का नाम	मो0न0
01	रा0प्रा0वि0 ऊखीमठ	02	30	हाँ	हाँ	हाँ	0	प्रधानाध्यापक	7895096805
02	रा0प्रा0वि0 किमाणा	02	60	हाँ	हाँ	हाँ	1	प्रधानाध्यापक	9536399181
03	रा0प्रा0वि0 संसारी	02	50	हाँ	हाँ	हाँ	1	प्रधानाध्यापक	9012731882
	कुल योग	**06**	**140**						

5.24 खोज–बचाव उपकरणों की स्थिति

जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण रूद्रप्रयाग द्वारा वर्ष–2015–16 में रेडक्रॉस एवं एस0डी0आर0एफ0 मद अन्तर्गत प्राप्त धनराशि से आवश्यक खोज–बचाव उपकरण/सामग्री क्रय की गयी है क्रय की गयी सामग्री/उपकरण जनपद की तहसीलों/थानों/चौकियों/अग्निशमन विभाग को आपदा के दौरान त्वरित प्रतिवादन हेतु उपलब्ध करायी गयी है, रैडक्रॉस मद में अवशेष धनराशि से पुलिस विभाग हेतु क्रेन एवं आपदा के दौरान प्रभावित व्यक्तियों हेतु आश्रय स्थल के लिए सैल्टर हाउस बनाये जाने की प्रक्रिया गतिमान है। वर्ष 2016–17 में एस0डी0आर0एफ0 मद में प्राप्त धनराशि के 05 प्रतिशत से कुशल आपदा प्रबन्धन एवं जनपद की विषम भौगोलिक परिस्थितियों के दृष्टिगत जनपद की 52 पटवारी चौकियों को आवश्यक/महत्वपूर्ण उपकरण/सामग्री उपलब्ध करायी गयी है। वित्तीय वर्ष 2018–19, 2019–20, 2021–22, 2022–23, 2023–24 एवं 2025–26 में एस0डी0आर0एफ0 मद अन्तर्गत महत्वपूर्ण उपकरणों का क्रय किये गये है, जिनका विवरण निम्नवत् है।

Resource Inventory

क्र. सं.	श्रेणी	उपकरण का नाम	क्रय उपकरणों का योग	वितरित उपकरणों का योग	अवशेष उपकरण
1	मेडिकल से सम्बन्धित स्माल टूल्स	स्ट्रेचर/हार्ड बोर्ड	55	11	44
2		बॉडी बैग	350	305	45
3		फस्ट एड किट	120	120	0
4		एल्कोहल मीटर 8080 P	10	8	2
5		फायर/डस्ट मास्क	50	50	0
6		बेल्चा (400)	146	142	4
7		फावड़ा (550)	346	326	20
8		घन (600)	80	74	6

क्र. सं.	श्रेणी	उपकरण का नाम	क्रय उपकरणों का योग	वितरित उपकरणों का योग	अवशेष उपकरण
9		गैंती (550)	132	131	1
10		सब्बल (700)	152	142	10
11		कुदाल	200	182	18
12		ताला (125)	41	41	0
13		ताला बड़ा (315)	1	1	0
14		रैस्क्यू कांटा	5	1	4
15		तसला	42	39	3
16		कुल्हाड़ी	28	26	2
17		फायर एक्स	6	4	2
18	हैवी टूल्स	वुड कटर	16	14	2
19		वायर कटर	3	2	1
20		हाइड्रोलिक जैक	4	2	2
21		रैस्क्यू नेट	3	1	2
22		चैनपुल्ली 5 टन	2	1	1
23		चैनपुल्ली 10 टन	2	1	1
24		विंचिंग मशीन	2	1	1
25		पॉवर असेन्डर	1	0	1
26		रोट्री रैस्क्यू सॉ सरक्यूलर	1	0	1
27		बेट्री ऑपरेटेड मेटल कटर	1	0	1
28		एअर लिफटिंग बैग	1	1	0
29		पोर्टेबल ब्रीथिंग एअर कंम्प्रेशर	1	1	0
30		डायमण्ड चैन (आरसीसी)	1	1	0
31		गाईडबार	1	1	0
32		वाटर कंटेनर	1	1	0
23		वुडकटर चैन	32	20	12
24		सायरन सैट रैंज 8 किमी0	3	3	0
25		रोप लाउंचर	1	1	0
26		बॉक्स (4300)	11	11	0
27		बॉक्स (5300)	41	37	4
28		बॉक्स (12600)	14	13	1

क्र. सं.	श्रेणी	उपकरण का नाम	क्रय उपकरणों का योग	वितरित उपकरणों का योग	अवशेष उपकरण
29		आर0सी0सी0 कटर	2	2	0
30		डायमण्ड चैन सॉ	4	3	1
31		वाहन बुलेरो	1	1	0
32		क्रेन	1	1	0
33		कॉम्बी टूल	4	3	1
34	इलैक्ट्रानिक	प्रोटेक्टर 2.0 वाइल्ड एनिमल	15	14	1
35		प्रोटेक्टर 2.0 वाइल्ड एनिमल एंगल	15	14	1
36		इन्वर्टर 1650 वी0ए0	2	2	0
37		वीडियो वाल 4 एल0सी0डी0	4	4	0
38		बड़ी टी0वी0 वी0सी0	1	1	0
39		55 इंच टी0वी0	2	2	0
40		प्रोजेक्टर	2	0	2
41		स्पीकर	4	4	0
42		मिक्सचर	1	0	1
43		वायरलेस प्रजेन्टर	1	0	1
44		यू0एस0वी0 कैमरा	1	0	1
45		जी0पी0एस0	26	26	0
46		फैन्टम फोर प्रो बैटरी	5	0	5
47		ड्रॉन मॉडिफिकेशन पार्ट	3	3	0
48		केबिल/कार्ड रीडर आदि	5	5	0
49		ड्रोन कैमरा फेन्टम 4प्रो	4	0	4
50		सैमसंग ग्लेक्सी जे020 18	17	15	2
51		रेडमी मोबाईल	2	2	0
52		सैमसंग मोबाईल ए0705	1	1	0
53		एप्पल आई फोन 7	1	1	0
54		सैमसंग मो0 ए051	1	1	0
55		सिम0 आईडिया, एअरटेल, वोडाफोन	7	7	0
56		सायरन सैट	2	1	1
57		मोबाईल कबर	5	5	0
58	लाईट	रिमोट एरिया लाईट आस्का	2	1	1

क्र. सं.	श्रेणी	उपकरण का नाम	क्रय उपकरणों का योग	वितरित उपकरणों का योग	अवशेष उपकरण
59		रिमोट एरिया लाईट पुन्ज	6	4	2
60		सोलर लालटेन	10	10	0
61		एल0ई0डी0 टार्च	229	214	15
62		स्ट्रीट लाईट	50	50	0
63	रिलीफ उपकरण	हार्नेस	128	118	10
64		कैराबिनर	137	135	2
65		जुमार	28	26	2
66		पुल्ली	70	67	3
67		मल्टी पर्पज हैलमेट	84	84	0
68		हैड लैम्प	94	84	10
69		कैरीमेट	22	20	2
70		मल्टी पर्पज नाईफ	16	13	3
71		गिरगिरी	10	9	1
72		स्टीच प्लेट	10	9	1
73		रोप मनीला 50 मी0	20	18	2
74		मल्टीपर्पज रोप	14	13	1
75		क्लाईम्बिंग रोप 50 मी0 (9450)	11	11	0
76		क्लाईम्बिंग रोप 50 मी0 (4987.50)	41	37	4
77		क्लाईम्बिंग रोप 50 मी0	20	19	1
78		रैपलिंग रोप 200 मी0	10	8	2
79		रैपलिंग रोप 100 मी0 (12600)	11	11	0
80		रैपलिंग रोप 100 मी0 (16275)	41	37	4
81		फ्लोटिंग रोप	5	0	5
82		कैनवास मीटन जोड़ी में (368)	22	22	0
83		कैनवास मीटन	160	151	9
84		सिलिंग	232	179	53
85		क्रेम्पॉन	6	0	6
86		गैटर	6	1	5
87		रैपेलिंग जेकेट	6	0	6
88		आईस एक्स	6	0	6

क्र. सं.	श्रेणी	उपकरण का नाम	क्रय उपकरणों का योग	वितरित उपकरणों का योग	अवशेष उपकरण
89		फायर शूट	1	1	0
90		रोप मनीला	20	20	0
91		एल्बो पेड रैस्क्यू पर्पज	50	41	9
92		स्नौ शूज	6	0	6
93		नी पैड	50	41	9
94		टेप सिलिंग	56	56	0
95		डिसेण्डर	112	110	2
96		लाईफ जैकेट	84	80	4
97		रोप लैडर	14	13	1
98	पहनने योग्य उपकरण	कार्ग होपर्स किवी थ्री इन वन जैकेट	5	5	0
99		शॉक्स	65	58	7
100		ग्लब्ज स्काई	51	49	2
101		कैप	56	38	18
102		वाईल्ड क्राफ्ट ट्रेकिंग एण्ड हाइकिंग बुट	5	5	0
103		शॉफ्टसैल लोवर फ्लीज लाइनिंग	5	5	0
104		जैकेट	53	44	9
105		ट्राउजर	24	24	0
106		ट्रेक शूट	10	10	0
107		ट्रेक शूट कम्पलीट सैट	50	44	6
108		स्लीपिंग बैग	212	102	110
109		स्नौ गोगल्स	24	20	4
110		हैली ड्राप फूड सर्वाइवल किट	580	580	0
111		फायर/सैफ्टी गोग्लस	50	50	0
112		शूज	296	280	16
113		रूकसैक 90 ली0	106	100	6
114		नफसैक बैग	42	41	1
115		स्नो टैन्ट (टू मैन)	10	5	5
116		टीसर्ट विद प्रिन्टिग	40	40	0
117		टैन्ट	116	94	22
118		कैनवास तिरपाल	300	266	34

क्र. सं.	श्रेणी	उपकरण का नाम	क्रय उपकरणों का योग	वितरित उपकरणों का योग	अवशेष उपकरण
119		रैनसूट / पंचू	619	502	117
120		डांगरी	10	3	7
121	अन्य उपकरण	डिजिटल हस्ताक्षर क्लास 2	2	0	2
122		वांकिग स्टीक	15	10	5
123		डिजिटल हस्ताक्षर क्लास 3	5	0	5
124		अग्निशमन यंत्र 4 किग्रा0	5	4	1
125		रैस्क्यू ब्लैंकेट	10	8	2
126		टायर महिन्द्रा	5	5	0
127		टारपोलीन बण्डल	10	10	0
128		रेस्ट ट्यूब	5	0	5
129		वायरलैस हैण्डसैट	10	6	4
130		गौ–प्रो	1	0	1
131		लैंपटॉप	1	0	1
132		ब्लैड मल्टिपर्पज	2	0	2
133		छाता	25	13	12
134		स्नो चैन	8	0	8

अध्याय–6

प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास
(Training and Capacity Development)

क्षमता विकास में आपदा प्रबन्धन के सभी विषयों को शामिल किया गया है। जिसमे मुख्यतः सभी स्तरों पर जन–जागरूकता, प्रशिक्षण कार्यकमों का आयोजन, मॉक अभ्यास एंव विभिन्न विभागों के बीच समन्वय अधिकारियों/कर्मचारियों का क्षमता विकास एवं जनपद स्तर पर उपलब्ध संसाधनों का संकलन किया गया है।

6.1 परीक्षण और क्षमता निर्माण दृष्टिकोण (Testing and Capacity Building Approach)

जनपद रूद्रप्रयाग उत्तराखंड राज्य का एक पर्वतीय जनपद है, जो भौगोलिक एवं जलवायु परिस्थितियों के कारण भूस्खलन, अतिवृष्टि, सड़क अवरोध, भूकम्प तथा वनाग्नि जैसी आपदाओं के प्रति संवेदनशील है। ऐसे में आपदा प्रबंधन योजना की प्रभावशीलता एवं त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए समय–समय पर परीक्षण (Testing) एवं क्षमता निर्माण (Capacity Building) कार्यक्रमों का आयोजन अत्यंत आवश्यक है।

जनपद में आपदा प्रबंधन प्रणाली को व्यवहारिक एवं सक्रिय बनाए रखने हेतु नियमित परीक्षण एवं अभ्यासों का आयोजन किया जाता है। इसके तहत–

- जिला, तहसील एवं ब्लॉक स्तर पर मॉक ड्रिल (Mock Drill) कराई जाती हैं।
- इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर (EOC) की कार्यप्रणाली का परीक्षण किया जाता है।
- विभागों के बीच संचार, संसाधन आवंटन और समन्वय की क्षमता का आकलन किया जाता है।
- विभिन्न प्रकार की आपदाओं - भूकम्प, भूस्खलन, आग, बाढ़ आदि - के लिए अलग–अलग परिदृश्यों का अभ्यास किया जाता है।
- परीक्षण के परिणामों के आधार पर सुधारात्मक कदम उठाए जाते हैं ताकि भविष्य में प्रतिक्रिया और बेहतर हो सके।

➢ **परीक्षण कार्यक्रम के उद्देश्य (Objectives of Testing Programmes)** –जनपद रूद्रप्रयाग में परीक्षण कार्यक्रमों के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं–

6.1.1 सरकारी अधिकारियों का परीक्षण एवं क्षमता निर्माण–

- आपदा की स्थिति में विभागीय समन्वय एवं नेतृत्व क्षमता का मूल्यांकन करना।
- जिला आपदा प्रबंधन योजना (DDMP) के अनुसार प्रत्येक विभाग की भूमिका और जिम्मेदारी का अभ्यास कराना।
- प्रमुख अधिकारियों, पुलिस, स्वास्थ्य, पीडब्ल्यूडी, जल संस्थान, विद्युत, राजस्व और शिक्षा विभागों की तैयारी का परीक्षण करना।
- आपदा नियंत्रण कक्ष (EOC) की कार्यप्रणाली और संचार प्रणाली का मूल्यांकन करना।

6.1.2 सामुदायिक स्तर पर परीक्षण और जन जागरूकता गतिविधियाँ–

- ग्राम पंचायत स्तर पर मॉक ड्रिल, प्राथमिक उपचार, एवं सुरक्षित निकासी अभ्यास आयोजित करना।
- स्थानीय युवाओं, महिला समूहों, स्वयंसेवकों और एनएसएस/एनसीसी इकाइयों को शामिल करना।

- आपदा के प्रति जन–जागरूकता अभियान, पोस्टर, नाटक, वीडियो, स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम एवं सामाजिक मीडिया माध्यमों से समुदाय को प्रशिक्षित करना।
- समुदायों को "पहला प्रत्युत्तरदाता (First Responder)" के रूप में सक्षम बनाना।

➢ **परिणाम एवं प्रभाव–** इन परीक्षण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से रूद्रप्रयाग जनपद में–
  - प्रशासनिक स्तर पर त्वरित निर्णय लेने की क्षमता विकसित हुई है,
  - विभागों के बीच समन्वय मजबूत हुआ है,
  - और समुदायों में आपदा के प्रति सजगता व आत्मनिर्भरता बढ़ी है।

जनपद में आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा चलाये गये प्रशिक्षण कार्यक्रम–

क्र0 सं0	दिनांक	मीटिंग/प्रशिक्षण/जन जागरूकता कार्यक्रमों का विवरण
01	08 अप्रैल, 2022 से 19 अप्रैल, 2022 तक	12 दिवसीय आपदा मित्र आवासीय प्रशिक्षण हिमालय एडवेंचर इंसीट्यूट मसूरी। कुल प्रतिभागी– 25
02	22 अप्रैल, 2022 से 03 मई, 2022 तक	12 दिवसीय आपदा मित्र आवासीय प्रशिक्षण हिमालय एडवेंचर इंसीट्यूट मसूरी। कुल प्रतिभागी– 25
03	27 अप्रैल, 2022	जनपद स्तरीय आई0आर0एस0 प्रशिक्षण एवं मॉक अभ्यास किया गया। कुल प्रतिभागी– 200
04	28 अप्रैल, 2022 से 29 अप्रैल, 2022 तक	02 दिवसीय आपदा प्रबन्धन खोज–बचाव एवं प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण रेलवे कार्मिक खांकरा/नरकोटा। कुल प्रतिभागी– 150
05	मह मई, 2022 से वर्तमान तक	जी0आई0एस0 प्रशिक्षण। वर्तमान तक कुल प्रशिक्षित– 80
06	09 जून, 2022	आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/मानसून सत्र की बैठक की गयी। प्रतिभागी– 50
07	06 जुलाई, 2022	आई0आर0एस0 प्रशिक्षण एवं भूकम्प पर मॉक अभ्यास। कुल प्रतिभागी– 150
08	05 जनवरी, 2023 से 14 जनवरी, 2023 तक	10 दिवसीय युवा नेतृत्व, पर्यावरण एवं आपदा प्रबन्धन आवासीय प्रशिक्षण। कुल प्रतिभागी– 50
09	28 फरवरी, 2023 से 02 मार्च, 2023 तक	38 सदस्यीय वाई0एम0एफ0 टीम को 03 दिवसीय आवासीय आपदा प्रबन्धन खोज– बचाव एवं प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण।
10	28 जून, 2023 से 21 दिसम्बर, 2023 तक	खोज एवं बचाव जन जागरूकता कार्यक्रम 22 ग्राम सभाओं मे जनजागरूकता कार्यक्रम चलाया गया।
11	28, नवम्बर 2023 से 01 दिसम्बर, 2023 तक	आपदा प्रबन्धन पर Sixth Word Congress On Disaster Manegment (WCTM) हेतु प्री–इवेन्ट प्रशिक्षण। प्रतिभागी – 200
12	29 जनवरी, 2024 से 15 फरवरी, 2024 तक	स्कूल सुरक्षा/जन जागरूकता कार्यक्रम 08 रा0ई0का0 में चलाया गया।

6.2– प्रस्तावित क्षमता विकास एवं जन–जागरूकता हेतु वार्षिक कैलेंडर–

क्र0 सं0	विषय	विवरण	प्रस्तावित समय	विभाग
	भूकंप जन–जागरूकता कार्यक्रम			
1	भूकंप पूर्व तैयारी ब्रोशर का वितरण	जनपद में जोन V एंव IV के अंतर्गत आने वाली तहसीलों के राजकीय उच्तर विद्यालयों, राजकीय कार्यालयों, पंचायत भवन	फरवरी से अप्रैल माह के मध्य	जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण
2	भूकंप से बचाव विषय पर नुक्कड़ नाटकों का आयोजन	जनपद में जोन V एंव IV के अंतर्गत आने वाली तहसीलें	नवम्बर से अप्रैल माह के मध्य	जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/महिला बाल विकास विभाग के माध्यम से स्थानीय एनजीओ
3	भूकंप से बचाव विषय पर साइकिल रैली	जनपद एंव तहसील मुख्यालय	सितंबर से दिसंबर माह के मध्य	शिक्षा/पर्यटन विभाग
4	अभ्यास एवं बचाव प्रदर्शन	विद्यालय, सरकारी भवन आदि	सितंबर माह	एस0डी0आर0एफ0/ जनपद आप्रदा प्रबन्धन प्राधिकरण
5	दीवार लेखन/बैनर के माध्यम से सुरक्षा निर्देश	जिले में स्थित प्राथमिक विद्यालय, पंचायत भवन, धार्मिक स्थल, तथा अन्य महत्वपूर्ण भवनों के दीवारों पर	फरवरी से अप्रैल माह के मध्य	जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण
		अग्नि आपदा संभावित समुदाय के जन–जागरूकता कार्यक्रम		
1	अग्नि आपदा तैयारी ब्रोसर का वितरण	जिले में स्थित प्राथमिक विद्यालय, पंचायत भवन	फरवरी माह से अप्रैल माह के बीच	शिक्षा, पंचायतराज, अग्निशमन तथा आपदा प्रबन्धन विभाग
2	चौपाल/विचार विमर्श	जनपद एवं तहसील मुख्यालय		
3	बचाव संबंधी जानकारी	जनपद मुख्यालय स्थित ऑडिटोरियम एंव तहसील स्थित पंचायत भवन		जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण एंव खण्ड विकास कार्यालय
4	अभ्यास एवं बचाव प्रदर्शन	जनपद एवं तहसील मुख्यालय		जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण एंव खण्ड विकास कार्यालय
		प्राथमिक उपचार हेतु समुदाय के लिए जन–जागरूकता कार्यक्रम		
	अभ्यास एवं बचाव प्रदर्शन	जनपद एवं तहसील मुख्यालय	फरवरी माह से अप्रैल माह के बीच	स्वस्थ विभाग/ SDRF/NDRF/ जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण।

6.2.1 संस्थागत क्षमता निर्माण (Institutional Capacity Building)

संस्थागत क्षमता निर्माण का उद्देश्य जिला प्रशासन, विभिन्न विभागों और आपदा प्रबंधन संस्थाओं की क्षमता को सुदृढ़ करना है ताकि वे आपदा की स्थिति में त्वरित और प्रभावी कार्रवाई कर सकें।

6.2.1.1 अधिकारियों/नीति निर्माताओं का प्रशिक्षण (Officials / Policy Makers)

- जिला अधिकारी, विभागीय प्रमुख और नीति निर्माता नियमित प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे।
- प्रशिक्षण का फोकस आपदा प्रबंधन नीतियों, आपदा प्रतिक्रिया योजनाओं और समन्वय प्रक्रिया पर होगा।
- कार्यशालाओं और सेमिनारों के माध्यम से Disaster Risk Reduction (DRR) रणनीतियों को अपनाने का प्रशिक्षण।

6.2.2 इंजीनियर, आर्किटेक्ट, मिस्त्री, डॉक्टर, नर्स, शिक्षक और अन्य पेशेवर (Engineers, Architects,Masons, Doctors, Nurses, Teachers and Other Professionals)

- भवन और अवसंरचना परियोजनाओं में भकूम्परोधी और सुरक्षित निर्माण तकनीकें लागू करने का प्रशिक्षण।
- स्वास्थ्य पेशेवरों को आपदा के दौरान आपातकालीन चिकित्सा और प्राथमिक उपचार में विशेषज्ञता।
- शिक्षकों को स्कूलों में आपदा जागरूकता और मॉक ड्रिल आयोजित करने के लिए प्रशिक्षित करना।

6.2.3 पुलिस, अग्निशमन सेवा और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (Police, Fire Services, SDRF)

- खोज एव ं बचाव (Search and Rescue) तकनीक, आपदा प्रतिक्रिया प्रोटोकॉल, प्राथमिक चिकित्सा और जनसंपर्क प्रशिक्षण।
- नियमित मॉक ड्रिल और सामुदायिक आपदा प्रबंधन अभ्यास।
- उपकरण और तकनीकी संसाधनों के प्रभावी उपयागे का प्रशिक्षण।

6.2.2 सामुदायिक क्षमता निर्माण एवं समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन (Community Capacity Building and Community Based Disaster Management)

सामुदायिक क्षमता निर्माण और समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन का उद्देश्य स्थानीय समुदायों की आपदा निवारण, तैयारी और प्रतिक्रिया की क्षमता को सुदृढ़ करना है। जिला रूद्रप्रयाग की भौगोलिक स्थिति और संवेदनशीलता को देखते हुए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि पर्वतीय और दुर्गम क्षेत्रों में आपदा की स्थिति में जिला प्रशासन तक पहुँचने में समय लग सकता है। ऐसे में समुदाय की स्व–प्रबंधन और प्रारंभिक प्रतिक्रिया क्षमता प्रभावित क्षेत्रों में जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के लिए निर्णायक होती है।

1. **सामुदायिक क्षमता निर्माण के उद्देश्य–** सामुदायिक क्षमता निर्माण का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि स्थानीय लोग आपदा की चेतावनी, प्राथमिक बचाव और राहत प्रक्रियाओं में सक्रिय रूप से भाग लें। इसके अंतर्गत शामिल हैं–

- **आपदा जोखिम की पहचान और स्थानीय निगरानी–** स्थानीय लोगों को उनके क्षेत्र में संभावित प्राकृतिक और मानवजनित आपदाओं की पहचान करना सिखाना। Landslide, Flood, Fire, Road Accident जैसी घटनाओं के लिए समुदाय स्तर पर निगरानी तंत्र स्थापित करना।
- **प्राथमिक बचाव और राहत प्रशिक्षण–** आपदा के समय प्राथमिक बचाव (First Aid), खोज एवं बचाव (Search - Rescue) और सुरक्षित निकासी (Evacuation) के लिए प्रशिक्षण। विशेष रूप से महिलाओं, बुजुर्गों और दिव्यांगजन को सुरक्षित निकासी मार्ग और प्राथमिक बचाव तकनीक सिखाना।
- **स्थानीय आपदा प्रबंधन समितियों का गठन–** हर गांव या मोहल्ले में Village Disaster Management Committee का गठन। समिति के सदस्यों को आपदा जोखिम मूल्याकंन, योजना तैयार करने और प्राथमिक प्रतिक्रिया कार्यों में प्रशिक्षित करना।
- **सामुदायिक जागरूकता अभियान IEC Activities-** पोस्टर, पम्पलेट, सामुदायिक बैठकें और रेडियो/लोकल मीडिया के माध्यम से आपदा जागरूकता। मानसूनी मौसम, सर्दियों और जंगल आग के मौसम से पहले विशेष जागरूकता अभियान।
- **संकट सूचना नेटवर्क–** ग्रामीण स्तर पर आपदा चेतावनी के लिए संचार चैनल, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप, मोबाइल अलर्ट, होम पेज/पब्लिक नोटिस। आपदा के समय तत्काल सूचना साझा करना और स्थानीय बचाव कार्यों का समन्वय।

2. **समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन (CBDM) के घटक–** CBDM का उद्देश्य समुदाय को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना है ताकि वे आपदा की स्थिति में प्रभावी निर्णय ले सकें। इसके प्रमुख घटक हैं–

- सामुदायिक आपदा योजना (Community Disaster Plan)– प्रत्यके गांव या मोहल्ले में आपदा प्रतिक्रिया याजेना। प्राथमिक बचाव, सुरक्षित स्थान और राहत केंद्रों की पहचान।

- सामुदायिक स्वयंसेवी नेटवर्क (Volunteer Network)– आपदा के समय खाजे एवं बचाव, प्राथमिक चिकित्सा, और राहत वितरण में स्थानीय स्वयंसेवकों की भागीदारी। Civil Defence / Volunteer का प्रशिक्षण।
- संसाधन और उपकरण उपलब्धता– सामुदायिक स्तर पर आवश्यक बचाव उपकरण, दवा, रिलीफ किट और प्राथमिक चिकित्सा सामग्री का संग्रह। ग्रामीण स्कूलों, पचांयत भवनों या सामुदायिक केंद्रों में सुरक्षित भंडारण।
- प्रशिक्षण और अभ्यास (Mock Drills)– नियमित मॉक ड्रिल और अभ्यास, ताकि समुदाय आपदा के समय अपने रोल को समझे और सही तरीके से कार्य कर सके।
- महिला और संवेदनशील समूहों का सशक्तिकरण– महिलाओं, बुजुर्गों और दिव्यागंजन को आपदा तैयारी और आपातकालीन प्रतिक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रशिक्षित करना। इन समूहों के लिए सुरक्षित निकासी मार्ग, शरण स्थल और प्राथमिक सहायता केंद्र सुनिश्चित करना।

3. जिला रूद्रप्रयाग में CBDM का महत्व–

- जिले की पर्वतीय भूगोल और कठिन सड़कों के कारण सरकारी टीमों का तुरंत पहुँच पाना मुश्किल हो सकता है।
- समुदाय की सक्रिय भागीदारी से प्राथमिक प्रतिक्रिया और बचाव समय में तेजी आती है।
- सामुदायिक क्षमता निर्माण से स्थानीय लोगों में जागरूकता, आत्म–निर्भरता और जोखिम कम करने की संस्कृति विकसित होती है।

4. मुख्य रणनीतियाँ–

- सामुदायिक प्रशिक्षण कार्यशालाएँ और मॉक ड्रिल्स।
- ग्रामीण पंचायत और विद्यालय स्तर पर आपदा जागरूकता अभियान।
- संवदेनशील समूहों के लिए विशेष प्रशिक्षण और सुरक्षा उपाय।
- स्थानीय स्वयंसेवकों के लिए Disaster Volunteer Network।
- समुदाय आधारित आपदा योजना (Village Disaster Plan) का निरतंर अपडेट और अभ्यास।

6.2.3 प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (Training of Trainers – ToT)

Training of Trainers (ToT) का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जिले के सभी संबंधित सेवा कर्मियों और अधिकारियों को आपदा प्रबधंन में प्रशिक्षित करने के लिए सक्षम प्रशिक्षक उपलब्ध हों। यह कार्यक्रम विकलांग–अनुकूल प्रशिक्षण (Disability-Inclusive Training) पर केंद्रित है, ताकि सभी नागरिक, विशेष रूप से दिव्यागं जन, आपदा की तैयारी, प्रतिक्रिया और पनुर्वास में शामिल हो सकें। जिला रूद्रप्रयाग में यह पहल इसलिए महत्वपर्णू है क्योंकि पर्वतीय और दूरदराज क्षेत्रों में आपदा की स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया के लिए प्रशिक्षित मानव संसाधन की आवश्यकता होती है।

1. उद्देश्य (Objective)–

- जिले के प्रशिक्षकों को Disaster Risk Reduction और Community Based Disaster Management प्रशिक्षण देने के लिए सक्षम बनाना।
- प्रशिक्षण मॉड्यूल को विकलांग–अनुकूल (Disability-Inclusive) बनाना ताकि विशेष जरूरत वाले समूह भी लाभान्वित हो सकें।
- प्रशिक्षकों के माध्यम से विभिन्न विभागों, समुदायों और स्वयसेंवी समूहों में सतत प्रशिक्षण और जागरूकता सुनिश्चित करना।

2. लक्षित प्रतिभागी (Target Participants)

- जिला प्रशासन और विभागीय अधिकारी
- स्वास्थ्य पेशेवर (डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ)
- इंजीनियर, आर्किटेक्ट, मिस्त्री
- पुलिस, अग्निशमन और SDRF/State Disaster Response Team
- शिक्षक और सामुदायिक स्वयंसेवक

3. प्रशिक्षण की विशेषताएँ (Key Features of ToT)

- **विकलांग–अनुकूल प्रशिक्षण (Disability-Inclusive Training)–** दृश्य, श्रवण और शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सामग्री और अभ्यास। प्रशिक्षण सत्रों में सहायक तकनीकें, संकेत भाषा और विशेष उपकरण

शामिल।

- **सैद्धांतिक और व्यावहारिक प्रशिक्षण (Theory and Practical)–** आपदा प्रबंधन की मूल अवधारणाएँ, आपदा चक्र, तैयारी और प्रतिक्रिया। खाजे –बचाव (Search & Rescue), प्राथमिक चिकित्सा (First Aid), आपातकालीन निकासी (Evacuation) अभ्यास।
- **सामुदायिक और स्कूल आधारित अभ्यास–** प्रशिक्षकों को Community Drill और School Safety Programme आयोजित करने का प्रशिक्षण। मॉक ड्रिल, चेतावनी प्रणाली उपयोग और संवेदनशील समूहों के लिए रणनीतियाँ।
- **संसाधनों और उपकरणों का प्रशिक्षण–** आपदा प्रतिक्रिया उपकरण, बचाव किट, जल और खाद्य प्रबंधन साधन। IEC (Information, Education &Communication) और लोक जागरूकता उपकरण।

4. लाभ (Benefit)

- प्रशिक्षित प्रशिक्षक जिले के विभिन्न विभागों और समुदायों में निरंतर प्रशिक्षण देने में सक्षम होंगे।
- विशेष जरूरत वाले व्यक्तियों के लिए समावेशी आपदा प्रतिक्रिया सुनिश्चित होगी।
- समुदाय की स्वयं–प्रबंधन क्षमता और प्राथमिक प्रतिक्रिया समय में सुधार होगा।
- जिले में सतत क्षमता निर्माण और मानव संसाधन विकास सुनिश्चित होगा।

6.2.3.1 नागरिक सुरक्षा /स्वयंसेवक (Civil Defence / Volunteers)
6.2.3.2

नागरिक सुरक्षा और स्वयंसेवक नेटवर्क जिला रूद्रप्रयाग में आपदा प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। यह पहल स्थानीय समुदाय को आपदा के समय सक्रिय भूमिका निभाने और आपदा प्रतिक्रिया प्रणाली को मजबूत करने के लिए सक्षम बनाती है। स्वयंसेवक और Civil Defence personnel का उद्देश्य केवल आपदा के समय सहायता प्रदान करना नहीं है, बल्कि पूर्व तैयारी, जागरूकता और समदाय की सशक्तिकरण प्रक्रिया में भी योगदान देना है।

1. उद्देश्य (Objective)–

- समुदाय में सतत जागरूकता और आपदा तैयारी को बढ़ावा देना।
- आपदा के समय प्राथमिक बचाव, खोज–बचाव और राहत वितरण में सक्रिय भूमिका निभाना।
- जिला प्रशासन और DDMA के साथ मिलकर आपदा प्रतिक्रिया तंत्र को मजबूत करना।
- संवदेनशील और विशेष जरूरत वाले समूहों (महिला, बुजुर्ग, दिव्यांग) के लिए सहायता सुनिश्चित करना।

2. लक्षित स्वयंसेवक (Target Volunteers)

- ग्राम स्तर के स्थानीय स्वयंसेवक और नागरिक।
- स्कूल और कॉलेज छात्रों के स्वयंसेवक।
- महिलाएँ और युवाओं के समूह।
- सामाजिक संगठन और NGO से जुड़े सदस्य।

3. प्रशिक्षण कार्यक्रम (Training Programmes)

स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित किया जाता है ताकि वे आपदा के समय त्वरित और प्रभावी सहायता प्रदान कर सकें। प्रशिक्षण कार्यक्रम निम्नलिखित घटकों पर केंद्रित होते हैं:–

- प्राथमिक बचाव और चिकित्सा (First Aid & Basic Rescue)–चोटिलों की प्राथमिक चिकित्सा। आपातकालीन निकासी और सुरक्षित शरण स्थल तक पहुंच।
- आपदा जागरूकता (Disaster Awareness)-विभिन्न आपदाओं जैसे भूस्खलन, बाढ़, जंगल आग, सड़क दुर्घटनाओं और भकूम्प के खतरे। चेतावनी प्रणाली और Early Warning Systems का उपयोग।
- सामुदायिक प्रतिक्रिया और राहत वितरण (Community Response & Relief Distribution)–राहत सामग्री का वितरण। सुरक्षित स्थान पर शरणार्थियों का मार्गदर्शन। भोजन, जल और प्राथमिक चिकित्सा किट का प्रबंधन।
- संचार और समन्वय (Communication & Coordination)–ग्राम स्तर पर आपदा सूचना का साझा करना। DDMA और जिला प्रशासन के साथ तालमेल बनाए रखना।

- विशेष समूहों के लिए प्रशिक्षण (Special Needs Training)–दिव्यांगजन, बुजुर्ग और बच्चों के लिए सुरक्षित निकासी। महिलाएं और संवेदनशील समूह के लिए प्राथमिक सहायता।

4. संगठनात्मक ढांचा (Organizational Structure)

- जिला स्तर: DDMA के अंतर्गत Civil Defence Coordinator।
- ब्लॉक/ग्राम स्तर: Block/ Village Volunteer Team।
- विशेष जिम्मेदारी: प्रत्येक टीम मे Team Leader और विशेष भूमिका वाले सदस्य।
- संपर्क प्रणाली: मोबाइल, रेंडियो और अलर्ट सिस्टम के माध्यम से तुरंत सूचना।

5. गतिविधियाँ और जिम्मेदारियाँ (Activities and Responsibilities)

गतिविधि	जिम्मेदारी	समय/परिस्थिति
प्रारम्भि चेतावनी	स्वयंसेवक	आपदा के समय
खोज–बचाव और प्राथमिक चिकित्सा	प्रशिक्षित स्वयंसेवक	आपदा के दौरान
राहत सामग्री विवरण	स्वयंसेवक और ब्लॉक अधिकारी	आपदा के बाद
मॉक ड्रिल और प्रशिक्षण	स्वयंसेवक/DDMA	नियमित/त्रैमासिक
आपदा जागरूकता अभियान	स्वयंसेवक	वर्षभर/विशेष मौसम के अनुसार

6.3 आपदा प्रबंधन शिक्षा (Disaster Management Education)

आपदा प्रबंधन शिक्षा का उद्देश्य बच्चो, युवाओं और पेशवे रों को आपदा की तैयारी, प्रतिक्रिया और जोखिम न्यूनीकरण के लिए सक्षम बनाना है। जिला रूद्रप्रयाग में इसे दो मुख्य स्तरों पर लागू किया जाता है – स्कलू और कॉलेज।

6.3.1 स्कूल (Schools)–

- सामुदायिक जागरूकता– बच्चों को आपदा के प्रकार, चेतावनी संकेत और सुरक्षा उपायों के बारे में शिक्षित करना।
- मॉक ड्रिल– प्रत्येक स्कूल में नियमित मॉक ड्रिल आयोजित करना ताकि बच्चे आपदा के समय सुरक्षित तरीके से प्रतिक्रिया कर सकें।
- सुरक्षित निकासी मार्ग और शरण स्थल– बच्चों को सुरक्षित निकासी मार्ग और नजदीकी शरण स्थलों की जानकारी देना।
- आपदा जागरूकता कार्यक्रम– खेल, पोस्टर, नाटक और पम्पलेट के माध्यम से बच्चों में आपदा जागरूकता बढ़ाना।

6.3.2 कॉलेज (Colleges – Medical Engineering)

- पेशेवर प्रशिक्षण– मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों के छात्रों को आपदा प्रबधंन के सैद्धांतिक और व्यावहारिक प्रशिक्षण देना।
- प्रोजेक्ट और फील्ड वर्क– छात्र वास्तविक आपदा परिदृश्यों में अभ्यास और परियोजना कार्य करें।
- विशेषीकृत कौशल –
  - ✓ **मेडिकल कॉलेज–** आपातकालीन चिकित्सा, प्राथमिक उपचार, रागे नियंत्रण।
  - ✓ **इंजीनियरिंग कॉलेज–** संरचनात्मक सुरक्षा, भूस्खलन और बाढ़ रोकथाम तकनीकें।
- **आपदा जागरूकता अभियान में भागीदारी–** स्थानीय समुदाय में Awareness Campaign और Training Programs में सहयागे ।

6.4 कौशल उन्नयन और फॉलो–अप प्रशिक्षण कार्यक्रम (Skill Upgradation and Follow&up Training Programmes)

- पहले से प्रशिक्षित अधिकारियों, पेशेवरों और स्वयंसेवकों के लिए नियमित फॉलो–अप प्रशिक्षण और कौशल उन्नयन कार्यक्रम।
- नवीनतम उपकरणों और तकनीकां` के उपयोग पर प्रशिक्षण।
- प्रशिक्षण के प्रभाव और दक्षता का मूल्यांकन।
- समुदाय और संस्थागत स्तर पर सतत क्षमता निर्माण सुनिश्चित करना।

1. लक्षित समूह (Target Groups)

- जिला प्रशासन और विभागीय अधिकारी
- इंजीनियर, आर्किटेक्ट और तकनीकी पेशेवर
- डॉक्टर, नर्स और अन्य स्वास्थ्य पेशेवर
- पुलिस, अग्निशमन, SDRF और अन्य आपदा प्रतिक्रिया टीम
- सामुदायिक स्वयंसेवक और नागरिक सुरक्षा दल

2. प्रशिक्षण संरचना (Training Structure)

- सैद्धांतिक अद्यतन (Theory Upgradation) –
  - ✓ आपदा प्रबंधन के नवीनतम नियम, नीतियाँ और प्रोटोकॉल।
  - ✓ जोखिम न्यूनीकरण (DRR) और सामुदायिक आपदा प्रबंधन (CBDM) की आधुनिक रणनीतियाँ।
- व्यावहारिक कौशल (Practical Skills) –
  - ✓ खोज–बचाव (Search & Rescue), प्राथमिक चिकित्सा (First Aid) और सुरक्षित निकासी (Evacuation) का अभ्यास।
  - ✓ उपकरण और तकनीकी साधनों का प्रशिक्षण, जैसे - GPS, GIS, Early Warning Systems।
- फॉलो– अप अभ्यास (Follow&up Drills) –
  - ✓ पूर्व प्रशिक्षण में सीखे गए उपायों का नियमित अभ्यास।
  - ✓ मॉक ड्रिल और आपदा सिमुलेशन।
  - ✓ प्रशिक्षण के प्रभाव और सुधार क्षेत्रों का मूल्यांकन।
- **सामुदायिक और संवेदनशील समूहों के लिए प्रशिक्षण –**
  - ✓ महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और दिव्यागं लोगों के लिए विशेष प्रशिक्षण।
  - ✓ स्थानीय स्वयंसेवकों और ग्राम स्तर पर प्रशिक्षण और जागरूकता सत्र।

6-5 प्रशिक्षित पेशेवरों का सूचीकरण (Inventory of Trained Professionals)

- जिले में प्रशिक्षित सभी पेशेवरों का डेटाबसे तैयार किया जाएगा–
  - ➢ इंजीनियर, आर्किटेक्ट, मिस्त्री, मेडिकल पेशेवर, खोज–बचाव विशेषज्ञ।
  - ➢ विवरणों में नाम, विभाग, प्रशिक्षण की अवधि, विशेषज्ञता और उपलब्धता शामिल होगी।

6.6 विभिन्न संवेदनशील समूहों के लिए क्षेत्रीय डेटा दस्तावेजीकरण (Data Documentation with Sectoral Emphasis for Various Vulnerable Groups)

- बच्चो, महिलाओं, बुजुर्गों, दिव्यागं और अन्य संवेदनशील समूहों का समग्र डेटा संग्रह।
- डेटा का उपयोग आपदा याजे ना, प्रशिक्षण कार्यक्रम और राहत कार्यों में किया जाएगा।
- यह सुनिश्चित करता है कि सभी विशेष जरूरत वाले समूहों को आपदा के समय उचित सहायता मिले।
- डेटा दस्तावेजीकरण में जोखिम मूल्यांकन, आपदा प्रतिक्रिया क्षमता, निकासी मार्ग और सहायता आवश्यकताओं को शामिल किया जाएगा।

अध्याय–7

प्रतिक्रिया एवं राहत उपाय (Response and Relief Measures)

7.1– राहत, बचाव एवं प्रतिक्रिया कार्यों के मुख्य उद्देश्य– राहत, बचाव एवं प्रतिक्रिया कार्यों का उद्देश्य आपदा प्रभावित जन समुदायकों योजनबद्ध कार्यवाही द्वारा तत्काल एवं तत्पर राहत पहुंचाने एवं समय सीमा में बचाव कार्य कर जानमाल की क्षति को कम करना है ।

- आपदा की स्थिति में प्रभावित लोगों के जीवन, संपत्ति और आजीविका की सुरक्षा करना।
- राहत एवं बचाव कार्यों के लिए त्वरित और समन्वित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना।
- सभी विभागों के बीच प्रभावी समन्वय स्थापित कर कार्यों में विलंब न होने देना।
- प्राथमिक चिकित्सा, सुरक्षित आश्रय, भोजन, पानी और संचार व्यवस्था शीघ्र उपलब्ध कराना।
- जनपद स्तर पर उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग करते हुए राज्य एवं राष्ट्रीय एजेंसियों से सहायता प्राप्त करना।
- आपदा के बाद शीघ्र पुनर्वास एवं सामान्य स्थिति की बहाली करना।

7.2 प्रतिक्रिया योजना, बहु–आपदा प्रबंधन तैयारी और त्वरित मूल्यांकन– जनपद रूद्रप्रयाग के लिए बहु–आपदा प्रबंधन प्रणाली को सक्रिय करते हुए सभी विभागों द्वारा समन्वित कार्यवाही की जाएगी।

7.2.1 क्षति और आवश्यकताओं का त्वरित मूल्यांकन–

- तहसील और ब्लॉक स्तर पर तैनात राजस्व दल प्रारंभिक क्षति का आकलन करेंगे।
- स्वास्थ्य, कृषि, पशुपालन, विद्युत, पेयजल, शिक्षा आदि विभाग अपने–अपने क्षेत्र की क्षति रिपोर्ट देंगे।
- प्रारंभिक रिपोर्ट 24 घंटे के भीतर जिला आपात संचालन केंद्र (DEOC) को प्रेषित की जाएगी।

7.2.2 प्रतिक्रिया प्रवाह चार्ट–

घटना की सूचना → तहसील स्तर → जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र → जिलाधिकारी → राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र।

इसके अनुसार सभी विभागों की तैनाती एवं कार्ययोजना सक्रिय की जाएगी।

7.2.3 चेतावनी और सतर्कता–

- मौसम विभाग, CWC, IMD, SDRF व पुलिस कंट्रोल रूम से प्राप्त पूर्व चेतावनी को तत्काल संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाया जाएगा।
- ग्राम स्तर तक सूचना प्रसारण हेतु पंचायत सचिव, आशा, आंगनवाड़ी व स्वयंसेवी संस्थाओं का सहयोग लिया जाएगा।

7.2.4 जिला संकट प्रबंधन समूह की बैठक–

- जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संकट प्रबंधन समूह तत्काल बैठक कर आवश्यक दिशा–निर्देश जारी करेगा।
- सभी विभाग अपने संसाधन और दल तैयार रखेंगे।

7.2.5 आपातकालीन संचालन केंद्र का सक्रियकरण–

- आपदा की स्थिति में DEOC 24×7 सक्रिय रहेगा।
- सूचना संग्रह, विश्लेषण, राहत सामग्री वितरण एवं समन्वय यहीं से किया जाएगा।

7.2.6 संसाधनों का संचालन–

- JCB, ट्रैक्टर, एंबुलेंस, फायर टेंडर, क्रेन, बोट आदि संसाधनों को संबंधित विभागों से संचालित किया जाएगा।
- सिरोहबगढ़, जवाडी बाईपास, बांसवाड़ी, फाटा एवं मुनकटिया रोड पर तैनात उपकरण त्वरित प्रतिक्रिया के लिए तैयार रहेंगे।

7.2.7 बाहरी सहायता प्राप्त करना–

- SDRF, NDRF, सेना, ITBP, SSB एवं रेडक्रॉस जैसी संस्थाओं से आवश्यकता पड़ने पर सहायता ली जाएगी।

7.2.8 प्रभावित जनसंख्या की मानसिक और सामाजिक देखभाल–

- स्वास्थ्य विभाग और सामाजिक कल्याण विभाग द्वारा परामर्श शिविर लगाए जाएंगे।
- मनोवैज्ञानिक सहायता एवं सामुदायिक समर्थन कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

7.2.9 प्रारंभिक मूल्यांकन रिपोर्ट–

- प्रत्येक प्रभावित क्षेत्र से 48 घंटे के भीतर प्रारंभिक मूल्यांकन रिपोर्ट DEOC में प्राप्त होगी।
- इसके आधार पर राहत कार्यों की प्राथमिकता तय की जाएगी।

7.2.10 मीडिया प्रबंधन एवं सूचना प्रसार–

- जिलाधिकारी द्वारा नामित प्रवक्ता ही आधिकारिक सूचना जारी करेगा।
- सोशल मीडिया व प्रेस के माध्यम से सही सूचना प्रसारित की जाएगी ताकि अफवाहें न फैलें।

7.2.11 SOP (मानक संचालन प्रक्रिया) का विकास–

- प्रत्येक विभाग को आपदा प्रबंधन हेतु अपनी SOP तैयार रखनी होगी।
- SOP के अनुसार समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

7.2.12 रिपोर्टिंग–

- सभी विभाग प्रतिदिन अपने कार्यों की स्थिति रिपोर्ट जिला आपात संचालन केंद्र को देंगे।
- संकलित रिपोर्ट राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को भेजी जाएगी।

7.3 आपदाओं के स्तर (Levels of Disasters) – जनपद रूद्रप्रयाग के अनुसार

जनपद की भौगोलिक स्थिति एवं पूर्व के घटित आपदाओं के दृष्टिगत भूस्खलन, बादल फटना, भूकम्प, हिमस्खलन, शीतलहरी, त्वरित बाढ़, सूखा, ऑधी, तूफान एवं वनाग्नि आपदाओं की सम्भावना बनी रहती है। आपदा प्रबन्धन के विभिन्न स्तर पर इसकी योजना के मध्येनजर आपदाग्रस्त क्षेत्र एवं स्थिति से निपटने के लिये उच्च स्तरीय आपदा प्रबन्धन समिति की आख्या 2001 के अनुसार आपदाओं को तीन भागों क्रमशः L1, L2 एवं L3 में वर्गीकृत किया गया है। सामान्य अवधि में L0 का उपयोग किया जाना चाहिये।

विभिन्न स्तरों के आपदाओं का स्तर एंव उत्तरदायी टीम–

क्र.स.	आपदा की स्थिति (स्तर)	जिम्मेदार टीम
1	**स्तर L1 आपदा स्थिति** घटित आपदा का वह स्तर जिसमें जनपद में उपलब्ध संसाधनों/क्षमता से आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन किया जाना सम्भव हो। राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण आवश्यकता पड़ने पर सहायता हेतु तैयार रहेगा।	**घटना प्रबंधन से संबन्धित विभाग तथा स्थानीय दल**
2	**स्तर L2 आपदा स्थिति** यह आपदा की स्थिति का प्रतीक है जिसमें जनपद में अन्य जनपदों एवं राज्य स्तर से सहायता की आवश्यकता होती है। जिसमें राज्य स्तर अतिरिक्त संसाधनों एवं राज्य स्तरीय ऐजेन्सियों की तैनाती की जाती है एवं राज्य सरकार केन्द्रीय संसाधनों एवं ऐजेन्सियों को आवश्यक पड़ने हेतु सतर्क किया जाता है।	**तहसील स्तरीय इंसिडेंट रिस्पॉस टीम**
3	**स्तर L3 आपदा स्थिति** यह बहुत बड़े स्तर की आपदा की स्थिति है, जिसका प्रभावों को जनपद एवं राज्य स्तर के संसाधनों से प्रबन्धन किया जाना सम्भव नहीं होता है।	**जिला स्तरीय इंसिडेंट रिस्पॉस टीम**

स्तर–1 स्थानीय स्तर की आपदा (Local Level Disaster)

ऐसी आपदा जो सीमित क्षेत्र (ग्राम या वार्ड स्तर) तक ही सीमित रहती है और जिसका निवारण स्थानीय प्रशासन एवं विभागीय संसाधनों से किया जा सकता है।

उदाहरण–

- किसी गाँव में मकान का ध्वस्त होना
- छोटे स्तर का भूस्खलन
- सीमित दायरे में आग लगना
- बिजली या पानी की अस्थायी बाधा

जिम्मेदारी–

- ग्राम प्रधान/ ग्राम आपदा प्रबंधन समिति (VDMC)
- तहसील प्रशासन / नायब तहसीलदार
- स्थानीय पुलिस व स्वास्थ्य उपकेंद्र

कार्यवाही–

- त्वरित राहत सामग्री वितरण
- प्राथमिक उपचार
- सूचना DEOC (जिला आपात संचालन केंद्र) को भेजना

स्तर–2 उप–जिला/तहसील स्तर की आपदा (Sub-Divisional Level Disaster)

ऐसी आपदा जो तहसील या ब्लॉक स्तर तक प्रभाव डालती है और स्थानीय संसाधनों से निपटना कठिन हो जाता है।

उदाहरण–

- भारी भूस्खलन से सड़क अवरुद्ध होना (जैसे सिरोबगड़)
- बादल फटना या अतिवृष्टि से जनहानि

- स्थानीय नदी (जैसे अलकन्दा या मन्दाकिनी) में बाढ़ की स्थिति

जिम्मेदारी–

- उपजिलाधिकारी (SDM) की निगरानी में राहत एवं बचाव कार्य
- तहसील आपदा प्रबंधन टीम, पुलिस, SDRF की सहायता

कार्यवाही–

- प्रभावित लोगों को अस्थायी शिविरों में स्थानांतरित करना
- सड़क एवं संचार व्यवस्था बहाल करना
- क्षति आकलन रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेजना

स्तर–3 जिला स्तर की आपदा (District Level Disaster)

ऐसी आपदा जो जनपद के एक से अधिक विकासखण्डों को प्रभावित करती है और जिसके लिए समग्र जिला प्रशासन की सक्रियता आवश्यक होती है।

उदाहरण–

- पूरे रूद्रप्रयाग जिले में मूसलाधार वर्षा से सड़क व बिजली बाधित होना
- बड़ी जनहानि या संपत्ति हानि वाली घटना
- प्रमुख बाजार या नगर (रूद्रप्रयाग, अगस्त्यमुनि) में बाढ़ या आग की स्थिति

जिम्मेदारी–

- जिलाधिकारी (Incident Commander)
- जिला आपदा प्रबंधन समिति (DDMC)
- सभी विभागीय नोडल अधिकारी

कार्यवाही–

- DEOC को पूर्णतः सक्रिय करना
- SDRF / NDRF से सहायता प्राप्त करना
- राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA) को सूचना देना
- राहत शिविर एवं वितरण केंद्र स्थापित करना

स्तर–4 : राज्य/राष्ट्रीय स्तर की आपदा (State / National Level Disaster)

जब आपदा इतनी व्यापक हो कि जनपद के सभी संसाधन अपर्याप्त हो जाएं और राज्य या केंद्र सरकार की सहायता आवश्यक हो।

उदाहरण–

- भीषण भूकंप या बड़े पैमाने पर भूस्खलन (जैसे केदारनाथ ट्रेक रूट)
- विनाशकारी बाढ़, महामारी, या बादल फटने की व्यापक घटनाएं
- बड़ी जनहानि एवं विस्थापन

जिम्मेदारी–

- राज्य सरकार, SDRF, NDRF, सेना, ITBP, SSB आदि का सहयोग
- जिलाधिकारी एवं राज्य आपदा प्रबंधन सचिव के संयुक्त निर्देशन में कार्यवाही

कार्यवाही–

- उच्च स्तरीय राहत एवं बचाव अभियान
- हवाई सहायता एवं राज्य आपात केंद्र की सक्रियता
- पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण की दीर्घकालिक योजना

जनपद रूद्रप्रयाग के सन्दर्भ में विशेष टिप्पणी–

- पर्वतीय भू–भाग के कारण यहाँ भूस्खलन और सड़क अवरोध सबसे सामान्य आपदाएँ हैं।
- रूद्रप्रयाग मुख्य बाजार, सिल्ली, अगस्त्यमुनि बाढ़ प्रभावित और जनपद रूद्रप्रयाग का अधिकांश क्षेत्र भूस्खलन संभावित क्षेत्र है।
- जिला प्रशासन द्वारा प्रत्येक वर्ष मॉनसून सीजन से पूर्व "High-Risk Zone Mapping" कर ली जाती है।
- प्रत्येक स्तर पर स्थानीय स्वयंसेवी संस्थाओं, NCC, NYK, रेडक्रॉस एवं SDRF की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाती है।
- तहसील, ब्लॉक और ग्राम स्तर पर स्थानीय प्रशासन द्वारा त्वरित राहत कार्य शुरू किए जाएंगे।
- ग्राम आपदा प्रबंधन समिति (VDMC) और स्वयंसेवी संस्थाओं की मदद ली जाएगी।
- मौके पर ही प्राथमिक सहायता, बचाव कार्य एवं राहत वितरण किया जाएगा।

7.4 जिम्मेदारी मैट्रिक्स का विकास (Responsibility Matrix Development)

7.4.1 खतरों (Hazards) के अनुसार आपातकालीन प्रतिक्रिया कार्यों के लिए जिम्मेदारी मैट्रिक्स

क्र.सं.	विभाग	जिम्मेदारी
1	राजस्व विभाग	राहत समन्वय एवं क्षति आकलन
2	पुलिस विभाग	सुरक्षा, ट्रैफिक नियंत्रण, बचाव सहायता
3	स्वास्थ्य विभाग	प्राथमिक उपचार, टीकाकरण एवं दवा आपूर्ति
4	विद्युत विभाग	विद्युत आपूर्ति बहाली
5	जल संस्थान/जल निगम	पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता व्यवस्था
6	आपूर्ति विभाग	आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता
7	कृषि विभाग	फसल क्षति का मूल्यांकन
8	सिंचाई विभाग	बांध व जलाशयों की निगरानी

7.4.2 त्वरित आने वाली आपदाओं के लिए जिम्मेदारी मैट्रिक्स (Responsibility Matrix) जहां पूर्व चेतावनी उपलब्ध नहीं होती

- भूकंप, भूस्खलन, भवन ढहना, सड़क दुर्घटना आदि की स्थिति में QRT तत्काल सक्रिय होगा।
- स्थानीय पुलिस और SDRF प्राथमिक बचाव करेंगे।
- स्वास्थ्य विभाग और फायर सेवा मौके पर पहुंचकर राहत प्रदान करेंगे।

7.5 आपदा के विभिन्न स्तरों में राहत एवं बचाव तथा प्रतिक्रिया कार्यों के दायित्व

7.5.1 पूर्व चेतावनी मिलने पर किए जाने वाले कार्य

- उच्च जोखिम क्षेत्रों में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करना।
- स्कूल, सामुदायिक भवन एवं पंचायत घरों को अस्थायी राहत शिविर बनाना।
- आवश्यक सामग्री का भंडारण एवं वाहन तैयार रखना।

7.5.2 आपदा प्रतिवेदन कार्य का सक्रियकरण–

- सूचना प्राप्त होते ही DEOC सक्रिय किया जाएगा।
- विभागीय अधिकारी मौके पर पहुंचेंगे और रिपोर्ट तैयार करेंगे।

7.5.3 राहत एवं प्रतिवेदन के कार्य

- घायल व्यक्तियों को अस्पताल भेजना, मृतकों के परिजनों को सहायता देना।
- राहत सामग्री वितरण और जनसंख्या पुनर्वास।

7.5.4 मानव बचाव कार्य

- SDRF, पुलिस, फायर सर्विस एवं स्थानीय स्वयंसेवक संयुक्त रूप से बचाव कार्य करेंगे।
- महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और विकलांग व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाएगी।

7.5.5 प्रारंभिक आकलन

- क्षति, जनहानि और संपत्ति हानि का प्रारंभिक सर्वेक्षण किया जाएगा।

7.5.6 राहत वितरण

- पीड़ितों को भोजन, वस्त्र, दवाइयां, तंबू और स्वच्छ पानी की व्यवस्था की जाएगी।

7.5.7 अनुश्रवण (Monitoring)

- राहत कार्यों की नियमित समीक्षा जिलाधिकारी द्वारा की जाएगी।
- नियंत्रण कक्ष से सभी टीमों की रिपोर्ट ली जाएगी।

7.5.8 प्रतिवेदन निष्क्रियकरण (Deactivation)

- स्थिति सामान्य होने पर राहत दलों को चरणबद्ध तरीके से वापस बुलाया जाएगा।
- EOC की गतिविधियां धीरे–धीरे सामान्य कार्यप्रणाली में लौटेंगी।

7.5.9 पुनर्निर्माण कार्य

- क्षतिग्रस्त भवन, सड़क, जलापूर्ति और अन्य ढांचे का पुनर्निर्माण किया जाएगा।
- आजीविका पुनर्स्थापन हेतु विशेष योजनाएं लागू की जाएंगी।

महत्वपूर्ण आपातकालीन कार्यों हेतु विभागीय उत्तरदायित्व– महत्वपूर्ण आपातकालीन कार्यों को सम्पन्न करने हेतु निम्नांकित विभाग जिम्मेदार होंगे–

क्र.स.	प्रमुख विभाग	मुख्य भूमिका	सहयोगी भूमिका
1	आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण	समस्त आपदाओं में विभागीय समन्वय, खोज एवं बचाव, आपातकालीन परिचालन केन्द्रों का संचालन	आपदा कि स्थिति में शासन स्तर पर समन्वय स्थापित कर आवश्यक दिशा–निर्देश प्राप्त कर आवश्यक कार्यवाही करना।
2	पुलिस	समस्त आपदाओं में कानून व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण, नागरिक सुरक्षा, यातायात व्यवस्था, संचार व्यवस्था	चेतावनी प्रसारण, खोज एवं बचाव, राहत वितरण, परिवहन व्यवस्था, आबादी निष्क्रमण

क्र.स.	प्रमुख विभाग	मुख्य भूमिका	सहयोगी भूमिका
3	वन एंव फॉयर सर्विस	अग्नि दुर्घटना नियंत्रण, समस्त आपदाओं में मलबा निस्तारण, शव निपटान, सफाई एवं स्वच्छता, स्वच्छ पेयजल व्यवस्था।	राहत बचाव कार्य एवं समय–समय पर दिये गये अन्य दिशा निर्देशों का अनुपालन
4	स्थानीय प्रशासन	समस्त आपदाओं में ग्रामीण क्षेत्रों में चेतावनी प्रसारण, राहत कैंप व्यवस्था, मलबा निस्तारण, शव निपटान, सफाई एवं स्वच्छता, स्वच्छ पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण सड़कों एवं पुल, पुलियों का रख रखाव ।	कानून व्यवस्था, चेतावनी प्रसारण, आबादी निष्क्रमण, स्थानीय तैराक, गोताखोर, सिविल डिफेंस, एस0डी0आर0एफ0, एन0डी0आर0एफ0, एनसीसी, एनएसएस आदि से समन्वय
5	पंचायत एवं ग्रामीण विकास	समस्त प्राकृतिक आपदाओं में आबादी निष्क्रमण, क्षति आंकलन, राहत शिविरों का संचालन	राहत शिविर एवं बुनियादी सुविधाओं की स्थापना, खोज एवं बचाव, आबादी निष्क्रमण, महामारी नियंत्रण
6	राजस्व विभाग	समस्त प्राकृतिक आपदाओं में आबादी निष्क्रमण, क्षति आंकलन, राहत वितरण, वित्तीय व्यवस्था	आबादी निष्क्रमण, खोज एवं बचाव, राहत वितरण, महामारी नियंत्रण
7	स्वास्थ्य	महामारी नियंत्रण, समस्त आपदाओं में स्वास्थ्य और चिकित्सा प्रबंधन	चेतावनी प्रसारण,आश्रय एवं राहत कैंप प्रबंधन
9	जनसम्पर्क कार्यालय	समस्त आपदाओं में मीडिया प्रबंधन, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आवश्यक सूचनाओं का सम्प्रेषण।	सफाई एवं स्वच्छ्ता
10	खाद्य आपूर्ति	समस्त आपदाओं में आश्रय एवं राहत कैंप प्रबंधन, स्थानीय स्वयंसेवी संगठनों से समन्वय	राहत सामग्री/खाद्यान वितरण
11	शिक्षा विभाग	आपातकालीन राहव शिविरों कि व्यवस्था एंव समन्वय	जनजागरूकता
13	लोक निर्माण विभाग	समस्त आपदाओं में अस्थायी सड़क/डाइवरसन, राहत शिविर, चिकित्सा पोस्ट, हेलीपैड, इनसिडेंट कमांड पोस्ट्स एवं अन्य अस्थायी संरचनाओं का निर्माण, क्षतिग्रस्त पुल/पुलियों, सड़कों की मरम्मत, अधोसंरचना क्षति आंकलन	अन्य विभागों को तकनीकि सहयोग
14	विद्युत विभाग	समस्त आपदाओं में सतत एवं सुचारू विद्युत सप्लाई व्यवस्था	राहत कार्यो व शिविरों में विद्युत व्यवस्था

क्र.स.	प्रमुख विभाग	मुख्य भूमिका	सहयोगी भूमिका
15	सिंचाई विभाग	सिचांई योजनाओं तथा बाढ से आबादी की सुरक्षा	क्षतिग्रस्त भवनों में खोज बचाव कार्यों में सहयोग, मजदूरों की व्यवस्था
16	पशुपालन विभाग	पशुजनित रोग नियंत्रण, पशुराहत कैंप व्यवस्था, चारे व घास की व्यवस्था	पशु शव निस्तारण
17	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी	समस्त आपदाओं में परिवहन व्यवस्था	राहत कार्यो में यथाआवश्यक परिवहन व्यवस्था
18	भारत संचार निगम लिमिटेड	समस्त क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधा सुचारू रखना	वैकल्पिक दूरसंचार व्यवस्था

जनपद स्तरीय आपदा प्रबन्धन समिति के नातिम सदस्य– आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 के अध्याय 04 के प्राविधानों के अनुसार जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण का गठन किया गया है। जनपद में आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण निम्न प्रकार अधिसूचित है–

क्र.सं	पदनाम	फोन नं0	
		कार्यालय	मोबाइल
1	जिला मजिस्ट्रेट **अध्यक्ष**	01364–233300	9461474762
2	जिला पंचायत अध्यक्ष **सह अध्यक्ष**		9258577911
3	पुलिस अधीक्षक **सदस्य**	01364–233387	9411112699
4	मुख्य विकास अधिकारी **सदस्य**	01364–233189	9411149140
5	प्रभारी अधिकारी, आपदा प्रबन्धन/अपर जिला मजिस्ट्रेट **सदस्य एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी**	01364–233185	7300505330
6	मुख्य चिकित्सा अधिकारी **सदस्य**	01364–233841	7456003161
7	अधीशासी अभियंता, प्रा0 ख0, लो0 नि0 वि0 **सदस्य**	01364–233204	7500217670

7.6 जनपद स्तरीय आई0आर0एंस0 एंव उत्तरदाायित्व– किसी भी आपदा की स्थिति में जनपद में आई0आर0एस0 तंत्र सक्रिय किया जाता है। समस्त अधिकारियों को निर्देशित किया गया है किसी भी आपदा की स्थिति में तत्काल जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र में उपस्थित होगे तथा आई0आर0एस0 कार्ययोजना के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

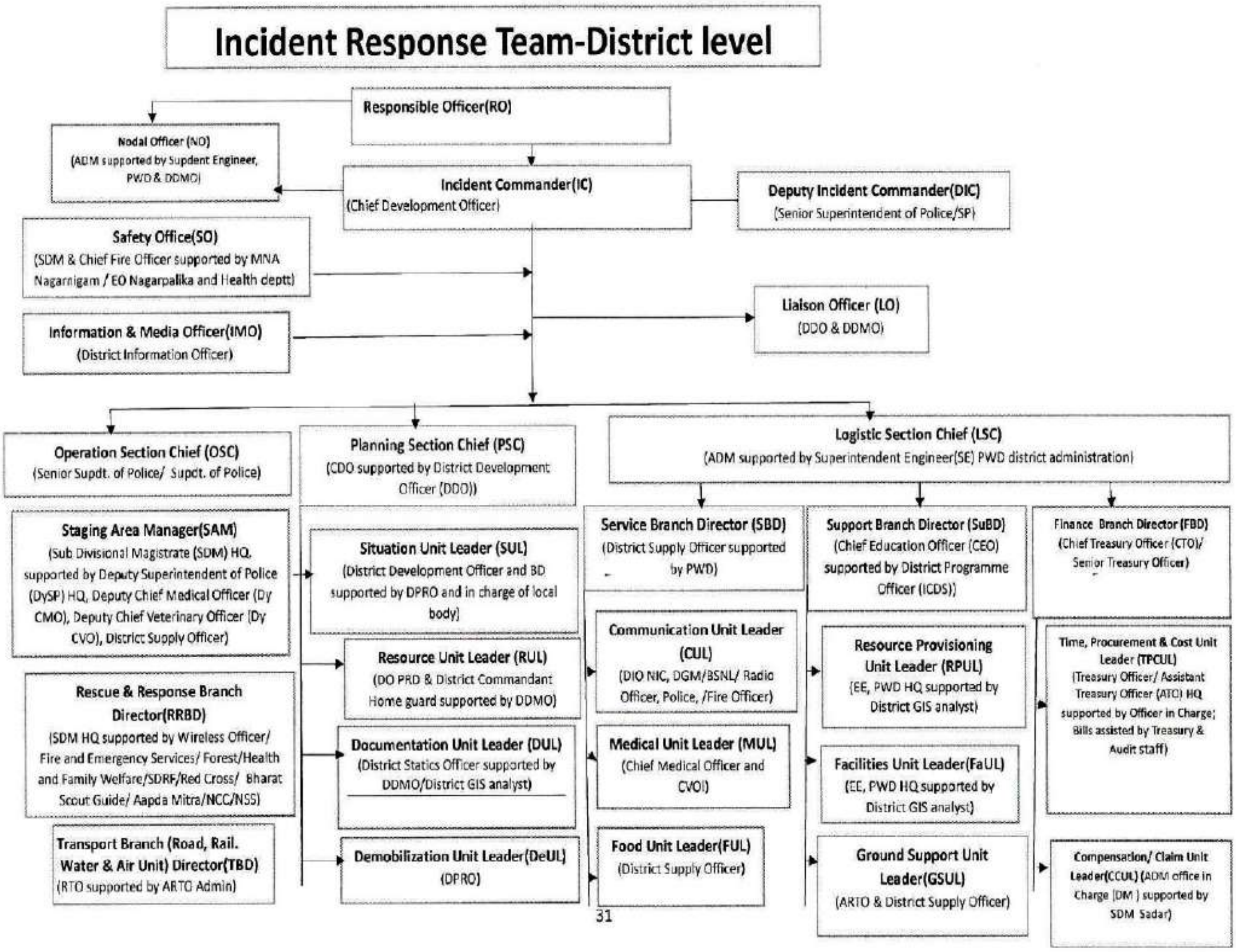

जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के अन्तर्गत INCIDENT RESPONSE SYSTEM (IRS) में नामित अधिकारियों का विवरण–(तालिका 7.4)

S.N.	Position Of IRS	Nomination Of Officers in IRS	Supported Officers
1.0	Responsible Officer (RO)	**Vishal Mishra**, District Magistrate/Chairman, DDMA Rudraprayag 6398469936	R S Rawat Chief Development Officer, Rudraprayag 9411149140
1.1	Deputy Responsible Officer (DRO)	**Niharika Tomar** Superintendent Of Police Rudraprayag 9411112699	Vikash Pundir CO Police (HQ) Rudraprayag 8979689063
2.0	**COMMAND STAFF (CS)**		
2.1	Incident Commander (IC)	Shyam Singh Rana Additional District Magistrate 7300505330	Vikash Pundir CO Police (HQ) Rudraprayag 8979689063
2.2	Information & Media Officer (IMO)	Bireshwar Tomar District Information Officer (DIO) 9258791119	Bireswar Tomar District Information Officer (DIO) 7055007021
2.3	Liaison Officer (LO)	Rahul Chaube DTDO 8882976860	Nandan Singh Rajwar DDMO 8078687829

S.N.	Position Of IRS	Nomination Of Officers in IRS	Supported Officers
2.4	Safety Officer (SO)	Vikash Pundir CO Police (HQ) Rudraprayag 8979689063	Inderjeet Bose, **EE PWD, 7500217670** Dr. Ram Prakash **Chief Medical Officer**, 7456003161, Gannath Singh Chief Fire Officer 9411144046 Dr. Ashish Rawat Chief Veteninary Officer 9149090343 (As per Situation)
3.0	**OPERATION SECTION**		
3.1	Operation Section Chief	Shyam Singh Rana Additional District Magistrate 7300505330	Vikash Pundir CO Police (HQ) Rudraprayag 8979689063 Surender Dutt Dangwal Commandant Homeguards, 7906049499 Varad Joshi, District PRD Officer, 7983635534
3.2	Staging Area Manager (SAM)	Vikash Pundir CO Police (HQ) Rudraprayag 8979689063	Inderjeet Bose, **EE PWD, 7500217670** RI Police Line, 8126515203 Pream Ballabh Sati Supply Insp. 9412032074 Dr. Ram Prakash **Chief Medical Officer**, 7456003161, 7217522802
3.3	Response Branch Director (RBD)	Vikash Pundir CO Police (HQ) Rudraprayag 8979689063	Vikas Pundir RI Police Line, 8126515203 Field Unit of ARMY 7642828982
3.4	Transportation Branch Director (TBD)	Kulwant singh Chauhan, Assistant Regional Transport Officer (ARTO) 9697605295	Devender Singh Pundir, Sub divisional Officer (SDO) Forest, 9027338510
3.5	Road Operation	Rajesh Chandra Superintendent Engineer PWD, 9758631150	CO Traffic
3.6	Air Operation (Group Incharge)	Shyam Singh Rana Additional District Magistrate 7300505330	Rahul Chaube DTDO 8882976860
4.0	**PLANNING SECTION (PS)**		
4.1	Planning Section Chief (PSC)	R S Rawat Chief Development Officer, Rudraprayag 9411149140	Ajay Kumar chaudhari, Chief Education Officer (CEO), 9412963410
4.2	Resource Unit Leader (RUL)	Vimal Kumar, Project Director (DRDA)	Anita Panwar, DDO, 8171224236

S.N.	Position Of IRS	Nomination Of Officers in IRS	Supported Officers
		9484107980	Virender Singh Negi, DHO, 9456779578
4.3	Situation Unit Ledar (SUL)	Pranav Pandey Tehsildar Rudraprayag 7895144997	Prem Singh Rawat, District Panchayati Raj Officer (DPRO), 9411183004
4.4	Documentation Unit Ledar (DUL)	Sandeep Bhatt, District Statistical Officer (DSTO), 9756600216	Sushil Chandra Chamoli, District Empoloyment Officer (DEO), 9456165830
4.5	Demobilization Unit Ledar (DUL)	Akhilesh Mishra District Program Officer (DPO), 9411320889	Ajay Kumar Chaudhari, Chief Education Officer (CEO), 9412963410 Balam Singh, District Sainik Welfare Officer, 9354937456
5.0	**LOGISTICS & FINANCE SECTION**		
5.1	Logistics & Finance section Chief	R S Rawat Chief Development Officer, Rudraprayag 8650888886	Inderjeet Bose, EE PWD, 7500217670 Nisha Bangwal, Treasuury Officer, 8267873359
5.2	Service Branch Director	Lokendra Chief Agriculture Officer, 9675477120	Naval Kumar, EE, Jalnigam, 9410568370 Anish Pillai, EE, Jalsasthan, 7500005717
5.2.1	Communication Unit Leader	Kapil Naithani, RI, Wireless/Sanchar, 7060154670	Manoj Kumar, EE, UPCL, 8394001111 Ajay Praser, SDO BSNL, 8988148005 Shailesh Negi, Engineer SWAN 9456314293
5.2.2	Medical Unit Leader	Dr. Ram Prakash Chief Medical Officer, 9897809806	Dr. Ashish Rawat Chief Veteninary Officer 9149090343 Deepa Tilara, District Homeopathic Medicine Officer, 812679609 Dr. Raghuveer Singh Pal, District Ayurvedic Officer, 9105802850
5.2.3	Food Unit Leader	Kushal Singh Kohali, District Supply Officer (DSO), 7668858612	Manoj Semwal, (DO) FOOD SAFETY, 9412149085
5.2.4	Restoration Unit Leader	R.P Naithani, EE, PWD, Ukhimath 9358721198	Khuswant Singh Chauhan, EE Irrigation, 9634581661Manoj Kumar, EE, UPCL, 8394001111 Ajay Praser, SDO BSNL, 8988148005
5.3	Support Branch Director	Manoj Kumar Singh	Kulwant Singh,

S.N.	Position Of IRS	Nomination Of Officers in IRS	Supported Officers
		SE, Irrigation 9412364589	Assistant Regional Transport Officer (ARTO) 9897605295 Pawan Kumar, EE PMGSY, 9410107850
5.3.1	Resource Provisioning Unit Leader	Anita Panwar, DDO, 8171224236	Harendra Chouhan, EO, Nagar Palika Rudraprayag, 94105 35700
5.3.2	Facilities Unit Leader	Vimal Kumar, Project Director (DRDA) 9484107980	Prem Singh Rawat, District Panchayati Raj Officer (DPRO), 9411183004, Akhilesh Mishra District Program Officer (DPO), 9411320889, Pranav Pandey Tehsildar Rudraprayag 7895144997 Sanjeev Kumar Saini, AE PWD, 8077609641 Ajendra AE UPCL, 8392907247 Rajenra Prasad, AE Jal Nigam, 9760284341 Suresh Shah, Block Development Officer, 9627717038
5.3.3	Ground Support Unit Leader	Kulwant singh Chauhan, Assistant Regional Transport Officer (ARTO) 9697605295	Kushal Singh Kohali, District Supply Officer (DSO), 7668858612 Harshvardhan Bhatt, District Minority Welfare Officer, 9557949276
5.4	Finance Branch Director	Nisha Bangwal, Treasuury Officer, 8267873359	Subhash Chandra Puri, Sub Treasury Officer 9105601889
5.4.1	Time Unit Leader	Akhilesh Mishra District Probation Officer (DPO) Rudraprayag 9411320889	Rakesh Roshan Pant, 9760615789 Assistant Treasury Officer (ATO) Rudraprayag
5.4.2	Procurement Unit Leader	Sanker Singh , AO, Nazarat, 9759898274	Indrajeet Negi, Treasury Accountant 8954220183
5.4.3	Copmensation/Claims Unit Leader	D.S. Rautela Chief Administration Officer (CAO), Collectrate,	Saurabh Ashwal, Chief Revenue Accountant (CRA) 9557591137
5.4.4	Cost Unit Leader	Nisha Bangwal, Treasuury Officer, 8267873359	Manver Singh Chauhan, Sub Treasury Officer, 7900456574

7.7 तहसील स्तरीय आई0आर0एंस0 एंव उत्तरदायित्व– किसी भी आपदा की स्थिति में जनपद में आई0आर0एस0 तंत्र सक्रिय किया जाता है।

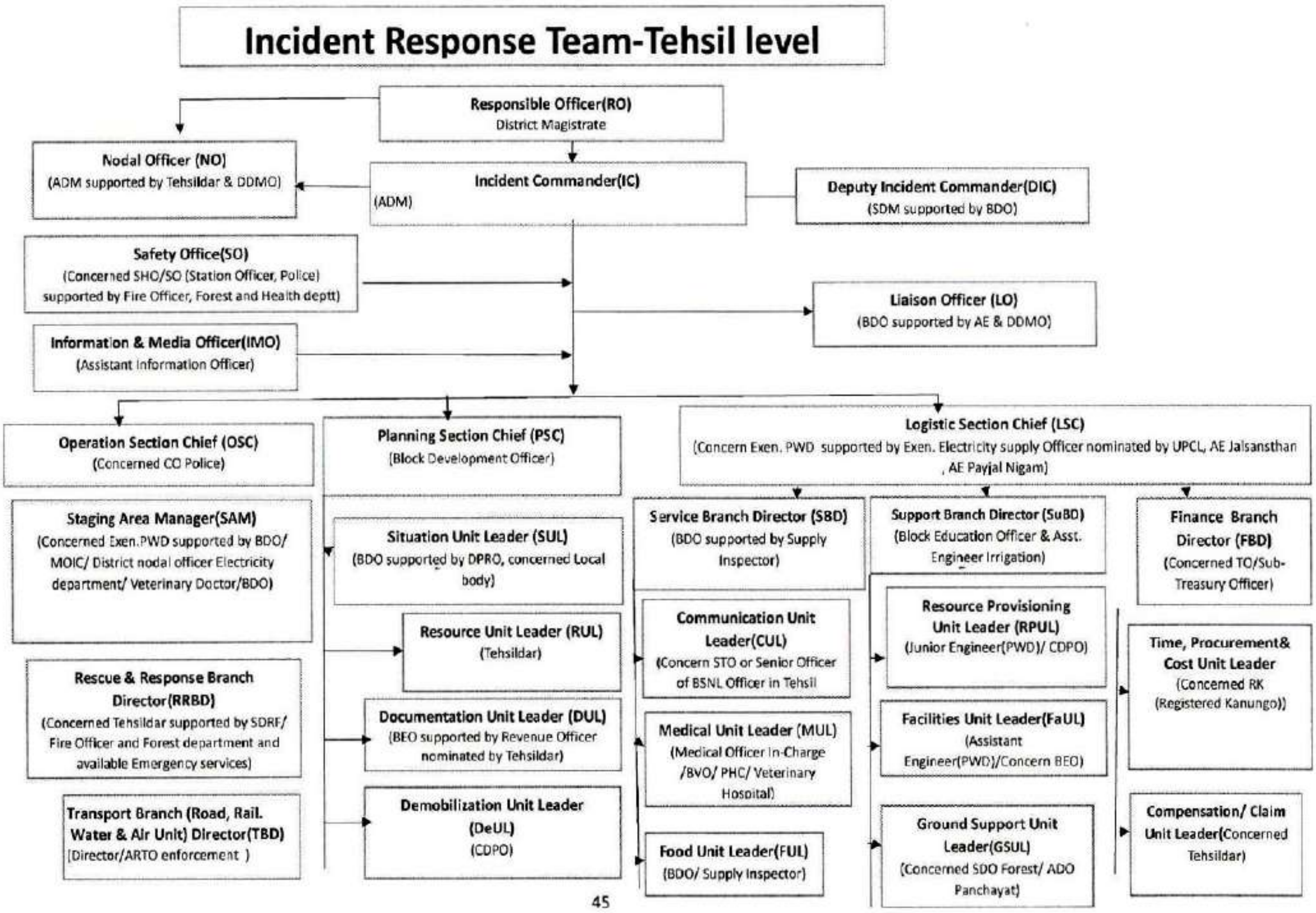

अध्याय–8

आपदा पुनर्निर्माण एवं पुर्नस्थापना उपाय

(RECONSTRUCTION, REHABILITATION AND RECOVERY MEASURES)

8.1 परिचय – बिल्डिंग बैक बेटर (BBB) एक रणनीति है जिसका उद्देश्य भविष्य की आपदाओं के दृष्टिगत समुदायों के लोगों के लिए जोखिम को कम करना है। बीबीबी (BBB) दृष्टिकोण आपदा जोखिम में कमी के उपायों को बुनियादी ढांचे, सामाजिक प्रणालियों और आजीविका, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के पुनरूद्धार में एकीकृत करता है।

8.2 पुनःनिर्माण एवं पुर्नस्थापन के चरण– आपदा के उपरान्त समितियों/विभागों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर पुनःस्थापन एवं पुनर्निर्माण के निम्नांकित कार्यो को सम्बंधित विभागों (तालिका 8.1) द्वारा पूर्ण किया जायेगा।

- आपदा प्रभावित क्षेत्रो का विभाग द्वारा निर्धारित प्रारुप अनुसार क्षति एवं प्रभाव आंकलन
- जनहानि क्षति आंकलन
- पशुधन क्षति आंकलन
- सामुदायिक अधोसंरचना क्षति एवं प्रभाव आंकलन
- आधारभूत आवश्यक सेवाओं की क्षति एवं प्रभाव आंकलन
- मकान एवं अन्य संपत्तियो का क्षति आंकलन
- स्वास्थ्य सेवाओं एवं संक्रामक बीमारियों का आंकलन
- पर्यावरणीय क्षति आंकलन
- आपदा प्रभावितो की आजीविका पर प्रभाव का आंकलन
- संवेदनशील वर्गों (दिब्यांग, बीमार, वृद्ध, नवजात शिशु, महिलाओं आदि) पर सामाजिक, आर्थिक एवं मनोवैज्ञानिक प्रभाव का आंकलन
- क्षति आंकलन के आधार पर लघु अवधि पुनर्निर्माण एवं पुनःस्थापन कार्य
- दीर्घ अवधि संरचनात्मक पुनर्निर्माण कार्य

राहत और पुनर्वास (Relief and Recovery)

आपदा प्रबंधन का अंतिम चरण राहत और पुनर्वास है। इसका उद्देश्य प्रभावित लोगों और समुदायों को त्वरित सहायता, आवश्यक संसाधन और दीर्घकालिक पुनर्वास उपलब्ध कराना है। जिला रूद्रप्रयाग में इस प्रक्रिया का संचालन DDMA और जिला प्रशासन के नेतृत्व में किया जाता है।

सामान्य नीतिगत दिशानिर्देश (General Policy Guidelines)

1. प्राथमिकता निर्धारण (Prioritization):

- सबसे पहले प्रभावित लोगों की जीवन रक्षा और स्वास्थ्य सुरक्षा।
- गंभीर रूप से प्रभावित क्षेत्रों में खाद्य, जल, आश्रय और चिकित्सा सहायता।
- बुनियादी सेवाओं जैसे विद्युत, जल आपूर्ति और परिवहन को पहले बहाल करना।
- दीर्घकालिक पुनर्वास के लिए स्थायी आवास और अवसंरचना पुनर्निर्माण।

2. नीतिगत दिशा–निर्देश:

- आपदा के तुरंत बाद आपातकालीन राहत गतिविधियाँ।
- प्रभावित समुदायों के लिए सुरक्षित और समावेशी पुनर्वास योजना।
- संवेदनशील समूहों (बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, दिव्यांग) को प्राथमिकता।
- राहत और पुनर्वास गतिविधियों में पारदर्शिता और जवाबदेही।

राहत और पुनर्वास समन्वय (Relief and Recovery Coordination – Role of DDMA)

1. मुख्य समन्वयकर्ता:
    - जिला कलेक्टर (DC) और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA)।
    - प्रभावित क्षेत्र में सभी सरकारी, अर्ध–सरकारी और NGO एजेंसियो ं के कामकाज का समन्वय।
2. DDMA की जिम्मेदारियाँ
    - प्रभावित क्षेत्रों में सर्वेक्षण और प्राथमिक राहत का आयोजन।
    - यह तय करना कि कौन सी एजेंसी कब और किस प्रकार की सहायता प्रदान करेगी।
    - राहत वितरण, आवास, चिकित्सा सहायता, भोजन और जल आपूर्ति का समन्वय।
    - प्रभावित लागे ों के लिए सूचना और संचार प्रणाली का संचालन।
3. **समन्वय प्रक्रिया**
    - आपदा के तुरंत बाद District Collector द्वारा प्रभावित क्षेत्रों की प्राथमिकता तय करना।
    - सबंधित विभागों आरै NGO/स्वयसेंवी संस्थाओं को सहायता के लिए निर्देश जारी करना।
    - नियमित मॉनिटरिंग और समीक्षा बैठकें।
    - आपदा राहत और पुनर्वास गतिविधियों का फीडबैक और सुधार।

विस्तृत क्षति और हानि मूल्यांकन (Detailed Damage and Loss Assessment)

1. लक्ष्य: प्रभावित क्षत्रे की संपूर्ण क्षति और हानि का आंकलन करना।
2. मूल्यांकन श्रेणियाँ:
    - मानव जीवन: मृत्यु और घायल होने वाले लोगों की संख्या।
    - आवास और संरचना: घर, स्कूल, अस्पताल और सार्वजनिक भवनों का नुकसान।
    - अवसंरचना: सड़कें, पुल, विद्युत और जल आपूर्ति।
    - कृषि और जीविकोपार्जन: फसलें, पशुधन और लघु व्यवसाय।
    - पर्यावरणीय हानि: जंगल, भूमि और जल स्रोत।
3. प्रक्रिया:
    - जिला प्रशासन और विभागीय टीमों द्वारा प्राथमिक और द्वितीयक सर्वेक्षण।
    - GIS और ड्राने तकनीक का उपयोग कर भौगोलिक हानि मूल्यांकन।
    - Damage Assessment Reports (DAR) तैयार करना।
    - रिपोर्ट के आधार पर राहत और पुनर्वास योजना को प्राथमिकता देना।

क्षति आकंलन प्रक्रिया– क्षति एवं प्रभाव का आंकलन शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार सम्बंधित विभागों द्वारा की जायेगी। क्षति आकलन हेतु जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा पदाधिकारियों के नेतृत्व में टीमें गठित कर, सभी प्रकार की क्षति का डिजिटल कैमरे से तिथियुक्त फोटोग्राफी तथा वीडियोग्राफी कराना सुनिश्चित करेगा। ऐसे फोटो एवं वीडियों में किसी जिम्मेदार सरकारी कर्मी का फोटो होना आवश्यक होगा। विभागों द्वारा किये गये क्षति आंकलन के अनुरुप पुनर्निर्माण एवं पुनःस्थापन हेतु लघु अवधि एवं दीर्घ अवधि कार्य योजना बनाई जायेगी तथा इन कार्यो को संपन्न करने हेतु विभागीय बजट में प्रावधान किया जायेगा।

क्षति आंकलन प्रपत्र– आपदा के उपरान्त संभावित क्षति के आंकलन हेतु सम्बंधित विभागों द्वारा अनुमोदित प्रारूप का उपयागे किया जायेगा। यदि विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप में बिंदु सम्मिलित नहीं हैं, तो इन्हें सम्मिलित करते हुए क्षति आंकलन का कार्य किया जायेगा।

पुनर्स्थापन (Restoration)

आपदा के बाद प्रभावित क्षेत्र में सतत जीवन, स्वास्थ्य और आर्थिक गतिविधियों को बहाल करना पुर्नस्थापन प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य है। जिला रूद्रप्रयाग में यह कार्य DDMA और जिला प्रशासन के नेतृत्व में किया जाता है।

बुनियादी अवसंरचना का पुनर्स्थापन (Restoration of Basic Infrastructure)

1. **सड़क और परिवहन–**
   - आपदा प्रभावित सड़कें, पुल और पैदल मार्ग तुरतं बहाल करना।
   - ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रां` में आवागमन की सुविधा सुनिश्चित करना।
2. **विद्युत और जल आपूर्ति–**
   - विद्युत लाइनों और ट्रांसफार्मर की मरम्मत।
   - जल आपूर्ति प्रणाली का संचालन, जल स्राते ों और टैंकों की सफाई।
3. **सार्वजनिक भवन और स्कूल–**
   - प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और पंचायत भवनों का पुनर्निर्माण।
   - मॉक ड्रिल के लिए सुरक्षा मानकों के अनुसार संरचनात्मक सुधार।
4. **संचार नेटवर्क–**
   - मोबाइल टावर, इंटरनेट और अन्य संचार माध्यमों को बहाल करना।
   - आपदा चेतावनी प्रणाली और सूचना संचार का संचालन।

आवश्यक सेवाओं का पुनर्स्थापन (Restoration of Essential Services as per Relief Code)

1. स्वास्थ्य सेवाएँ–
   - प्राथमिक चिकित्सा और अस्पताल सेवाओं को तत्काल बहाल करना।
   - आपातकालीन चिकित्सा टीम और मोबाइल स्वास्थ्य इकाइयाँ तैनात करना।
2. शिक्षा–
   - स्कूलों और कॉलेजों में शिक्षण पुनः प्रारंभ करना।
   - आपदा प्रभावित छात्रों के लिए अस्थायी कक्षाएं और शैक्षणिक सामग्री।
3. खाद्य और जल–
   - प्रभावित लोगों के लिए सुरक्षित भोजन और पीने का जल।
   - राहत वितरण केंद्रों और सामुदायिक किचन का संचालन।
4. सुरक्षा और पुलिसिंग–
   - Law and order बनाए रखना।
   - सुरक्षा उल्लंघनों को रोकने के लिए पुलिस तैनाती।

यह सभी सेवाएँ राज्य/जिला राहत कोड के अनुसार प्राथमिकता के क्रम में बहाल की जाती हैं।

आजीविका और रोजगार का पुनर्स्थापन (Restoration of Livelihoods)

1. कृषि–

- प्रभावित खेतों में फसल बीज और कृषि उपकरण वितरण।
- पशुपालन और मछली पालन के लिए सहायता।

2. लघु व्यवसाय और उद्योग–

- छोटे व्यवसायियों और`मसf.भ्मिसच ळतवनचे को आर्थिक सहायता।
- आपदा प्रभावित दुकानों और उद्योग इकाइयों का पुनर्निर्माण।

3. स्थानीय रोजगार कार्यक्रम–

- सड़क निर्माण, जल आपूर्ति, स्वास्थ्य केंद्र और पुनवार्स परियोजनाओं में स्थानीय मजदूरी।
- सामुदायिक पुनर्वास गतिविधियों के माध्यम से रोजगार सृजन।

4. महिला और संवेदनशील समूह–

- महिला स्वयंसेवक और दिव्यांगजन के लिए विशे ा आर्थिक और प्रशिक्षण कार्यक्रम।
- आजीविका पुनर्स्थापन योजनाओं में समावेशी भागीदारी।

पुनर्निर्माण / मरम्मत (Reconstruction/Repair)

आपदा के बाद प्रभावित क्षत्रे में स्थायी पुनर्निर्माण और मरम्मत कार्य जीवन, शिक्षा और आजीविका की बहाली के लिए महत्वपूर्ण हैं। जिला रूद्रप्रयाग में यह प्रक्रिया DDMA और जिला प्रशासन के निर्देशन में की जाती है और इसमें समुदाय की भागीदारी को प्राथमिकता दी जाती है।

जीवन रेखा भवन / सामाजिक अवसंरचना का पुनर्निर्माण (Lifeline Buildings / Social Infrastructure)

1. अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र :

- आपदा से प्रभावित अस्पताल और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का पुनर्निर्माण।
- आपातकालीन चिकित्सा और जीवन रेखा सेवाओं के लिए संरचनात्मक मजबूती।

2. स्कूल और शिक्षा संस्थान :

- प्रभावित स्कूल और कॉलजे भवनों की मरम्मत और पुनर्निर्माण।
- आपदा–प्रतिरोधी निर्माण तकनीक का प्रयोग।

3. पंचायत भवन और सामुदायिक केंद्र :

- स्थानीय प्रशासनिक और सामाजिक गतिविधियों के लिए भवनों का पुनर्निर्माण।
- मॉक ड्रिल और आपदा प्रशिक्षण के लिए संरचनात्मक सुधार।

क्षतिग्रस्त भवनों का मरम्मत / पुनर्निर्माण (Damaged Buildings)

1. आवासीय भवन:

- प्रभावित परिवारों के घरों की मरम्मत और पुनर्निर्माण।
- संरचनात्मक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मानक भवन कोड का पालन।

2. व्यावसायिक भवन:

- दुकानों, कार्यालयों और लघु उद्योग इकाइयों का पुनर्निर्माण।
- आर्थिक गतिविधियों और रोजगार के लिए स्थानीय पुनर्निर्माण।

3. सुरक्षा मानक और निगरानी:

- निर्माण कार्य में भूकम्प–प्रतिरोधी और बाढ़ – प्रतिरोधी तकनीकें।

- नियमित निरीक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण।

पुनर्वास में मालिक संचालित दृष्टिकोण (Promote Owner Driven Approach in Recovery)

1. मालिक संचालित पुनर्निर्माण (Owner Driven Approach):

- प्रभावित परिवारों को अपने घर और भवनों के पुनर्निर्माण में सक्रिय भूमिका देना।
- परिवारों के निर्णय और प्राथमिकताओं के अनुसार सामग्री और निर्माण तकनीक का चयन।

2. लाभ:

- प्रभावित लोगों में स्वामित्व और जवाबदेही बढ़ती है।
- पुनर्निर्माण की गति तजे होती है और समुदाय की संतुष्टि अधिक होती है।
- स्थानीय मजदूरी और संसाधनों का प्रभावी उपयोग।

3. समर्थन:

- जिला प्रशासन और NGOs तकनीकी मार्गदर्शन और वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे।
- स्थानीय निर्माण टीम और स्वयंसेवक मार्गदर्शन में सहयागे ।

पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम (Recovery Program)

आपदा के बाद प्रभावित समुदायों की सुरक्षा, आजीविका और दीर्घकालिक विकास सुनिश्चित करने के लिए पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम का निर्माण किया जाता है। जिला रूद्रप्रयाग में यह कार्यक्रम DDMA और जिला प्रशासन के नेतृत्व में लागू होता है और इसमें अल्पकालिक और दीर्घकालिक उपायों का समावेश होता है।

अल्पकालिक पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम (Short&term Recovery Program)

1. उद्देश्य– प्रभावित परिवारों की आपदा के तुरंत बाद आजीविका सुरक्षा और मूलभतू आवश्यकताओं की उपलब्धता।
2. मुख्य उपाय:
   - आजीविका सुरक्षा (Livelihood Security):
     - ✓ आपदा प्रभावित किसानो, पशुपालकों और स्थानीय व्यापारियों के लिए तत्काल सहायता।
     - ✓ अस्थायी रोजगार और मजदरूी के अवसर।
   - ऋण और आर्थिक सहायता (Loans and Financial Aid):
     - ✓ छोटे कर्ज, सब्सिडी और आपदा राहत अनुदान।
     - ✓ Self-Help Groups और लघु व्यवसायियों के लिए विशेष सहायता।
   - सामाजिक सहायता (Assistance / Aid / Grants):
     - ✓ भाजे न, पानी, आश्रय और चिकित्सा सामग्री।
     - ✓ अस्थायी आवास और सामुदायिक केंद्रों का संचालन।
   - समयसीमारू
     - ✓ प्रभावित लागों को पहले 1–6 महीनों में राहत और आजीविका उपाय सुनिश्चित करना।

दीर्घकालिक पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम (Long-term Recovery Program)

1. उद्देश्य: प्रभावित समुदायों के लिए सतत और आत्मनिर्भर आजीविका, संरचनात्मक सुरक्षा और सामाजिक विकास सुनिश्चित करना।

2. मुख्य उपाय:

- **सतत आजीविका (Sustainable Livelihood):**

✓ कृषि और पशुपालन के लिए सुधारित तकनीक और प्रशिक्षण।
✓ स्थानीय उद्योग, कुटीर और लघु व्यवसायों का पुनर्निर्माण और वित्तीय सहायता।
✓ महिला और युवाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रम।

- **सामुदायिक पुनर्वास और अवसंरचना:**
  - ✓ स्थायी आवास, स्कूल और स्वास्थ्य केंद्रों का पुनर्निर्माण।
  - ✓ बुनियादी सेवाओं (जल, विद्युत, सड़क) का दीर्घकालिक सुधार।
- **सामुदायिक भागीदारी और स्वामित्व:**
  - ✓ Owner Driven Approach के तहत समुदाय के निर्णय और भागीदारी।
  - ✓ स्थानीय स्वयंसेवक और संस्थाओं की भागीदारी।
- **पर्यावरण और जोखिम न्यूनीकरण:**
  - ✓ आपदा–प्रतिरोधी निर्माण तकनीक और पर्यावरण संरक्षण।
  - ✓ Flood, Landslide, और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के लिए तैयारी।
- **समयसीमा:**
  - ✓ दीर्घकालिक पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम 6 महीनों से 3 साल तक लागू किया जा सकता है।

8.3–पुनर्निर्माण एवं पुनःस्थापन कार्यो हेतु विभागीय दायित्व– आपदा घटित होने के पश्चात पुनर्निर्माण एवं पुनःस्थापन के कार्यो हेतु विभागीय जिम्मेदारी निम्नानुसार निर्धारित की जाती है –

Table 8.1: Sector-specific approach and processes for Reconstruction, Rehabilitation and Recovery

क्र.सं.	प्रमुख विभाग	मुख्य भूमिका
1	पंचायत राज एवं विकास विभाग	• ग्रामीण क्षेत्रो में आपदा प्रभावित अधोसंरचना (पंचायत भवन, विद्यालय आदि) का क्षति सर्वेक्षण करना। • जनहानी, आजीविका हानी का निर्धारित प्रारूप में सर्वेक्षण। • राजस्व विभाग के समन्वय में प्रभावितों को शासन के नियमानुसार मुआवजा एवं अनुग्रह अनुदान वितरण। • क्षति आंकलन के आधारपर पुनर्निर्माण की लघु एवं दीर्घ अवधि योजना तैयार करना।। • कार्य योजना अनुसार आगामी कार्यवाही। • दीर्घ अवधि पुनः स्थापन हेतु स्थायी एवं अस्थायी राहत केन्द्रों का संबन्धित विभागों के समन्वय में निर्माण। • मनरेगा एवं रोजगार से संबन्धित अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आजीविका प्रदान करना।
2	राजस्व विभाग	• क्षति आंकलन कार्य में सभी संबन्धित विभागो के साथ समनवय तथा कुल क्षति का क्षेत्रवार आंकलन। • शासन के नियमानुसार अनुग्रह अनुदान राशि एवं मुआवजा वितरण। • क्षति आंकलन हेतु कुल वित्तीय आवश्यकताओं का आंकलन एवं जिला प्राधिकरण को रिपोर्टिंग। • संबन्धित विभागों द्वारा प्रस्तावित लघु एवं दीर्घ अवधि पुनः स्थापन एवं पुनर्निर्माण कार्य हेतु वित्तीय आवश्यकताओं का आंकलन। • आपदा प्रभावितों की पुनः स्थापन में सहायता हेतु जिला प्रशासन के समाबंधित अधिकारियों का संपर्क नंबर।
3	कृषि विकास विभाग	• फसलो की क्षति का आकलन करना। • क्षतिग्रस्त फसलों के सेंपल को जांच हेतु प्रयोगशाला भेजना एवं उनका उन्मूलन करना। • फसल बीमा एवं मुआवजे के वितरण की व्यवस्था।

क्र.सं.	प्रमुख विभाग	मुख्य भूमिका
		• कृषकों को बीमा एवं मुआवजा संबंधी जानकारी प्रदान करने हेतु सहायता केन्द्रों की स्थापना करना। • बीज और अन्य कृषि इनपुट की सुविधा प्रदान करना। • सूखा एवं बाढ़ अनुकूलित बीजो का प्रचार। • क्षतिग्रस्त खेत के औजारो के लिए ऋण की सुविधा प्रदान करना।
4	पुलिस विभाग	• कानून व्यवस्था बनाए रखना। • अफवाहों के नियंत्रण हेतु सभी संबन्धित विभागों से समन्वय।
5	वन विभाग	• वन एवं वन्य जीवों की आपदा के कारण हुई क्षति तथा विपरीत प्रभाव का आंकलन तथा अन्य संबन्धित विभागों के समन्वय में लघु एवं दीर्घ अवधि योजना तैयार कर वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण।
6	मत्स्य विभाग	• आपदा प्रभावित क्षेत्रों में मत्स्य उद्योग पर हुये क्षति का अंकलन। • स्थानीय मछुवारों की नावों की क्षति का आंकलन करना एवं राजस्व विभाग के समन्वय में मुआवजा एवं राहत राशि प्रदान करने की व्यवस्था करना। • मत्स्य विभाग की लघु एवं दीर्घ अवधि योजना तैयार करना।
7	सहकारिता विभाग	• कृषि विभाग के समन्वय से सहकारी संस्थाओं के माध्यम से आपदा प्रभावितों को बीज खाद एवं अन्य आवश्यक सामग्री का आंकलन एवं प्रदाय।
8	शिक्षा विभाग	• विद्यालय की संरचना पर आपदा के प्रभावों का आंकलन तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के समन्वय में मररामत का कार्य। • विद्यालयों के सुचारु संचालन हेतु वैकल्पिक व्यवस्था। • विद्यालय में स्वस्थ्य सफाई को सुनिश्चित करना।
9	सांख्यकी विभाग	• आपदा से हुई क्षति का सम्पूर्ण डेटा का विभ्हिन्न विभागों द्वारा आंकलन क्षति के आधार पर जिला विकास योजना में आपदा प्रभावित क्षेत्र की योजनाओं को शामिल करना।
10	स्वास्थ्य विभाग	• महामारी फैलने वाली बीमारियोंध्संक्रमक बीमारियों वाले संवेदनशील क्षेत्रों का चिंहांकन एवं सर्वेक्षण। • स्वच्छता हेतु आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करना। • संक्रांमक बीमारियों से बचाव हेतु टीकाकरण करवाना। • संक्रामक रोगों से बचाव हेतु जन समुदाय को आवश्यक निर्देश प्रदान करना। • स्वास्थ्य की दृष्टि से सफाई एवं स्वच्छता सुनिश्चित करने हेतु नगर निगम नगर पालिका लोक स्वास्थ्य यान्त्रिकी एवं अन्य विभागों के समन्वय। • आपदा से आघात लोगो की काउन्सलिंग करना। • चिकित्सा एवं घायलोंधविकलांगों के समाजिक चिकित्सकीय पुर्नवास हेतु आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करना।
11	नगरीय निकाय	• आपदा प्रभावित क्षेत्रों से मलबा निपादन • शुद्ध पेयजल की व्यवस्था • आवश्यकतानुसार शौचालयों का निर्माण।
12	जनसम्पर्क कार्यालय	• आपदा से संबन्धित समस्त जानकारियों को उचित मीडिया द्वारा जन समुदाय को जानकारी प्रदान करना। • आपदा उपरान्त प्रदत्त किये जाने वाले विभिन्न सहायता, धनराशि इत्यादि के विषय में स्थानीय जन समुदाय को समय पर जानकारी प्रदान करने की व्यवस्था करना।

क्र.सं.	प्रमुख विभाग	मुख्य भूमिका
13	पूर्ति विभाग	• मुफ्त खाद्यान वितरण का आवश्यकता आंकलन तथा अन्य संबन्धित विभागों के माध्यम से वितरण। • खाद्यान्न गोदामों का संरक्षण • दान दाता एवं अन्य स्रोतों से प्राप्त सामग्रियों का रखरखाव एवं वितरण।
14	लोक निर्माण विभाग	• अवरूद्ध सड़कों की साफ–सफाई। • गड्ढ़ों का भराव करना, मलवा सफाई तथा सड़क अवरूद्ध करने वाले पेड़ो को हटाना। • क्षतिग्रस्त सड़कों, पुलो की मरम्मत करना तथा अतिशीघ्र यातायात व्यवस्था को बहाल करना। • संवेदनशीलध्आपदा स्थलों पर वैकल्पिक रास्तों का चिन्हीकरण करना। • क्षतिग्रस्त सड़क / डाइवरसन, राहत शिविर, चिकित्सा पोस्ट, पुलध्पुलियों, सड़कों अस्थायी संरचनाओं का क्षति आकलन . • संरचनाओं का मजबूतीकरण तथा पुनः बहाली तथा जिन कारणों से संरचनाओ में नुकसान पहूँचा है, उनको यथा संभव दूर करना।
15	सिंचाई विभाग	• सिंचाई संरचनाओं का संरक्षण एवं निगरानी। • जिले के प्रमुख बांधों, पुलो, तथा अन्य महत्वपूर्ण स्थलों का निरीक्षण एवं क्षति आंकलन। • संरचनाओं स्टेशन, उपकरण, पम्प, जनरेटर, मोटर इत्यादि का मरम्मत एवं निरीक्षण। • बांध टूट स्थल पर रोक हेतु आवश्यक कार्य।
16	यू.पी.सी.एल.	• क्षतिग्रस्त बिजली के खंभे ट्रांसफार्मर आदि का सर्वेक्षण तथा तत्काल बहाली का कार्य। • उच्च विद्युत क्षमता के तारो, विघुत उपकेन्द्रों ट्रांसफारर्मरध्पोल इत्यादि महत्वपूर्ण घटकों का निरीक्षण एवं संबन्धित विभाग को सूचना प्रदान करना। • आपदा प्रभावित क्षेत्रों में बिजली बहाली यथाशीघ्र सुनिश्चित करना। • क्षतिग्रस्त पोल, ट्रांसफारर्मर, कनडकर्टस इत्यादि उपकरणों की मरम्मत एवं बदलाव शीघ्रातिशीघ्र करना।
17	पशुपालन विभाग	• पशुधन क्षति आंकलन • आपदा उपरांत पशुजनित रोग नियंत्रण • सामान्य स्थिति होने तक पशु चारे व घास की व्यवस्था। • मवेशियो के शवों को हटाने तथा महामारी से बचने के लिए सफाई की उपयुक्त व्यवस्था हेतु नगर निगम एवं स्थानीय निकाय से समन्वय सुनिश्चित करना।
18	भारत संचार निगम लिमिटेड	• संचार व्यवस्था क्षति आंकलन. • संचार नेटवर्क को त्वरित रूप से बहाल करने हेतु समस्त सर्विस प्रोवाईडर से संचार व्यवस्था से समन्वय।
19	जल संस्थान	• नगर निगमध्नगरपालिका के सहयोग से आपदा प्रभावित क्षेत्रों के पेय जल स्त्रोतों तथा जल प्रदाय व्यवस्था का क्षति आंकलन। • प्रभावित पेय जल स्रोतों के शुद्धीकरण की व्यवस्था। • राहत केन्द्रों, अस्पतालों आदि महत्वपूर्ण स्थलों पर शुद्ध पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करना।
20	समाज कल्याण विभाग	• आपदा निःशक्तजनों एवं अन्य संवेदनशीलता। • कमजोर वर्ग को सर्वेक्षण उपरांत ट्राई साइकिल एवं अन्य आवश्यक सामग्रियाँ, तथा उचित सहायता उपलब्ध करना।

क्र.सं.	प्रमुख विभाग	मुख्य भूमिका
		● आपदा उपरांत निः शक्तजनों के देखभाल तथा पुनःस्थापन हेतु सम्बंधित विभागों से समन्वय।
21	महिला एंव बाल विकास विभाग	● स्वास्थ्य सर्वेक्षण में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार ल्याण के साथ समन्वय । ● महिलाओं की आजीविका पर प्रभाव का आंकलन तथा पुनः स्थापन हेतु लघु एवं दीर्घ अवधि योजना तैयार करना।

8.4– क्षति आंकलन प्रक्रिया– क्षति एवं प्रभाव का आंकलन शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार सम्बंधित विभागों द्वारा की जायेगी। क्षति आकलन हेतु जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा पदाधिकारियों के नेतृत्व में टीमें गठित कर, सभी प्रकार की क्षति का डिजिटल कैमरे से तिथियुक्त फोटोग्राफी तथा वीडियोग्राफी कराना सुनिश्चित करेगा। ऐसे फोटो एवं वीडियों में किसी जिम्मेदार सरकारी कर्मी का फोटो होना आवश्यक होगा। विभागों द्वारा किये गये क्षति आंकलन के अनुरुप पुनर्निर्माण एवं पुनःस्थापन हेतु लघु अवधि एवं दीर्घ अवधि कार्य योजना बनाई जावेगी तथा इन कार्यो को संपन्न करने हेतु विभागीय बजट में प्रावधान किया जायेगा।

8.4.1– क्षति आंकलन प्रपत्र– आपदा के उपरान्त संभावित क्षति के आंकलन हेतु सम्बंधित विभागों द्वारा अनुमोदित प्रारूप का उपयोग किया जायेगा। यदि विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप में बिंदु सम्मिलित नहीं हैं, तो इन्हें सम्मिलित करते हुए क्षति आंकलन का कार्य किया जायेगा।

8.5– लघु अवधि पुनःस्थापन के महत्वपूर्ण कार्य– आपदा के पश्चात प्रभावितों के तत्काल पुनःस्थापन एवं राहत तथा क्षति ग्रस्त एवं आपदा प्रभावित अधोसंरचनाओ एवं आवश्यक सेवाओ के बहाली हेतु तालिका–8.1 में उल्लेखित विभागों द्वारा निम्नाकित कार्य प्राथमिकता के आधार पर किये जायेंगे।

● **मुफ्त खाद्यान्न का वितरण :** प्रभावितों को निर्धारित मान दर के अनुसार खाद्यान्न का वितरण तथा नगद अनुदान का भुगतान किया जायेगा।

● **राहत वितरण :** क्षति आकलन करने के बाद प्रभावितो को निर्धारित मानदर के अनुसार राहत वितरण प्रारंभ किया जायेगा। राहत वितरण यथानुसार वार्ड / ग्राम स्तरीय समितियों के पर्यवेक्षण एवं परामर्श से किया जाएगा। यदि राहत वितरण में भेद–भाव अथवा किसी भी तरह की शिकायत प्राप्त होती है तो उसकी जांच एवं निष्पादन संबन्धित पदाधिकारियों की टीम से अविलम्ब कराया जाएगा ताकि राहत वितरण में अनावश्यक कठिनाइयाँ एवं विवाद पैदा न हो सके।

● **क्षतिग्रस्त आधारभूत संरचनाओं का पुनःस्थापन/पुनर्निर्माण :** संबंधित विभाग अपने नियंत्रणाधीन आधारभूत संरचना की क्षति के आकलन कराने के पश्चात् उनके त्वरित पुनर्स्थापन/पुनर्निर्माण हेतु निर्धारित प्रक्रिया अपना कर, सर्वप्रथम आधारभूत संरचनाओं का त्वरित पुनर्स्थापन करेंगे,तत्पश्चात् पुनर्निर्माण का कार्य किया जाएगा।

● **महामारी की रोकथाम :** आपदा के पश्चात् प्रभावित क्षेत्रों में महामारी फैलने की संभावना रहती है। एवं महामारीकी रोकथाम हेतु तुरंत स्वास्थ्य विभाग एवं संबंधित विभागों द्वारा निरोधात्मक कदम उठाए जाऐंगे।

● **जल जमाव वाले क्षेत्रों से जल निकासी की व्यवस्था :** जल जमाव से प्रभावित क्षेत्रों से तुरंत जल निकासी की व्यवस्था संबंधित विभाग द्वारा की जावेगी।

8.6– दीर्घ अवधि की पुनर्निर्माण गतिविधियां– दीर्घ अवधि पुनर्निर्माण एवं पुनःस्थापन कार्यो हेतु आपदा प्रभावित क्षेत्रो में आवश्यकताओ एवं सेवाओं का आंकलन कर, उनकी बहाली हेतु योजनाओं का चयन कर अथवा नवींन योजनाएं बनाकर, केंद्र शासन, राज्य शासन और जिला स्थित विभागों के समर्थन से संपन्न किया जायेगा। जनपद के जोखिम विश्लेषण के आधार पर दीर्घ–अवधी संरचनात्मक कार्य योजना समय सीमा के साथ प्रस्तावित की जायेंगी।

अध्याय–9

डीडीएमपी के क्रियान्वयन के लिए वित्तीय संसाधन
(Financial Resources for Implementation of DDMP)

9.1 आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत उत्तराखंड में वित्तीय व्यवस्थाएँ– भारत सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन के लिए वित्तीय व्यवस्थाएँ की गई हैं। उत्तराखंड में इस अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित वित्तीय व्यवस्थाएँ लागू होती हैं:

1. राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (SDRF)

- आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 48(1) के तहत यह कोष स्थापित किया गया है।
- इसके दिशानिर्देश धारा 62 के अंतर्गत जारी किए गए हैं।
- इस कोष का उपयोग केवल चक्रवात, सूखा, भूकंप, आग, बाढ़, सुनामी, ओलावृष्टि, भूस्खलन, हिमस्खलन, बादल फटना और कीट हमले जैसी आपदाओं से प्रभावित लोगों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए किया जाता है।

2. राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF)

- धारा 46 के तहत गठित इस कोष के दिशानिर्देश धारा 46(2) के तहत जारी किए गए हैं।
- जब किसी राज्य में आपदा इतनी गंभीर होती है कि SDRF का बजट पर्याप्त नहीं होता, तो NDRF से अतिरिक्त सहायता दी जाती है।
- इसमें उन्हीं आपदाओं को कवर किया जाता है, जो SDRF में शामिल होती हैं, लेकिन वे केंद्र सरकार द्वारा "गंभीर" मानी जाती हैं।

3. केंद्र प्रायोजित योजनाओं (Centrally Sponsored Schemes & CSS) के अंतर्गत फ्लेक्सी–फंड

- नीति आयोग द्वारा 17 अगस्त 2016 को जारी निर्देशों के अनुसार, केंद्र प्रायोजित योजनाओं में फ्लेक्सी–फंड का प्रावधान किया गया है।
- इन फंड्स का उपयोग प्राकृतिक आपदाओं के कारण शमन (mitigation) और पुनर्स्थापन (restoration) गतिविधियों के लिए किया जा सकता है।
- यह धनराशि उन क्षेत्रों के लिए भी उपयोगी हो सकती है, जो आंतरिक सुरक्षा संकटों से प्रभावित हैं।

9.2 आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत बनाए जाने वाले कोष

1. जिला आपदा प्रतिक्रिया कोष (DDRF)

- धारा 48 के तहत जिलास्तरीय आपदा प्रबंधन कोष बनाने का प्रस्ताव किया गया है।
- यह कोष जिला प्रशासन द्वारा आपातकालीन प्रतिक्रिया, राहत और पुनर्वास के लिए उपयोग किया जाएगा।
- इस कोष का संचालन भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा तय किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाएगा।

2. जिला आपदा शमन कोष (DDMF)

- धारा 48 के तहत जिला स्तर पर आपदा शमन (mitigation) कोष की स्थापना की जाएगी।

9.3 राज्य सरकार के विभागों और एजेंसियों की जिम्मेदारियाँ

- धारा 40 के तहत राज्य सरकार के सभी विभागों, बोर्ड, निगमों, पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) और शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) को अपने आपदा प्रबंधन योजनाएँ (DM Plans) तैयार करनी होंगी।

- प्रत्येक विभाग को वित्तीय प्रावधानों का अनुमान लगाकर उन्हें अपने वार्षिक बजट और चल रही योजनाओं में शामिल करना होगा।
- राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA) और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) से परामर्श कर शमन परियोजनाओं (mitigation projects) के लिए उपयुक्त वित्त पोषण एजेंसियों की पहचान करनी होगी।

9.4 तकनीकी–वित्तीय व्यवस्था (Techno&Financial Regime)

- सरकार द्वारा दी जाने वाली राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण सहायता से आपदा के दौरान हुए भारी नुकसान की भरपाई नहीं हो सकती।
- इस समस्या से निपटने के लिए नए वित्तीय साधनों को बढ़ावा दिया जाएगा, जैसे:
- कैटास्ट्रॉफिक जोखिम वित्तपोषण (Catastrophe Risk Financing)
- जोखिम बीमा (Risk Insurance)
- कैटास्ट्रॉफिक बॉन्ड्स (Catastrophe Bonds)
- माइक्रो–फाइनेंस और माइक्रो–इंश्योरेंस
- पर्यावरण राहत कोष (Environmental Relief Fund), जो लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 के तहत स्थापित किया गया था, का उपयोग रासायनिक दुर्घटनाओं के पीड़ितों की सहायता के लिए किया जाता है।
- आपदा जोखिम बीमा, माइक्रो–इंश्योरेंस, नए बनाए गए घरों की वारंटी, और सुरक्षित निर्माण को होम लोन से जोड़ने जैसी रणनीतियों पर विचार किया जाएगा।

9.5 अन्य वित्तीय विकल्प

- DDMA विभिन्न विभागों के साथ मिलकर आपदा के बाद बुनियादी ढांचे और आजीविका की बहाली के लिए अन्य वित्तीय विकल्पों की पहचान करेगा।
- केंद्र प्रायोजित योजनाओं (CSS) में उपलब्ध फ्लेक्सी फंड का उपयोग आपदा शमन और पुनर्स्थापन कार्यों में किया जाएगा।
- कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) और सार्वजनिक–निजी भागीदारी (PPP) के तहत आपदा सहनशीलता (disaster resilience) को बढ़ाने के लिए निवेश की संभावनाएँ तलाशी जाएँगी।

वित्तीय वर्ष 2025–26 में दैवी आपदा के अर्न्तगत विभिन्न मदों में जनपद को उपलब्ध करायी गयी धनराशि का व्यय विवरण

क्र0सं0		मद का नाम	शासन से प्राप्त धनराशि (धन0 लाख में)	व्यय धनाशि (धन0 लाख में)	अवशेष धनराशि (धन0 लाख में)
01	राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF)	Response and Relief	700.00	380.40	319.60
		Recovery and Reconstruction	600.00	327.34	272.66
		Capacity Building	439.47	57.39	382.08
		योग	**1739.47**	**765.13**	**974.34**
02	आपदा न्यूनीकरण		150.00	95.00	55.00
03	एस0डी0आर0एफ0 से भिन्न		200.00	146.60	53.40
		कुल योग	**2089.47**	**1006.60**	**1082.74**

राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF)

- **गृह, अनुगृह, अहैतुक (Ex-gratia)**

प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवारों के निजी परिसम्पत्ति (जनहानि, पशुहानि, भवन क्षति एवं कृषि व भूमि) के संबंध में सम्बन्धित तहसील के आख्यानुसार अनुमन्य राहत राशि का वितरण संबंधित तहसीलदार के स्तर से

किया जाता है। इसके अतिरिक्त भवन में रखे खाद्यन्न सामग्री व कपड़ो हेतु तात्कालिक राहत सहित शीतलहर से बचाव हेतु आवश्यकतानुसार सार्वजनिक स्थलों में अलाव एवं जरूरत मदों को कम्बल व वस्त्र आदि वितरण किया जाता है।

प्राकृतिक आपदा से हुई क्षति पर राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) एवं राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (NDRF) अन्तर्गत राहत सहायता की पुनरीक्षित दरों का विवरण–(दिनांक 14 अगस्त, 2024 से 25–26 तक)

क्र0 सं0	क्षति का प्रकार	SDRF/NDRF के मानकों के अनुसार राहत सहायता (रू0 में)			विशेष विवरण/आवश्यक दस्तावेज
		राहत सहायता	कुल क्षति (70% से अधिक)	गंभीर क्षति (30-70% तक)	
1	व्यक्ति के परिवार को अनुग्रह भुगतान	4.00 लाख			मृत्यु का प्राकृतिक आपदा से मृत्यु के कारण का सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र/पी.एम. रिपोर्ट
2	अपंगता (हाथ, पैर, ऑख) 60 प्रतिशत से अधिक	2.50 लाख			सरकारी चिकित्साधिकारी के प्रमाण पत्र
3	अपंगता (हाथ, पैर, ऑख) 40 से 60 प्रतिशत तक	74,000.00			
4	जानलेवा चोट जिसके उपचार हेतु एक सप्ताह से अधिक चिकित्सालय में रहना पड़े।	16,000.00			
5	जानलेवा चोट जिसके उपचार हेतु एक सप्ताह से कम चिकित्सालय में रहना पड़े	5,400.00			
6	पहाड़ी क्षेत्र क्षतिग्रस्त पक्का/कच्चा भवन		2,00,000.00	1,00,000.00	भवन अधिकृत निर्माण हो तथा उक्त की क्षति की पुष्टि सक्षम अधिकारी द्वारा की गयी हो
7	मैदानी क्षेत्र क्षतिग्रस्त पक्का/कच्चा भवन		1,80,000.00	90,000.00	
8	आंशिक क्षतिग्रस्त पक्का भवन	6,500.00			
9	आंशिक क्षतिग्रस्त कच्चा भवन	4,000.00			
10	घरेलू सामान, खाद्यान्न एवं बर्तन नष्ट होने पर	2,500.00			उक्त के क्षति की पुष्टि सक्षम अधिकारी द्वारा की गयी हो
11	कपड़े नष्ट होने पर	2,500.00			
12	क्षतिग्रस्त/नष्ट प्रति झोपड़ी	8,000.00			झोपड़ी अधिकृत निर्माण हो तथा उक्त के क्षति की पुष्टि सक्षम अधिकारी द्वारा की गयी हो
13	भवन के साथ जुड़ी पशुशाला (प्रति पशुशाला)	3,000.00			क्षति की पुष्टि सक्षम अधिकारी द्वारा की गयी हो
14	कृषि भूमि में अवसाद/मलवा हटाने के लिए/कृषि भूमि में अवसाद भरने पर (प्रति है0)	18,000.00 (न्यूनतम 2,200.00)			
15	भूस्खलन, हिमस्खलन या नदी के मार्ग बदलने के कारण भूमि की क्षति पर (प्रति है0)	47,000.00 (न्यूनतम 5,000.00)			
16	फसल नुकसान (प्रति हे0) (33 प्रतिशत या अधिक होने पर) – असिंचित भूमि हेतु	8,500.00			न्यूनतम रू. 1000.00 प्रति कृपक/जोत
	सिंचित भूमि हेतु	17,000.00			न्यूनतम रू .2000.00 प्रति कृपक/जोत
17	सदाबहार फसल का 33 प्रतिशत या इससे अधिक नुकसान होने पर (प्रति हे0)	22,500.00			न्यूनतम रू. 2,500.00 प्रति कृपक/जोत
18	दुधारू पशु भैंस, गाय, ऊॅंट, याक आदि की मृत्यु पर	37,500.00			आर्थिक रूप से उपयोगी 03 पशुओं की सीमा तक देय
19	बैल, घोड़ा, ऊॅंट (गैर दुधारू) की मृत्यु पर (कार्य करने वाले पशु)	32,000.00			
20	गधा, खच्चर आदि (गैर दुधारू)	20,000.00			
21	छोटे पशु बकरी/भेड़/सुअर की मृत्यु पर	4,000.00			30 पशुओं की सीमा तक देय
22	कुक्कुट पालन प्रति पक्षी/मुर्गी की मृत्यु पर	100.00			अधिकतम रू.10,000.00 की सीमा तक देय
23	पशु कैम्पों हेतु जलापूर्ति, दवाई, चारा हेतु (प्रति पशु प्रतिदिन)	(बडे पशु) 80.00			30 दिवस की अवधि हेतु
		(छोटे पशु) 45.00			

➢ परिसम्पत्तियों की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण (Recovery and Reconstruction)

प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त विभिन्न विभागों के परिसम्पत्तियों के मरम्मत एवं पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में गृह मंत्रालय भारत सरकार के पत्र संख्या–33-7/2021-NDM-1 दिनांक–14 अगस्त, 2024 के द्वारा राज्य आपदा मोचन निधि के नये मानक निर्धारित किये गये है। उक्त नवीन मानकों के अनुसार एस.डी.आर.एफ. व एन.डी.आर.एफ. की रिकवरी व पुनर्निर्माण सहायता हेतु विभिन्न विभागों की क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों यथा पुल, सड़क, तटबन्ध, पेयजल टेंक, पाईप लाईन, सामुदायिक शौचालय, आंगनबाडी, स्वास्थ्य केन्द्र, स्कूल भवन तथा उपकरण एवं मशीनरी सहित निजी परिसम्पत्तियों अन्तर्गत भवन क्षति हेतु 30 से 70 प्रतिशत तथा 70 प्रतिशत से अधिक के लिये पृथक–पृथक मानक निर्धारित किये गये हैं।

उपरोक्तानुसार दिनांक–14.08.2024 के उपरान्त प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों एवं निजी परिसम्पत्ति (भवन क्षति) का गृह मंत्रालय भारत सरकार के राज्य आपदा मोचन निधि के (Recovery and Reconstruction) अन्तर्गत नवीन मानकानुसार प्रतिशत में आंकलन व सत्यापन किये जाने हेतु परगनावार तथा जनपद स्तर पर निम्नवत् समितियों का गठन किया गया है–

परगना स्तर हेतु समिति–

1. सम्बन्धित उप जिलाधिकारी (अपने–अपने क्षेत्रान्तर्गत) – अध्यक्ष।
2. सम्बन्धित सहायक अभियन्ता, लो.नि.ख. (प्रा.ख/नि.ख.) – सदस्य।
3. सम्बन्धित सहायक अभियन्ता, सिंचाई खण्ड – सदस्य।
4. सम्बन्धित सहायक अभियन्ता, कार्यदायी संस्था – सदस्य।

उक्त समिति परगना स्तर पर विभागीय परिसम्पत्तियों की क्षति के संबंध में क्षति का स्थलीय निरीक्षण कर जियो कॉर्डिनेट फोटो सहित औचित्यपूर्ण आख्या के साथ संयुक्त रिपोर्ट प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त विभागीय/सार्वजनिक परिसम्पत्तियों के प्रस्ताव सहित जनपद स्तरीय समिति को संस्तुति के साथ प्रस्तुत करेगी।

जनपद स्तर हेतु समिति–

1. अपर जिलाधिकारी। – अध्यक्ष।
2. अधिशासी अभियन्ता, प्रा.ख. लो.नि.वि., रूद्रप्रयाग। – सदस्य।
3. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड – सदस्य।
4. अधिशासी अभियन्ता, कार्यदायी संस्था – सदस्य।

जनपद स्तरीय समिति विभागीय सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की क्षति के संबंध में तहसील स्तरीय समिति की आख्या का परीक्षण कर स्वीकृति के संबंध में संस्तुति सहित आख्या जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगी।

एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की रिकवरी और पुनर्निर्माण विंडो के तहत सहायता के लिए मदों और मानदंड			
सेक्टर और इकाई	आइटम	कुल क्षति (70% से अधिक) (लाख में)	गंभीर क्षति (30 - 70% क्षति) (लाख में)
आवास (खड संख्या)	मैदानी क्षेत्र - पक्का मकान/कच्चा मकान	1.80	0.90
	पहाड़ी क्षेत्र - पक्का मकान/कच्चा मकान	2.00	1.00
शिक्षा (खड संख्या)	प्राथमिक स्कूल	15.00	7.50
	माध्यमिक / वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय	25.00	12.50
स्वास्थ्य (खड संख्या)	उपकेंद्र (मैदानी क्षेत्र)	18.40	9.20
	उपकेंद्र (पहाड़ी क्षेत्र)	15.81	7.91
	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (मैदानी क्षेत्र)	41.97	20.99
	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पहाड़ी क्षेत्र)	49.45	24.72
	सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (मैदानी क्षेत्र)	158.12	79.06
	सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र	185.72	92.86

एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की रिकवरी और पुनर्निर्माण विंडो के तहत सहायता के लिए मदों और मानदंड			
सेक्टर और इकाई	आइटम	कुल क्षति (70% से अधिक)	गंभीर क्षति (30 - 70% क्षति)
		(लाख में)	(लाख में)
	(पहाड़ी क्षेत्र)		
सामुदायिक भवन (इकाई संख्या)	आंगनवाड़ी	6.00	3.00
	ग्राम पंचायत/पटवारखाना	10.00	5.00
सड़क एवं परिवहन (इकाई प्रति कि.मी.)	i) प्रमुख जिला सड़कें (एमडीआर) (दरार/ गंभीर क्षति सहित कुल क्षति)		
	(मैदानी क्षेत्र)	64.00	32.00
	(पहाड़ी क्षेत्र)	187.75	93.75
	ii) अन्य जिला सड़कें (ओडीआर) (दरार/गंभीर क्षति सहित कुल क्षति)		
	(मैदानी क्षेत्र)	54.5	26.75
	(पहाड़ी क्षेत्र)	159.88	80.00
	iii) गाँव की सड़कें (टूट/गंभीर क्षति सहित कुल क्षति)		
	मैदानी क्षेत्र	36.75	18.25
	पहाड़ी क्षेत्र	133.75	67.00

एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की रिकवरी और पुनर्निर्माण विंडो के तहत सहायता के लिए मदों और मानदंड

सेक्टर और इकाई	आइटम	कुल क्षति (70% से अधिक)	गंभीर क्षति (30 - 70% क्षति)
		(लाख में)	(लाख में)
	iv) अन्य मद		
	पुल (प्रति संख्या)	3500	1750
	तटबंध (प्रति कि.मी.)	100	50
	बॉक्स कल्वर्ट (प्रति संख्या या प्रति मीटर जो भी कम हो)	10	
	ह्यूम पाइप (प्रति संख्या या प्रति मीटर जो भी कम हो)	2.5	
पेयजल (इकाई-प्रति इकाई)	जल शोधन	0.5	0.25
	भंडारण टैंक	15	7.5
	उपकरण और मशीनरी	1	0.5
	इन्टेक पाइपलाइन (प्रति एम)	0.01	0.01
	वितरण पाइपलाइन (प्रति एम)	0.01	0.01
स्वच्छता (इकाइयाँ-प्रति इकाई)	विकेंद्रीकृत एसटीपी- (5000 लोगों तक)	7	3.5
	विकेंद्रीकृत एसटीपी- (5000 से अधिक लोग)	33	16.5
	सीवर लाइन (प्रति मीटर)	0.01	0.01

एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की रिकवरी और पुनर्निर्माण विंडो के तहत सहायता के लिए मदों और मानदंड			
सेक्टर और इकाई	आइटम	कुल क्षति (70% से अधिक)	गंभीर क्षति (30 - 70% क्षति)
		(लाख में)	(लाख में)
	सामुदायिक शौचालय	3	1.5
अंतर्देशीय मत्स्य पालन इकाइयाँ- प्रति हेक्टेयर (अधिकतम 1 हेक्टेयर)	मछली का तालाब (मैदानी क्षेत्र/ पहाड़ी क्षेत्र)	1.75	0.875
	(मैदानी क्षेत्र/ पहाड़ी क्षेत्र)	1.75	0.875
रेशम उत्पादन (इकाइयाँ- संख्या)	भौतिक अवसंरचना - किसान - रेशम उत्पादन	2.5	1.25
कारीगर इकाइयाँ- संख्या)	उपकरणऔर मशीनें	0.25	--

1) उपरोक्त मानदंड/सहायता निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी:

i) सड़क और परिवहन क्षेत्र के तहत एसडीआरएफ/एनडीआरएफ की आरएंडआर विंडो से सहायता इस शर्त के अधीन होगी कि व्यय, किसी भी स्थिति में, वर्ष के लिए इस विंडो (रिकवरी और पुनर्निर्माण) के तहत एसडीआरएफ आवंटन के 50% से अधिक नहीं होना चाहिए।

ii) रिकवरी और पुनर्निर्माण के दिशानिर्देशों के तहत ग्राह्य मदों के लिए स्वीकार्य सहायता, मदों और मानदंडों के तहत निर्धारित उपरोक्त राशि या राज्य की दरों की अनुसूची के अनुसार अनुमानित राशि, जो भी कम हो, होगी।

2) कुल क्षति की स्थिति मे सहायता भारत सरकार की संबंधित योजना में प्रदान की गई सहायता या विशेषज्ञों के परामर्श या संबंधित मंत्रालयों से प्राप्त इनपुट द्वारा निर्धारित राशि के 50% के बराबर होगी।

3) गंभीर क्षति के लिए सहायता कुल क्षति के लिए गणना की गई सहायता के 50% के बराबर होगी।

4) एनआईडीएम दिशानिर्देशों के अनुसार आपदा के बाद के आकलन के दौरान अवसंरचना ढांचे की क्षति (कुल और गंभीर) का वर्गीकरण निर्धारित किया जाना चाहिए।

5) रिकवरी और पुनर्निर्माण के लिए प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता की राशि राहत के समय विशेष समय के लिए दी गई सहायता के समायोजन के अधीन भी होगी।

- **क्षमता विकास (Capacity Building)**

आपदा प्रबन्धन हेतु विभिन्न विभागों की क्षमताओं के विकास हेतु विभिन्न प्रशिक्षण व आवश्यक कार्य तथा राहत बचाव उपकरणों का क्रय किया जाना।

1. पंद्रहवें वित्त आयोग (15-FC) ने आपदा प्रबंधन अनुदान की सिफारिश करते समय अन्य बातों के साथ–साथ आपदा प्रबंधन प्रणाली के महत्वपूर्ण संस्थागत, कार्यात्मक और तकनीकी घटकों का समर्थन करने के लिए तैयारी और क्षमता निर्माण (P-CB) उप–खिड़की के लिए राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन निधि (SDRMF) और राष्ट्रीय आपदा जोखिम प्रबंधन निधि (NDRMF) का 10% आवंटित किया है।

तैयारी और क्षमता निर्माण उपाय–

1. आपदा प्रबंधन (DM) अधिनियम, 2005 राष्ट्रीय, राज्य और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों को आपदाओं की रोकथाम या शमन या आपदा की आशंका की स्थिति या आपदाओं से निपटने के लिए तैयारी और क्षमता निर्माण के लिए उपाय करने का अधिकार देता है। आपदा प्रबंधन (DM) अधिनियम, 2005 की धारा 2 (M) के अनुसार तैयारी के दृष्टिगत किसी आपदा की आशंका वाली स्थिति या आपदा और उसके प्रभावों से निपटने के लिए तत्परता की स्थिति के लिये
2. इसके अलावा आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा 2 (B) के अनुसार क्षमता निर्माण में शामिल हैं–
   - मौजूदा संसाधनों और अर्जित या निर्मित किए जाने वाले संसाधनों की पहचान।
   - उपरोक्त उप–खण्ड के अंतर्गत पहचाने गए संसाधनों का अधिग्रहण या सृजन करना।
   - आपदाओं के प्रभावी प्रबंधन के लिए कार्मिकों का संगठन एवं प्रशिक्षण तथा ऐसे प्रशिक्षण का समन्वय।

9.7 राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि (SDMF)

आपदा के न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन तथा जन–धन हानि की रोकथाम की दृष्टि से तात्कालिक रूप से कराये जाने अपरिहार्य हों, आपदा से सम्बन्धित ऐसे कार्यों के सम्पादन हेतु आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 (केन्द्रीय अधिनियम) की धारा 48 के अन्तर्गत **"राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि"** का गठन किये जाने एवं इस निधि के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों एवं धनराशि व्यय किये जाने हेतु उत्तराखण्ड़ शासन, आपदा प्रबन्धन अनुभाग–01 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–284(1)/XVIII-(2)/19-12(07)/2018 दिनांक 08 मार्च, 2019 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या–1296/XVIII-B-1/22-12(7)/2018 दिनांक 21 अक्टूबर, 2022 द्वारा सम्यक दिशा निर्देश निर्गत किये गये है।

9.8 15–जिलाधिकारी (NON SDRF)

ऐसे कार्य जो राज्य आपदा मोचन निधि (एस0डी0आर0एफ0) द्वारा निर्धारित मानकों में नहीं आते हैं एवं आपदा के दौरान तत्काल जन सुविधा बहाल किये जाने हेतु अपरिहार्य एवं आवश्यक हों तथा उक्त कार्य हेतु अन्य विभागीय बजट की अनुपलब्धता के कारण कार्य कराया जाना संभव न हों तथा प्रस्तावित कार्य समान्य प्रकृति के नहीं हो एवं विभागीय मदों से नहीं कराया जा सकते हों का उल्लेख शासनादेश में किया गया है।

सचिव, आपदा प्रबन्धन अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या–1244/XVIII-B-1/2024-12(05)/2023 दिनांक–18.12.2024 के क्रम में राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF), 15–जिलाधिकारी (NON SDRF) हेतु आपदा से क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों के पुनर्निर्माण (राज्य सेक्टर) एवं 11–आपदा न्यूनीकरण निधि (SDMF) (राज्य सेक्टर) के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले प्रस्तावों का परीक्षण कर स्वीकृति किये जाने हेतु जनपद अन्तर्गत मूल्यांकन समिति एवं जिला कार्यकारिणी समिति का निम्नवत् गठित किया गया है–

1. उक्त मद अन्तर्गत जनपद को प्राप्त होने वाले प्रस्तावों के मूल्यांकन हेतु निम्न मूल्यांकन समिति गठित की जाती है। जो प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण/मूल्याकन कर प्रस्ताव संस्तुति सहित जिला कार्यकारिणी समिति को स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करेंगी।

1. अपर जिलाधिकारी/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, डी.डी.एम.ए., रूद्रप्रयाग – अध्यक्ष।
2. प्रभारी अधिकारी, जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, रूद्रप्रयाग – सदस्य/सचिव
3. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो.नि.वि., रूद्रप्रयाग – सदस्य।
4. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, रूद्रप्रयाग – सदस्य।
5. जिस विभाग का प्रस्ताव हो, उस विभाग का जनपद स्तर पर कार्यरत वरिष्ठतम अधिकारी – सदस्य।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, रूद्रप्रयाग – सदस्य।
7. भू–वैज्ञानिक, जिला टास्क फोर्स, रूद्रप्रयाग – सदस्य।

2. मूल्यांकन समिति द्वारा संस्तुत प्रस्तावों को स्वीकृति किये जाने हेतु जिला कार्यकारिणी समिति निम्न प्रकार से गठित की जाती है–

1. जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग –अध्यक्ष।
2. मुख्य विकास अधिकारी, रूद्रप्रयाग –सदस्य।
3. अपर जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग/प्रभारी अधिकारी, आपदा –सदस्य।
4. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो.नि.वि., रूद्रप्रयाग –सदस्य।
5. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, रूद्रप्रयाग –सदस्य।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, रूद्रप्रयाग –सदस्य।
7. जिस विभाग का प्रस्ताव हो, उस विभाग का जनपद स्तर पर कार्यरत वरिष्ठतम अधिकारी –सदस्य।
8. जिला आपदा प्रबन्धन अधिकारी, रूद्रप्रयाग –सदस्य।
9. भू–वैज्ञानिक, जिला टास्क फोर्स, रूद्रप्रयाग –सदस्य।

उपरोक्तानुसार गठित मूल्यांकन समिति द्वारा राज्य आपदा मोचन निधि, 15–जिलाधिकारी हेतु आपदा से क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों के पुनर्निर्माण (राज्य सेक्टर) एवं 11–आपदा न्यूनीकरण निधि (राज्य सेक्टर) अन्तर्गत जनपद हेतु आंविटत धनराशि के सापेक्ष प्राप्त होने प्रस्तावों का परीक्षण/मूल्यांकन कर सुस्पष्ट प्रस्ताव संस्तुति सहित जिला कार्यकारिणी समिति को स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करेंगी। जिसके उपरान्त जिला कार्यकारिणी समिति द्वारा मूल्यांकन समिति के संस्तुत प्राप्त प्रस्तावों की नियमानुसार स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में निर्णय लिया जायेगा। इसके अतिरिक्त सभी सम्बन्धित कार्यदायी विभाग द्वारा मूल्यांकन समिति की आहूत बैठक में समिति के समक्ष कार्ययोजना के स्वीकृति के सम्बन्ध में स्वयं उपस्थिति होकर शासनादेश के अनुसार प्रस्तावित कार्य के संबंध में औचित्य एवं प्रस्तुतीकरण प्रस्तुत करने के उपरान्त निम्नलिखित शर्तों के अधीन सम्बन्धित विभागों को धनराशि आवंटित की जायेगी–

1. प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त विभागीय परिसम्पत्तियों के मरम्मत/पुनर्निर्माण एवं अन्य मदों में स्वीकृत धनराशि स्वीकृत मद में ही व्यय की जायेगी।
2. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को दृष्टिगत रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग की दरों/विशिष्टियों के अनुरूप कार्यो को सम्पादित कराते हुये समय से पालन करना सुनिश्चित किया जायेगा।
3. कार्य कराने से पूर्व कम से कम अधिशासी अभियन्ता स्तर के अधिकारी स्थल का निरीक्षण करते हुए सुनिश्चित करें कि आंगणन में जो प्राविधान इंगित किये गये हैं, वह स्थल की आवश्कतानुसार सही हैं तथा स्थल की आवश्यकतानुसार ही कार्य कराना सुनिश्चित किया जाये।
4. आंगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद की राशि का उपयोग दूसरी मदों में किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा। इसका पूर्णं उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता/कार्यालयाध्यक्ष का होगा।
5. राज्य आपदा मोचन निधि मद अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि का उपयोग किसी भी दशा में नवनिर्माण कार्यो में नहीं किया जायेगा।
6. प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त कार्यो के मरम्मत/पुनर्निर्माण एवं अन्य मदों हेतु स्वीकृत धनराशि के व्यय, कार्यो की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति, अनियमितता, गुणवत्ता तथा विभागीय मानकों की अवहेलना आदि के सम्बन्ध में जॉच कर धनराशि के दुरूपयोग व अनियमित उपयोग की स्थिति में सम्बन्धित निर्माण ईकाई के

विरूद्व प्रथम दण्ड के रूप में वसूली, द्वितीय दण्ड के रूप में वसूली एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही तथा तृतीय दण्ड के रूप में एफ.आई.आर. की कार्यवाही की जायेगी।

7. कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता के लिये सम्बन्धित निर्माण ईकाई के अधिकारी, जिनके नाम पर धनराशि स्वीकृत की गई है, पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगें।
8. स्वीकृत कार्य, स्वीकृत लागत में पूर्ण किये जायेगें और लागत में कोई पुनरीक्षण अनुमन्य नहीं होगा, कार्यदायी संस्था द्वारा स्वीकृत कार्य प्रारम्भ करते समय उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली–2017, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 (लेखा नियम) आय–व्ययक से संबंधित नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य संग्रह नियमों, समय–समय पर जारी शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
9. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व एवं कार्य सम्पन्न होने के बाद क्षतिग्रस्त कार्य योजनाओं एवं प्रस्तावित कार्यों की फोटो ली जायेगी।
10. कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य के पूर्ण होने के उपरान्त तीनों स्थिति की फोटोग्राफ्स मय Co-ordinates (कोर्डिनेट्स) उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत किया जायेगा।
11. स्वीकृत कार्य से सम्बन्धित अभिलेख एवं पंजिकाएं, आदि कार्यदायी संस्था द्वारा अपने कार्यालय में संरक्षित किए जायेगें तथा महालेखाकार, उत्तराखण्ड अथवा अन्य विभागीय लेखादल के द्वारा लेखा परीक्षण हेतु मांगे जाने पर आवश्यक रूप से उपलब्ध कराये जायेंगे तथा आडिट भी अपने स्तर से करवाया जायेगा।
12. स्वीकृत धनराशि उक्त मद में नियमानुसार व्यय की जायेगी, स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष यदि धनराशि अवशेष रहती है तो उसे समर्पित किया जायेगा।
13. उक्त मदों में प्रस्तावित कार्य अपरिहार्य व तात्कालिक प्रवृत्ति के होने के कारण जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त मानसून अवधि के पूर्व किये जाने की संस्तुति प्रदान की जाती है। अतः जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की बैठक में लिये गये निर्णयों के अनुरूप प्रस्तावित कार्यों को ससमय पूर्ण किया जाना होता है। लापरवाही की स्थिति में आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की सुसंगत धाराओं के तहत कार्यवाही का प्रावधान है।
14. उक्त मदों में स्वीकृत समस्त कार्यों को 45 दिन के अंदर पूर्ण करते हुए कार्य समाप्त होने के उपरांत सम्बन्धित विभाग द्वारा शासन के निर्देशानुसार कार्य पूर्ण कर सम्बन्धित उप जिलाधिकारी द्वारा कार्य की सत्यता, कार्य निर्धारित मानकानुसार होने एवं गुणवत्ता पूर्वक कार्य पूर्ण होने का प्रमाणीकरण संबंधी आंख्या, उपयोगिता प्रमाण पत्र, मय फोटोग्राफ, वित्तीय वर्ष, मद का नाम, से निर्मित व स्वीकृत धनराशि का विवरण का सूचना पट पर अनिवार्य रूप से अंकित करते हुए प्रत्येक योजनावार उपयोग की गयी धनराशि व अवशेष धनराशि का विवरण उपयोगिता प्रमाण पत्र सहित जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को उपलब्ध किया जाना होगा।

9.9 पुनर्वास / विस्थापन

राज्य में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवारों को नवीन पुनर्वास नीति–2021 के प्राविधानों के अधीन पुनर्वास/विस्थापन शासन स्तर से धनराशि प्राप्त होने पर भू–वैज्ञानिक तथा तहसील स्तर से प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार प्रभावित परिवारों के पुनर्वास/विस्थापन हेतु वर्तमान में लागू पुनर्वास नीति–2021 सम्बंधी शासनादेश संख्या–886/xviii-(B-2)/21-16(1) पुनर्वास नीति/2007 दिनांक 31 दिसम्बर, 2021 के बिन्दु संख्या 03 में दिये गये निर्देश के क्रम में जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के आदेश संख्या–5012/41-08/2021-22 दिनांक– 01 जुलाई, 2022 के द्वारा में अपर जिलाधिकारी/प्रभारी अधिकारी (आ.प्र) को नोडल अधिकारी नामित करते हुये 06 सदस्यी जिला स्तरीय समिति गठित है।

- अपर जिलाधिकारी/प्रभारी अधिकारी (आ.प्र.) रूद्रप्रयाग –नोडल अधिकारी
- उप जिलाधिकारी (सम्बन्धित क्षेत्र) –सदस्य
- अधिशासी अभियन्ता, प्रा.ख., लो.नि.वि., रूद्रप्रयाग –सदस्य
- भू–वैज्ञानिक,रूद्रप्रयाग –सदस्य
- जिला आपदा प्रबन्धन अधिकारी, रूद्रप्रयाग –सदस्य

उपरोक्तानुसार प्रभावित परिवारों के विस्थापन हेतु धनराशि सम्बन्धित क्षेत्र के तहसीलदार द्वारा निम्नांकित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन व्यय की जायेगी–

1. स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद / प्रयोजन में किया जायेगा, जिस मद / प्रयोजन हेतु धनराशि स्वीकृत की जायेगी, यह सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित उप जिलाधिकारी एवं तहसीलदार का होगा।
2. प्राकृतिक आपदा से संकटग्रस्त ग्रामों के अन्यत्र विस्थापन / पुनर्वास के सम्बन्ध में शासनादेश संख्याः–886/XVIII-(B-2)21-16(1)/पुनर्वास नीति / 2007, दिनांक–31.12.2021 के माध्यम से जारी नीति / दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा।
3. किसी परिवार के मुखिया के पुत्र / पुत्रियों को अलग–अलग परिवार तभी माना जायेगा, जब मुखिया के पुत्र / पुत्रियों के नाम परिवार रजिस्टर में अंकित होने के साथ ही उनके पृथक–पृथक राशन कार्ड हों, तो सभी परिवारों को पृथक–पृथक मानते हुये वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जायेगी।
4. उक्त धनराशि की स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि आपदा प्रभावित परिवारों द्वारा विस्थापित स्थल पर निर्मित किये जाने वाले भवन भूकम्परोधी बनाये जाने होंगें तथा इस हेतु जनपद में प्रशिक्षित ट्रेनर (राजमिस्त्री) का सहयोग लिया जायेगा, एवं निर्मित किये जाने वाले आवासीय भवनों का सत्यापन ब्लाक स्तर पर तैनात ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग के अवर अभियन्ता द्वारा सत्यापित किया जायेगा तथा ऐसे निर्मित भवनों की सूचना निर्धारित प्रारूप पर उप जिलाधिकारी / तहसीलदार द्वारा अपने कार्यालय में रखी जायेगी एवं इसकी एक प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी।
5. पुनर्वास हेतु वित्तीय सहायता परिवार की महिला मुखिया / पत्नी को उपलब्ध करायी जायेगी। यदि परिवार में महिला मुखिया / पत्नी नहीं है, तो वित्तीय सहायता संबंधित पुरूष को उपलब्ध करायी जायेगी।
6. पुनर्वास / विस्थापन हेतु बनाये जाने वाले भवन का निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्वक एवं भूकम्परोधी मानकों के अनुसार समय से पूर्ण कराये जाने के लिये निर्माण कार्य की समय–समय पर स्थलीय निरीक्षण कर मॉनिटरिंग एवं गुणवत्ता का पर्यवेक्षण संबंधित उपजिलाधिकारी / तहसीलदार द्वारा ग्रामीण निर्माण विभाग के अभियन्ता, संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक एवं संबंधित ग्राम प्रधान की समिति के रूप में किया जायेगा।
7. संकटग्रस्त एवं संवेदनशील ग्रामों / क्षेत्रों के आपदा प्रभावित परिवारों के विस्थापन हेतु शासन द्वारा आवंटित धनराशि में से भवन निर्माण कार्य हेतु उप जिलाधिकारी / तहसीलदार के स्तर से संबंधित व्यक्ति को दो समान किश्तों में उपलब्ध करायी जायेगी।
8. भवन निर्माण की प्रथम किस्त प्राप्त होने के उपरान्त अधिकतम 12 माह के अन्दर भवन का निर्माण कार्य पूर्ण किया जायेगा। बिन्दु संख्या–06 पर गठित समिति द्वारा भवन में लैंटर (Slab) पड़ने पर स्थलीय निरीक्षण करते हुए निर्मित किये गये भवन की फोटोग्रेप्स सहित द्वितीय किश्त संबंधित उपजिलाधिकारी / तहसीलदार द्वारा जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को मांग प्रेषित करने के उपरान्त प्रभावितों को उपलब्ध करायी जायेगी।
9. भवन निर्माण कार्य पूर्ण होने पर प्रभावित परिवार द्वारा पुनर्वासित भवन में निवास करने एवं पुनर्वास नीति के बिन्दु संख्या–17 का अनुपालन करना सुनिश्चित करने के उपरान्त ही विस्थापन भत्ता एवं गौशाला निर्माण सहित अन्य भत्तों का भुगतान किया जायेगा।
10. प्रथम किश्त की धनराशि आवंटित किये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि भवन निर्माण का ले–आउट प्लान भूकम्परोधी तकनीक के अनुरूप हो।
11. प्रभावितों को उपलब्ध करायी जाने वाली धनराशि संबंधित व्यक्ति के बैंक खाते में डी.बी.टी. के माध्यम से ही आवंटित की जायेगी।
12. यदि किसी व्यक्ति द्वारा पुनर्वास हेतु उपलब्ध करायी गयी धनराशि से भवन का निर्माण नहीं किया जाता है, तो ऐसे व्यक्ति से बैंक की प्रचलित गृह ऋण ब्याज की दर सहित धनराशि की वसूली कर संगत राजकीय कोष में जमा की जायेगी।
13. उक्त कार्य के विभिन्न चरणों की फोटोग्राफी / वीडियोग्राफी संबंधित उपजिलाधिकारी / तहसीलदार द्वारा करायी जायेगी।
14. स्वीकृत धनराशि का पूर्ण उपयोग कर उसकी वित्तीय एवं भौतिक प्रगति व मदवार व्यय विवरण उपलब्ध कराया जायेगा। यदि कोई धनराशि अवशेष रहती है तो शासन को समर्पित कर दी जायेगी।
15. उपयोग की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को उपलब्ध कराया जायेगा।

अध्याय–10

जिला आपदा प्रबंधन योजना का रखरखाव और समीक्षा

(Procedure And Methodology for Monitoring, Evaluation, Updation And Maintenance of DDMP)

10.1 परिचयः जिला आपदा प्रबंधन योजना (DDMP) क्षैतिज (Horizontal) और ऊर्ध्वाधर (Vertical) स्तरों पर बनाई गई योजनाओं का समग्र रूप है।

- जनपद रूद्रप्रयाग जिले की जिला आपदा प्रबंधन योजना (DDMP) एक सार्वजनिक दस्तावेज है, जो किसी भी विभाग या प्रशासन के किसी विशेष भाग तक सीमित नहीं है।
- आपदा प्रबंधन का मूल सिद्धांत यह है कि यह सभी विभागों का अभिन्न हिस्सा होना चाहिए, और कोई भी इससे अछूता नहीं रह सकता।

10.2 DDMP के रखरखाव और समीक्षा की जिम्मेदारी

- जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA), रूद्रप्रयाग प्रतिवर्ष इस योजना को अपडेट करेगा और इसकी स्वीकृत प्रति सभी हितधारकों को वितरित करेगा।
- DDMA, रूद्रप्रयाग निम्नलिखित आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धाराओं के अनुसार योजना के संचालन, समन्वय, निगरानी और कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा।
- धारा 31, उपधारा (4) – जिला योजना की हर वर्ष समीक्षा और अद्यतन (Update) किया जाना अनिवार्य है।
- धारा 31, उपधारा (7) – जिला प्राधिकरण समय–समय पर योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा करेगा और जिले के विभिन्न सरकारी विभागों को आवश्यक निर्देश जारी करेगा।

10.3 DDMP की उचित निगरानी और मूल्यांकन

- DDMA, रूद्रप्रयाग हर छह महीने में अध्यक्ष की अध्यक्षता में बैठक आयोजित करेगा, जिसमें राज्य में आपदा प्रबंधन गतिविधियों की समीक्षा और DDMP का अद्यतन किया जाएगा।
- सभी संबंधित विभागों और एजेंसियों को इस बैठक में भाग लेना अनिवार्य होगा।
- ये विभाग अपनी रिपोर्ट प्रत्येक तिमाही (हर तीन महीने) में प्रस्तुत करेंगे और आपदा प्रबंधन से जुड़े विशिष्ट मुद्दों पर सिफारिशें (recommendations) देंगे।

10.4 DDMP के लिये आपदा के बाद मूल्यांकन तंत्र

- DDMA अध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि हर आपदा के बाद, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, उसके प्रभावों पर डेटा एकत्र करने की विशेष व्यवस्था की जाए।
- पोस्ट–डिजास्टर मूल्यांकन तंत्र के लिए विशेषज्ञों, पेशेवरों और शोधकर्ताओं की एक टीम बनाई जाएगी, जो एकत्र किए गए डेटा का सत्यापन और दस्तावेजीकरण करेगी।
- यह डेटा आपातकालीन संचालन केंद्र (EOC) में संग्रहीत किया जाएगा और भविष्य की संदर्भ सामग्री के रूप में उपयोग किया जाएगा।
- DDMA आपदा प्रबंधन योजना (DDMP) का मूल्यांकन बैठकों और हितधारकों से परामर्श करके करेगा।

10.5 DDMP के अद्यतनीकरण की अनुसूची–

DDMP को उपरोक्त प्रक्रियाओं के साथ निम्नलिखित तरीकों से अपडेट किया जाएगा।

1. जिला आपातकालीन संचालन केंद्र (EOC) से नियमित रूप से डेटा संग्रह।
2. डेटा का गहन विश्लेषण।
3. DDMA अध्यक्ष द्वारा समीक्षा।
4. योजना का अद्यतन और इसे हितधारकों के बीच प्रचारित करना।

अपडेटेड DDMP डेटा को जिला आपातकालीन संचालन केंद्र (DEOC) की वेबसाइट पर रखा जाएगा ताकि इसे किसी भी आपात स्थिति में तुरंत उपयोग किया जा सके।

DDMA अध्यक्ष निम्नलिखित महत्वपूर्ण बिंदुओं के आधार पर योजना को छमाही आधार (biannual basis) पर अपडेट करने की जिम्मेदारी लेंगे:

- जिले में उपलब्ध उपकरणों की सूची (DDMRI)।
- मानव संसाधन का विवरण, संपर्क पता और फोन नंबर (DDMRI)।
- पिछली आपदाओं के अनुभव और उनकी विस्तृत मैट्रिक्स को अपडेट करना।
- संचालन गतिविधियों और स्थान में प्रमुख परिवर्तन (SOPs और चेकलिस्ट के माध्यम से)।
- प्रशिक्षण और आपदा से निपटने के अभ्यास (Mock Drills) से मिली सीख।
- आपदा की घटनाओं में बदलाव।
- संभावित खतरों की पहचान में तकनीकी नवाचार और नई तकनीकों का उपयोग।
- जनसंख्या संरचना में बदलाव।
- भू–राजनीतिक (Geo&political) माहौल में बदलाव।

क्र.स.	माह	प्रस्तावित गतिविधियां
01	अक्टूबर	जीवन रेखीय विभागों द्वारा DDMP की समीक्षा
02	अक्टूबर–नंवबर	DDMA की सिफारिशों का प्रस्तुतिकरण
03	नंवबर–दिसंबर	संशोधनों का सभी हितधारकों में वितरण
04	मई–जून	SDMA को अनुमोदन के लिए प्रस्तुतिकरण/अपडेटेड योजना को DDMA/SDMA वेबसाइट पर अपलोड करना

10-6 DDMA/SDMA वेबसाइट पर अद्यतन योजनाओं को अपलोड करना

जिले की जिला आपदा प्रबंधन योजना (DDMP) एक सार्वजनिक दस्तावेज है।

- प्रत्येक अद्यतन के बाद इसे जिला सूचना अधिकारी (District Information Officer) की निगरानी में DDMA/SDMA वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा।
- यह अपलोडिंग DDMA अध्यक्ष की पूर्व स्वीकृति के बाद ही की जाएगी।

10-7 मॉक ड्रिल का आयोजन (Conduct of Mock Drills)- जनपद रूद्रप्रयाग आपदा संवेदनशील क्षेत्र होने के कारण समय–समय पर विभिन्न स्तरों पर मॉक ड्रिल (Mock Drill) आयोजित की जाती हैं, ताकि सभी विभागों, संस्थाओं तथा समुदायों की प्रतिक्रिया क्षमता का परीक्षण किया जा सके। मॉक ड्रिल का उद्देश्य आपदा के समय विभागों के बीच बेहतर समन्वय, त्वरित निर्णय एवं संसाधनों के कुशल उपयोग को सुनिश्चित करना है। आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (DM Act, 2005) की धारा 30 (2) (X) के अनुसार:

- जिला प्राधिकरण को यह समीक्षा करनी होगी कि जिले में किसी भी आपदा या संभावित आपदा स्थिति से निपटने की क्षमता कैसी है।
- प्रशासन को आवश्यकतानुसार संबंधित विभागों और अधिकारियों को सुधार एवं उन्नयन के निर्देश देने होंगे।

इसी तरह, DM Act, 2005 की धारा 30 (2) (XI) यह निर्धारित करती है कि:

- जिला प्राधिकरण को तैयारी उपायों (Preparedness Measures) की समीक्षा करनी चाहिए।
- संबंधित विभागों और अधिकारियों को निर्देश देना चाहिए ताकि वे प्रभावी प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार रह सकें।

10.7.1 जिला अभ्यास आयोजित करने के लिए जिम्मेदार पक्ष– जनपद रूद्रप्रयाग में मॉक ड्रिल के आयोजन की जिम्मेदारी निम्नलिखित एजेंसियों पर होती है –

- जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग (District Magistrate, Rudraprayag)– मॉक ड्रिल की समग्र निगरानी, निर्देशन एवं अनुमोदन हेतु उत्तरदायी प्रमुख अधिकारी।
- जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA), रूद्रप्रयाग– ड्रिल की योजना, तैयारी, समन्वय एवं संबंधित विभागों के बीच सहयोग सुनिश्चित करता है।
- राजस्व विभाग एवं आपदा नियंत्रण कक्ष (EOC), रूद्रप्रयाग –अलर्ट जारी करने, संचार व्यवस्था, रिपोर्टिंग एवं डेटा संकलन का कार्य करता है।
- एसडीआरएफ/एनडीआरएफ/फायर सर्विस/पुलिस विभाग– खोज, बचाव और राहत कार्यों के लिए प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन प्रदान करते हैं।

- स्वास्थ्य विभाग एवं रेडक्रॉस सोसाइटी– प्राथमिक उपचार, एम्बुलेंस सेवा और घायलों के प्रबंधन में सहयोग प्रदान करते हैं।
- शिक्षा विभाग, एनसीसी, एनएसएस, स्काउट–गाइड– विद्यालयों एवं युवाओं को मॉक ड्रिल में भागीदारी हेतु प्रेरित करते हैं।
- स्थानीय निकाय एवं ग्राम पंचायतें– सामुदायिक स्तर पर ड्रिल संचालन, प्रचार–प्रसार एवं जन–सहभागिता सुनिश्चित करती हैं।

10.7.2 ड्रिल के आयोजन का कार्यक्रम– जनपद रूद्रप्रयाग में मॉक ड्रिल का आयोजन एक निर्धारित वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार किया जाता है –

क्रमांक	ड्रिल का प्रकार	आवृत्ति	संबंधित विभाग / संस्थान	उद्देश्य
1	जिला स्तरीय मॉक ड्रिल	वर्ष में कम से कम 1 बार	DDMA, SDRF, Police, Health Dept-	जिला स्तर पर आपदा प्रतिक्रिया एवं समन्वय की जांच
2	ब्लॉक/तहसील स्तरीय ड्रिल	प्रत्येक 6 माह में	तहसील प्रशासन, राजस्व, फायर यूनिट	स्थानीय स्तर पर आपदा प्रतिक्रिया अभ्यास
3	विद्यालय सुरक्षा ड्रिल	वर्ष में 2 बार	शिक्षा विभाग, DDMA	बच्चों को सुरक्षित निकासी एवं प्राथमिक उपचार की जानकारी देना
4	सामुदायिक स्तर की ड्रिल	प्रत्येक ग्राम/वार्ड में वार्षिक रूप से	ग्राम पंचायत, स्वयंसेवी संगठन	समुदाय को "पहला प्रत्युत्तरदाता" बनाने हेतु अभ्यास
5	अंतर–विभागीय ड्रिल	आवश्यकता अनुसार	सभी विभाग	संयुक्त आपदा प्रतिक्रिया क्षमता का परीक्षण

ड्रिल के बाद संबंधित विभाग अपनी रिपोर्ट जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को प्रस्तुत करते हैं, ताकि योजना के सुधारात्मक सुझाव सम्मिलित किए जा सकें।

10-8 निगरानी और अंतराल मूल्यांकन (Monitoring and Gap Evaluation)- मॉक ड्रिल एवं आपदा प्रबंधन गतिविधियों की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने हेतु जनपद रूद्रप्रयाग में नियमित निगरानी (Monitoring) एवं अंतराल मूल्यांकन (Gap Evaluation) किया जाता है।

मुख्य बिंदु:

1. प्रत्येक मॉक ड्रिल के बाद पश्च मूल्यांकन बैठक (Post&Drill Review Meeting) आयोजित की जाती है।
2. ड्रिल में शामिल सभी विभागों से फीडबैक रिपोर्ट प्राप्त की जाती है।
3. रिपोर्ट के आधार पर कमियों (Gaps) की पहचान कर सुधारात्मक कार्यवाही की जाती है।
4. जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) इन बिंदुओं को अगली समीक्षा बैठक में सम्मिलित करता है।
5. राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (USDMA) को वार्षिक रिपोर्ट प्रेषित की जाती है।
6. आवश्यकता अनुसार प्रशिक्षण, संसाधन, और योजना में संशोधन कर प्रभावशीलता बढ़ाई जाती है।

- **परिणाम–** इन प्रक्रियाओं से जनपद रूद्रप्रयाग में आपदा प्रबंधन प्रणाली अधिक सक्रिय, सक्षम और उत्तरदायी बनी है। विभागों के बीच समन्वय बेहतर हुआ है तथा समुदायों की आपदा प्रतिक्रिया क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

अध्याय–11

डी.डी.एम.पी. के कार्यान्वयन के लिए समन्वय तंत्र
(Coordination Mechanism for implementation of DDMP)

उचित आपदा प्रबंधन के लिए जिला और स्थानीय सरकारों के बीच समन्वय महत्वपूर्ण है। इसके लिए सभी हितधारक विभागों और स्थानीय निकायों जैसे एचपीपीडब्ल्यूडी, आई व पीएच, एचपीएसईबी, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, फायर एंड होम गार्ड, पुलिस, बीएसएनएल, खाद्य और नागरिक आपूर्ति, वन, राजस्व शिक्षा, कृषि बागवानी, एचआरटीसी, रेड क्रॉस, एमसी, एनजीओ के साथ अंतर–विभागीय और अंतर–विभागीय समन्वय की आवश्यकता है। सी.बी.ओ. और अन्य स्थानीय प्राधिकरण ये साझेदारी इस बात को मान्यता देती है कि आपदा प्रबंधन व्यवस्था के प्रत्येक स्तर को व्यापक आपदा प्रबंधन के लिए आवश्यक योजना, सेवाओं, सूचना और संसाधनों का प्रभावी समन्वय सुनिश्चित करने के लिए सहयोगात्मक रूप से काम करना चाहिए।

जिले का डीडीएमपी एक तीन स्तरीय आपदा प्रबंधन समन्वय है जो नीचे से ऊपर के दृष्टिकोण पर आधारित है। तहसील स्तर, उप–मंडल स्तर और जिला स्तर। यह प्रणाली समर्थन और सहायता को प्रगतिशील रूप से बढ़ाने में सक्षम बनाती है।

व्यवस्थाओं में कई प्रमुख प्रबंधन और समन्वय संरचनाएँ शामिल हैं। व्यवस्थाओं को बनाने वाली प्रमुख संरचनाएँ हैं:

- आपदा प्रबंधन समितियाँ तहसील, उप–मंडल और जिला स्तर पर कार्यरत हैं। उपरोक्त समितियाँ अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाली आपदाओं को कम करने, रोकने, तैयार करने, प्रतिक्रिया देने और उनसे उबरने के लिए आवश्यक सभी उपायों की योजना, आयोजन, समन्वय और कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार हैं।
- तहसील, उप–मंडल और जिला स्तर पर आपातकालीन संचालन केंद्र आपदा संचालन के लिए आवश्यक जानकारी, संसाधनों और सेवाओं का समन्वय करते हुए आपदा प्रबंधन समूहों का समर्थन करते हैं।
- जिला प्रशासन, डी.डी.एम.ए. और डी.डी.ई.सी. की कार्यात्मक एजेंसियां विशिष्ट खतरों के समन्वय और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार हैं और आवश्यकतानुसार अन्य एजेंसियों को सहायता प्रदान करती हैं।

11.1 अंतर्विभागीय (Intra) तथा अंतर–विभागीय (Inter) समन्वय एवं क्षैतिज समन्वय (Horizontal Linkages)

आपदा प्रबंधन एक बहु–विभागीय तथा समन्वित प्रक्रिया है। किसी भी आपदा की स्थिति में प्रभावी प्रतिक्रिया और राहत कार्य तभी संभव हो पाते हैं जब विभिन्न विभाग, संस्थाएँ तथा संगठन एक–दूसरे के साथ समन्वित रूप से कार्य करें। अंतर्विभागीय (Intra-departmental) समन्वय से आशय किसी एक विभाग के भीतर विभिन्न इकाइयों, अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच कार्यों के उचित तालमेल से है, जबकि अंतर–विभागीय (Inter-departmental) समन्वय विभिन्न विभागों के बीच सहयोग, सूचना के आदान–प्रदान और संयुक्त कार्रवाई को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, क्षैतिज समन्वय (Horizontal Linkages) का अर्थ समान स्तर पर कार्य करने वाली विभिन्न संस्थाओं, संगठनों तथा समुदायों के बीच सहयोग से है। जिला आपदा प्रबंधन योजना रूद्रप्रयाग में इन तीनों प्रकार के समन्वय को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है ताकि आपदा के समय त्वरित, प्रभावी और संगठित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

1. अंतर्विभागीय समन्वय (Intra-Department Coordination)

अंतर्विभागीय समन्वय का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक विभाग के भीतर सभी इकाइयाँ और अधिकारी स्पष्ट रूप से अपनी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को समझें और आपदा की स्थिति में तुरंत कार्यवाही कर सकें।

- **स्पष्ट कार्य–विभाजन–** प्रत्येक विभाग अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए पूर्व निर्धारित कार्य–विभाजन करता है। आपदा की स्थिति में किस अधिकारी को कौन–सा कार्य करना है, इसका स्पष्ट उल्लेख विभागीय योजना में किया जाता है।

- **नियत्रंण एवं सचांर व्यवस्था–** विभागों के भीतर प्रभावी संचार प्रणाली स्थापित की जाती है ताकि सूचना का त्वरित आदान–प्रदान हो सके। इसके लिए नियंत्रण कक्ष (Control Room), वायरलेस, टेलीफोन और अन्य संचार साधनों का उपयोग किया जाता है।
- **ससांधनों का प्रबंधन–** प्रत्येक विभाग अपने संसाधनों जैसे मानव संसाधन, उपकरण, वाहन, दवाइयाँ, मशीनरी आदि का सूचीबद्ध प्रबंधन करता है ताकि आवश्यकता पड़ने पर उनका तुरंत उपयोग किया जा सके।
- **प्रशिक्षण एवं अभ्यास–** विभाग अपने कर्मचारियों को आपदा प्रबंधन से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान करते हैं और समय–समय पर मॉक ड्रिल तथा अभ्यास कार्यक्रम आयोजित करते हैं। इससे कर्मचारियों की तैयारी और दक्षता बढती् है।
- **नियमित समीक्षा–** आपदा तैयारी की स्थिति का आंकलन करने के लिए विभागीय स्तर पर नियमित बैठकें और समीक्षा की जाती है ताकि आवश्यक सुधार किए जा सकें।

2. अंतर–विभागीय समन्वय (Inter&Department Coordination)

अंतर–विभागीय समन्वय का उद्देश्य विभिन्न विभागों के बीच सहयोग और तालमेल स्थापित करना है ताकि आपदा के समय सभी विभाग मिलकर समन्वित रूप से कार्य कर सकें।

- **जिला प्रशासन की भूमिका** – जिले में आपदा प्रबंधन की समग्र जिम्मेदारी जिला मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में होती है। जिला प्रशासन सभी विभागों के कार्यों का समन्वय करता है और आवश्यक दिशा–निर्देश प्रदान करता है।
- **प्रमुख विभागों की सहभागिता**– आपदा प्रबंधन में कई विभाग महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे–
  - ✓ राजस्व विभाग
  - ✓ पुलिस विभाग
  - ✓ स्वास्थ्य विभाग
  - ✓ मोटर मार्ग विभाग
  - ✓ जल संस्थान/जल निगम
  - ✓ विद्युत विभाग
  - ✓ अग्निशमन सेवा
  - ✓ शिक्षा विभाग
  - ✓ वन विभाग
  - ✓ परिवहन विभाग

  इन सभी विभागों के बीच सहयोग और समन्वय आपदा के समय अत्यंत आवश्यक होता है।
- **संयुक्त बैठकें एवं योजना निर्माण** – जिला स्तर पर विभिन्न विभागों के बीच नियमित बैठकें आयोजित की जाती हैं। इन बैठकों में आपदा जोखिम, तैयारी, संसाधनों की उपलब्धता और कार्ययोजना पर चर्चा की जाती है।
- **संयुक्त नियंत्रण कक्ष–** आपदा की स्थिति में जिला आपदा संचालन केंद्र (Emergency Operation Centre) सक्रिय किया जाता है, जहाँ से सभी विभागों के कार्यों का समन्वय और निगरानी की जाती है।
- **संसाधनों का साझा उपयोग** – आपदा के समय विभिन्न विभाग अपने संसाधनों को साझा करते हैं, जैसे वाहन, मशीनरी, राहत सामग्री, चिकित्सा सुविधाएँ आदि। इससे राहत और बचाव कार्य अधिक प्रभावी बनते हैं।

3. क्षैतिज समन्वय (Horizontal Linkages)

क्षैतिज समन्वय का उद्देश्य सरकारी विभागों के साथ–साथ अन्य संस्थाओं और समुदायों को भी आपदा प्रबंधन प्रक्रिया में शामिल करना है।

- **सामुदायिक भागीदारी–** स्थानीय समुदाय आपदा प्रबंधन में महत्वपर्णू भूमिका निभाता है। ग्राम स्तर पर स्वयंसेवक, युवक मंडल और महिला समूह आपदा के समय राहत और बचाव कार्यों में सहायता करते हैं।
- **गैर–सरकारी संगठनों की भूमिका–** गैर–सरकारी संगठन (NGOs) राहत सामग्री वितरण, स्वास्थ्य सेवाएँ, पुनर्वास कार्य और जागरूकता कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करते हैं।

- **निजी क्षेत्र का सहयोग–** निजी संस्थान और उद्योग भी संसाधन, उपकरण और वित्तीय सहायता प्रदान करके आपदा प्रबंधन में योगदान देते हैं।
- **मीडिया की भूमिका–** मीडिया आपदा से संबंधित जानकारी को तेजी से लोगों तक पहुँचाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। यह लोगों को चेतावनी, सावधानियों और राहत उपायों के बारे में जागरूक करता है।

4. रूद्रप्रयाग जिले में समन्वय व्यवस्था

रूद्रप्रयाग जिले में आपदा प्रबंधन के लिए जिला प्रशासन के नेतृत्व में एक संगठित समन्वय प्रणाली कार्य करती है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) और जिला आपदा संचालन केंद्र के माध्यम से विभिन्न विभागों, संस्थाओं और संगठनों के बीच समन्वय स्थापित किया जाता है। आपदा के समय त्वरित निर्णय लेने, संसाधनों के प्रबंधन और राहत कार्यों के संचालन के लिए यह समन्वय प्रणाली अत्यंत महत्वपूर्ण होती है।

11.2 NGOs, CBOs एवं स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के साथ समन्वय तंत्र उद्योगों, निजी विद्यालयों एवं अस्पतालों के साथ समन्वय तथा ब्लॉक/ग्राम स्तर की टास्क फोर्स के साथ समन्वय

आपदा प्रबंधन में सरकारी विभागों के साथ–साथ गैर–सरकारी संगठनों, सामुदायिक संगठनों तथा स्वयंसहायता समूहों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। ये संगठन स्थानीय स्तर पर लोगों के साथ सीधे जुड़े होते हैं, इसलिए आपदा के समय त्वरित सहायता, जागरूकता तथा राहत कार्यों को प्रभावी ढंग से संचालित करने में सहयोग प्रदान करते हैं। जिला आपदा प्रबंधन योजना (DDMP) रूद्रप्रयाग के अंतर्गत NGOs, CBOs और SHGs, उद्योगों निजी विद्यालयों और निजी अस्पतालो के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए एक संगठित व्यवस्था बनाई जाती है ताकि आपदा से पूर्व तैयारी, आपदा के दौरान राहत कार्य और आपदा के बाद पुनर्वास कार्यों को प्रभावी बनाया जा सके। इसके साथ–साथ ब्लॉक तथा ग्राम स्तर पर गठित टास्क फार्से के साथ भी प्रभावी समन्वय स्थापित किया जाता है ताकि आपदा के समय त्वरित प्रतिक्रिया और राहत कार्य सुनिश्चित किए जा सकें इस समन्वय प्रणाली में क्षैतिज (Horizontal) आरै ऊर्ध्वाधर (Vertical) दोनों प्रकार की लिंकिंग महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

1. NGOs की भूमिका एवं समन्वय

गैर–सरकारी संगठन (NGOs) आपदा प्रबंधन में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करते हैं।

प्रमुख कार्य

- आपदा से संबंधित जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना।
- प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री (भोजन, कपड़े, दवाइयाँ) वितरित करना।
- स्वास्थ्य शिविर और प्राथमिक चिकित्सा सेवाएँ उपलब्ध कराना।
- आपदा के बाद पुनर्वास और पुनर्निर्माण कार्यों में सहायता करना।
- बच्चों, महिलाओं और वृद्ध लोगों की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करना।

समन्वय व्यवस्था

- जिला प्रशासन NGOs के साथ पूर्व–समन्वय बैठकें आयोजित करता है।
- NGOs को जिला आपदा प्रबंधन योजना में सहयोगी संस्था के रूप में शामिल किया जाता है।
- आपदा के समय NGOs को विशिष्ट कार्य क्षेत्रों में राहत कार्यों की जिम्मेदारी दी जाती है।
- जिला आपदा संचालन केंद्र के माध्यम से NGOs के साथ सूचना और संसाधनों का आदान–प्रदान किया जाता है।

2. CBOs (Community Based Organizations) की भूमिका

सामुदायिक आधारित संगठन (CBOs) स्थानीय स्तर पर कार्य करने वाले संगठन होते हैं जो समुदाय के लोगों को संगठित करते हैं।

प्रमुख कार्य

- स्थानीय समुदाय को आपदा जोखिम और सुरक्षा उपायों के बारे में जागरूक करना।
- आपदा के समय स्थानीय स्तर पर बचाव और राहत कार्यों में सहयोग करना।
- प्रभावित लोगों की आवश्यकताओं की जानकारी प्रशासन तक पहुँचाना।
- राहत सामग्री के सही वितरण में सहयोग करना।

समन्वय व्यवस्था

- ग्राम पंचायत स्तर पर CBOs को आपदा प्रबंधन गतिविधियों में शामिल किया जाता है।
- जिला प्रशासन और CBOs के बीच नियमित संवाद और बैठकें आयोजित की जाती हैं।
- CBOs के माध्यम से समुदाय की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाती है।

3. स्वयं सहायता समूह (Self Help Groups – SHGs) की भूमिका

स्वयं सहायता समूह विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के संगठित समूह होते हैं जो सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों में सक्रिय रहते हैं।

प्रमुख कार्य

- आपदा के समय राहत सामग्री के वितरण में सहयोग।
- प्रभावित परिवारों के लिए भोजन और आवश्यक वस्तुओं की व्यवस्था।
- आपदा के बाद जीविका पुनर्स्थापन (Livelihood Restoration) में सहायता।
- समुदाय में स्वच्छता, स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी जागरूकता फैलाना।

समन्वय व्यवस्था

- ग्राम स्तर पर SHGs को आपदा प्रबंधन योजनाओं में शामिल किया जाता है।
- जिला प्रशासन और ग्रामीण विकास विभाग SHGs के साथ समन्वय स्थापित करते हैं।
- SHGs के सदस्यों को आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम प्रदान किए जाते हैं।

4. समन्वय तंत्र (Coordination Mechanism)

NGOs, CBOs और SHGs के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए रूद्रप्रयाग जिले में निम्नलिखित तंत्र अपनाया जाता है–

- पंजीकरण और डाटाबसे तैयार करना– जिले में कार्यरत सभी NGOs, CBOs आरै SHGs का डाटाबेस तैयार किया जाता है।
- नियमित बैठकें और संवाद– जिला प्रशासन समय–समय पर इन संगठनों के साथ बैठकें आयोजित करता है।
- प्रशिक्षण आरै क्षमता निर्माण– इन संगठनों के सदस्यों को आपदा प्रबंधन से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाता है।
- संसाधनों का समन्वित उपयागे – आपदा के समय उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी उपयागे सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त रूप से कार्य किया जाता है।
- सूचना और चेतावनी प्रणाली– आपदा की स्थिति में चेतावनी और महत्वपूर्ण जानकारी इन संगठनों के माध्यम से तेजी से समुदाय तक पहुँचाई जाती है।

5. उद्योगों (Industries) के साथ समन्वय

जिले में स्थापित उद्योग आपदा प्रबंधन में संसाधनों, उपकरणों और तकनीकी सहायता के माध्यम से महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं।

उद्योगों की भूमिका

- आपदा के समय मशीनरी, वाहन और उपकरण उपलब्ध कराना।
- राहत कार्यों के लिए भाजे न, पानी और अन्य आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराना।
- प्रभावित क्षेत्रों में सामुदायिक सहायता और पुनवार्स कार्यक्रम चलाना।
- कर्मचारियों को आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण प्रदान करना।
- औद्योगिक क्षेत्रों में आपदा सुरक्षा मानकों का पालन करना।

समन्वय व्यवस्था

- जिला प्रशासन द्वारा उद्योगों का डेटाबसे तैयार किया जाता है।
- उद्योगों के प्रतिनिधियों को जिला आपदा प्रबंधन बैठकों में शामिल किया जाता है।
- आपदा की स्थिति में उद्योगों के संसाधनों का समन्वित उपयोग किया जाता है।

6. निजी विद्यालयों (Private Schools) के साथ समन्वय

निजी विद्यालय आपदा प्रबंधन में जागरूकता और सामुदायिक सहायता के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

विद्यालयों की भूमिका

- छात्रों और शिक्षकों को आपदा सुरक्षा और प्राथमिक उपचार का प्रशिक्षण देना।
- विद्यालयों में मॉक ड्रिल और आपदा अभ्यास कार्यक्रम आयोजित करना।
- आपदा के समय विद्यालय भवनों को अस्थायी राहत शिविर (Relief Camp) के रूप में उपयोग करना।
- विद्यार्थियों के माध्यम से समुदाय में जागरूकता फैलाना।

समन्वय व्यवस्था

- जिला शिक्षा विभाग के माध्यम से निजी विद्यालयों को आपदा प्रबंधन कार्यक्रमों में शामिल किया जाता है।
- विद्यालयों में आपदा प्रबंधन योजना (School Disaster Management Plan) तैयार की जाती है।
- समय–समय पर प्रशिक्षण और मॉक ड्रिल आयोजित की जाती है।

7. निजी अस्पतालों (Private Hospitals) के साथ समन्वय

आपदा के समय स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। इसलिए निजी अस्पतालों का सहयोग आवश्यक होता है।

अस्पतालों की भूमिका

- घायल व्यक्तियों को तत्काल चिकित्सा सुविधा प्रदान करना।
- आपातकालीन चिकित्सा सेवाएँ उपलब्ध कराना।
- आवश्यक दवाइयाँ, रक्त और चिकित्सा उपकरण उपलब्ध कराना।
- आपदा के समय अतिरिक्त चिकित्सा कर्मियों और एम्बुलेंस सेवाओं की व्यवस्था करना।

समन्वय व्यवस्था

- स्वास्थ्य विभाग निजी अस्पतालों का पंजीकरण और सूची तैयार करता है।
- आपदा की स्थिति में निजी अस्पतालों को आपातकालीन चिकित्सा सहायता के लिए सक्रिय किया जाता है।
- जिला प्रशासन और अस्पतालों के बीच संचार व्यवस्था स्थापित की जाती है।

8. क्षैतिज समन्वय (Horizontal Linkages)

क्षैतिज समन्वय का अर्थ विभिन्न संस्थाओं और संगठनों के बीच समान स्तर पर सहयागे से है।

इसमें शामिल संस्थाएँ

- उद्योग
- निजी विद्यालय
- निजी अस्पताल
- गैर–सरकारी संगठन
- सामुदायिक संगठन

उद्देश्य

- संसाधनों का साझा उपयोग
- त्वरित सूचना का आदान–प्रदान
- राहत और बचाव कार्यों में सहयोग
- सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देना

9. ब्लॉक स्तर की टास्क फोर्स के साथ समन्वय (Vertical Linkages)

ब्लॉक स्तर पर आपदा प्रबंधन के लिए टास्क फोर्स गठित की जाती है जो जिला प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित करती है।

प्रमुख कार्य

- आपदा की स्थिति में प्रारंभिक सूचना जिला प्रशासन तक पहुँचाना।
- प्रभावित क्षेत्रों में बचाव और राहत कार्यों का संचालन।
- राहत सामग्री का सही वितरण सुनिश्चित करना।
- स्थानीय संसाधनों का प्रभावी उपयोग करना।

10. ग्राम स्तर की टास्क फोर्स के साथ समन्वय

ग्राम स्तर पर गठित टास्क फोर्स स्थानीय समुदाय के साथ मिलकर कार्य करती है।

ग्राम टास्क फोर्स की भूमिका

- आपदा के समय प्रारंभिक बचाव कार्य करना।
- प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुँचाना।
- राहत शिविरों की व्यवस्था करना।
- स्थानीय स्तर पर जानकारी और चेतावनी का प्रसार करना।

समन्वय व्यवस्था

- ग्राम टास्क फोर्स → ब्लॉक प्रशासन → जिला प्रशासन के बीच ऊर्ध्वाधर समन्वय (Vertical Linkage) स्थापित किया जाता है।
- नियमित प्रशिक्षण और मॉक ड्रिल आयोजित की जाती हैं।

11.3 ब्लॉक/ग्राम स्तर की टास्क फोर्स के साथ समन्वय (Vertical Linkages) तथा अंतर–ब्लॉक एवं अंतर–ग्राम समन्वय (Horizontal Linkages)

आपदा प्रबंधन में स्थानीय स्तर की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि किसी भी आपदा का पहला प्रभाव गाँव और स्थानीय समुदाय पर पड़ता है। इसलिए जिला आपदा प्रबंधन योजना (DDMP) रूद्रप्रयाग में ब्लॉक और ग्राम स्तर पर टास्क फोर्स का गठन किया गया है। इन टास्क फोर्स का उद्देश्य आपदा के समय त्वरित प्रतिक्रिया देना, राहत एवं बचाव कार्यों में सहयोग करना तथा जिला प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित करना है। इस समन्वय व्यवस्था में दो प्रकार की लिंकिंग महत्वपूर्ण होती हैं–

- ऊर्ध्वाधर समन्वय (Vertical Linkage)– जिला, ब्लॉक और ग्राम स्तर के बीच समन्वय।
- क्षैतिज समन्वय (Horizontal Linkages)– एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक तथा एक गाँव से दूसरे गाँव के बीच सहयोग और समन्वय।

1. ब्लॉक स्तर की टास्क फोर्स के साथ समन्वय (Vertical Linkages)

ब्लॉक स्तर पर आपदा प्रबंधन के लिए एक टास्क फोर्स गठित की जाती है जो स्थानीय प्रशासन और ग्राम स्तर की समितियों के साथ मिलकर कार्य करती है।

ब्लॉक टास्क फोर्स की संरचना

- ब्लॉक स्तर की टास्क फोर्स में सामान्यतः निम्न सदस्य शामिल होते हैं–
- खंड विकास अधिकारी
- पुलिस प्रतिनिधि
- स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी
- शिक्षा विभाग के प्रतिनिधि
- राजस्व विभाग के अधिकारी
- पंचायत प्रतिनिधि
- स्वयंसेवी संगठन एवं स्थानीय स्वयंसेवक

प्रमुख कार्य

- आपदा की सूचना जिला प्रशासन तक पहुँचाना।
- प्रभावित क्षेत्रों में बचाव एवं राहत कार्यों का समन्वय करना।

- राहत सामग्री के संग्रहण और वितरण की व्यवस्था करना।
- स्थानीय संसाधनों जैसे वाहन, उपकरण और मानव संसाधन का प्रभावी उपयागे करना।
- ग्राम स्तर की टास्क फोर्स को मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करना।

समन्वय प्रणाली

- ब्लॉक टास्क फोर्स नियमित रूप से जिला प्रशासन के साथ संपर्क बनाए रखती है।
- आपदा के समय ब्लॉक प्रशासन जिला आपदा संचालन केंद्र को स्थिति की जानकारी देता है।
- जिला प्रशासन से प्राप्त निर्देशों को ब्लॉक स्तर से ग्राम स्तर तक पहुँचाया जाता है।

2. ग्राम स्तर की टास्क फोर्स के साथ समन्वय (Vertical Linkages)

ग्राम स्तर की टास्क फोर्स स्थानीय समुदाय के सबसे निकट होती है और आपदा के समय सबसे पहले प्रतिक्रिया देती है।

ग्राम टास्क फोर्स की संरचना

- ग्राम प्रधान
- ग्राम पंचायत सदस्य
- स्थानीय शिक्षक
- आशा कार्यकर्ता/स्वास्थ्य कार्यकर्ता
- युवक मंडल एवं महिला समूह
- स्वयंसेवक

प्रमुख कार्य

- आपदा की स्थिति में तत्काल चेतावनी और सूचना का प्रसार करना।
- लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुँचाने में सहायता करना।
- प्राथमिक स्तर पर बचाव कार्य और प्राथमिक उपचार प्रदान करना।
- राहत शिविरों की व्यवस्था और प्रभावित लोगों की सहायता करना।
- प्रभावित परिवारों की आवश्यकताओं की जानकारी ब्लॉक प्रशासन को देना।

समन्वय प्रणाली

- ग्राम टास्क फोर्स → ब्लॉक प्रशासन → जिला प्रशासन के बीच ऊर्ध्वाधर समन्वय स्थापित होता है।
- ग्राम स्तर की सूचना ब्लॉक स्तर पर भेजी जाती है और फिर जिला स्तर तक पहुँचती है।

3. अंतर–ब्लॉक समन्वय (Inter&Block Coordination) – Horizontal Linkages

कई बार आपदा का प्रभाव एक से अधिक ब्लॉकों में फैल सकता है। ऐसी स्थिति में विभिन्न ब्लॉकों के बीच समन्वय आवश्यक होता है।

उद्देश्य

- संसाधनों का साझा उपयोग
- राहत और बचाव कार्यों में सहयोग
- प्रभावित क्षेत्रों में त्वरित सहायता प्रदान करना

प्रमुख गतिविधियाँ

- एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक को वाहन, उपकरण और मानव संसाधन उपलब्ध कराना।
- संयुक्त रूप से राहत एवं बचाव अभियान चलाना।
- आपदा की स्थिति से संबंधित सूचना का आदान–प्रदान करना।

4. अंतर–ग्राम समन्वय (Inter&Village Coordination) – Horizontal Linkages

आपदा के समय पड़ोसी गाँव एक–दूसरे की सहायता कर सकते हैं। यह सहयोग स्थानीय स्तर पर आपदा प्रबंधन को अधिक प्रभावी बनाता है।

प्रमुख कार्य

- पड़ोसी गाँवों के बीच संसाधनों और स्वयंसेवकों का साझा उपयोग।
- प्रभावित गाँवों को राहत सामग्री और आश्रय प्रदान करना।
- सुरक्षित स्थानों पर अस्थायी आश्रय व्यवस्था करना।
- सूचना और चेतावनी का तेजी से प्रसार करना।

5. प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण

ब्लॉक और ग्राम स्तर की टास्क फोर्स का` प्रभावी बनाने के लिए निम्न गतिविधियाँ आयोजित की जाती हैं –

- आपदा प्रबंधन से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम
- मॉक ड्रिल और अभ्यास
- प्राथमिक उपचार और खोज एवं बचाव प्रशिक्षण
- सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम

11.4 राज्य स्तरीय विभागों एवं प्रशिक्षण संस्थानों के साथ समन्वय प्रणाली

आपदा प्रबंधन एक व्यापक और बहु–स्तरीय प्रक्रिया है जिसमें जिला स्तर के साथ–साथ राज्य स्तर के विभागों और प्रशिक्षण संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रभावी आपदा प्रबंधन के लिए जिला प्रशासन को राज्य सरकार के विभिन्न विभागों तथा प्रशिक्षण संस्थानों के साथ समन्वय स्थापित करना आवश्यक होता है। जिला आपदा प्रबंधन योजना (DDMP) रूद्रप्रयाग के अंतर्गत राज्य स्तर आरै जिला स्तर के प्रशिक्षण संस्थानों के साथ समन्वय स्थापित किया जाता है ताकि आपदा के समय त्वरित प्रतिक्रिया, संसाधनों का उचित उपयोग तथा अधिकारियों और कर्मचारियों की क्षमता को मजबूत बनाया जा सके।

1. राज्य स्तरीय विभागों के साथ समन्वय

जिले में आपदा प्रबंधन गतिविधियों के संचालन के लिए विभिन्न राज्य स्तरीय विभागों के साथ समन्वय स्थापित किया जाता है।

प्रमुख राज्य स्तरीय विभाग

- राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
- पुलिस विभाग
- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
- मोटर मार्ग विभाग
- सिंचाई विभाग
- विद्युत विभाग
- वन विभाग
- परिवहन विभाग
- ग्रामीण विकास विभाग
- शिक्षा विभाग

समन्वय के प्रमुख उद्देश्य

- आपदा से संबंधित नीतियों और दिशा–निर्देशा` का पालन सुनिश्चित करना।
- आवश्यक संसाधनों और तकनीकी सहायता की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- आपदा के समय राज्य स्तर से अतिरिक्त सहायता प्राप्त करना।
- राहत एवं पुनर्वास कार्यों को प्रभावी ढंग से संचालित करना।

समन्वय की प्रक्रिया

- जिला प्रशासन राज्य सरकार को आपदा की स्थिति से संबंधित नियमित रिपोर्ट और सूचना भेजता है।
- राज्य स्तर के विभाग आवश्यकतानुसार तकनीकी सहायता आरै संसाधन उपलब्ध कराते हैं।
- राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों और नीतियों को जिला स्तर पर लागू किया जाता है।

2. राज्य स्तर के प्रशिक्षण संस्थानों के साथ समन्वय

आपदा प्रबंधन में अधिकारियों, कर्मचारियों और समुदाय की क्षमता बढ़ाने के लिए राज्य स्तर के प्रशिक्षण संस्थानों के साथ समन्वय स्थापित किया जाता है।

प्रमुख उद्देश्य

- आपदा प्रबंधन से संबंधित विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।
- अधिकारियों और कर्मचारियों को तकनीकी ज्ञान और कौशल प्रदान करना।
- खोज एवं बचाव, प्राथमिक उपचार तथा राहत कार्यों के लिए विशेष प्रशिक्षण देना।

प्रशिक्षण की प्रमुख गतिविधियाँ

- आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यशालाएँ
- सेमिनार और जागरूकता कार्यक्रम
- मॉक ड्रिल और अभ्यास कार्यक्रम
- आपदा जोखिम न्यूनीकरण (Disaster Risk Reduction) प्रशिक्षण

3. जिला स्तर के प्रशिक्षण संस्थानों के साथ समन्वय

जिला स्तर पर भी विभिन्न प्रशिक्षण संस्थान और विभाग आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण में सहयोग प्रदान करते हैं।

प्रमुख संस्थान

- जिला प्रशिक्षण केंद्र
- पुलिस प्रशिक्षण केंद्र
- स्वास्थ्य प्रशिक्षण संस्थान
- शिक्षा विभाग के प्रशिक्षण केंद्र

प्रमुख कार्य

- सरकारी कर्मचारियों और स्वयंसेवकों को आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण प्रदान करना।
- खोज एवं बचाव (Search and Rescue) प्रशिक्षण आयोजित करना।
- प्राथमिक उपचार और आपातकालीन चिकित्सा प्रशिक्षण देना।
- विद्यालयों और समुदायों के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना।

4. समन्वय की व्यवस्था

राज्य और जिला स्तर के विभागों तथा प्रशिक्षण संस्थानों के बीच समन्वय के लिए निम्न व्यवस्था अपनाई जाती है–

- नियमित बैठकें और संवाद आयोजित करना।
- आपदा प्रबंधन से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संयुक्त योजना बनाना।
- विभिन्न विभागों के बीच सूचना और अनुभव का आदान–प्रदान करना।
- आपदा की स्थिति में संयुक्त रूप से राहत और बचाव कार्यों का संचालन करना।

11.5 इंट्रा–ब्लॉक एवं इंट्रा–ग्राम समन्वय (Intra-Block and Intra-Village Coordination)

आपदा प्रबंधन में स्थानीय स्तर पर समन्वय अत्यंत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि किसी भी आपदा की स्थिति में प्रारम्भिक प्रतिक्रिया स्थानीय प्रशासन आरै समुदाय द्वारा ही दी जाती है। जिला आपदा प्रबंधन योजना (DDMP) रूद्रप्रयाग के अंतर्गत ब्लॉक और ग्राम स्तर पर विभिन्न विभागों, समितियों तथा समुदाय के बीच समन्वय स्थापित करने की व्यवस्था की गई है। इंट्रा–ब्लॉक समन्वय का अर्थ ब्लॉक स्तर पर विभिन्न विभागों और इकाइयों के बीच तालमले से है, जबकि इंट्रा–ग्राम समन्वय का अर्थ ग्राम स्तर पर पचं ायत, स्थानीय संगठनों और समुदाय के बीच सहयोग और समन्वय से है।

1. इंट्रा–ब्लॉक समन्वय (Intra-Block Coordination)

ब्लॉक स्तर पर आपदा प्रबंधन गतिविधियों को प्रभावी बनाने के लिए विभिन्न विभागों और संस्थाओं के बीच समन्वय स्थापित किया जाता है।

प्रमुख सहभागी

- खंड विकास अधिकारी
- राजस्व विभाग
- पुलिस विभाग
- स्वास्थ्य विभाग
- शिक्षा विभाग
- ग्रामीण विकास विभाग
- कृषि विभाग
- पंचायत प्रतिनिधि

प्रमुख उद्देश्य

- ब्लॉक स्तर पर आपदा प्रबंधन योजना का प्रभावी क्रियान्वयन।
- आपदा के समय बचाव और राहत कार्यों का समन्वय।
- विभिन्न विभागों के बीच सूचना और संसाधनों का आदान–प्रदान।
- स्थानीय संसाधनां` का संगठित और प्रभावी उपयागे ।

प्रमुख गतिविधियाँ

- ब्लॉक स्तर पर आपदा प्रबंधन बैठकें आयोजित करना।
- विभागों के बीच समन्वित कार्ययोजना तैयार करना।
- राहत सामग्री के भंडारण और वितरण की व्यवस्था करना।
- प्रशिक्षण और मॉक ड्रिल का आयोजन करना।

2. इंट्रा–ग्राम समन्वय (Intra-Village Coordination)

ग्राम स्तर पर आपदा प्रबंधन में स्थानीय समुदाय की सक्रिय भागीदारी अत्यंत आवश्यक होती है।

प्रमुख सहभागी

- ग्राम प्रधान
- ग्राम पंचायत सदस्य
- आशा कार्यकर्ता / स्वास्थ्य कार्यकर्ता
- आंगनवाड़ी कार्यकर्ता
- शिक्षक
- स्वयं सहायता समूह (SHGs)
- युवक मंडल एवं स्वयंसेवक

प्रमुख उद्देश्य

- आपदा के समय तत्काल प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना।
- ग्राम स्तर पर चेतावनी और सूचना का प्रसार करना।
- स्थानीय संसाधनों और स्वयंसेवकों का प्रभावी उपयागे करना।
- प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुँचाना।

प्रमुख गतिविधियाँ

- ग्राम स्तर पर आपदा प्रबंधन समितियों का गठन।
- समुदाय को आपदा सुरक्षा उपायों के बारे में जागरूक करना।
- प्राथमिक उपचार और बचाव कार्यों के लिए स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित करना।
- राहत शिविरों और आश्रय स्थलों की व्यवस्था करना।

3. समन्वय को मजबूत करने के उपाय

इंट्रा–ब्लॉक और इट्रां–ग्राम समन्वय को मजबूत बनाने के लिए निम्न उपाय अपनाए जाते है–

- नियमित बैठकें और संवाद आयोजित करना।

- प्रशिक्षण कार्यक्रम और मॉक ड्रिल आयोजित करना।
- स्थानीय संसाधनों और उपकरणों की सूची तैयार करना।
- आपदा से संबंधित सूचना और चेतावनी प्रणाली विकसित करना।
- समुदाय की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना।

11.6 स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के साथ समन्वय (पंचायती राज संस्थाएँ –जिला परिषद, मध्यवर्ती स्तर एवं ग्राम पंचायत तथा शहरी स्थानीय निकाय)

आपदा प्रबंधन में स्थानीय स्वशासन संस्थाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि ये संस्थाएँ सीधे स्थानीय समुदाय से जुड़ी होती हैं। पंचायती राज संस्थाएँ जैसे जिला परिषद, मध्यवर्ती स्तर (ब्लॉक/क्षेत्र पंचायत) और ग्राम पंचायत तथा शहरी स्थानीय निकाय आपदा की स्थिति में राहत, बचाव और पुनर्वास कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाते हैं।

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अनुसार स्थानीय निकायों की जिम्मेदारियाँ निर्धारित की गई हैं। अधिनियम की धारा 41 के अनुसार ये स्थानीय प्राधिकरण जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के निर्देशों के अधीन कार्य करते हैं। इसलिए जिला स्तर, ब्लॉक स्तर और ग्राम स्तर पर प्रभावी तथा सक्रिय समन्वय प्रणाली का होना अत्यंत आवश्यक है।

1. जिला परिषद (Zila Parishad) के साथ समन्वय

जिला परिषद जिला स्तर की प्रमुख पंचायती राज संस्था होती है जो जिला प्रशासन के साथ मिलकर आपदा प्रबंधन गतिविधियों में सहयोग करती है।

प्रमुख जिम्मेदारियाँ

- जिले में आपदा प्रबंधन योजनाओं के क्रियान्वयन में सहयागे करना।
- आपदा जोखिम न्यूनीकरण और सुरक्षा उपायों को बढ़ावा देना।
- राहत एवं पुनर्वास कार्यों में संसाधनों और मानव शक्ति की व्यवस्था करना।
- पंचायत स्तर पर आपदा प्रबंधन गतिविधियों को प्रोत्साहित करना।

समन्वय व्यवस्था

- जिला प्रशासन और जिला परिषद के बीच नियमित बैठकें और संवाद आयोजित किए जाते हैं।
- जिला परिषद के माध्यम से पंचायतों तक आपदा संबंधी निर्देश और योजनाएँ पहुँचाई जाती हैं।
- विकास योजनाओं में आपदा जोखिम न्यूनीकरण को शामिल किया जाता है।

2. मध्यवर्ती स्तर (Intermediate Level / Block Panchayat) के साथ समन्वय

मध्यवर्ती स्तर की पंचायतें (क्षत्रे पंचायत/ब्लॉक पंचायत) जिला प्रशासन और ग्राम पंचायतों के बीच समन्वय स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

प्रमुख जिम्मेदारियाँ

- ब्लॉक स्तर पर आपदा प्रबंधन गतिविधियों का संचालन करना।
- ग्राम पंचायतों को मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करना।
- राहत सामग्री के संग्रहण और वितरण की व्यवस्था करना।
- आपदा से प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति की जानकारी जिला प्रशासन तक पहुँचाना।

समन्वय व्यवस्था

- ब्लॉक प्रशासन और पंचायत प्रतिनिधियों के बीच नियमित बैठकें आयोजित की जाती हैं।
- ग्राम स्तर की सूचनाएँ ब्लॉक स्तर के माध्यम से जिला प्रशासन तक पहुँचती हैं।

3. ग्राम पंचायत के साथ समन्वय

ग्राम पंचायत स्थानीय स्तर की सबसे महत्वपूर्ण संस्था है जो आपदा के समय त्वरित प्रतिक्रिया देने में सक्षम होती है।

प्रमुख जिम्मेदारियाँ

- ग्राम स्तर पर आपदा प्रबंधन योजना तैयार करना।
- समुदाय को आपदा सुरक्षा उपायों के बारे में जागरूक करना।
- आपदा के समय लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुँचाना।
- राहत शिविरों और आश्रय स्थलों की व्यवस्था करना।
- प्रभावित परिवारो की जानकारी प्रशासन को उपलब्ध कराना।

समन्वय व्यवस्था

- ग्राम पंचायत जिला प्रशासन और ब्लॉक प्रशासन के निर्देशों के अनुसार कार्य करती है।
- ग्राम स्तर पर स्वयंसेवकों और समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है।

4. शहरी स्थानीय निकायों (Urban Local Bodies) के साथ समन्वय

जिले के शहरी क्षेत्रों में नगर पालिका या नगर पंचायत जैसी संस्थाएँ आपदा प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

प्रमुख जिम्मेदारियाँ

- शहरी क्षेत्रों में आपदा जोखिम को कम करने के उपाय लागू करना।
- आपदा के समय आपातकालीन सेवाएँ और राहत कार्यों का संचालन करना।
- जल निकासी, स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था बनाए रखना।
- प्रभावित लोगों के लिए अस्थायी आश्रय और राहत शिविरों की व्यवस्था करना।

समन्वय व्यवस्था

- शहरी निकाय जिला प्रशासन के साथ नियमित संपर्क बनाए रखते हैं।
- आपदा की स्थिति में शहरी निकाय जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के निर्देशों के अनुसार कार्य करते हैं।

5. समन्वय प्रणाली की आवश्यकता

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 41 के अनुसार स्थानीय प्राधिकरण जिला प्राधिकरण के निर्देशों के अधीन कार्य करते हैं। इसलिए प्रभावी समन्वय प्रणाली की आवश्यकता निम्न कारणों से होती है–

- आपदा के समय त्वरित निर्णय और कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए।
- विभिन्न स्तरों के प्रशासन के बीच सूचना का प्रभावी आदान–प्रदान करने के लिए।
- संसाधनों और मानव शक्ति का संगठित उपयोग करने के लिए।
- राहत एवं पुनर्वास कार्यों को सुगम और प्रभावी बनाने के लिए।

11.7 पड़ोसी जिलों के DDMPs के साथ समन्वय (Linkage with DDMPs of Neighboring Districts)

आपदा अक्सर एक जिले की सीमा तक ही सीमित नहीं रहती, बल्कि यह पड़ोसी जिलों तक फैल सकती है। इसलिए पड़ोसी जिलों के जिला आपदा प्रबंधन योजनाओं (DDMPs) के साथ समन्वय अत्यंत आवश्यक है। इस समन्वय से आपदा के समय संसाधनों का साझा उपयोग , त्वरित राहत कार्य और प्रभावी बचाव सुनिश्चित किया जा सकता है। रूद्रप्रयाग जिले में पड़ोसी जिलों के साथ यह समन्वय क्षैतिज लिंकिंग (Horizontal Linkages) के रूप में कार्य करता है।

1. समन्वय के उद्देश्य

- आपदा सूचना का त्वरित आदान–प्रदान– पड़ोसी जिलों की आपदा की स्थिति, चेतावनी और प्रभाव की जानकारी तुरंत साझा करना।
- संसाधनों और मानव शक्ति का साझा उपयागे – बचाव वाहन, मेडिकल टीम, राहत सामग्री और उपकरण एक जिले से दूसरे जिले में जरूरत पड़ने पर उपलब्ध कराना।
- सहयोगी राहत और बचाव कार्य – सीमा क्षत्रे में प्रभावित लोगों तक राहत पहुँचाने और बचाव कार्यों का साझा संचालन।
- अनुभव और रणनीति साझा करना– आपदा प्रबंधन में मिले अनुभव और प्रशिक्षण का आदान–प्रदान करना।

2. समन्वय के प्रमुख माध्यम

- आपदा संचालन केंद्र (EOC) के माध्यम से संपर्क– प्रत्येक जिले का EOC पड़ोसी जिलों के EOC से सीधे संपर्क बनाए रखता है।
- साझा बैठकें और समीक्षा– आपदा पूर्व और आपदा के समय जिला अधिकारियों के बीच नियमित बैठकें आयोजित करना।
- साझा मॉक ड्रिल (Joint Mock Drills)– सीमा क्षेत्र में संयुक्त अभ्यास आयोजित करके आपदा प्रतिक्रिया को प्रभावी बनाना।
- सूचना और अलर्ट प्रणाली– पड़ोसी जिलों के बीच रेडियो, वायरलेस, मोबाइल और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सूचना साझा करना।

3. लाभ

- आपदा प्रभावित क्षेत्रों में त्वरित और समन्वित बचाव कार्य।
- संसाधनों और तकनीकी सहायता का प्रभावी उपयोग।
- आपदा प्रबंधन में क्षेत्रीय सहयोग और अनुभव साझा करना।
- सीमा क्षेत्र में राहत और पुनर्वास कार्यों का सुव्यवस्थित संचालन।

11.8 राज्य आपदा प्रबंधन योजना (SDMP) के साथ समन्वय (Linkage with SDMP)

राज्य आपदा प्रबंधन योजना (State Disaster Management Plan - SDMP) राज्य सरकार द्वारा तैयार की जाती है और इसमें आपदा से निपटने की रणनीति, संसाधनों की व्यवस्था, प्रशिक्षण और राहत–निवारण की दिशा–निर्देश शामिल होते हैं। रूद्रप्रयाग जिले की जिला आपदा प्रबंधन योजना (DDMP) को राज्य स्तर की SDMP के साथ लिंक करना अनिवार्य है ताकि जिले की गतिविधियाँ राज्य नीतियों और दिशा–निर्देशों के अनुरूप संचालित हों। यह लिंकिंग ऊर्ध्वाधर समन्वय (Vertical Linkage) के रूप में काम करती है।

1. समन्वय के उद्देश्य

- राज्य नीति के अनुरूप जिला याजे ना का क्रियान्वयन–राज्य स्तर के दिशानिर्देशों और मानक संचालन प्रक्रियाओं को जिले में लागू करना।
- अतिरिक्त संसाधनों और तकनीकी सहायता का उपयागे–आपदा की स्थिति में राज्य EOC से अतिरिक्त मानव संसाधन, वाहन, राहत सामग्री और विशेषज्ञ तकनीकी सहायता प्राप्त करना।
- प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण– जिला अधिकारियों, ब्लॉक और ग्राम स्तर के स्वयंसेवकों के लिए राज्य स्तर के प्रशिक्षण संस्थानों से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।
- सूचना और रिपोर्टिंग प्रणाली स्थापित करना– जिले की आपदा स्थिति, प्रभावित क्षेत्र, राहत और बचाव कार्यों की नियमित रिपोर्ट राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA) तक भेजना।

2. समन्वय के माध्यम

- जिला आपदा संचालन केंद्र (District EOC)- जिला स्तर पर ेक्डच के अनुसार गतिविधियों का नियंत्रण और निगरानी।
- रिपोर्टिंग और सूचना आदान–प्रदान– आपदा की स्थिति में त्वरित रिपोर्टिंग और निर्देश प्राप्त करना।
- राज्य स्तर के प्रशिक्षण और मॉक ड्रिल– SDMP के अनुसार जिला स्तर पर प्रशिक्षण और आपदा अभ्यास (mock drills) आयोजित करना।
- संसाधन और सहायता अनुरोध प्रणाली – आपदा के समय राज्य से आपातकालीन संसाधन प्राप्त करना।

3. लाभ

- जिला स्तर की योजना राज्य स्तर की रणनीति और दिशा–निर्देशों के अनुरूप होती है।
- त्वरित निणर्य और आपदा प्रतिक्रिया सुनिश्चित होती है।
- संसाधनों का प्रभावी और संगठित उपयागे संभव होता है।
- जिले में आपदा प्रबंधन क्षमता और दक्षता बढती है।

अध्याय–12

मानक संचालन प्रकिया (एस.ओ.पी.) एवं चैकलिस्ट
(Standard Operating Procedures (SOPs) and checklist)

12.1 आपदा स्थिति की परिभाषा

आपदा स्थिति वह अवस्था है जब किसी प्राकृतिक या मानव–निर्मित घटना के कारण अचानक या धीरे – धीरे ऐसी गंभीर परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है जिससे मानव जीवन, संपत्ति, आधारभतू संरचना, आजीविका तथा पर्यावरण को व्यापक क्षति पहुँचती है और सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो जाता हैं। ऐसी स्थिति में स्थानीय समुदाय की अपनी क्षमता और संसाधन पर्याप्त नहीं होते, इसलिए स्थिति से निपटने के लिए जिला प्रशासन, राज्य सरकार तथा अन्य एजेंसियों की सहायता और समन्वित आपदा प्रबंधन व्यवस्था की आवश्यकता होती है। उत्तराखंड के रूद्रप्रयाग जिले में पहाड़ी भौगोलिक स्थिति के कारण कई प्रकार की आपदाएँ देखने को मिलती हैं, जैसे–

- भूस्खलन (Landslide)– भारी वर्षा के कारण पहाड़ों का खिसकना।
- बादल फटना (Cloudburst)– अचानक बहतु तेज वर्षा होना।
- बाढ़ (Flood)– नदियों और नालों का जलस्तर बढ़ जाना।
- भूकम्प (Earthquake)– पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण भूकंपीय खतरा।
- वनाग्नि (Forest Fire)– गर्मियों में जंगलों में आग लगना।

जब किसी घटना से लोगों का जीवन, घर सड़कें खेती और पर्यावरण को भारी नुकसान होता है और स्थिति को संभालने के लिए प्रशासन और बाहरी सहायता की जरूरत पड़ती है, तो उसे आपदा स्थिति कहा जाता है।

उदाहरण –

- अगर रूद्रप्रयाग जिले में भारी बारिश के कारण भूस्खलन हो जाए और सड़कें बदं हो जाएँ, घरों को नुकसान पहुँचे और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाना पड़े, तो यह एक आपदा स्थिति मानी जाएगी।

12.2 चेतावनी प्राप्त होने पर की जाने वाली कार्यवाही तथा चेतावनी का प्रसार

जब किसी संभावित आपदा के बारे में मौसम विभाग, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण या अन्य संबंधित एजेंसियों से चेतावनी प्राप्त होती है, तो जिला प्रशासन द्वारा तुरंत आवश्यक कदम उठाए जाते हैं ताकि लोगों की जान–माल की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और नुकसान को कम किया जा सके।

चेतावनी प्राप्त होने पर की जाने वाली कार्यवाही– चेतावनी प्राप्त होते ही जिला प्रशासन निम्न कार्य करता है:

- जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र (EOC) को सक्रिय किया जाता है।
- जिलाधिकारी (DM) और अन्य संबंधित विभागों को तुरंत सूचना दी जाती है।
- पुलिस, स्वास्थ्य, अग्निशमन, पीडब्ल्यूडी, बिजली, जल संस्थान आदि विभागों को अलर्ट मोड पर रखा जाता है।
- संवेदनशील और जोखिम वाले क्षेत्रों की पहचान कर तत्काल तैयारी की जाती है।
- आवश्यक होने पर राहत आरै बचाव दल (SDRF] NDRF, पुलिस, होमगार्ड) को तैयार रखा जाता है।
- लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की निकासी याजे ना (Evacuation Plan) लागू की जाती है।

चेतावनी का प्रसार (Warning Dissemination)– चेतावनी को अधिक से अधिक लोगों तक जल्दी पहुँचाने के लिए विभिन्न माध्यमों का उपयोग किया जाता है:

- मोबाइल संदेश (SMS) और फोन कॉल के माध्यम से।
- टीवी, रेडियो और समाचार पत्र के माध्यम से।
- सोशल मीडिया और इंटरनेट के माध्यम से।
- पुलिस वाहन, लाउडस्पीकर और सायरन के माध्यम से।
- ग्राम प्रधान, आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और स्वयंसेवकों के माध्यम से।

- स्थानीय प्रशासन और पंचायत स्तर पर लोगों को तुरंत सूचना देकर सतर्क किया जाता है।

12.3 आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए वित्तीय और तकनीकी संसाधनों तक पहुँच की प्रक्रिया

किसी भी आपदा की स्थिति में प्रभावी राहत एवं बचाव कार्यों के लिए वित्तीय (Financial) और तकनीकी (Technical) संसाधनों की उपलब्धता अत्यंत आवश्यक होती है। इन संसाधनों को प्राप्त करने के लिए जिला प्रशासन विभिन्न विभागों और हितधारकों (Stakeholders) के साथ समन्वय स्थापित करता है।

- वित्तीय ससांधनों तक पहुँच (Financial Resources)– आपदा के समय राहत एवं बचाव कार्यों के लिए निम्न स्रोतों से धनराशि प्राप्त की जाती है:

✓ जिला आपदा प्रतिक्रिया निधि (DDRF) से तत्काल राहत कार्यों के लिए धन का उपयोग।
✓ राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि (SDRF) से अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्राप्त करना।
✓ आवश्यकता होने पर राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि (NDRF) से सहायता प्राप्त करना।
✓ जिला प्रशासन द्वारा आपातकालीन खर्चों के लिए विशेष बजट का उपयोग।
✓ सरकारी याजे नाओं और विभागीय निधियों का उपयागे ।
✓ गैर–सरकारी संगठन (NGO), निजी क्षेत्र और स्वयंसेवी संस्थाओं से सहयागे ।

- तकनीकी संसाधनों तक पहचुं (Technical Resources)– आपदा प्रबंधन में विभिन्न विभागों और एजेंसियों की तकनीकी सहायता ली जाती है:

✓ स्वास्थ्य विभाग – चिकित्सा सहायता, एम्बुलेंस और डॉक्टरों की उपलब्धता।
✓ पुलिस एवं होमगार्ड – सुरक्षा, खोज एवं बचाव कार्य।
✓ अग्निशमन विभाग – आग बुझाने और बचाव कार्य।
✓ लाके निर्माण विभाग (PWD) – सड़कों और पुलों की मरम्मत।
✓ बिजली विभाग – बिजली आपूर्ति की बहाली।
✓ जल संस्थान / जल निगम – स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था।
✓ SDRF / NDRF – विशेषज्ञ बचाव कार्य और आपदा प्रबंधन सहायता।
✓ दूरसंचार विभाग – संचार सेवाओं को चालू रखना।

- हितधारकों (Stakeholder) की भूमिका– आपदा के समय विभिन्न हितधारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं:

✓ जिला प्रशासन – समन्वय और नेतृत्व।
✓ स्थानीय निकाय और पंचायतें – स्थानीय स्तर पर सहायता।
✓ NGO और स्वयंसेवी संगठन – राहत सामग्री और सेवाएँ प्रदान करना।
✓ निजी क्षेत्र संसाधन और तकनीकी सहयागे देना।
✓ स्थानीय समुदाय और स्वयंसेवक – बचाव और राहत कार्यों में सहयोग।

12.4 आपातकालीन प्रतिक्रिया में विभागों एवं हितधारकों की भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ

किसी भी आपदा की स्थिति में प्रभावी आपातकालीन प्रतिक्रिया (Emergency Response) के लिए विभिन्न विभागों और हितधारकों की स्पष्ट भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ निर्धारित की जाती हैं। इन सभी का उद्देश्य राहत, बचाव और पुनर्वास कार्यों को सुचारु रूप से संचालित करना होता है।

क्रमांक	प्राधिकरण	कर्तव्य
1.	जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA)	• आकस्मिक योजना का क्रियान्वयन। • आपातकालीन सुविधाओं की स्थापना के लिए स्थानीय प्रशासन, सैन्य बलों, गैर–सरकारी संगठनों और निजी क्षत्रे के सहयागे से सहायता प्रदान करना। • समस्त आपदाओं में विभागीय समन्वय, आपातकालीन परिचालन केन्द्र का संचालन। • आपदा की स्थिति में शासन स्तर पर समन्वय स्थापित करते हुए आवश्यक दिशा–निर्देश प्राप्त कर आवश्यक कार्यवाही करना।
2.	पुलिस, होम गार्ड, पी. आर.डी.	• कानून और शंति व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण, नागरिक सुरक्षा। • मोटर मार्ग बाधित होने पर यातायात व्यवस्था।

क्रमांक	प्राधिकरण	कर्तव्य
		• दूरसंचार विहीन क्षेत्रों में वायरलैस के माध्यम से वैकल्पिक संचार व्यवस्था। • चेतावनी प्रसारण, खोज एवं बचाव, राहत वितरण, परिवहन व्यवस्था, आबादी निष्क्रमण
3.	सशस्त्र बल	• एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस आदि संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित करते हुये आपातकालीन राहत और प्रतिक्रिया गतिविधियों को अंजाम देना।
4.	स्वास्थ्य विभाग	• कर्मियों व प्रभावितों को चिकित्सीय सुविधा तथा उक्त सम्बन्धी उपकरणों/दवाइयों की व्यवस्था किया जाना। • रोगियों की निकासी का समन्वय करना।
5.	विद्युत विभाग	• बाहरी उपकरणों की आवश्यकताओं की पहचान करना, जैसे डीजी सेट आदि। • क्षत्रे में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना। • आपदा की स्थिति में विद्युत बहाल करते हुये वैकल्पिक विद्युत व्यवस्था किया जाना। • राहत कार्यो व शिविरों में विद्युत व्यवस्था
6.	संचार विभाग	• जिले में दूरसंचार व्यवस्था सुनिश्चित कराना। • प्रभावित क्षेत्रों में अस्थायी दूरसंचार आवश्यकताओं का समन्वय करना।
7.	जनसंपर्क विभाग	• आपदा और पीड़ितों की स्थिति पर विश्वसनीय जानकारी प्रदान करना और एकत्र करना ताकि जनपद स्तर पर राहत कार्यों का प्रभावी समन्वय हो सके। • सभी टीवी और रेडियो नेटवर्क के साथ समन्वय कर विशेष जरूरतों की खबरें प्रसारित करना। • समस्त आपदाओं में मीडिया प्रबंधन, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आवश्यक सूचनाओं का सम्प्रेषण।
8.	परिवहन विभाग	• परिवहन आवश्यकताओं का समग्र समन्वय। • विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपलब्ध वाहनों की सूची तैयार करना। • आपातकालीन प्रतिक्रिया आरै पुनर्प्राप्ति कार्यों, खोज आरै बचाव तथा नुकसान के आकॅ लन को समन्वित और कार्यान्वित करना।
9.	राष्ट्रीय राजमार्ग/लोक निर्माण विभाग/पी.एम. जी.एस.वाई.	• नियंत्रणाधीन मोटर मार्गों को सुचारू व सुगम रखा जाना। • ग्रामीण सड़कों एवं पुल, पुलिया का रख रखाव। • सड़क मार्ग अवरूद्ध होने पर डाइवर्जन, आपातकालीन स्थिति में हेलीपैड सक्रिय किया जाना, क्षतिग्रस्त पुल/पुलिया, सड़कों की मरम्मत, अधासेंरचना क्षति आंकलन अन्य विभागों को तकनीकी सहयोग।
10.	राजस्व विभाग	• वास्तविक या संभावित आपदा स्थिति के बारे में जानकारी एकत्र करना, प्रतिक्रिया करना और प्रसारित करना ताकि प्रभावित क्षेत्र में सहायता प्रदान करने के लिए सभी प्रतिक्रियाकर्ताओं की समग्र गतिविधियों को सुगम बनाया जा सके। • आपातकालीन प्रावधानों से संबंधित गतिविधियों का समन्वय व प्रभावितों को राहत वितरण।
11.	वन विभाग	• वन्यजीव मानव संर्घष की रोकथाम तथा आपदा के समय राहत बचाव कार्य में सहयोग। • वैकल्पिक वन मार्गों को आपदा की स्थिति में सुचारू किया जाना।

क्रमांक	प्राधिकरण	कर्तव्य
12.	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग	• आपदा की स्थिति में खाद्यान्न, ईंधन, रसोई गैस की आपूर्ति की सुनिश्चितता, राहत शिविरों व राहत कार्य में लगे व्यक्तियों हेतु खाद्य आपूर्ति व भोजन की व्यवस्था। • आपदाओं में आश्रय एवं राहत कैंप में भोजन प्रबंधन, स्थानीय स्वयंसेवी संगठनों से समन्वय कर राहत सामग्री/खाद्यान्न वितरण।
13.	पेयजल विभाग	• स्वच्छ पेयजल व्यवस्था।
14.	नगर पालिका एवं जिला पंचायत	• सफाई एवं स्वच्छता व्यवस्था।
15.	पंचायत एवं ग्रामीण विकास	• प्राकृतिक आपदाओं में आबादी निष्क्रमण, क्षति, आंकलन, राहत शिविरों एवं बुनियादी सुविधाओं की स्थापना एवं संचालन, खोज एवं बचाव
16.	शिक्षा विभाग	• चिन्हित आपातकालीन राहत शिविरों की व्यवस्था एवं समन्वय। • मतदेय स्थलों में ए.एम.एफ. सम्बन्धी सुविधाएं एवं कर्मिकों हेतु भोजन आदि व्यवस्था।
17.	सिंचाई विभाग	• नदी नालों से कटाव तथा जल भराव की स्थिति में तात्कालिक रूप से आबादी की सुरक्षा हेतु कार्य।
18.	उरेडा विभाग	• विद्युत विहीन क्षेत्रों में वैकल्पिक विद्युत व्यवस्था।
19.	पशुपालन	• आपदाओं के मद्देनजर पशुओं से संबंधित मुद्दों के लिए रणनीति और योजना विकसित करना। • किसी भी महामारी के प्रकोप को नियंत्रित और जांचना। • सभी पशु चिकित्सा केन्द्रों की सूची तैयार करना और आपदा की स्थिति से निपटने की उनकी क्षमता का ऑकलन करना।

12.5 सूचना प्रबंधन एवं प्रसार रणनीति

आपदा की स्थिति में सही और समय पर सूचना का प्रबंधन तथा उसका प्रसार बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसका उद्देश्य सटीक जानकारी एकत्र करना, उसे व्यवस्थित करना और समय पर संबंधित विभागों तथा जनता तक पहुँचाना होता है, ताकि प्रभावी आपातकालीन प्रतिक्रिया दी जा सके।

- सूचना प्रबंधन (Information Management)– आपदा के समय सूचना प्रबंधन की प्रक्रिया निम्न प्रकार से की जाती है–
  - ✓ सूचना एकत्र करना – प्रभावित क्षेत्रों से नुकासान, जनहानि, और आवश्यकताओं की जानकारी एकत्र की जाती है।
  - ✓ सूचना का विश्लेषण – प्राप्त जानकारी का विश्लेषण कर स्थिति का आकलन किया जाता है।
  - ✓ रिकॉर्ड और डाटा प्रबंधन – सभी जानकारी को व्यवस्थित रूप रिकॉर्ड और सुरक्षित रखा जाता है।
  - ✓ समन्वय – विभिन्न विभागों और एजेंसियों के बीच सूचना का आदान – प्रदान किया जाता है।
  - ✓ रिपोर्ट तैयार करना – जिला प्रशासन को नियमित रूप से स्थिति की रिपोर्ट भेजी जाती है।
- सूचना का प्रसार (Information Dissemination) – आपदा के समय लोगों तक सूचना पहुँचाने के लिए विभिन्न माध्यामों का उपयोग किया जाता है :–
  - ✓ टेलीविजन और रेडियो के माध्यम से चेतावनी और जानकारी देना।
  - ✓ मोबाइल संदेश (SMS) और फोन कॉल के माध्यम से सूचना भेजना।
  - ✓ सोशल मीडिया और इंटरनेट के माध्यम से अपडेट देना।
  - ✓ लाउडस्पीकर, सायरन और पुलिस वाहन के माध्यम से लोंगों को सतर्क करना।
  - ✓ ग्राम पंचायत, स्थानीय निकाय और स्वयंसेवकों के माध्यम से सूचना फैलाना।
  - ✓ मीडिया और प्रेस ब्रीफिंग के माध्यम से सही जानकारी प्रदान करना।

- रणनीति के मुख्य उद्देश्य
  - ✓ लोगों तक सही और समय पर सूचना पहुँचाना।
  - ✓ अफवाहों और गलत जानकारी को रोकना।
  - ✓ सभी विभागों के बीच समन्वय बनाए रखना।
  - ✓ राहत और बचाव कार्यों को प्रभावी बनाना।

12.6 मीडिया प्रबंधन रणनीति आपातकालीन प्रतिक्रिया के दौरान

आपदा के समय मीडिया प्रबंधन एक महत्वपूर्ण रणनीति है, जिसका उद्देश्य है सटीक जानकारी समय पर जनता और संबधित विभागों तक पहुँचाना, अफवाहों को रोकना और आपदा प्रतिक्रिया कार्यों में सहयोग सुनिश्चित करना।

- मीडिया प्रबंधन के उद्देश्य

✓ प्रभावित जनता को तत्काल और सटीक जानकारी प्रदान करना।
✓ आपदा की गंभीरता, बचाव कार्य और सुरक्षा उपायों के बारे में जनजागरूकता बढ़ाना।
✓ अफवाहों और गलत सूचनाओं को रोकना।
✓ मीडिया के माध्यम से सरकारी राहत और बचाव गतिविधियों की स्थिति साझा करना।
✓ विभिन्न विभागों और एजेंसियों के बीच समन्वय सुनिश्चित करना।

- मुख्य रणनीतियाँ

1. समान्य मीडिया ब्रीफिंग (Press Briefing)

✓ नियमित अंतराल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीडिया ब्रीफिंग आयोजित करना।
✓ आपदा की स्थिति, राहत कार्य और सहायता योजनाओं की जानकारी साझा करना।

2. **मीडिया संपर्क अधिकारी (Media Liaison Officer)**

- जिला प्रशासन द्वारा एक अधिकारी को मीडिया संपर्क का प्रभारी नियुक्त करना।
- मीडिया से सीधे संपर्क और क्वेरी का उत्तर देना।

3. सत्यापन और पुष्टि

✓ सभी सूचना और आंकडे सत्यापित स्त्रोतों से ही साझा करना।
✓ अफवाहों या असत्य सूचना का प्रसार रोकना।
4. मल्टीमीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग।
✓ सोशल मीडिया, वेबसाइट और मोबाइल संदेशों के माध्यम से जानकारी साझा करना।
✓ फोटो, वीडियो और लाइव अपडेट के माध्यम से स्थिति की स्पष्टता प्रदान करना।
5. स्थानीय मीडिया और सामुदायिक चैनल्स का उपयोग
✓ रेडियो, स्थानीय टीवी चैनल और ग्राम स्तर के लाउडस्पीकर से सूचना पहुँचाना।
✓ जनता को चेतावनी और सुरक्षा निर्देश देने के लिए स्थानीय प्रतिनिधियों का सहयोग लेना।

12.7 राज्य सरकार से सहायता का अनुरोध (Request for State Government Assistance)

जब किसी आपदा की स्थिति में जिला प्रशासन की अपनी संसाधन क्षमता पर्याप्त नहीं होती, तो तत्काल राज्य सरकार से सहायता प्राप्त करने के लिए अनुरोध किया जाता है। इसका उद्देश्य राहत, बचाव और पुनर्वास कार्यों को प्रभावी और समयबद्ध तरीके से संचालित करना है।

- राज्य सरकार से सहायता अनुरोध की प्रक्रिया

- ✓ स्थिति का आकलन (Assessment of Situation)– आपदा प्रभावित क्षेत्रों से नुकसान, जनहानि, आवश्यकताओं और राहत कार्य की स्थिति का विवरण तैयार करना।
- ✓ जिला आपदा प्रबंधन समिति (DDMC) की सिफारिश– जिलाधिकारी (DM) की अध्यक्षता में समिति आपदा के प्रभाव और आवश्यक संसाधनों का मूल्यांकन करती है।
- ✓ आधिकारिक अनुरोध पत्र (Officila Request Letter)– जिलाधिकारी या जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी (DDMO) के माध्यम से राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA) को लिखित अनुरोध भेजा जाता है।

- **अनुरोध पत्र में शामिल जानकारी:**
  - ➢ प्रभावित क्षेत्रों का विवरण
  - ➢ मानव और संपत्ति को हुए नुकसान का अनुमान
  - ➢ आवश्यक वित्तीय, तकनीकी और भौतिक संसाधन
  - ➢ राहत और बचाव कार्यों की प्राथमिकताएँ

- संसाधनों की स्वीकृति और वितरण (Approval & Allocation)– राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता (SDRF / Special Grants), तकनीकी संसाधन, विशेषज्ञ टीम (NDRF/SDRF) और अन्य आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई जाती है।

- समन्वय और रिपोर्टिंग (Coordination & Reporting) – राज्य सरकार और जिला प्रशासन के बीच समन्वय कायम रहता है। सहायता के उपयागे और कार्य की प्रगति की नियमित रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजी जाती है।

  सहायता के प्रकार

  - **वित्तीय सहायता (Financial Assistance)**
  - ✓ SDRF (State Disaster Response Fund)
  - ✓ विशेष अनुदान (Special Grants)

- **तकनीकी और विशेषज्ञ सहायता (Technical & Expert Support)**
  - ✓ NDRF/SDRF टीम
  - ✓ स्वास्थ्य और चिकित्सा टीम
  - ✓ अग्निशमन और खोज–बचाव दल

- **भौतिक संसाधन (Material Resources)**
  - ✓ राहत सामग्री (खाद्य, कपड़े, दवाइयाँ)
  - ✓ अस्थायी आश्रय (Tents, Shelters)
  - ✓ उपकरण और वाहन

12.8 राहत और पुनर्वास मानक (आपातकालीन प्रतिक्रिया/सहायता कार्य)

आपदा की स्थिति में राहत और पुनर्वास के मानक यह सुनिश्चित करते हैं कि आपातकालीन प्रतिक्रिया समय पर, प्रभावी और सुरक्षित तरीके से की जाए। ये मानक निकासी, खोज और बचाव, सुरक्षा, यातायात नियंत्रण, मृतकों और पशु शवों के निस्तारण सहित अन्य महत्वपूर्ण कार्यों को कवर करते हैं।

12.8.1 निकासी (Evacuation)

- ✓ उद्देश्य– खतरे वाले क्षेत्र से लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुँचाना।
- ✓ मानक–
- Voulnerable groups (बच्चे, वृद्ध, गर्भवती महिलाएँ, दिव्यांग) को प्राथमिकता।
- एसेंबली पॉइटं / सुरक्षित स्थल: स्थानीय स्तर पर स्पष्ट रूप से चिन्हित।
- शरणस्थल: भोजन, पानी, स्वच्छता और चिकित्सा सुविधाओं से लैस।
- परिवहन: बस, वैन, नाव आदि पर्याप्त।
- रिपोर्टिंग: निकाले गए व्यक्तियों की सूची और दैनिक रिकॉर्ड बनाए रखना।

12.8.2 खोज और बचाव (Search and Rescue)

- ✓ उद्देश्य– फंसे या असुरक्षित लोगों को ढूँढना और सुरक्षित निकालना।
- ✓ मानक–
- प्रशिक्षित कमी–SDRF/NDRF/DDRF, अग्निशमन विभाग, पुलिस।
- उपकरण: लाइफ जैकेट, रस्सी, स्ट्रेचर, कटिंग टूल , नाव।
- समन्वय: रेडियो / टेलीकोम के माध्यम से टीमों में संपर्क।
- रिकॉर्डिंग: बचाए गए लोगों की सूची तैयार करना।

12.8.3 क्षेत्र की घेराबंदी (Cordoning the Area)

- ✓ उद्देश्य: प्रभावित या खतरनाक क्षेत्रों में अनधिकृत प्रवेश रोकना।
- ✓ मानक:
- सीमा निर्धारण: बैरिकेड, टेप या सुरक्षा कर्मियों के माध्यम से।
- प्रवेश नियंत्रण: केवल अधिकृत कर्मी (बचाव, चिकित्सा, राहत) को अनुमति।
- जन जागरूकता: मीडिया और घोषणा के माध्यम से खतरे से अवगत कराना।

12.8.4 यातायात नियंत्रण (Traffic Control)

- ✓ उद्देश्य: राहत और बचाव वाहनों तथा निकासी में बाधा न हो।
- ✓ मानक:
- आपातकालीन सेवाओं के लिए प्राथमिक लेन।
- दिशा परिवर्तन और संकेत (Diversions & Signage)।
- महत्वपूर्ण स्थानों पर यातायात कर्मी तैनात।

12.8.5 कानून, व्यवस्था और सुरक्षा उपाय (Law and Order & Safety Measures)

- ✓ उद्देश्य: शांति बनाए रखना, लूटपाट राके ना और लोगों एवं संपत्ति की सुरक्षा।
- ✓ पुलिस और सुरक्षा बल तैनात।
- ✓ भीड़ प्रबंधन और राहत वितरण नियंत्रण।
- ✓ आवश्यक होने पर कर्फ्यू या प्रतिबंधित क्षत्रे लागू करना।

12.8.6 मृतकों का निस्तारण (Dead Body Disposal)

- ✓ उद्देश्य: स्वास्थ्य और स्वच्छता सुनिश्चित करना।
- ✓ मानक:
- ✓ मृत और गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों (दिव्यांग सहित) का रिकॉर्ड।
- ✓ निधन पद्धति: संस्कार या दफन, स्थानीय रीति–रिवाज और स्वास्थ्य दिशा–निर्देशों के अनुसार।
- ✓ स्वास्थ्य सुरक्षा: कर्मियों के लिए सुरक्षा उपकरण और प्रभावित क्षेत्र का डिजइंफेक्शन।

12.8.7 पशु शवों का निस्तारण (Carcass Disposal)

- ✓ उद्देश्य: रोग और संक्रमण फैलने से रोकना।
- ✓ मानक:
- ✓ गहरे गड्ढों में दफन, जल स्रोत से दूर।
- ✓ लाइम या डिजइंफेक्टेंट का उपयागे ।
- ✓ निस्तारित पशु शवों का रिकॉर्ड रखना।

12.8.8 अतिरिक्त मानक

- ✓ चिकित्सा सहायता: शरणस्थलों और निकासी बिंदुओं पर प्राथमिक चिकित्सा।
- ✓ राहत वितरण: भोजन, पानी, कपड़े, दवा आदि के मानक प्रति व्यक्ति/परिवार।
- ✓ मनोवैज्ञानिक सहायता: प्रभावित लोगों के लिए काउंसलिंग।
- ✓ अस्थायी शरण स्थल: स्थान, स्वच्छता और प्रकाश व्यवस्था के मानक।

12.9 मानवतावादी राहत और सहायता (Humanitarian Relief and Assistance)

आपदा के समय मानवतावादी राहत और सहायता का उद्देश्य प्रभावित जनसंख्या को तत्काल आवश्यक संसाधन और सेवाएँ प्रदान करना है। इसमें भोजन, पानी, दवाइयाँ, आश्रय, कपड़े, मनोवैज्ञानिक सहायता और बुनियादी सुविधाओं की बहाली शामिल है।

12.9.1 भोजन (Food)

- ✓ उद्देश्य–प्रभावित लोगों को पर्याप्त और पोषणयुक्त भाजे न प्रदान करना।
- ✓ मानक–
- ✓ प्रत्यके व्यक्ति के लिए दैनिक भोजन पैकेज।
- ✓ बच्चों, गर्भवती महिलाओं और वृद्धों के लिए विशेष पोषण।
- ✓ वितरण में समन्वय और रिकॉर्डिंग।

12.9.2 पेयजल (Drinking Water)

- ✓ उद्देश्य– स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता।
- ✓ मानक–
- 1 व्यक्ति/दिन कम से कम 03 लीटर।
- पानी की स्रोतों का नियमित परीक्षण और शुद्धिकरण।
- टैंकर, बोतल या पानी के वितरण बिंदु बनाए जाएँ।

12.9.3 दवाइयाँ (Medicines)

- ✓ उद्देश्य– प्राथमिक चिकित्सा और आवश्यक दवाइयाँ उपलब्ध कराना।
- ✓ मानक–
- प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और अस्थायी चिकित्सा शिविरों में आपूर्ति।
- गंभीर और आकस्मिक मामलों के लिए एम्बुलेंस और डॉक्टर उपलब्ध।

12.9.4 मनोवैज्ञानिक और ट्रॉमा सहायता (Psycho&social and Trauma Care)

- ✓ उद्देश्य– आपदा से प्रभावित लोगों को मानसिक और भावनात्मक सहायता।
- ✓ मानक–
- प्रभावित बच्चों और वयस्कों के लिए काउंसलिंग सेंटर।
- प्रशिक्षित मनोवैज्ञानिक और स्वयंसेवी सहायता।
- सामाजिक समर्थन और सामुदायिक गतिविधियाँ।

12.9.5 कपड़े (Clothing)

- ✓ उद्देश्य– प्रभावितों को मौसमी और आवश्यक वस्त्र प्रदान करना।
- ✓ मानक–
- परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए उपयुक्त कपड़े।
- बच्चों, गर्भवती महिलाओं और वृद्धों के लिए विशेष जरूरतें।

12.9.6 अन्य आवश्यक वस्तुएँ (Other Essential Needs)

- ✓ उद्देश्य– जीवन–निर्वाह के लिए अन्य वस्तुएँ उपलब्ध कराना।
- ✓ मानक–
- रजाई, कंबल, बर्तन, खाने की सामग्री।
- महिला और बच्चों की आवश्यकताओं का ध्यान रखना।

12.9.7 शरण स्थल प्रबंधन (Shelter Management)

- ✓ उद्देश्य– सुरक्षित और समावेशी अस्थायी आश्रय स्थल।

- ✓ मानक–
- दिव्यांगजन के लिए सुलभ (ıccessible) सुविधाएँ।
- पर्याप्त जगह, स्वच्छता, पानी और सुरक्षा।
- राहत और प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों का समन्वय।

12.9.8 हेल्पलाइन प्रदान करना (Providing Helpline)

- ✓ उद्देश्य– प्रभावितों के लिए जानकारी और सहायता की तुरंत पहुँच।
- ✓ मानक–
- 24ग7 हेल्पलाइन नंबर।
- राहत, खोज–बचाव और स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित जानकारी।
- स्थानीय भाषा और सरल संदेश।
- बुनियादी सुविधाओं की मरम्मत और बहाली (Repairs and Restoration of Basic Amenities)

- ✓ उद्देश्य– प्रभावित क्षेत्रों में जीवन सामान्य करना।
- ✓ मानक–

- जल, बिजली, परिवहन, संचार और अन्य बुनियादी सेवाओं की बहाली।
- प्राथमिकता प्रभावित और संवेदनशील क्षेत्रों में।
- मरम्मत कार्यों की नियमित निगरानी और रिपोर्टिंग।

12.9.10 वीआईपी/उच्च अधिकारी दौरे का प्रबंधन (Management of VIP Visits)

आपदा के समय वीआईपी या उच्च अधिकारियों के दौरे का प्रबंधन विशेष महत्व रखता है। इसका उद्देश्य है दौरे को सुरक्षित, व्यवस्थित और प्रभावी बनाना ताकि अधिकारी प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर सकें और राहत कार्यों की स्थिति का आकलन कर सकें।

- उद्देश्य

- ✓ वीआईपी/उच्च अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना।
- ✓ अधिकारियों को प्रभावित क्षेत्र का सटीक और समय पर अवलोकन कराना।
- ✓ अधिकारियों की यात्रा के दौरान राहत और बचाव कार्यों में व्यवधान न आने देना।
- ✓ मीडिया और जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय बनाए रखना।

- प्रबंधन के मुख्य उपाय (Key Management Measures)
- पूर्व योजना (Pre-Planning)

- ✓ दौरे के दिन, समय, मार्ग और सुरक्षा उपायों का निर्धारण।
- ✓ प्रभावित क्षेत्रों में भाष्य और ब्रीफिगं तैयार करना।

- सुरक्षा प्रबंधन (Security Management)

- ✓ पुलिस और होम गार्ड द्वारा मार्ग की सुरक्षा।
- ✓ भीड़ नियंत्रण और सड़क मार्गों का अवरोधन।

- समन्वय (Coordination)

- ✓ सभी विभागों के साथ संचार और नियंत्रण कक्ष (Control Room) सक्रिय करना।
- ✓ आवश्यकतानुसार SDRF/NDRF और राहत दलों की तत्परता।

- सूचना और मीडिया प्रबंधन (Information & Media Management)

- ✓ दौरे की सूचना जनता और मीडिया को समय पर देना।
- ✓ वीआईपी दौरे के दौरान सूचना और मीडिया कवरेज का नियंत्रण।
- ✓ आपातकालीन तैयारी (Emergency Preparedness)

- ✓ दौरे के मार्ग पर प्राथमिक चिकित्सा और बचाव सुविधाओं का प्रबंध।
- ✓ संभावित जोखिम और आपात स्थिति के लिए बैकअप योजना।

12.9.11 आपातकालीन भंडार का रखरखाव (Maintenance of Emergency Reserves)

आपदा की स्थिति में आपातकालीन भंडार (Emergency Reserves) का उचित रखरखाव अत्यतं आवश्यक है। इसमें सरकारी और निजी दोनों प्रकार के भंडार शामिल हैं, ताकि प्रभावित जनसंख्या को समय पर भोजन, पानी, दवा, उपकरण और अन्य आवश्यक संसाधन उपलब्ध हो सकें।

✓ उद्देश्य

- आपदा के समय तत्काल राहत और बचाव सुनिश्चित करना।
- प्रभावित लोगों को संसाधनों की कमी से बचाना।
- सरकारी और निजी संसाधनों का समन्वित उपयोग करना।
- संसाधनों की गुणवत्ता और उपलब्धता बनाए रखना।

✓ आपातकालीन भंडार के प्रकार (Types of Emergency Reserves)

- भाजे न और पेयजल (Food & Drinking Water)
- दवाइयाँ और प्राथमिक चिकित्सा सामग्री (Medicines & First Aid Kits)
- राहत सामग्री (Relief Kits] Blankets] Clothing)
- मुकदमाती उपकरण (Rescue & Safety Equipment)
- जैविक और पर्यावरणीय सुरक्षा सामग्री (Disinfectants/ Sanitation Kits)

✓ रखरखाव मानक (Maintenance Standards)

- संग्रहण स्थल: साफ, सूखा, सुरक्षित और सुलभ।
- सामग्री का निरीक्षण: समय–समय पर मुद्दत समाप्ति, गुणवत्ता और उपलब्धता की जांच।
- लेखा–जोखा (Inventory Management): हर वस्तु का रिपोर्टिंग और रिकॉर्डिंग।
- रोटेशन नीति: भंडार की सामग्री को नियमित रूप से नवीनीकरण।
- निजी एजेंसियों के भंडार: जिला प्रशासन द्वारा सत्यापन और समन्वय।

!! सहायता हेतु संपर्क करें !!

जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र

टोल-फ्री हेल्पलाइन :

1077

☎ दूरभाष :

01364-233727,

📱 मोबाइल :

7579104738 | 8078687829 |

✉ ई-मेल :

ddmarudraprayag@gmail.com

जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण,
कलक्ट्रेट भवन,
जनपद रूद्रप्रयाग, उत्तराखंड ।